राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06] पन्द्रहवीं विधान सभा के छठे सत्र का दो सौ अठारहवां दिवस [संख्या: 24

बुधवार,

15 सितम्बर 2021

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्रीमती मंजु देवी।

जायल के उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार

450. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार की कोई कार्ययोजना बनी हुई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला नागौर में स्थापित उद्योगों में अम्बुजा सीमेंट प्लांट, मूण्डवा, जिसका अधिकांश भाग विधान सभा क्षेत्र जायल में आता है, में स्थानीय युवाओं के स्थान पर बाहरी श्रमिकों को कार्य में लिया जाता है? यदि हां, तो सरकार ऐसे उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं है। इकाइयों द्वारा कुशल/अकुशल श्रमिकों की आवश्यकतानुसार स्थानीय श्रमिकों में आवश्यक कौशल की उपलब्धता एवं उनके रुझान के आधार पर नियोजन उपलब्ध कराया जाता है।

राजस्थान के अधिवासित युवाओं को उद्योगों में वरीयता से रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 जो कि दिनांक 31.03.2026 तक प्रभावी है, में निम्नानुसार विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के पात्र उद्यमों के लिए रोजगार सृजन अनुदान का प्रावधान किया गया है:-

(उद्योग मंत्री)

नियोक्ता द्वारा श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान के रूप में जमा कराई गई राशि की 50 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण सात वर्ष की अवधि के लिए अनुदान के रूप में किये जाने का प्रावधान है, परन्तु यदि समस्त श्रमिकों में से 75 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार राजस्थान के अधिवासित नागरिकों को प्रदान किया गया हो तो नियोक्ता द्वारा श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान के रूप में जमा कराई गयी राशि के 75 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण सात वर्ष की अवधि के लिए अनुदान के रूप में किये जाने का प्रावधान है।

(2) जिला नागौर में स्थित अम्बुजा सीमेंट प्लांट, मूंडवा द्वारा कुशल/ अकुशल श्रमिकों की आवश्यकतानुसार स्थानीय श्रमिकों में आवश्यक कौशल की उपलब्धता एवं उनके रुझान के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं है।

श्रीमती मंजु देवी (जायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी, आपने यह कहा कि युवाओं के रोजगार के लिए बाध्य तो नहीं हैं, लेकिन हमारी जमीन है, मिनरल हमारा है, उसके बावजूद भी वहां के युवाओं को रोजगार नहीं देना, यह तो अच्छी बात नहीं है। फिर भी मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगी कि प्लांट शुरू होने पर रियायती दरों के लिए राज्य सरकार की अनुमति के लिए आने पर क्या अब नागौर जिले के युवाओं को स्थाई कार्मिक लगाने का प्रतिशत निर्धारित करवाने का विचार रखते हैं?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे कहा कि बाध्यकारी कोई प्रावधान नहीं है कि स्थानीय को ही लगाएं। सरकार की 2019 की जो प्रोत्साहन योजना है, हमने उसमें यह प्रावधान किया कि ई.एस.आई., ई.पी.एफ. का पैसा, जो 75 प्रतिशत से अधिक लगाएंगे, उनको साढ़े सात वर्ष की अवधि के लिए हम 75 परसेंट अनुदान देंगे। 50 परसेंट जो लगाएंगे उनको 50 देंगे। अभी माननीय सदस्या ने मूंडवा का जिक्र किया, तो वहां पर प्लांट अभी पूर्ण रूप से चालू नहीं हुआ है। वह अभी प्रगति में है। फिर भी वहां पर यह स्थानीय लोगों को, राजस्थान के 52, स्टाफ मैनेजमेंट में 52 है, नागौर के 4 हैं और अदर्स 88 हैं। मैनेजमेंट कम हैल्पर 29-30 और थर्ड पार्टी वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं, वे 2,289 लोग हुए हैं, जिनमें

(श्री परसादी लाल)

राजस्थान के भी हैं, नागौर के भी हैं, साढ़े आठ सौ से ज्यादा राजस्थान के लोग भी हैं और वह उद्यमी, अपनी आवश्यकतानुसार प्लांट शुरू होगा, तो हमारी यह कोशिश रहती है, इसीलिए सरकार ने यह प्रोत्साहन योजना लागू की है, जिससे स्थानीय लोगों को वहां पर रोजगार दे। ई.एस.आई. और ई.पी.एफ. का पैसा सरकार ने इसीलिए उनको देने का फैसला किया है, जिसके ये नतीजे हैं कि निश्चित रूप से प्लांट चालू होगा, स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए उद्यमी निश्चित रूप से आगे आएंगे।

श्रीमती मंजु देवी (जायल): शुक्रिया, साहब।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। नारायण सिंहजी। एक मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब की मांग रहती है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। यह जो आपने 75 परसेंट तय किया, इस प्रोत्साहन योजना में जितने परसेंट वह स्थानीय लगाएगा, उतने परसेंट, उसको आप यह सात साल का सहयोग करने का थोड़ा सा अमेंड कर दें, ताकि कम से कम उस लाभ को लेने के लिए वह निश्चित रूप से कुछ लोगों को जरूर लगाएगा। मैं यही कह रहा हूं कि उनको इतना ही कर दो कि जितने परसेंट लगाए, यदि 30 परसेंट लगाता है तो 30 परसेंट दे दो, पचास परसेंट लगाता है तो पचास दे दो, 75 परसेंट लगाता है तो 75 दे दो और हंड्रेड परसेंट लगाता है तो हंड्रेड परसेंट उसको दे दो। इसको आप कर सकते हो अगर करना चाहें तो, इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने जो सुझाव दिया, सुझाव ठीक है, पर उद्यमी जो है इस पर, राजस्थान पर, दूसरे प्रदेशों ने जहां पर किया है, हरियाणा और मध्य प्रदेश में किया है, वहां पर बाध्यकारी, उसके नतीजे ठीक नहीं आये हैं। नतीजे ठीक नहीं आये तो उद्यमी यहां पर नहीं आएंगे, तो है, जो भी रोजगार नहीं मिलेगा। हमारी कोशिश यह है कि हम किस तरह प्रोत्साहित करें उद्यमियों को, उसके लिए हमारी जो 2019 की निवेश प्रोत्साहन योजना है, हमने उसमें यह प्रावधान किया है। हमारी कोशिश है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। इसके लिए और भी कोई आपके सुझाव होंगे तो आप सबसे सुझाव लेकर और हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारी भी सरकार की मंशा है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए और क्या

(श्री परसादी लाल)

कर सकते हैं, वह आप सुझाव देंगे तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, इसका दूसरा तरीका है कि आप स्किल ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। स्किल ट्रेनिंग हर जगह करने के लिए सरकार ने प्रावधान कर रखा है, नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग देकर एम्प्लायमेंट करने का। जो इंडस्ट्री लगा रहा है, उसे किस तरह का मैन पावर चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करके ट्रेनिंग करवा दो, तो उनको एडवांटेज मिल जाएगा। रिवर्स तरीका हो सकता है। अभी एंटरप्रिन्योर डिसाइड कर रहा है कि मेरे को कौनसी मैन पावर चाहिए। जब वह इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको पता है कि हमें इतने कुशल श्रमिक चाहिए, इतने सेमी स्किल आदमी चाहिए। यह उस इलाके के लिए मालूम है, तो जो आपका स्किल सेंटर है उस इलाके का, वह स्किल सेंटर आदमी ट्रेन करके रखेगा तो आटोमैटिक उसको लेने के लिए बाध्य कर सकते हैं। यह तरीका ज्यादा अच्छा है।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी यह सही बात है कि स्किल सेंटर हमने भारत सरकार के सहयोग से हमारे अलवर में चालू किया है। उनको ट्रेंड होने के बाद निश्चित रूप से वे लोग लेंगे।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, मैं फिर यह कह रहा हूं कि हम जो ट्रेन कर रहे हैं, उसकी एम्प्लायबिलिटी नहीं है। मैं उलटा कह रहा हूं कि जिस तरह की इंडस्ट्री लग रही है, उसके एम्प्लायमेंट के लिए करें। मैं उलटा कह रहा हूं। आप इसका विचार कर लें। कोई भी इंडस्ट्री लग रही है, वह इंडस्ट्री लगने के लिए आपका एक प्रोसेस है। लैटर आफ इन्टेन्ट देते हैं, यह करते हैं, तो मालूम है कि इंडस्ट्री लग रही है। उस इलाके के जो बच्चे ट्रेन होना चाहते हैं, उस क्षेत्र के बच्चे ट्रेन हों, तो आटोमैटिक उनको उसमें प्राथमिकता मिलेगी। उस तरह की व्यवस्था के बारे में सोचें।

अगला प्रश्न। श्री नारायण सिंह देवल।

कोरोना जांच हेतु स्थापित कोबास मशीनें

451. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोरोना काल में कोरोना संक्रमितों की जांचों में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा कोबास-8800 मशीनें खरीदी गयी हैं?

(श्री नारायण सिंह देवल)
यदि हां, तो प्रदेश में कुल कितनी मशीनें खरीदी गयीं और उन पर कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में कोरोना की जांच हेतु क्रय की गयी उक्त मशीनें कहां-कहां स्थापित की गयीं व उनसे प्रतिदिन कितनी-कितनी जांच की गयीं और जांचों पर प्रतिदिन कितना-कितना व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) जी हां। वर्ष 2020 के शुरू में कोरोना के बढ़ते मरीजों की दृष्टि से 22 अप्रैल, 2020 को दो कोबास-8800 मशीनें खरीदने का विचार किया गया, ताकि तत्समय कोविड-19 की जांच क्षमता, जो लगभग 4,700 टैस्ट प्रतिदिन थी, को लगभग 8,000 टैस्ट प्रतिदिन से बढ़ाया जा सके। राज्य में मेडिकल कालेज, जयपुर एवं जोधपुर द्वारा एक-एक कोबास-8800 मशीन क्रय करने का आदेश दिया गया। आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रय आदेश की पालना में मेडिकल कालेज, जयपुर में कोबास-8800 मशीन एवं 20,000 टैस्ट किट उपलब्ध कराये गये। कम्पनी द्वारा मेडिकल कालेज, जोधपुर को मशीन उपलब्ध नहीं कराई गयी। मशीन के क्रय हेतु 6.726 करोड़ रुपये व्यय किये गये तथा मशीन के साथ 20,000 टैस्ट किट भी क्रय किये गये, जिसके लिए 2.96 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

(2) सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय की माइक्रोबायोलोजी लैब में एक कोबास-8800 मशीन दिनांक 30.08.2020 को स्थापित की गयी। उक्त मशीन द्वारा प्रतिदिन की गयी जांच तथा किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि आपने कोबास-8800 मशीन की निविदा कब आमंत्रित की और कितनी कम्पनियों ने भाग लिया? क्रय का आदेश कब दिया और मशीन कब लगी? इस मशीन को खरीदने के लिए चिकित्सकों की किस समिति ने अनुशंसा की? अगर अनुशंसा की हो तो फिर दूसरी मशीन आपने क्यों नहीं लगाई? यह बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक साथ ऐसे चार प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर कैसे आएगा?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह चिकित्सा से जुड़ा हुआ सवाल है और जो मशीन का माननीय

(श्री रघु शर्मा)

सदस्य ने सवाल लगाया है, यह एक ही कम्पनी बनाती है। हम इस मशीन को लेने से पहले, आर.टी.पी.सी.आर. की जांच आप जानते हो कि जब कोविड आया, अपने यहां पर सुविधा नहीं थी। हमने टैस्टिंग फैसिलिटीज शुरू कीं। केसेज बढ़ने लगे, लोड भी बढ़ा। हमारे पास पूरे उस समय में कायजन, परकिन, एलमर, जिवायो, थर्मो फिशर, टेकन ये मशीनें उपलब्ध थीं। एक चक्र में ये 96 जांचें कर सकती थीं और पांच से सात घंटे का टाइम लगता था। जब केसेज का लोड बढ़ा तब हमने हमारे, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा कि किसके कहने से लिये। जब कोविड आया था, तभी मुख्य मंत्रीजी ने, सरकार ने विशेषज्ञ चिकित्सकों का एक दल बनाया था और समय-समय पर अपनी एडवाइज देते थे, तो हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों ने जब यह कहा कि रोस कम्पनी है, वह कम्पनी बनाती है ऐसी मशीन कोबास-8800 के नाम, जो चार हजार टैस्ट पर-डे, 24 घंटे में करके दे सकती है। हमने, क्योंकि महामारी के दौर में यह आवश्यक था कि हमारी जनता की हिफाजत कैसे हो, टाइम बाउंड उनकी टैस्टिंग कैसे हो, हमने इसका प्रिक्योरमेंट का आर्डर दिया।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो बताया है, इसमें निविदा कब आमंत्रित की, कितनी कम्पनियों ने भाग लिया, यह नहीं बताया। दूसरा, इन्होंने कोरोना का जो हवाला दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कोरोना की जब दूसरी लहर पीक में, जब मार्च से मई के बीच में थी, तब इस मशीन से आपने एक भी जांच नहीं की। आपने जो रिप्लाई दिया है, इसमें मार्च से लगाकर मई तक आपने एक भी जांच नहीं की और इस मशीन की जो जांच की कैपेसिटी आपने बतायी, चार हजार प्रतिदिन करने की, तो आपने जो रिप्लाई दिया है, इसमें 200 से लगाकर कहीं 2500-2600 तक की जांच की, चार हजार की इसकी कैपेसिटी थी और आठ हजार तक जांच हो सकती थी, तो आपने यह जांचें क्यों नहीं कीं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया। कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यही बात है कि इस मशीन को आपने आठवें महीने में 2020 में खरीद लिया। ऐसी कोई तारीख बताओ, जिसमें आपने इनकी आठ हजार की कैपेसिटी के लगभग आस-पास कोई टैस्ट इस मशीन से किये हों तो।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री रघु शर्मा)

इसकी कैपेसिटी एक मशीन से एक दिन में चार हजार टैस्ट करने की है। एक मशीन हमने इंस्टाल की, दूसरी तो आयी ही नहीं। चार हजार की कैपेसिटी होने का मतलब यह नहीं कि हम जबरन चार हजार टैस्ट उसमें करेंगे ही करेंगे। अगर हमारी परिस्थिति ऐसी बन गयी कि हमारे पर टैस्टिंग लोड ज्यादा बढ़ा, तो हमारे पास इक्विपमेंट तो होने चाहिए और हमने एक दिन में सर्वाधिक इस मशीन से साढ़े तीन हजार टैस्ट किये हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन जबरन, बाकी इक्विपमेंट्स भी तो हमारे पास थे। हमने टैस्टिंग कैपेसिटी फेजवाइज बढ़ाई है। आप देखेंगे टोटल हमारी जो टैस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी है, वह 01 मार्च, 2020 को ....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप इधर-उधर कर रहे हो।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप क्या पूछना चाहते हो, पूछो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यही जानना चाहता हूं कि इस मशीन को जयपुर में लगने के बाद ऐसा कोई समय आया क्या, जिसमें फुल कैपेसिटी के हिसाब से, पेशेंट तो थे, आपके यहां जयपुर के पेशेंट्स की संख्या कभी आठ हजार तक, कभी नौ हजार तक भी पहुंची है, उस समय इस मशीन ने वे सारे टैस्ट किये हैं क्या? जैसे उदयपुर है, उसमें यह मशीन तो नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी हमारे टैस्ट की जो संख्या है, इस मशीन को लगने के बाद जयपुर में क्या विशेष काम हो गया? यह जानना चाह रहा था।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, टैस्टिंग कैपेसिटी समय की आवश्यकता के हिसाब से हमने बढ़ाई है। जैसा अभी नेता, प्रतिपक्ष महोदय ने कहा, साढ़े तीन हजार टैस्ट एक दिन में किये भी हैं, लेकिन हमने इसके अलावा भी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप किया है, जो अलग-अलग जगह पर हैं। 72 जगहों पर टैस्ट हो रहे हैं। एक लाख पैंतालीस हजार टैस्ट पर-डे हम कर सकते हैं। यह मशीन जो खरीदी गयी, तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए खरीदी गयी और हमने ही नहीं खरीदी, हिन्दुस्तान में कोबास-8800 छह जगहों पर खरीदी गयी है। राष्ट्रीय संस्थानों में भी खरीदी गयी है। इसके अलावा और एक मशीन आती है, वह 6,800 है, वह भी कम से कम 9 जगहों पर पूरे देश के अन्दर खरीदी गयी है। हमारी तो एक मशीन, जो यहां आनी थी, डिले हुई, अब आई.सी.एम.आर. ने उसको पहले

(श्री रघु शर्मा)

डाइवर्ट कराया बिहार के लिए, इस मशीन की उस वक्त आवश्यकता थी। यह कोई जयपुर में एस.एम.एस. में हमने ही नहीं खरीदी, पूरे देश में खरीदी है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गुरदीप सिंह।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोरोना काल में एक भी जांच नहीं की गयी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। गुरदीप सिंह।

गंगानगर को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल को पुन: चालू करने की कार्ययोजना

452. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ में गंगानगर को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल को पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ में नरमा, कपास की खेती प्रचुर मात्रा में होने के फलस्वरूप तथा कच्चा माल व श्रमिक पर्याप्त मात्रा में मिल जाने के उपरान्त भी मिल को बन्द कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त ऐतिहासिक मिल को पुन: चालू करने के लिए जन आंदोलन भी किये गये थे?

(4) क्या सरकार जनहित में उक्त मिल को पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) जी हां। स्पिनफैड के सम्बन्ध में जारी मंत्रिमण्डल आज्ञा 131/2016, दिनांक 21.11.2016 द्वारा अनुमोदित मंत्रिमण्डलीय ज्ञापन के बिन्दु सं. 7(i) की अनुपालना में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत श्रम विभाग से अनुमति प्राप्त की जाकर फैडरेशन इकाइयों को दिनांक 22.07.2017 से विधिक रूप से बंद (क्लोजर) किया जाकर विभागीय आदेश दिनांक 28.11.2017 से स्पिनफैड को अवसायन में लाया जा चुका है। इसमें स्पिनिंग इकाई हनुमानगढ़ भी शामिल है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले में नरमा कपास का उत्पादन बहुतायत में होता है। धागा विक्रय हेतु पास में लुधियाना, पानीपत, दिल्ली एवं मेरठ इत्यादि मंडियां उपलब्ध हैं। साथ ही श्रमिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं, परन्तु लगातार घाटे व कार्यशील पूंजी के अभाव में मिल को बंद किया गया है।

(3) इस मिल को पुन: चालू करने हेतु समय-समय पर जन आंदोलन किये गये थे और वर्तमान में भी समय-समय पर स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा इस मिल को पुन: चालू करने की मांग की जाती रही है।

(4) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे हनुमानगढ़ के अन्दर जो स्पिनिंग मिल बंद की गयी है, इसके अन्दर हमारे जो नरमा कपास की खेती है, वह काफी होती है। इसलिए उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद करने का फैसला किया था और आपने वहां आन्दोलन खड़ा किया था। काफी लम्बा आन्दोलन चला था। उसके बाद आपने उसमें घाटा बताया, उसमें घाटा नहीं था।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): इसके अन्दर बहुत कीमती मशीनें लगी हुई हैं। आज वहां पर नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। कमसे-कम, आपकी सरकार उस मिल को चालू नहीं कर सकती तो उसको किसी प्राइवेट संस्था को बेचकर वहां पर लोगों को रोजगार भी दे दें और जो हमारे नरमा-कपास की खेती होती है, उसका जो कच्चा माल आता है, उसका धागा भी बने और लोगों को रोजगार भी मिले।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): अगर सही तरीके से यह चलती रहती तो बन्द करने की स्थिति पैदा ही नहीं होती। लगातार घाटा चल रहा था और तत्कालीन सरकार ने सोच-समझकर निर्णय लिया होगा। पूंजी का भी अभाव था और घाटा भी हो रहा था, इसलिए बंद कर दी और आज की तारीख में इसको चालू करने जैसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। अगर आपके पास है तो लाएं, उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

वाहन पंजीकरण से प्राप्त ग्रीन टैक्स

453. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में वाहन पंजीकरण पर ग्रीन टैक्स लिया जाता है? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के वाहन पर कितना-कितना ग्रीन टैक्स लिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत 3 वर्ष में प्रदेश में ग्रीन टैक्स के रूप में कितनी राशि अर्जित हुई है?

(3) ग्रीन टैक्स से अर्जित राशि को किस-किस मद में व्यय किये जाने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ग्रीन टैक्स से अर्जित राशि को तयशुदा मद के अलावा भी व्यय किया गया है? यदि हां, तो किस मद में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी हां। ग्रीन टैक्स से सम्बन्धित अधिसूचनाओं की प्रति परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) विगत 3 वर्ष में प्रदेश में ग्रीन टैक्स के रूप में अर्जित राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**वर्ष**	**अर्जित राशि**
1.	2017-18	197.17 करोड़
2.	2018-19	173.15 करोड़
3.	2019-20	218.47 करोड़

(3) ग्रीन टैक्स से अर्जित राशि के उपयोग हेतु स्वायत्त शासन विभाग द्वारा पृथक से राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि का दिनांक 29.02.2012 को गठन किया गया था। उक्त निधि हेतु जारी निर्देशों के बिन्दु संख्या 9 में उल्लेखित मदों में उक्त राशि का व्यय किया जाना निर्धारित किया गया है। प्रति परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

(4) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि हेतु संग्रहित ग्रीन टैक्स उपयोग अनुमत कार्यों हेतु किया गया है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

माध्यम से मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जो अधिसूचना इसके लिए जारी की गयी थी 2012 में, उसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि वायु और ध्वनि प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए भी यह टैक्स लगाने की आवश्यकता है। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और पर्यावरण सुधार के लिए इस मद में से कितनी राशि व्यय की गयी है? दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि विगत तीन सालों में इस पर 588 करोड़ रुपये के लगभग सरकार को प्राप्त हुए हैं तो बिन्दु संख्या 9 में किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए नहीं पूछ रहा हूं, बिन्दु संख्या 9 में जो कार्य अनुमत हैं, मदवाइज उसमें कितना खर्चा किया गया है। दूसरा मेरा प्रश्न है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, दो-दो प्रश्न हो गये, कितने प्रश्न पूछे जाओगे? दो प्रश्नों का जवाब आने दो।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो जानकारी चाही है वह किस-किस मद में, कितनी-कितनी राशि खर्च की गयी है, मैंने आपको क्वेश्चन में लिखित में उत्तर दिया है, क्योंकि लम्बा-चौड़ा विवरण है। जो-जो चीज आपने मांगी है, सब उसमें उपलब्ध है। आप यह सही कह रहे हैं, यह जो ग्रीन टैक्स लगाया गया है, उसका लगाने का मकसद यही है। यह ग्रीन टैक्स जब हमने लगाया, यह 2006 में लागू किया गया। इसका मकसद इतना ही था कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए राजस्व एकत्रित करने के लिए ग्रीन टैक्स लागू किया गया। अब किस-किस मद में, कहां-कहां खर्च किया गया, वह हमने सारा लिखित में विवरण में दिया है और वह मैंने आपको प्रस्तुत कर दिया है।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): अध्यक्ष महोदय, किसी भी मद का कोई भी विवरण इसमें नहीं है। आपके पास उत्तर है, आप देख लीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वे पूछ रहे हैं कि आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, वह बात पूछ रहे हैं।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनू): मेरा निवेदन यह है कि प्रदूषण को सुधारने के लिए कितना पैसा खर्च किया गया?

दूसरा यह है कि बिन्दु संख्या चार में यह है कि अनुमत कामों पर ही खर्च किया गया है। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि गैर-अनुमत कामों पर खर्च किया गया है या नहीं? हां या न में जवाब दें और इसमें मदवाइज कोई भी नहीं दे रखा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, यह मैंने भी देखा है। इसमें मदवाइज रिपोर्ट नहीं दे रखी है। आप माननीय सदस्य को मदवाइज उपलब्ध कराएं, जिससे वे दोबारा दूसरे ढंग से प्रश्न लेकर आएं। अलाउ करेंगे, पर इसमें मदवाइज रिपोर्ट नहीं दी है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके पास भिजवा दूंगा मदवाइज जो-जो भी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, please, don't say this. मेरे पास भिजवा दें, यह नहीं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): नहीं, नहीं, आपके पास नहीं, इनके पास।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं यह कह रहा हूं कि विभाग को यह निर्देशित करें कि इस तरह का उत्तर नहीं दें। जब प्रश्न पूछा है तो उत्तर पूरा आना चाहिए। मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं। प्रश्न का उत्तर तो पूरा आना चाहिए। असेम्बली में ही हमारा विभाग उत्तर पूरा नहीं दे रहा है तो फिर यह ठीक नहीं है।

मैं समझता हूं कि मैं सभी विभागों के मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि अपने विभाग के अधिकारियों से प्रश्न का जवाब देने से पहले एश्योर कर लें कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसका सम्यक उत्तर आना चाहिए। यह जनरल है। और जो माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है, आपके पास उत्तर हो तो उसका जवाब दे दें। जो इन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है कि इसके अलावा किसी पर खर्च किया, हां या न, उस पर जवाब देना चाहें तो दे दें, बाकी हम बाद में लेंगे इस प्रश्न को।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि में जो ग्रीन टैक्स उपयोग में लिया गया, अनुमत कार्यों में ही उपयोग में लिया गया है और यदि विभाग ने इसमें पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं करायी है तो विभाग के अधिकारियों की मीटिंग लेकर उनको ताकीद किया जाएगा कि भविष्य में विभाग के अधिकारी ऐसी गलती नहीं करें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री दानिश अबरार की ओर से श्री चेतन सिंह चौधरी।

सवाई माधोपुर में मदरसों में कार्यरत पैराटीचर

454. श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना) (श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर) के स्थान पर):- क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

(1) जिला सवाई माधोपुर में संचालित मदरसों में कितने पैराटीचर कार्यरत हैं तथा उक्त को कितना-कितना मानदेय, वेतन दिया जा रहा है? मदरसेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में मदरसों में कार्यरत पैराटीचर्स में से कुछ पैराटीचर्स को नियमित कर दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन पैराटीचर्स को कब-कब नियमित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिले में शेष रहे पैराटीचर्स को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) राजस्थान मदरसा बोर्ड से सवाई माधोपुर जिले में कुल 147 मदरसे पंजीकृत हैं, जिनमें कुल 347 पैराटीचर्स कार्यरत हैं। पैराटीचर्स को दिये जाने वाले मानदेय का विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) जी हां। कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर आदेश क्रमांक प्रबोधक/सीधी भर्ती/28-29/08 दिनांक 31.05.2008 के द्वारा संविदाकर्मियों के लिए विज्ञप्ति जारी की गयी थी। उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 के अन्तर्गत जिला स्तर पर संविदा आधारित मदरसा पैराटीचर्स जिनको कम से कम 05 वर्ष का निरन्तर अध्यापन अनुभव हो, को शिक्षा विभाग द्वारा प्रबोधक के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी थी।

सवाई माधोपुर जिले में कार्यरत पैराटीचर्स को वर्ष 2008 में बनाये गये प्रबोधक की सूची परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

(3) मंत्रिमण्डल सचिवालय के आदेश क्रमांक प.5(1)मंमं/2019, दिनांक 01.01.2019 द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की समस्याओं के निवारण हेतु माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग की अध्यक्षता में मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मदरसा शिक्षा सहयोगियों के सम्बन्ध में चाही गयी सूचना मंत्री स्तरीय समिति को प्रेषित की जा चुकी है तथा विधान सभा सत्र-6 में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रदेश के समस्त संविदाकर्मियों के लिए नियम बनाने एवं पृथक से विभागवार कैडर बनाने की घोषणा की गयी है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानकारी लेना चाहूंगा कि एक तो मुख्य मंत्री जी ने संविदाकर्मियों के कैडर व नियमन की घोषणा की थी, उस पर अभी तक आपके विभाग ने क्या कार्यवाही की है?

दूसरा, अध्यक्ष जी, चाहे मदरसा पैराटीचर्स हों या संविदाकर्मी जितने भी हैं, इनकी मुख्य समस्या यह रही है कि इनका वेतन या मानदेय इतना कम है, आज मदरसा पैराटीचर्स एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से भी कम मानदेय प्राप्त कर रहे हैं तो इसके बारे में इन्होंने 2019 में एक कमेटी बना दी, ऊर्जा मंत्री जी अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन आज दिन तक क्या यह कमेटी लगातार चलती रहेगी? ठोस जानकारी यह दें कि कब तक इनका वेतन या मानदेय तय कर दिया जाएगा? धन्यवाद।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है, मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बजट में यह घोषणा की थी कि संविदाकर्मियों के लिए सेवा नियम और कैडर बनाया जाएगा। उसके लिए हमारे विभाग ने, संविदाकर्मी सभी विभागों में और हैं, कार्यवाही कार्मिक विभाग करेगा। हमारे विभाग ने उनको दो पत्र लिखे, जो सूचना चाही गयी थी, एक तो हमने क्रमांक 3181, दिनांक 30.07.2021 को कार्मिक विभाग को भेजा है और दूसरा 5226, दिनांक 06.09.2021 को। हमारी तरफ से जो जानकारी और सूचना देनी थी वह हम कार्मिक विभाग को भेज चुके हैं।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, इनकी बात ठीक है कि मदरसा पैराटीचर्स को बहुत कम मानदेय मिल रहा है, पर मुख्य मंत्री जी ने समय-समय पर, बजट घोषणाओं में आपने देखा कि कहीं 10 परसेंट और 15 परसेंट राशि बढ़ायी, मानदेय बढ़ाया भी है और जब कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद यह तय हो पाएगा कि आगे इनके लिए सरकार क्या कर रही है।

श्री अध्यक्ष: कुछ पूछना है?

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सिर्फ यह पूछना है कि ये लोग शिक्षण का कार्य करते हैं और जो लोग शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, उनके वेतन या मानदेय में कहीं न कहीं कमी रहती है तो वह शिक्षा पर प्रभाव डालती है तो ठोस जवाब यह मिले कि जितने भी संविदाकर्मी हैं, इनका वेतन, मानदेय फलां-फलां समय तक बढ़ा दिया जाएगा। इसका जवाब दें।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): हमारी तरफ से जो कमेटी संविदाकर्मियों के लिए बनी है, विभाग की तरफ से पूरी सूचना मंत्रिमण्डल स्तर कमेटी को भिजवा दी गयी है। जब कमेटी का इसमें कोई निर्णय होगा, उसके बाद यह तय हो पाएगा कि उनको परमानेंट करना या आगे जो अग्रिम कार्यवाही होगी, उसी से तय हो पाएगा।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, ये जो पैराटीचर्स हैं, ये 2008 से लेकर काम कर रहे हैं और आज अपन 2021 में हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि चाहे जो भी कमेटी बनी है, आप इसका निर्णय जितना जल्दी करो, यह जो नौ हजार सैलरी है, इसमें 14 साल से वह अपने बच्चों को नहीं पाल सकता। इसको सहानुभूतिपूर्वक निर्णय आप क्या करोगे, पर कम से कम इसका वेतन तो बढ़ाओ, जिससे पेट भर सके।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सभी विभागों में संविदाकर्मी हैं। चूंकि ये मानदेयकर्मी हैं, उसी हिसाब से उनकी भर्तियां हुई हैं तो मानदेय कर्मचारी के हिसाब से हुई हैं तो पूरे सभी विभागों का जो तय होगा, उसी समय यह तय होगा कि इसमें क्या किया जाए।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गणेश घोघरा।

मां-बाड़ी शिक्षा केन्द्रों की शिक्षा सहयोगिनियों का मानदेय

456. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार स्वच्छ परियोजना के अन्तर्गत संचालित मां-बाड़ी शिक्षा केन्द्रों के शिक्षा सहयोगिनियों का मानदेय इनकी वरिष्ठता एवं अनुभव के आधार पर निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): मां-बाड़ी केन्द्रों पर शिक्षा सहयोगिनियों का चयन निर्धारित मापदण्ड अनुसार ग्राम विकास समिति द्वारा किया जाता है। वरिष्ठता एवं अनुभव के आधार पर मानदेय दिये जाने का प्रावधान नहीं है। इनके मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव पर बजट की उपलब्धता एवं इनकी मांगों के आधार पर परीक्षण कर विचार किया जाता है तथा समस्त शिक्षा सहयोगिनियों के मानदेय में वृद्धि एक साथ की जाती है। समय-समय पर मानदेय में की गयी वृद्धि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

शिक्षा सहयोगिनियों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव पर बजट की उपलब्धता एवं इनकी मांगों के आधार पर परीक्षण करा विचार किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सर, मां-बाड़ी केन्द्रों में कई वर्षों से मां-बाड़ी अध्यापक काम कर रहे हैं। खाली रुपये 9,800/- में, 9,000/- में उनका घर-परिवार भी नहीं चलता है तो, अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए। धन्यवाद।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2007 से 1,200 रुपये से लगाकर आज बढ़ते-बढ़ते, सरकार चाहे इधर की हो, उधर की हो, 9,800 रुपये तक मानदेय बढ़ाया गया है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया। मैं इस प्रश्न को स्किप कर गया।

प्रश्न संख्या 455

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया हैं?

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्रीमती कृष्णा पूनियॉ।

सादुलपुर का खेल स्टेडियम

457. श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में बजट-2019 की घोषणा के अनुसार खेल स्टेडियम का कितना कार्य पूर्ण हो चुका तथा कितना कार्य अपूर्ण है? उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में बजट घोषणा 2019 की अनुपालना में चूरू जिले के राजगढ़ में एथलेटिक्स का नया स्टेडियम बनाये जाने के क्रम में विभाग द्वारा दिनांक 10.02.2020 को राशि रु. 800.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति व राशि रु. 50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति कार्यकारी एजेन्सी आर.एस.आर.डी.सी. के पक्ष में जारी कर दी गयी है।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

समसंख्यक पत्र, दिनांक 23.02.2021 के द्वारा भी युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा राशि रु. 70.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति कार्यकारी एजेंसी आर.एस.आर.डी.सी. के पक्ष में जारी की गयी है। इस प्रकार परियोजना पर कुल राशि रु. 120.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति कार्यकारी एजेन्सी आर.एस.आर.डी.सी. के पक्ष में जारी की गयी है।

एथलेटिक्स का नया स्टेडियम बनाने हेतु कार्यकारी एजेन्सी द्वारा ऑनलाइन निविदा दिनांक 19.05.2021 को आमंत्रित की गयी है परन्तु अपरिहार्य कारणों से कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निविदा को दिनांक 11.06.2021 को निरस्त किया गया है, जिसके कारण कार्य अभी तक प्रारम्भ ही नही हो पाया है।

कार्यकारी एजेन्सी आर.एस.आर.डी.सी. को पुन: टेन्डर प्रक्रिया के लिए निर्देश प्रदान कर दिये हैं।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि पुन: टेंडर प्रक्रिया के निर्देश कब प्रदान किये गये तथा स्टेडियम निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आर.एस.आर.डी.सी. के एक काम को मैंने रिव्यू किया था। ब्यावर से आने वाले माननीय विधायक ने एक सवाल विधान सभा में लगाया था। अगले ही दिन मैंने खुद ने वहां जाकर पाया कि उस काम में बहुत ज्यादा कमियां हैं। मैंने सम्बन्धित डिपार्टमेंट को उसके ऊपर कार्यवाही करने की चिट्ठी लिखी। सम्बन्धित डिपार्टमेंट ने कार्यवाही की या नहीं, मुझे उस डिपार्टमेंट का पता नहीं।

उसके बाद में मैंने अपने डिपार्टमेंट में आर.एस.आर.डी.सी. के जितने भी कार्य चल रहे थे, उनकी एक रिव्यू मीटिंग रखी। उस रिव्यू मीटिंग में हर काम में बहुत ज्यादा डिले पाया गया। कई कामों में कमियां पाई गयीं। उस वजह से हमने डिपार्टमेंट के लेवल पर यह फैसला लिया कि हम ओपन टेंडर करेंगे और प्राइवेट कम्पनियां उस काम को करेंगी लेकिन निरन्तर उसको फोलोअप करने के बाद भी हमें एक्स.ईएन. डेपुटेशन पर नहीं मिलने के कारण अब मजबूरी में हमें वापस आर.एस.आर.डी.सी. को काम देना पड़ रहा है। वह लैटर मैं आपको भेज दूंगा। हमने जारी कर दिया है। जल्दी ही उस पर टेंडर हो जाएंगे।

(श्री अशोक)

यह मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका अगला चुनाव आएगा, उससे पहले-पहले आपसे फीता कटवा देंगे।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खुद एक ओलम्पियन हूं, तो मेरा यह ड्रीम प्रोजेक्ट मैं मान सकती हूं। जैसा मंत्री जी ने कहा है कि मेरे इलेक्शन से पहले इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। सभी सदस्यों के सामने आपने यह वादा किया है। कृपया कर इसका आप ध्यान जरूर रखें कि किन्हीं कारणों से डिले हो रहा है, वह कारण फिर से न हों। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

नदबई में औद्योगिक क्षेत्र हेतु चिह्नित भूमि का अधिग्रहण

458. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बजट घोषणा 2020-21 में नदबई क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र (रीको) विकसित करने की घोषणा की गयी थी? जिसके लिए प्रशासन द्वारा चिन्हित की गयी ग्राम खटौटी में स्थित भूमि सब रीजनल प्लान, 2021 भरतपुर के अनुसार टी.टी.जेड. एवं ईको सेन्सैटिव क्षेत्र के अन्तर्गत आरक्षित होने के कारण बिना केन्द्र सरकार की एन.ओ.सी. के स्थापित नहीं हो सकता है?

(2) क्या सरकार उक्त भूमि के स्थान पर मास्टर प्लान 2011-2031 में 112.53 एकड़ भूमि औद्योगिक क्षेत्र के लिए नदबई में चिह्नित भूमि का अधिग्रहण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2020-21 की पालना में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने हेतु ग्राम खटौटी, तहसील नदबई की 17.81 हैक्टेयर भूमि चिह्नित की गयी थी। निगम द्वारा गठित स्थल चयन समिति द्वारा ग्राम खटौटी की भूमि का मौका दिनांक 02.07.2019 को देखा गया। स्थल चयन समिति द्वारा ग्राम खटौटी की भूमि के राष्ट्रीय राजधानी परियोजना राजस्थान सब रीजनल प्लान में होने से मास्टर प्लान में निर्धारित भू-उपयोग के अनुसार कार्यवाही करने की अनुशंसा की गयी। स्थल चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार मास्टर प्लान में प्रस्तावित भूमि के भू-उपयोग की जांच कराने पर पाया गया कि उक्त भूमि

(उद्योग मंत्री)
राष्ट्रीय राजधानी परियोजना के राजस्थान सब रीजनल प्लान, 2021 में ईको सैंसेटिव जोन के नैचुरल कन्जर्वेशन जोन में सम्मिलित है।

राज्य सरकार की तरफ से एन.सी.आर.पी.बी में आपत्ति दर्ज करवाई जा चुकी है एवं विभागीय पत्र दिनांक 03.08.2021 व 16.08.2021 के द्वारा राज्य सरकार की तरफ से दर्ज करवाई आपत्ति की निरन्तरता में अलवर व भरतपुर जिले की प्रभावित भूमि की विस्तृत Ground Truthing रिपोर्ट भी एन.सी.आर.पी.बी. को प्रेषित की गयी है।

उक्त आपत्ति के क्रम में एन.सी.आर.पी.बी. स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित है। स्वीकृति उपरान्त नदबई क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा सकेगा।

(2) नदबई के मास्टर प्लान 2011-2031 में औद्योगिक भू-उपयोग हेतु 112.53 एकड़ भूमि दर्शाई गयी है। मास्टर प्लान में औद्योगिक भू-उपयोग हेतु निर्धारित भूमि के अधिग्रहण करने हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी, पिछले बजट 2020 में इस रीको इंडस्ट्री की घोषणा हुई थी, आज तक भी केन्द्र सरकार को जो हमारा टी.टी.जैड. और ईको सैंसेटिव जोन क्षेत्र है, उसके अन्तर्गत यह जमीन आती है, लेकिन बार-बार राज्य सरकार द्वारा पत्र लिखने के बाद भी आज तक इसकी मंजूरी केन्द्र सरकार से नहीं मिली है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह मांग करना चाहूंगा कि मुख्य सचिव स्तर पर एक कमेटी बनाकर के इसका एक समय निर्धारित हो। दो वर्ष बीत गये हैं। बहुत कम समय बचा है। क्या एक कमेटी बनाकर के यह सम्भव होगा कि इसकी एक समय सीमा निर्धारित हो जाए जिससे कि वहां के जो हजारों लोग दूसरे राज्यों में, दूसरे जिलों में जाते हैं, उनको वहां रोजगार मिल सके। क्या कोई कमेटी और समय सीमा हो सकेगी?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसाकि बताया, सरकार पूरे प्रयास कर रही है। एन.सी.आर.पी.बी. से

(श्री परसादी लाल)

निकालने के लिए हमारे अधिकारी लगातार सम्पर्क में हैं। जैसा आपने कहा, चीफ सैक्रेटरी की चेयरमैनशिप में भी जो अपनी बजट घोषणाएं होती हैं, उनका रिव्यू होता है। उसमें एक बार विभाग को कहेंगे कि वहां जाकर के इसको टेकअप करे और जल्दी से जल्दी इस पर कार्यवाही करे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

कपासन के चिकित्सालयों में रिक्त पद

459. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कपासन में चिकित्सा सुविधा के लिए सरकार द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां पर संचालित हैं? उक्त में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा उन पर कब से कौन-कौन कार्यरत है तथा कितने पद रिक्त हैं? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में लम्बे समय से रिक्त चल रहे चिकित्सकों व मेल नर्स, ए.एन.एम. के पदों पर पदस्थापन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र कपासन में चिकित्सा सुविधा के लिए सरकार द्वारा 06 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 95 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र कपासन में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र कपासन में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का नामवार एवं संस्थावार विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(2) जी हां। विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को पी.जी., पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासम्भव शीघ्र लगाने के प्रयास किये जाएंगे। चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से भरने के प्रयास किये जाएंगे।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

नर्स श्रेणी द्वितीय एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदों पर दिनांक 28.04.2020 को क्रमश: 6,704 एवं 4,770 पदों पर नियुक्ति दी गयी है, जिसमें विधान सभा क्षेत्र कपासन में नर्स श्रेणी द्वितीय के 12 एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 22 पदों पर नियुक्ति दी गयी है। इसके अतिरिक्त नर्स द्वितीय, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं फार्मासिस्ट के रिक्त पदों के विरुद्ध 26 कार्मिक यू.टी.बी. पर कार्यरत हैं। शेष पदों को आगामी भर्ती में प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जाएंगे। मेल नर्स प्रथम पदोन्नति का पद है, पदोन्नति वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर रिक्त पदों को भरे जाने के प्रयास किये जाएंगे।

(सूचियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में प्रश्न लगाने के बाद में 6 चिकित्सकों का पदस्थापन मंत्री जी ने किया है। इनको धन्यवाद दे रहा हूं। प्रश्न लगने के बाद किया है। फिर भी कर दिया आपने, धन्यवाद।

मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 6 सी.एच.सी. हैं, राशमी, आकोला, कपासन, भोपालसागर, बासोड़ा, मंडफिया, इनमें डाक्टर्स के 42 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 13 खाली पड़े हैं। ये कब तक लगेंगे और इनके अलावा इन 6 सी.एच.सी. के अन्दर नर्स ग्रेड फर्स्ट, नर्स सैकण्ड, टेक्निकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, सीनियर लैब असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, ए.एन.एम. और क्लास फोर्थ के, टोटल मिलाकर के 164 पद स्वीकृत हैं। उनमें से 75 खाली हैं। कब तक आप इनका पदस्थापन करने की कृपा करेंगे? यह आप जरूर बताएं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा विभाग में उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र और सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र हैं। माननीय सदस्य ने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के बारे में नहीं पूछा। इन्होंने सी.एच.सी. के लिए पूछा और उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए पूछा है। वहां इनके पद पूरे भरे हुए हैं, जहां खाली थे, फिर भी, चाहे हमने आपके प्रश्न लगाने के बाद लगाए हों।

हमारी मंशा साफ है कि हम पदों को भरना चाहते हैं। आने वाले समय में जो भी कमियां हैं, वैकेंसी तो मैंने सारी आपके सामने चार्ट में दे दी हैं, लेकिन यह मैं आपके माध्यम से इनको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि पहले भी हमने डाक्टर्स की भर्ती की है। कई जगह डाक्टर्स नहीं थे। डाक्टर्स की कमी

(श्री रघु शर्मा)

से हम जूझ रहे हैं। वहां लगाए गये हैं और जो कमियां हैं, सरकार उनको भी पूरा करेगी। जैसे ही भर्ती की प्रक्रिया होगी, हम और भर्ती करने जा रहे हैं, डाक्टर्स और लगा देंगे। कुछ कमियां रहती हैं हमेशा, सब जगह रहती हैं। आपके समय में भी थीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई कमी नहीं रहेगी। हमारी मंशा साफ है कि राजस्थान के हर चिकित्सा संस्थान में पर्याप्त मात्रा में नर्सिंग कर्मचारी लगें, चिकित्सक लगें और बाकी भी लगें। धन्यवाद।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक प्रश्न, एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, बात हो गयी।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक निवेदन है कि जो सब सेंटर्स हैं और उस सब सेंटर पर एक ए.एन.एम. की पोस्ट है और वही नहीं है तो वह तो ताला लगकर के बंद है।

श्री अध्यक्ष: सब जगह है, कोशिश कर रहे हैं।

अगला प्रश्न।

नगर में सहकारी समितियों द्वारा ऋण वितरण

460. श्री वाजिब अली (नगर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर की किस-किस सहकारी समिति द्वारा कितना-कितना ऋण किस-किस को विगत दो वर्षों में दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विगत दो वर्षों में उक्त क्षेत्र की कुछ ग्राम पंचायतों के किसानों को ऋण नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिन ग्राम पंचायतों में सहकारी समिति द्वारा किसानों को ऋण नहीं दिया गया, वहां ऋण देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) विधान सभा क्षेत्र नगर में भरतपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक से सम्बद्ध ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा गत दो वर्षों में कुल 22,556 किसानों को राशि रुपये 56 करोड़ 94 लाख 56

(सहकारिता मंत्री)

हजार का अल्पकालीन फसली ऋण दिया गया है। ग्राम सेवा सहकारी समितिवार एवं किसानवार विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) जी हां। गत 02 वर्षो में 3 ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित 2 समितियों द्वारा ऋण वितरण नही किया गया। विवरण परिशिष्ट '2' संलग्न है।

(3) जी हां। सीकरी एवं झंझार ग्राम पंचायत, जो सीकरी ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र में हैं तथा थून ग्राम पंचायत, जो थून ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र में है, में रबी 2021-22 में ऋण वितरण प्रारम्भ कर दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री वाजिब अली (नगर): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खण्ड 2 के संदर्भ में उत्तर में परिशिष्ट में जो जानकारी दी गयी है, उसके पहले पार्ट में समिति के व्यवस्थापक द्वारा ऑडिट पूर्ण नहीं कराना, रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराने की वजह से दो साल तक लोगों को ऋण नहीं मिल पाया। सरकार ने इस तरह के अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जिससे दो साल तक किसानों को ऋण से वंचित रहना पड़ा?

दूसरा मेरा प्रश्न है कि सीकरी ग्राम सेवा सहकारी समिति में संचालित मिनी बैंक में अनियमितता की जांच हुई, जिसमें व्यवस्थापक की आकस्मिक मृत्यु होना बताया। यह आकस्मिक मृत्यु नहीं थी। इन्होंने खुद ने अपने आप को गोली मारी। करीब दस करोड़ रुपये का घोटाला किया। दो सौ आदमियों ने, जिन्होंने मिनी बैंक में एफ.डी. में पैसे जमा करवाये, दो साल बाद आज भी वे लोग दर-दर भटक रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से विश्वास लेना चाहता हूं कि क्या नवजीवन लिक्विडेशन फंड के तहत उन गरीब लोगों के जमा पैसों की सरकार पूर्ति करने की मंशा रखती है?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच जारी है। यह जानकारी में आया था कि गोली मार कर हत्या की गयी है और बैंक में दस करोड़ रुपये का गबन भी हुआ है। इसकी विभिन्न स्तरों पर जांच भी चल रही है। पुलिस भी जांच कर रही है, विभाग भी जांच कर रहा है। जल्दी से जल्दी इन लोगों को राहत देने का प्रयास किया जाएगा।

श्री वाजिब अली (नगर): दो साल से जांच चल रही है। जांच तो लगभग पूर्ण हो चुकी है। जैसा इसमें कहा गया है, जांच करवाई गयी है, तो क्यों दो साल बाद भी दर-दर भटक रहे हैं? उन्होंने एफ.डी. में पैसा जमा करवाया और इसका कोई रिकार्ड बैंक में ही नहीं है। क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी लेते हुए उनको पैसा देने की मंशा रखती है या नहीं, उनकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता के जो नियम हैं, उनके अनुसार जांच होकर उसके क्राइटेरिया में आएगा तो ही दे पाएंगे। अदर सोसाइटीज में भी बहुतों के पैसे डूबे हैं इस प्रकार के बैंक हैं, तो नियम में नहीं आता, सरकार की तरफ से तो भरपाई होगी नहीं, लेकिन अगर अवसायक लगाया गया है, उसके मार्फत जो रुपये आ जाएंगे, उसकी परिसम्पत्ति से तो भुगतान किया जाएगा, अन्यथा कानून के अनुसार तो वे इस परिधि में नहीं आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुरेश सिंह रावत।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया पेंशन परिलाभ

461. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में विगत वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन परिलाभों का पूरा भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को कब से भुगतान नहीं किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन परिलाभों का सेवानिवृत्ति के समय ही भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन परिलाभों का और कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को समय पर पेंशन परिलाभ दिलाने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी हां। माह अगस्त, 2016 से दिसम्बर, 2020 तक लगभग 5,000 अधिकारियों/

(परिवहन मंत्री)

कर्मचारियों के लगभग 408 करोड़ रुपये के सेवानिवृत्त परिलाभों का भुगतान बकाया है।

(2) जी हां। भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन परिलाभों जैसे ग्रेच्युटी, उपार्जित अवकाश, 5-6वां वेतनमान एरियर इत्यादि का भुगतान सेवानिवृत्ति के समय ही किये जाने की व्यवस्था निगम की रोकड़ तरलता की स्थिति अनुकूल होने पर की जा सकेगी।

(3) निगम की रोकड़ तरलता की स्थिति अनुकूल होने पर सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान सेवानिवृत्ति पर किया जाना सम्भव होगा।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि निगम को प्रतिमाह संचालन से प्राप्त होने वाली आय के विरुद्ध निगम के प्रतिमाह संचालन व्यय अधिक है। इस अंतराल की पूर्ति वित्तीय सहायता से की जाती है। निगम के लगभग 5,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों का लगभग 408 करोड़ रुपये के सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान माह अगस्त, 2016 से दिसम्बर, 2020 तक बकाया है। अत: निगम से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को उक्त अवधि तक के बकाया पेंशन परिलाभ दिलाने हेतु सरकार प्रयासरत है।

माह जुलाई, 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों/कर्मचारियों को मेडिकल एवं पुत्र/पुत्री के विवाह के आधार पर out of turn ग्रेच्युटी राशि का भुगतान किया जा रहा है।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जिनको बिना पेंशन परिलाभ के ही उनकी मृत्यु हो गयी, जिनको आज तक परिलाभ नहीं मिले हैं या जो बिना परिलाभ प्राप्त किये ही मर गये।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): मैंने वैसे इसमें सूचना दी है, यह जो संख्या आप पूछ रहे हैं, नया प्रश्न क्रिएट किया है, यह मैं आपको अलग से सूचना भिजवा दूंगा।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): मेरा दूसरा प्रश्न है कि रोडवेज के घाटे की पूर्ति हेतु क्या कार्ययोजना है?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी भी रोडवेज देश में चल रही हैं, जन कल्याणकारी संस्थाएं हैं। इसमें आप खुद जानते हैं कि अभी-अभी सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया है। अब जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उनको फ्री में कर दिया तो रोडवेज घाटे में

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

आज से नहीं चल रही है, पहले से चल रही है। इसका कारण यह है कि जहां भी इस तरह के कारपोरेशन चल रहे हैं, उनमें जन कल्याण मुख्य मकसद है। घाटे से उबारने की बजाय प्रथम प्राथमिकता सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैसे हम पेंशन का लाभ दे सकें, कर्मचारियों की सभी वाजिब डिमांड को कैसे पूरा कर सकें और सर्विस क्रिएट करने के लिए और नई बसें खरीदकर जनता को सर्विस दे सकें, इसलिए सरकार समय-समय पर इसको सहायता दे रही है। सरकार का मकसद रोडवेज के जरिये, जो लाइफ लाइन इसका नाम है, जनता तक ज्यादा सुविधा पहुंचाना है उसका घाटा पूर्ति तब होगी जब, चूंकि इस तरह के जो भी जन कल्याणकारी उपक्रम हैं, इनका मेन मकसद, सरकार का, लाभ कमाना नहीं है। सरकार का मेन मकसद जन कल्याण के लिए, लोगों को सुविधा देने के लिए रोडवेज का संचालन जरूरी है, इसलिए हम रोडवेज का संचालन करते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): एक प्रश्न रह गया।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, हो गया आपका।

जोगेश्वर गर्ग।

मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन

462. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन किया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बोर्ड के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं अधिकार क्या रहेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बोर्ड के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) जी हां। यह सही है कि सरकार ने मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन किया है। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन दिनांक 02.02.2021 द्वारा किया गया। (प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।)

(2) मारवाड़ क्षेत्रीय विकास बोर्ड का उद्देश्य जोधपुर सम्भाग के माडा,

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

माडा क्लस्टर एवं बिखरी जनजाति क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति समुदाय का सर्वतोमुखी विकास करना है। जोधपुर सम्भाग में अनुसूचित जनजाति समुदाय के उत्थान एवं विकास के विषय में राज्य सरकार की स्थाई परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करेगा तथा इस संदर्भ में विशेष योजनाओं का निर्माण कर उन्हें जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग/अन्य विभागों के माध्यम से क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकार को संस्तुति प्रदान करने का अधिकार है।

(3) मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(प्रति व सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मारवाड़ क्षेत्र के जनजाति वर्ग के लोगों के बारे में सोचा, उसके बारे में तो धन्यवाद, लेकिन मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आपने नाम तो रखा है, जनजाति विकास बोर्ड, आदेश में जो परिलक्षित हो रहा है वह सिर्फ एक परामर्शदात्री समिति है और परामर्शदात्री समिति में भी 80 परसेंट से ज्यादा अधिकारी हैं, वे अधिकारी तो आलरेडी काम कर रहे हैं तो इसमें जन भागीदारी तो बिलकुल हुई ही नहीं, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व उसमें हुआ नहीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछो।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): तो क्या सरकार बोर्ड का स्वरूप देकर यह मंशा रखती है कि इसको बोर्ड का स्वरूप दें, जैसे अन्य बोर्ड बने हुए हैं वैसे बोर्ड का अध्यक्ष जनप्रतिनिधि हो, मैम्बर भी जन प्रतिनिधि हो, तब तो इसमें कुछ अच्छा लगेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछो।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या सरकार यह मंशा रखती है कि इसको बोर्ड का ही स्वरूप प्रदान करेगी?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, संवेदनशील सरकार और सरकार की मंशा जनजाति विकास के लिए स्पष्ट रूप से दिख रही है। वहां की परिस्थिति और स्थिति को देखते हुए सरकार ने जनजाति बोर्ड का गठन किया। उस बोर्ड के गठन के बाद में माननीय अधिकारियों द्वारा समय पर बैठक भी की गयी है। मैं उस सम्बन्ध में हमारे उदयपुर सम्भाग के तमाम 6 जिला कलेक्टरों और हमारे

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

टी.ए.डी. के अधिकारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इन सबको धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने बैठक करके वहां की परिस्थिति को देखते हुए, जालौर हो, पाली हो और सभी जिलों में छात्रों के लिए एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कई हास्टल भी स्वीकृत किये हैं। आने वाले समय में वहां की आबादी और परिस्थिति को देखकर इसको करेंगे। जन प्रतिनिधियों का जहां तक सवाल है, उनका भी मनोनयन होने के बाद उनको भी हम परामर्शदाता के रूप में लेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हमीर सिंह भायल।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): दूसरा, प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हमीर सिंह भायल।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): मनोनयन हुआ ही नहीं अभी तक।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं हुआ, तो उन्होंने कह दिया न, करेंगे।

बाड़मेर में पंजीकृत बेरोजगार

463. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है प्रदेश में स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना संचालित की जा रही है? यदि हां तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बाड़मेर रोजगार कार्यालय में कुल कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं तथा कितने बेरोजगारों को कितना-कितना भत्ता दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते में बढ़ोतरी की गयी है? यदि हां तो कितनी? नवीन भत्ता कितने लोगों को दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता (श्री अशोक): (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं। जी नहीं। वर्तमान में प्रदेश में पंजीकृत स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना संचालित नहीं है, अपितु मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना-2019, माह फरवरी, 2019 से संचालित है। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना-2012 (अक्षत योजना) 31

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

जनवरी, 2019 तक ही लागू थी। मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना-2019 का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जिला रोजगार कार्यालय, बाड़मेर में 30 जून, 2021 को विभिन्न शैक्षणिक योग्यताधारी कुल 23,548 बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत हैं। उक्त सभी पंजीकृत बेरोजगार आशार्थी बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र नहीं हैं। बेरोजगारी भत्ता केवल प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत स्नातक व अधिक शैक्षणिक योग्यताधारी तथा मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत अन्य अनिवार्य शर्तों को पूर्ण करने वाले बेरोजगार आशार्थियों को दिया जाता है और योजना प्रारम्भ से 30 जून, 2021 तक कुल 2,332 बेरोजगार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा चुका है। उक्त योजनान्तर्गत पुरुष आशार्थियों को 3,000/- रुपये प्रतिमाह तथा महिला, ट्रांसजेण्डर व विशेष योग्यजन को 3,500/- रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है। लाभान्वितों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। राज्य सरकार के बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के बिन्दु संख्या 56 के द्वारा मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना की वर्तमान दरों में 1,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि के साथ अधिकतम आशार्थियों की निर्धारित तय सीमा 1 लाख 60 हजार में भी वृद्धि करते हुए 2 लाख प्रस्तावित की गयी है। योजना के दिशा-निर्देश जारी किये जाने हेतु पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित की जा चुकी है। स्वीकृति उपरान्त नवीन भत्ता दिया जाएगा।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी भत्ते के लिए सरकार के अधिकृत दस्तावेज जन घोषणा पत्र में क्या यह वादा नहीं किया गया था कि प्रदेश के सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? प्रदेश में आज कुल कितने बेरोजगारों को भत्ता दिया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं अलाउ नहीं करूंगा। बाड़मेर का प्रश्न है, राजस्थान में आ गये हैं। ऐसे नहीं। बाड़मेर के सम्बन्ध में कुछ पूछना हो, तो पूछें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): बाड़मेर में पंजीकृत 23,548 बेरोजगार हैं, तो मात्र 2,332 को ही क्यों? बाड़मेर के अनुसार अभी मुख्य मंत्री जी ने 1,000 रुपये बढ़ाने के लिए कहा है। कब तक हम इसे लागू कर देंगे, यह भी बताने की कृपा करें।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने तीन सवाल पूछे हैं, मैं तीनों का जवाब दे देता हूं। पूर्व में इन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में सभी बेरोजगारों को भत्ता देने की घोषणा की थी कि नहीं? इसका जवाब है, नहीं। यह मैं साथ में लेकर आया हूं, श्रम एवं रोजगार, पहला पाइण्ट- शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग को 3,500 रुपये प्रतिमाह तक, मतलब कि शिक्षित होना भी जरूरी है, उसकी जो सीमा है शिक्षा की, वह कम से कम ग्रेजुएशन रखी गयी है कि अगर 3,500 रुपये भत्ता, 3,000 रुपये भत्ता मिले, कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि सभी को देने की बात नहीं थी।

आपने जो सवाल किया कि 23,000 बेरोजगार इस कैटेगरी में आते हैं, जिनको भत्ता दिया जाना सम्भव है, उनमें से 12,104 ने अप्लाई किया, उनका अप्लाई करना भी जरूरी है, वे अप्लाई नहीं करेंगे तो हम बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाएंगे। 12,104 ने अप्लाई किया, उनमें से 5,211 फार्म्स में कुछ कमी थी, उन्हें वापस लौटाया गया कि आप पुन: फार्म भरकर दें। मात्र 11 फार्म ऐसे हैं, जिनके ऊपर अनुसंधान नहीं हुआ, वे पैंडिंग में हैं। 4,011 फार्म वैरिफाइड हो चुके और इसमें से 2,037 को मिल रहा है। 318 को मिलकर उनका नाम जा चुका है, उनका समय पूरा हो गया है। मात्र 516 फार्म ही हैं, जो रिजेक्ट हुए हैं। यह आपके पूरे बाड़मेर जिले का विवरण है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह जो इसका खण्ड-3 है, इसमें इन्होंने लिखा है कि 1 लाख 60 हजार में भी वृद्धि करते हुए 2 लाख प्रस्तावित किया गया है। योजना के निर्देशों में जारी की जाने वाली पत्रावली वित्त विभाग को भेजी हुई है। मुझे अगर सही याद है तो बजट 2020-21 में भी यह प्रश्न पूछा गया था। उस समय भी जो राजस्थान की लिमिट बतायी इन्होंने, वही 1 लाख 60 हजार की बतायी थी, जिनको भत्ता देने की इनकी कैपेसिटी है। इस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इन्होंने 2 लाख करने की दृष्टि से कागज वित्त विभाग को भेजा हुआ है। मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि मार्च, 2020 से लेकर हम अभी डेढ़ साल में आ गये। यह जो 1 लाख 60 हजार थी, यह अभी भी 1 लाख 60 हजार ही है। इसमें कितना समय लगेगा इस 2 लाख की पूर्ति करने के लिए?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय नेता, प्रतिपक्ष को बता देना चाहता हूं कि डेढ़ साल नहीं, यह इसी मार्च की घोषणा है कि 1 लाख 60 हजार से बढ़ाकर 2 लाख कर

(श्री अशोक)

दिये जाएंगे। इसके साथ में केवल यह एक ही नियम नहीं है। इसके साथ में और भी नियम जोड़े गये हैं कि यदि कोई बेरोजगार हैं तो उन्हें कम से कम ट्रेनिंग कौशल लेकर अपने आपको तैयार करना पड़ेगा। तब भी उनको बेरोजगारी भत्ता उस समय मिलता रहेगा। साथ ही, यदि बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं और वे बेरोजगार हैं तो दिन में चार घण्टे अपने गांव में कम्युनिटी सैंटर में, चाहे स्कूल में, चाहे अस्पताल में, कहीं न कहीं उन्हें अपनी सेवाएं देनी पड़ेंगी। इस प्रकार के नये नियम बनकर, नये प्रावधान बनकर इसकी पूरी फाइल तैयार हो गयी। इसमें थोड़ा समय लगा, क्योंकि यह करना इतना आसान नहीं था। यह पूरी एक तरह से नयी फाइल है और इसीलिए इतना समय लगा। दो महीने का इस बीच लॉकडाउन भी लग गया।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामलाल शर्मा।

जैतपुरा (चौमूं) की औद्योगिक क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण

464. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं औद्योगिक क्षेत्र विकसित है? यदि हां तो उक्त में कितनी यूनिट लगी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रीको की भूमि पर कई अतिक्रमियों ने अतिक्रमण कर रखा है? यदि हां तो कितने भाग पर अतिक्रमण है व अतिक्रमण करने वाले कौन-कौन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अतिक्रमणों को हटाने के लिए सरकार द्वारा पूर्व में आश्वासन दिया गया है? यदि हां तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि आश्वासन के बाद भी अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाये गये हैं? क्या सरकार उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार अब उक्त अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी हां। ग्राम जैतपुरा तहसील चौमूं में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। इस औद्योगिक

(उद्योग मंत्री)
क्षेत्र में 169 इकाइयां स्थापित हैं। स्थापित इकाइयों का विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) जी हां। भूखण्ड संख्या जी-91, जो रीको द्वारा 1,950 वर्गमीटर भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय को आबंटित है, के पीछे औद्योगिक क्षेत्र जैतपुरा के निगम द्वारा अनुमोदित नक्शे में दर्शायी गयी अनियोजित भूमि पर दुकानों के रूप में अतिक्रमण है, जिसको हटाने के लिए सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए यह अवगत कराया गया है कि निर्मित दुकानें वर्तमान खसरा संख्या 2057 किस्म गैर मुमकिन रास्ते पर स्थित हैं, जो कि निगम की भूमि नहीं है।

निगम को आबंटित खसरा नम्बरों का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार, चौमूं को समय-समय पर पत्र लिखे गये। रीको को आबंटित भूमि में सीमाज्ञान की आवश्यकता थी, जिसके लिए रीको को आबंटित भूमि का रीको के नाम नामान्तरण किया जाना आवश्यक था। उसके लिए तहसीलदार चौमूं से नामान्तरण हेतु लगातार सम्पर्क कर दिनांक 08.09.2021 को आबंटित भूमि का नामान्तरण रीको के पक्ष में खोला गया है। नामान्तरण होते ही दिनांक 08.09.2021 को रीको की भूमि के सीमाज्ञान हेतु जिला कलेक्टर, जयपुर को लिखा गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग से पूर्व दिशा में निगम को खसरा नम्बर 848 एवं 849/1 की कुल भूमि 123 बीघा 12 बिस्वा का आबंटन किया गया था, जिसमें 111 बीघा 12 बिस्वा का कब्जा निगम द्वारा प्राप्त किया गया है एवं इन खसरा नम्बरान की भूमि में राष्ट्रीय राजमार्ग से उत्तर-पूर्व की ओर राजकीय पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस चौकी, मंदिर आदि निर्मित हैं। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र के पश्चिमी भाग में रीको द्वारा नियोजित भूखण्ड संख्या जी-187, जी-187(ए), जी1-187(बी) व एच1-187(डी) की भूमि पर वर्तमान में पानी की टंकी, ग्राम पंचायत भवन, राजीव गांधी सेवा केन्द्र व कुछ दुकानें निर्मित हैं एवं कुछ भूमि रिक्त पड़ी है। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

अतिक्रमण के भाग की गणना के लिए सीमाज्ञान पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र का सर्वे करवाया जाना आवश्यक है, जिसके लिए कार्यादेश दिनांक 13.09.2021 को जारी कर दिये गये है। राजस्व विभाग से सीमाज्ञान होते ही

(उद्योग मंत्री)

सर्वे करवाया जाएगा। कार्यादेश दिनांक 13.09.2021 की प्रति परिशिष्ट '2' (अ) पर संलग्न है।

(3) जी हां। दिये गये आश्वासनों का विवरण निम्नानुसार है:

1. प्रश्न संख्या 490/उद्योग के अन्तर्गत प्रदत्त आश्वासन संख्या 04/2019 परिशिष्ट '3' पर संलग्न है।

2. प्रश्न संख्या 1006/उद्योग के अन्तर्गत प्रदत्त आश्वासन संख्या 04/2020 परिशिष्ट '4' पर संलग्न है।

(4) सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों की अनुपालना में रीको द्वारा निम्नांकित कार्यवाही की गयी है:

1. रीको द्वारा नियोजित मानचित्र में नियोजित भूखण्ड संख्या जी-88 एवं जी-89 के मध्य में स्थित भूमि पर ग्रेवल सड़क बनाकर भूखण्ड संख्या जी-84 से जी-91 के पीछे के व्यक्तियों के द्वारा रास्ते के रूप में प्रयोग किये जाने के प्रकरण में एक समिति बनाकर जांच करवायी गयी एवं जांच रिपोर्ट के बाद यह पाया गया कि भूखण्ड संख्या जी-88 एवं जी-89 को नियोजन अनुसार आबंटित नहीं किया गया है। अत: रीको द्वारा इस रिक्त पड़ी भूमि पर जी-88 (ए) क्षेत्रफल 856 वर्गमीटर का नियोजन कर ई-नीलामी के माध्यम से आबटन हेतु दिनांक 01.03.2021 की विज्ञप्ति जारी की गयी थी। नीलामी की प्रक्रिया के दौरान एक वाद माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-17 के समक्ष वाद संख्या 21/2021 में श्री अंकित परवाल द्वारा दायर किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.03.2021 को स्थगन आदेश जारी कर दिया गया। न्यायालय के आदेश की प्रति परिशिष्ट '5' पर संलग्न है। वर्तमान में इस नियोजित भूखण्ड पर यथास्थिति होने के कारण नियोजित भूखण्ड का आबटन नहीं किया जा सका है। वाद में अग्रिम पेशी दिनांक 02.11.2021 नियत है।

औद्योगिक क्षेत्र जैतपुरा में नियोजित भूखण्ड संख्या जी-88 एवं जी-89 के मध्य रिक्त छोड़ी गयी भूमि के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट में वर्णित निगम कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने से सम्बन्धित सूचना परिशिष्ट '6' पर संलग्न है।

2. रीको को आबटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में रीको के पक्ष में नामान्तरण करवाये जाने हेतु सर्वप्रथम माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश-तृतीय, जयपुर के निर्णय दिनांक 30.12.2019 की पालना में

(उद्योग मंत्री)

न्यायालय तहसीलदार, चौमूं में वाद दायर किया गया एवं इस वाद में तहसीलदार, चौमूं द्वारा दिनांक 22.02.2021 को रीको को आबंटित भूमि का रीको के पक्ष में नामान्तरण खोलने के सम्बन्ध में आदेश पारित किया गया एवं इस निर्णय के पश्चात् तहसीलदार, चौमूं से लगातार सम्पर्क कर रीको को आबंटित 45.75 हैक्टेयर भूमि में से 44.4704 हैक्टेयर भूमि का नामान्तरण दिनांक 08.09.2021 को रीको के पक्ष में खोला जा चुका है। नामान्तरण की प्रति परिशिष्ट '7' पर संलग्न है।

3. राजस्व रिकार्ड में रीको के नाम नामान्तरण के पश्चात् मानचित्र के अनुसार नियोजित/गैर नियोजित भूमि पर वर्णित अतिक्रमणों वाले स्थान पर रीको की भूमि का भू-प्रबंध अधिकारी के माध्यम से सीमाज्ञान हेतु जिला कलेक्टर, जयपुर को पत्र दिनांक 08.09.2021 के द्वारा लिखा गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट '8' पर संलग्न है।

4. सीमाज्ञान के पश्चात् रीको की सम्पूर्ण भूमि का सर्वे करवाया जाकर निजी अतिक्रमणों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी तथा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ के अतिक्रमणों के सम्बन्ध में भी नियमानुसार निर्णय किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

(5) राजस्व रिकार्ड में निगम के पक्ष में दिनांक 08.09.2021 को नामान्तरण होने के पश्चात् परिशिष्ट '2' पर मानचित्र के अनुसार वर्णित अतिक्रमणों की भूमि का सीमाज्ञान होने के पश्चात् रीको की सम्पूर्ण भूमि का सर्वे करवाया जाकर निजी अतिक्रमणों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी तथा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ के अतिक्रमणों के सम्बन्ध में भी नियमानुसार निर्णय किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण, सूची, प्रतियां व सूचना पुस्तकालय में रखे गये)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बिना स्वामित्व या बिना मालिकाना हक के रीको का ऐसा कौन-सा नियम है, जिसके तहत आपने 1983 से लेकर 2021 के बीच कई प्लाटों का बेचान किया, क्योंकि आपके नाम तो जो स्वामित्व आया है, वह 08.09.2021 को आया है, यानी दस दिन पहले आया है। इससे पहले कौन-से नियम के तहत आपने भूखण्ड आबंटित कर दिये?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत पुराना मामला है। 1983 में यह औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया था और उसके

(श्री परसादी लाल)

बाद जे.डी.ए. के नाम यह जमीन वापस हो गयी थी। जब जे.डी.ए. बना तो यह जे.डी.ए. के नाम हो गयी थी। आपने सवाल लगाया, उसके बाद हमारे अधिकारियों के यह ध्यान में आया। हमने इसमें प्रयास करके कलेक्टर, जयपुर से वाद दायर करके अभी 08.09.2021 को ही रीको के नाम जमीन हुई है। मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने हमारे विभाग का ध्यान दिलाया। जमीन का अब रीको के नाम ही नामान्तरण हो गया। इसका सीमाज्ञान कराने के लिए कलेक्टर को कह दिया गया है कि जो भी अतिक्रमण है, आपकी जो मंशा है, जो आपने सवाल उठाया था, निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि यह 123 बीघा जमीन आबंटन में दी और 111 बीघा आपने अपने कब्जे में ली है, आपको इसका मालिकाना हक मिल गया। 12 बीघा जमीन के ऊपर कब्जा है, लगभग 40 करोड़ रुपये की जमीन है। आपने जांच कमेटी भी बैठायी, जांच कमेटी ने भी रिपोर्ट दे दी कि हां, अतिक्रमण है। अब आप समय-सीमा बता दें कि 6 महीने, 12 महीने, डेढ़ साल, दो साल में आप इन अतिक्रमियों को बेदखल कर देंगे।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 112 बीघा जमीन पर कब्जा दिया है अभी कलेक्टर जयपुर ने। हमारी कोशिश होगी कि इसमें सब-सेन्टर बना हुआ है, पुलिस चौकी बनी हुई है, स्कूल बना हुआ है, ये सब चीजें बहुत पुरानी बनी हुई हैं उन चीजों को छोड़कर जो जमीन कलेक्टर ने दी है और जो खाली जमीन है, वह रीको के सुपुर्द कर दी गयी है और कलेक्टर उसका सीमाज्ञान जल्दी करा देंगे। जल्दी ही हम कोशिश करेंगे, आपका जो मूल सवाल है अतिक्रमण का, उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे अधिकारियों की इसमें नैग्लिजैंस रही है और उसे फिक्स करने के लिए हम एक हाई-पावर कमेटी बनाकर, जिनकी भी नैग्लिजैंस रही है, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

माननीय सदस्यगण, मैं समझता हूं कि 7-8 सैकण्ड ही बाकी हैं तो इस अवसर पर मैं आप सबकी अनुमति से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज अन्तरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है।

(श्री अध्यक्ष)

(12.00 बजे)

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

अन्तरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र हमें एक विशिष्ट दृष्टिकोण देता है, जीवनशैली प्रदान करता है, हमें व्यवहार सम्बन्धी कुछ आदर्शों, मानदण्डों या मानकों का पालन करने के लिए कहता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के सर्वांगीण विकास के लिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुना है। 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' की संकल्पना को पूरा करने के लिए शासन के तीनों अंगों को मिलकर काम करना है। जन-आकांक्षाओं और जन-अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु विधायिका के रूप में हमारी जिम्मेदारी अधिक है। अन्तरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर आइए, हम इस देश में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करने का संकल्प लें, जहां प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हो, उसे सर्वांगीण विकास और उन्नति के अवसर प्रदान किये जाएं, गरीबी उन्मूलन के प्रयास हों, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, बिजली, रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचें।

विधायिका का यह सदन लोकतंत्र की जीवन्त अभिव्यक्ति है। यहां अलग-अलग विचारधाराओं के कारण राजनीतिक दलों के मध्य मतभेद का होना अवश्यंभावी है, परन्तु इन सबके बावजूद राजस्थान विधान सभा अपनी गौरवमयी परम्पराओं तथा गरिमामयी कार्यवाही के लिए जानी जाती है, जो अनुकरणीय है। हम पर इस गौरवशाली इतिहास को बनाये रखने और उसमें अभिवृद्धि करने की जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों का लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास मजबूत हो। आप सबको अन्तरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्रीमती संतोष (अनूपगढ़), सदस्य की ओर से उप खण्ड अनूपगढ़ मुख्यालय पर जिला परिवहन कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़) एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से जिला चित्तौड़गढ़ में पुलिस प्रशासन की लापरवाही से बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री अविनाश (जैतारण) एवं दस अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ग्राम प्रतापगढ़ के दर्जन भर निर्दोष व्यक्तियों को झूठे मुकदमे में फंसाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर) एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से नगरपालिका जहाजपुर में अधिशाषी अधिकारी द्वारा कथित रूप से फर्जी बिलों के भुगतान किये जाने तथा अपने कार्य का निर्वहन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) एवं 12 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश के पुलिस थानों में पुलिस अभिरक्षा में हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर), सदस्य की ओर से ब्यावर में अमृतकौर अस्पताल रोड पर अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स का निर्माण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री बिहारीलाल (नोखा), सदस्य की ओर से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री पुखराज (भोपालगढ़), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़), सदस्य की ओर से कृषि (ग्रुप-2) विभाग द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 2021 को जारी अधिसूचना में जन-प्रतिनिधियों को 'कृषक परिवार' में सम्मिलित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द), सदस्य की ओर से आसीन्द से दौलतगढ़-तिलोली क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर), सदस्य की ओर से प्रदेश में पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामलों से कानून व्यवस्था के प्रति अविश्वास एवं असंतोष गहराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र

(श्री अध्यक्ष)

सुमेरपुर में किसानों को नष्ट हुई फसलों का मुआवजा व बीमा क्लेम दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री छगनसिंह (आहोर), सदस्य की ओर से जवाई नदी पर पोसालिया के आगे जोयला डायवर्जन बनाने की योजना प्रक्रियाधीन होने के कारण विधान सभा क्षेत्र आहोर के 50 गांवों के सूखाग्रस्त होने की सम्भावना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर) एवं 12 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश के थानों में महिलाओं के साथ हो रही बलात्कार की घटनाएं तथा बढ़ रहे आपराधिक मामलों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा) एवं 5 अन्य सदस्यों की ओर से जिला हनुमानगढ़ में नशे के कारोबार में भारी मात्रा में हुई बढ़ोतरी से बढ़ रहे आपराधिक मामलों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(16) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन), सदस्य की ओर से बूंदी जिले में पदस्थापित अधिकारियों की कार्यशैली से बिगड़ रही कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(18) श्री रामलाल शर्मा (चौमूं), सदस्य की ओर से प्रदेश में हो रहे झूठे मुकदमों की आड़ में पैसे वसूलना व मानसिक प्रताड़ना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(19) श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर), सदस्य की ओर से प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से आमजन में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(20) श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा), सदस्य की ओर से भीनमाल शहर में उत्पन्न पेयजल संकट के कारण विगत एक माह से चल रहे धरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(21) श्री बलवान पूनियां (भादरा), सदस्य की ओर से कार्मिक विभाग द्वारा आरक्षित वर्ग के रिक्त पदों के लिए आरक्षण रोस्टर का सही संधारण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(22) श्री प्रताप सिंह (छबड़ा), सदस्य की ओर से छबड़ा थर्मल पावर प्लांट, मोतीपुरा में तापीय विद्युत परियोजना की चौथी इकाई की ई.एस.पी. ढह जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(23) श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन), सदस्य की ओर से पाली जिले के मगरा क्षेत्र में आबकारी विभाग की लापरवाही से हरियाणा की घटिया व हथकढ़ शराब की खुलेआम बिक्री किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(24) श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी), सदस्य की ओर से प्रदेश के कुछ जिलों में बहुसंख्यकों में असुरक्षा के माहौल से व्याप्त भय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(25) श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़) एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से रतनगढ़ में पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधियों को संरक्षण प्रदान किये जाने से बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(26) श्री रूपाराम (मकराना) एवं 11 अन्य सदस्यों की ओर से मकराना थाने में अपहरण, डकैती, फिरौती, ब्लेकमेलिंग तथा आर्म एक्ट में दर्ज मुकदमों की जांच में ढिलाई बरतने से आमजन में व्याप्त भय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(27) श्री कन्हैया लाल (मालपुरा) एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से नगरपालिका मालपुरा में चल रहे जमीनी जिहाद को रुकवाकर हिन्दू व जैन समुदाय के व्यक्तियों का पलायन रोकने के सम्बन्ध में।

(28) श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर), सदस्य की ओर से प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था से आमजन में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(29) श्री संयम लोढ़ा (सिरोही), सदस्य की ओर से पुलिस थाना माउंट आबू में नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार के मुकदमे में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(30) श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू), सदस्य की ओर से दिनांक 01.09.2021 को जे.के. सीमेंट उद्योग, पिंडवाड़ा में की गयी लूट, डकैती व आगजनी में लिप्त नामजद अपराधी को गिरफ्तार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(31) श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष), सदस्य की ओर से प्रदेश में आपराधिक घटनाओं से बिगड़ रही कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री मदन दिलावर, श्री अभिनेश महर्षि, श्री रूपाराम, श्री कन्हैया लाल, श्री नारायण बेनीवाल, श्री संयम लोढ़ा, श्री समाराम गरासिया एवं श्री गुलाब चन्द कटारिया को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द), सदस्य की ओर से हिन्दुस्तान जिंक लि., राजसमन्द एवं चन्देरिया, चित्तौड़गढ़ द्वारा निर्धारित मानदण्डों की अवहेलना किये जाने से पर्यावरण प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के राजस्व गांवों में घर-घर नल कनेक्शन पेयजल योजना के कार्य में तेजी लाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री अमीन खां (शिव), सदस्य की ओर से बाड़मेर में देताणी माडल स्कूल में छात्रावास संचालित किये जाने तथा बालिकाओं के स्वीकृत छात्रावास को शीघ्र चालू किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री गुरदीप सिंह (संगरिया), सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिले में परमल धान की सरकारी खरीद किये जाने के लिए केन्द्र सरकार को अनुशंसा किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र

(श्री अध्यक्ष)

सादुलशहर की कई ग्राम पंचायतों में कृषि भूमि पर अवैध कालोनियों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर), सदस्य की ओर से डूंगरपुर में अनुसूचित क्षेत्र में स्थित पेरीफेरी पंचायतों (गांवों) में वर्षों से बिलानाम भूमि पर काबिज जनजाति आदिवासी लोगों को भूमि आबंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर में अतिवृष्टि से व्यापारियों एवं किसानों के हुए नुकसान का विशेष पैकेज बनाकर मुआवजे का भुगतान करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री कालूराम (डग), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग में भारी बारिश से किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर), सदस्य की ओर से कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग को अग्रेषित रिक्तियों में आरक्षित पदों की सही गणना नहीं किये जाने से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर), सदस्य की ओर से प्रदेश में विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को नियमित/समायोजित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से पंचायत समिति जहाजपुर में पदस्थापित सहायक अभियंता एवं अतिरिक्त चार्ज विकास अधिकारी द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए वित्तीय अनियमितताएं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू), सदस्य की ओर से मंत्रालयिक, पटवारियों एवं पुलिस कांस्टेबल की ग्रेड-पे 2,400/- से बढ़ाकर 3,600/- किये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद), सदस्य की ओर से डा. भीमराव अम्बेडकर राजकीय आवासीय विद्यालय, हिंगी तहसील सांगोद (कोटा) उजाड़ नदी के डूब क्षेत्र में होने के कारण आवासीय विद्यालय को सुरक्षित स्थान पर नवीन छात्रावास बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(14) श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर), सदस्य की ओर से अजमेर शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कार्य एवं मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्रीमती मंजु देवी (जायल), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जायल में समय पर बारिश नहीं होने से खराब हुई फसल का किसानों को बीमा क्लेम दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(16) श्री पब्बाराम (फलौदी), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फलौदी में जनता जल योजना से संचालित बन्द पड़े नलकूपों को चालू करवाने के सम्बन्ध में।

(17) श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल), सदस्य की ओर विधान सभा क्षेत्र घाटोल के किसानों को सिंचाई हेतु हरी बांध की कैनाल की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ा हुआ माना जाएगा।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयी विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप प्लीज बैठें। आई एम आन लैग। सीनियर आदमी हैं आप, रोज ही नियम तोड़ने का फैसला कर लिया है। श्री मदन दिलावर।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

ब्रज क्षेत्र में हिन्दुओं में व्याप्त असुरक्षा व भय

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हम सबका सौभाग्य है कि भगवान श्रीकृष्ण हिन्दुस्तान में पैदा हुए हैं और उनकी जो लीलाएं रही हैं, उसका क्षेत्र राजस्थान में आता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बी आर्डर। सभी खड़े हो जाएंगे क्या? माननीय सदस्य बोल रहे हैं। प्लीज।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): लोग बहुत श्रद्धा के हिसाब से देखते हैं, पूजते हैं। राजस्थान के पूर्वांचल में भी और ब्रज चौरासी कोस की

(श्री मदन दिलावर)

एक परिक्रमा, जो हम सब लगाते हैं, ये परिक्रमाएं प्रमुख पड़ाव डालती हैं। भागवत महापुराण, गर्ग संहिता, महाभारत, पदम पुराण ग्रंथों में भी ब्रज क्षेत्र की मान्यता के प्रमाण मौजूद हैं। ये कामां कामवन, डीग ब्रज क्षेत्र का अभिन्न अंग हैं। यहां तीर्थराज निर्मल कुण्ड, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चरण पहाड़ी, भोजन थाली, कदमखंडी, ऐसे अनेक पूज्य और दर्शनीय स्थल हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ब्रज क्षेत्र, जहां भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई हैं, आज वहां के लोगों के लिए नर्क क्षेत्र बन चुका है। वहां लगातार माताओं-बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनको उठाकर ले जाया जा रहा है। अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनों पर कब्जा करके वहां से भगाया जा रहा है। वहां मंदिरों को ध्वस्त करके, मंदिरों को अपवित्र करके, वहां पर मस्जिदें बनाई जा रही हैं और एक तरह से पूरा का पूरा क्षेत्र बहुत बड़ा, मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आतंकवादियों का अड्डा बन गया है। यहां से एन.आई.ए. ने भी आतंकवादियों को पकड़ा है। यह असरूद्दीन पांच साल पहले जमात में महाराष्ट्र गया था। वहां कश्मीर के कुछ लोगों के सम्पर्क में आया था और उनके बहकावे में आकर इसने जिहादी पोस्ट्स डालना शुरू किये, खुद का ग्रुप बनाया और सम्बन्ध बनाये। आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा, आई.एस.आई., इनकी नीतियों को प्रसारित करके लोगों को जोड़ने की बात कही। इसके सम्बन्ध बहुत दूर तक हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां गैंप रैप की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। मैं कुछ नाम आपको बताना चाह रहा हूं। रामगढ़ में 12 वर्षीय बच्ची के साथ गैंग रैप हुआ, जिसमें आजाद खान, जफ्फार खान, वसीम खान के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। इस बात को लेकर बच्ची के परिजनों से मिलने के लिए पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा गये तो उनके ऊपर और उनके साथियों के ऊपर सम्भवत: 153ए में मुकदमा दर्ज करके उनको डराने की कोशिश की।

यही नहीं, 27 फरवरी, 2021 को रामगढ़ के ग्राम डोली में तैयब खान, साहिल खान, जुबेर खान, आसीर खान, अजरूद्दीन ने शीतला माता मंदिर के पास ईष्ट खेड़ा देव की मूर्तियों को उखाड़ दिया। इसकी एफ.आई.आर. फरवरी, 2021 को बनवारी लाल ने दर्ज करवाई। उनको डराने के लिए उनके खिलाफ 9 जुलाई, 2021 को एक एफ.आई.आर दर्ज कर उनको परेशान किया जा रहा है।

6 जुलाई, 2021 को तिजारा क्षेत्र के ग्राम वेमनहेड़ी में तबलीगी

(श्री मदन दिलावर)

जमात के असरूद्दीन मेव को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सोशल मीडिया के जरिये धार्मिक भावनाएं भड़काकर युवाओं को आतंकवादी बनने को उकसाता था। यह युवक 50 से अधिक ऐसे ग्रुपों से जुड़ा था, जिनमें नियमित देश विरोधी पोस्ट्स डाली जा रही थीं। उन ग्रुपों में कश्मीर और पाकिस्तान के लोगों के अलावा म्यांमार, ईसा और मेवात इलाके के 51 सदस्य थे।

बड़ौदा मेव थाने के गांव भिहाड़ी के दलित समुदाय के मेमचंद को इब्राहिम बास, सत्तार तैयब, शहजाद महबूब हसन, करीब 15 व्यक्तियों ने डरा धमका जबरन धर्म परिवर्तन कराया, जिसकी प्राथमिक सूचना थाना बड़ौदा मेव में 28 अक्टूबर, 2020 को कराई गयी, जिस पर वहां की विधायक ने सरकार पर दबाव डालकर एफ.आर. लगवा दी। पीड़ित ने हरियाणा में फरियाद लगाई और वर्तमान में एन.आई.ए. की जांच जारी है। उसमें 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। राजस्थान में सुनवाई नहीं हुई। हरियाणा में जाकर उन्होंने अपने बात की तो एन.आई.ए. ने लोगों को गिरफ्तार किया है।

थाना रामगढ़, ग्राम बालोत नगर में ब्राह्मण समाज की नाबालिग बच्ची के साथ 18 जुलाई, 2020 को अनीष नामक युवक ने दुष्कर्म किया, अनुजम तौफीक महमूद ने धमकी दी, जिससे बच्ची ने आत्महत्या का प्रयास किया। उसके बाद भी लोग नहीं माने और पीड़िता के पिता सवर्ण की हत्या करके उसके शव को पेड़ पर लटका दिया। इसकी एफ.आई.आर. भी 24 जुलाई, 2020 को करवाई गयी थी। लव जिहाद के मामले में, जो कि थाना अरावली, अलवर का था, प्रदर्शन करने पर पुलिस ने 15 दिसम्बर, 2018 को 34 लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर ली, जिसमें कांग्रेस से सम्बन्धित जो लोग थे, उनको तो निकाल दिया गया तथा जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, उनको परेशान किया जा रहा है।

(12.16 बजे)

(राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

अलवर क्षेत्र से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत शाहपुर के धार्मिक स्थल स्वर सिद्धि पर पिछले दो वर्षों से लगातार 30-40 पशुओं की बलि चढ़ाई जा रही है, जिसमें खान मोहम्मद, वगैरह-वगैरह लोग रहते हैं। जिले में 28 जून से 7 जुलाई तक, 7 दिन में 7 रेप के केस हुए हैं, जो बहुत ही शर्मनाक हैं। अलवर जिला शर्मसार हो रहा है। यह पुलिस, प्रशासन और सरकार की विफलता है।

(श्री मदन दिलावर)

एक समुदाय विशेष बहुल क्षेत्र में स्कूलों में जबरदस्ती इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है, जो कि संविधान के साथ धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर कुठाराघात है। यही नहीं, मेवात में मुस्लिम समुदाय के लोग पहले शरण लेते हैं और यहां शरीया लागू करते हैं। धार्मिक कट्टरता का एक उदाहरण अलवर में भी देखा गया, जहां लश्कर-ए-तैयबा सरगना हाफिज सईद द्वारा एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया। इस प्रकार मेवात क्षेत्र एक मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है।

मेवात क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लड़के यहां की हिन्दू लड़कियों को बहला-फुसलाकर ले जाते हैं। फिर उनके साथ अत्याचार करते हैं। यही नहीं, अधिकांश को गायब कर देते हैं। एक ताजा उदाहरण मिलकपुर की पीड़ित लड़की का है, जिसमें लड़की को 10 तारीख को मुस्लिम लड़का ले गया। लड़का अभी तक पकड़ में नहीं आया है। प्रेम प्रसंग का झांसा देकर लड़कियों को ले जाते हैं और उनके साथ ज्यादती करते हैं। धर्म परिवर्तन कराने के लिए मजबूर करते हैं और अधिकांश को खाड़ी देशों में ले जाकर बेच देते हैं। इस प्रकार से यह सीधे-सीधे मानव तस्करी की घटना है। इस घटना के विरोध में कई लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया था।

अलवर में 19 वर्षीय महिला का अपहरण कर 7 लोगों ने बलात्कार किया, लेकिन उन पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। स्कूल जा रही नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया। खेड़ली थाने में थानाधिकारी ने ही महिला के साथ थाने में बलात्कार किया। पति के सामने ही पत्नी के सामूहिक बलात्कार का वीडियो भी बना और ये सब हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मेरे कहने का अर्थ इतना-सा है कि यह जो ब्रज क्षेत्र है, यह एक तरह से आतंकवादियों का अड्डा बन गया है, गुण्डों का अड्डा बन गया है। गौमाताओं को सरेआम काटा जाता है। कई बार गोमांस पकड़ा गया है। यहां की लड़कियों को उठा-उठाकर गुण्डे खिलौनों की तरह ले जाते हैं, मंदिर तोड़कर मस्जिद बना देते हैं। अनुसचित जाति की जमीनों पर कब्जा हो रहा है। 109 गांव हिन्दू विहीन हो गये हैं और 82 गांवों में एक-दो-चार, बहुत नगण्य हिन्दुओं की संख्या बची है। मुझे लगता है हिन्दू विहीन बनाने का एक षड्यंत्र, जो चल रहा है, यह ठीक नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): इसके अलावा भी कुछ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, प्लीज। माननीय मंत्री महोदय। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): 000

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

श्री सभापति: संसदीय कार्य मंत्री महोदय, प्लीज विराजें। प्लीज सभी विराजिए आप। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी, प्लीज सहयोग करें। विराजिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, विराजिये। अंकित नहीं होगा। किसी का अंकित नहीं होगा। विराजिये। प्लीज सहयोग करें। विराजिये आप। मुझे बाध्य होकर चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

श्री सभापति: विराजिये।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री सभापति: राजेन्द्र जी, मुझे बाध्य होकर चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी। ध्यानाकर्षण लेना पड़ेगा। प्लीज विराजिये आप। अपनी सीटों पर जाइये। माननीय, प्लीज सहयोग करें। विराजिये। राजस्थान देख रहा है आपको। यह तो भला हो, माननीय अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था से यू-ट्यूब पर पूरा राजस्थान आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं सदन में बैठ करके। प्लीज सहयोग करें। कृपया शांत रहेंगे आप? आसन अकेला अपनी व्यवस्था नहीं कर सकता कि सदन नियमित रूप से चले। आसन अपेक्षा रखता है इधर से भी और इधर से भी कि हम संयम बरतें, अनायास उत्तेजना पैदा नहीं करें। मैं इस बात को स्वयं महसूस करता हूं। ट्रैजरी बैंचेज से यह अपेक्षा करता हूं। आसन की गरिमा बनाये रखना न केवल उस पक्ष की जरूरत है, आपकी भी आवश्यकता है। मैं अब अपेक्षा करता हूं आप सब से, माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी है, जो नाम माननीय अध्यक्ष महोदय ने पुकारे हैं, उनकी व्यवस्था दी है कि वे दो-दो मिनट में अपनी बात रखेंगे। उनको यह अधिकार है आसन की तरफ से, उनको व्यवस्था दी है बोलने की।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 000

श्री सभापति: कृपया विराजिये आप। विराजिये। अलाउ नहीं करता मैं आपको। विराजिये। पहली बार आये हैं, सीखिये कुछ। आसन पैरों पर है। आसन अपनी व्यवस्था दे रहा है। मैं अलाउ नहीं करता आपको और मैं कंडेम करता हूं इस तरह की घटनाओं को। बिलकुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। आसन की जिम्मेदारी है कि सदन गरिमापूर्ण माहौल में चले। पूरा राजस्थान आपको देख रहा है कि आप यहां पर बैठ करके क्या कर रहे हैं। मैं अपेक्षा करता हूं आपसे भी कि कृपया अनायास उत्तेजना पैदा नहीं करें। यदि उधर से ऐसी कोई बात कही गयी, जो असंसदीय होगी, अमर्यादित होगी, तो मैं व्यवस्था देता हूं उसको विलोपित किया जाए। किसी को बीच में इंटरवीन करने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि अपनी वाणी को संयम दें। भगवान ने आपको बहुत अच्छी वाणी दी है, अच्छी सेहत दी है। आपको अवसर दिया है कि आप इस सदन में आकर अपनी बात रखें। क्यों अमर्यादित टिप्पणियां करते हैं। अकारण उत्तेजना पैदा मत करिये। यह राजस्थान हम सबका है। हम सब से अपेक्षा करता है राजस्थान, कि हम ऐसा सद्भावनापूर्ण माहौल बनाएं कि लोग आपके इस पीरियड को याद रखें। क्या मैसेज देकर जाना चाह रहे हैं आप? कोई बर्दाश्त करे, आसन बिलकुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं व्यवस्था देता हूं कि कोई ऐसी अमर्यादित टिप्पणी हो, असंसदीय हो, उसको विलोपित किया जाए। मेहरबानी करके शांतिपूर्ण वातावरण रखें। अकारण उत्तेजना पैदा नहीं करें। माननीय दिलावर, दो मिनट में आप अपनी बात समाप्त करेंगे। प्लीज सहयोग करें। विराजिये आप। अलाउ नहीं कर रहा हूं मैं आपको। आसन ने व्यवस्था दी है, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि..

श्री सभापति: अपेक्षा करता हूं कि उत्तेजना पैदा नहीं करेंगे, वरना बोलने नहीं दूंगा मैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यह सारा का सारा ब्रज क्षेत्र है, लेकिन 1987 में इसको मेवात विकास बोर्ड बनाकर के और जितना इसका पैसा था वह सब वहां मेव समाज के लोगों के विकास में लगाने की बात की। इसके कारण से जो उन्होंने उद्देश्य रखा होगा, यह रखा है, जिस प्रकार से

(श्री मदन दिलावर)

हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बना था और इसीलिए वहां मुस्लिम बहुल मान करके उसको मेवात विकास बोर्ड घोषित कर दिया।

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा। श्री अभिनेश महर्षि।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिये। श्री अभिनेश महर्षि, बोलिए आप। विराजिये। अंकित नहीं होगा। माननीय नेता, प्रतिपक्ष। विराजिये, अंकित नहीं हो रहा है। विराजिये। कोई अंकित नहीं हो रहा है, विराजिये आप। प्लीज सहयोग करें। श्री अभिनेश महर्षि। मैं दूसरा नाम पुकारूं? आप बोलिए। वे बोल रहे हैं, उनका अंकित नहीं हो रहा है। आप बोलिए।

अपराधियों को संरक्षण से बढ़ती आपराधिक घटनाएं

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज राजस्थान अपराध की दृष्टि से करीब-करीब अव्वल नम्बर पर आ गया है। महिला अपराध की बात करें या एस.सी./एस.टी. के ऊपर अपराध की बात करें, बच्चों के साथ में होने वाली वीभत्स घटनाओं के बारे में बात करें तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। राजस्थान, जो हमारे शूरवीरों की धरती है, इसके अन्दर जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, यह हम सब लोगों के लिए चिन्ता का विषय है। मुझे आज का अख़बार देख करके और भी ज्यादा शर्म महसूस हुई जब सत्ता पक्ष के विधायक..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट विराजिये आप।

आज का जो विषय है, जो माननीय नेता, प्रतिपक्ष भी हैं और साथ में कई और भी माननीय सदस्य हैं, इस विषय को हम जितना साधारण रूप से लेकर और सनसनी, एक अराजकता की स्थिति जो पैदा करना चाह रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज के इस अवसर को हमें एक उपलब्धि के रूप में देखना चाहिए। न आप मना कर सकते हैं, न आप मना कर सकते हैं। जब हम सुबह देखते हैं तो अखबारों से लगता है कि जैसे कोई थाने की डायरी हो और मन व्यथित होता है। वह चाहे आप इधर बैठे हों, आपका भी मन व्यथित होता है। चाहे आप इधर बैठे हों, आपका भी मन व्यथित होता है। सात करोड़ पापुलेशन में से मात्र दो सौ लोगों को चुन करके जब हमको यहां पर भेजा है तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की जनता हमसे यह अपेक्षा करती है कि हमारा आचरण ऐसा हो कि राजस्थान एक माडल बने। राजस्थान न केवल पूरे हिन्दुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम करे कि राजस्थान के

(श्री सभापति)

दो सौ माननीय सदस्य ऐसे हैं, जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उन भावनाओं को जीते हैं, जिससे राजस्थान का वातावरण सामंजस्यपूर्ण हो, सद्भावनापूर्ण हो और हम एक-दूसरे की मिसाल दे सकें। राजस्थान इस बात के लिए जाना भी जाता है।

सौभाग्य से मुझे न केवल इस असेम्बली में बैठने का अवसर मिला, मुझे कई बाहर के स्टेट्स में जाने का अवसर मिला। वहां के जो भी माननीय प्रतिनिधि हैं, उन्होंने मुझे विशेष रूप से इस बात के लिए कहा कि राजस्थान विधान सभा की जो व्यवस्था है, राजस्थान विधान सभा में दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जिस तरह से सदस्यों का एक आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण है, अकल्पनीय है, मिसाल के रूप में देखा जाता है। हमें उन बातों को कायम रखना पड़ेगा।

हमारे पूर्वजों ने, जिनमें ऐसे-ऐसे स्टालवार्ट्स हुए हैं, आपने भी देखा। आप में जो नये हैं, उन्होंने नहीं देखा होगा, लेकिन माननीय नेता, प्रतिपक्ष और माननीय राजेन्द्र राठौड़ साहब तो यहां विराजे हुए हैं। भैरोंसिंह जी और हरिदेव जी जोशी का, सुखाड़िया जी और भैरोंसिंह जी का जिस तरह का एक आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण था, एक-दूसरे के प्रति सदन में कटुता देखकर लोगों को लगता कि बहुत कटुता है, लेकिन आपस में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण था। आपने और हमने लड्डू भी बहुत खाये हैं। क्या हम उन परम्पराओं को जी नहीं सकते? क्या हम कद के इतने छोटे हो गये समय के अन्तराल के चलते कि हमारे उन पूर्वजों द्वारा वसीयत के रूप में हमें जो चीज दी गयी है, क्या उसको हम दुबारा जी नहीं सकते? हम लोगों को एक मिसाल देकर नहीं जा सकते कि न केवल हमारे पूर्वजों ने, बल्कि हम भी उन्हीं व्यवस्थाओं को जीना पसन्द करते हैं और हम जीएंगें, हम संकल्प लेते हैं इस बात के लिए?

मैं सभी से अपेक्षा करता हूं कि एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करें। केवल सनसनी पैदा करने की कि वहां थाने में यह हो गया, उसमें यह हो गया, हम ऐसी व्यवस्था कायम करें, सरकार को संदेश दें कि पूरा राजस्थान एक वातावरण चाहता है जो भयरहित हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इधर जो लोग बैठे हुए हैं, ये भी कोई अराजकता नहीं चाहते। इधर जो लोग बैठे हुए हैं, ये भी अराजकता नहीं चाहते। थाना चाहे आपका हो चाहे इधर का हो, थानों में अच्छी व्यवस्था हो, थानों में ऐसा माहौल बने कि पीड़ित व्यक्ति जाकर और भयरहित होकर अपनी बात कह सके। मैं अब अपेक्षा करता हूं कि

(श्री सभापति)

इस सारी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम एक मैसेज दें आज राजस्थान को कि राजस्थान के दो सौ माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि राजस्थान में अच्छी व्यवस्था हो और भयरहित वातावरण हो। मैं अपेक्षा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपेक्षा पर खरे उतरेंगे। धन्यवाद।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): धन्यवाद, सभापति महोदय, आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, यह हमारा स्लोगन है। इसी बात को आपने भी दोहराया है। हम सब लोगों की भी यह अपेक्षा है कि आमजन में विश्वास पैदा हो। पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो। बाहर के राज्यों से भी राजस्थान में लोग आते थे कि यह हमारा सुरक्षित राज्य है। लेकिन मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जहां रिश्वत में अस्मत मांग ली जाएं, पुलिस के अधिकारियों के द्वारा जहां विधायक की रिपोर्ट के ऊपर डेढ़ महीने तक भी कोई कार्यवाही नहीं हो, जहां डी.जी.पी. रहा हुआ सत्ता पक्ष का विधायक थाने के सामने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए मजबूर हो जाए और सत्ता पक्ष के विधायक व पूर्व डी.जी. को धरना देना पड़े, जो पांच साल डी.जी. रहा, ये राजस्थान में हालात हैं। टेलीफोन टेपिंग, पूरे देश में यह राजस्थान उदाहरण बन गया। टेलीफोन टैप किस तरह से करवाकर लोगों को डराने का काम कर रहा है और सत्ता पक्ष का विधायक सरकार पर आरोप लगा रहा है कि मेरे को हनी ट्रैप में फंसाने की पूरी कार्यवाही की जा रही है। यह किसके द्वारा की जा रही है? राजस्थान की सरकार इस बात का जवाब दे कि सत्ता पक्ष का विधायक प्रेस कांफ्रेंस करने पर मजबूर होता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जब विधायक की सुनवाई नहीं होती है तो आम आदमी के क्या हालात होंगे, मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं। पुलिस विभाग का तो कहना ही क्या है। पुलिस का एक अधिकारी सरेआम इस राजस्थान को शर्मसार कर देता है। वह वीडियो बनाता है। किस तरह के वीडियो हैं? पुलिस की नाक के नीचे और जब शिकायत होती है तो एस.पी., डी.वाई. एस.पी. और सारे अधिकारी मिलकर उसका मुकदमा दर्ज नहीं होने देते हैं। यह राजस्थान पुलिस की कारगुजारी है। ऐसे हालात में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इतना घिनौना कृत्य करने के बाद में उस अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं हो, इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं इस बात की जांच करने की आवश्यकता है। आज राजस्थान के हालात किस तरह के हो गये हैं। महोदय, अस्पताल में दुष्कर्म हो जाता है, पुलिस थाने में दुष्कर्म हो जाता है, सी.आई. के कमरे में दुष्कर्म हो जाता है, एंबुलेंस में दुष्कर्म हो जाता है, चार वर्ष की बच्ची के साथ

(श्री अभिनेश महर्षि)

में दुष्कर्म हो जाता है, थाने में कस्टोडियल डैथ हो जाती है। अपराध की दृष्टि से यह राजस्थान की स्थिति है जो मैं आप लोगों के बीच में बयान करना चाहता हूं। भू-माफिया, खनन माफिया, जहां एस.डी.एम. के ड्राइवर को जीप के नीचे रौंद कर, कुचल कर मार दिया जाता है, यह राजस्थान की पुलिस के हालात हैं। बजरी माफिया, तस्करी, डीजल माफिया, शराब माफिया दिनदहाड़े सरेआम बीच बाजार में गोलियों से भून दिया जाता है। अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, यह राजस्थान की सरकार में बैठे हुए लोग इस बात का जवाब देंगे। जाति धर्म और सम्प्रदाय से ऊपर उठकर काम करने वाले हम लोग हैं। देश के प्रधान मंत्री ने यह आह्वान किया कि इस देश में कानून व्यवस्था भी अच्छी तरह से चले, उसके लिए जो प्रयास हमको करने चाहिये वह सब किये, लेकिन आज बहुत विनम्रता के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि देश के निर्माण में लगे हुए संगठन और जो देश के निर्माण में लगी हुई संस्थाएं हैं आपके करने से वह कमजोर नहीं होंगी। उनके खिलाफ चाहे जितने षड्यंत्र कर लेना, आप उनको किसी भी तरह से फंसाने की कोशिश कर लेना, लेकिन वे फंसेंगे नहीं, वे निर्दोष हैं और निर्दोष होकर निकलेंगे। आप लोगों में थोड़ा बहुत भी यदि ज़मीर है तो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, जिन्होंने इस देश के निर्माण के लिए अपने घर को छोड़ दिया, उन व्यक्तियों को भी आपने बख्शा नहीं। (व्यवधान) आप काम कीजिए, आप कोशिश कीजिए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, ...(व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

श्री सभापति: यह परम्परा गलत है। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान) विराजिए, विराजिए।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री सभापति: यह क्या है, एडजोर्न करूं हाउस? (व्यवधान)

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

श्री सभापति: ऐसा कोई शब्द अंकित नहीं होगा जो असंसदीय होगा, अमर्यादित होगा। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) मुझे बाध्य होकर चर्चा समाप्त करनी होगी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। (व्यवधान) सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.35 बजे 13.05 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(13.05 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

खेद प्रकट

मदन दिलावर, श्री, माननीय सदस्य द्वारा खेद प्रकट

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: विराजिये। मैं आज की इस घटना से बड़ा व्यथित हूं। सदन में हम यदि अमर्यादित टिप्पणियां करेंगे, अपनी वाणी की स्वच्छता यदि हम खो देंगे तो हम क्या मैसेज देना चाहते हैं। सदन द्वेषतापूर्ण माहौल में चले, हम एक-दूसरे के खिलाफ न केवल असंसदीय, बल्कि अमर्यादित टिप्पणियां करें, जिन्हें मैं स्वयं अपने लिए मानूं, तो मैं इसे क्षम्य भी नहीं मानता। आज का जो घटनाक्रम घटा, मैं अपेक्षा तो यह कर रहा था कि हम पूरे राजस्थान को एक संदेश देंगे, लॉ एंड आर्डर की स्थिति के बारे में आम जन में यह संदेश जाए और अधिकारी वर्ग में भी यह संदेश जाए कि 200 माननीय विधायक हमसे यह अपेक्षा करते हैं कि लॉ एंड आर्डर की बहुत अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन जिस तरह की अमर्यादित टिप्पणी आज माननीय सदस्य श्री मदन दिलावर ने की है, मुझे नाम लेने में संकोच नहीं है, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझे नाम लेकर ही कहना पड़ेगा, जिस तरह की अमर्यादित टिप्पणी माननीय मदन दिलावर जी ने की है, इसे कतई क्षम्य नहीं कह सकते। संसदीय परम्पराओं में हम एक-दूसरे से इतनी अपेक्षा रखते हैं कि

(श्री सभापति)
हमारी वाणी में स्वच्छता हो, वाणी में विनम्रता हो। शास्त्र में भी कहा है..., 'वचने का दरिद्रता' हम यदि वचन के भी दरिद्र हो गये, भगवान किसी को धन ज्यादा दे सकता है, किसी को कम दे सकता है, लेकिन वाणी तो हम सबको दी है, हम वाणी के भी दरिद्र हो जाएं, मैं समझता हूं कि यह न केवल संसदीय परम्पराओं में, बल्कि लोकाचार में भी इसे क्षम्य नहीं कहा जा सकता है। मैं स्वयं भी व्यथित हूं और मन कुंठित भी है। माननीय सदस्य, न केवल मैं, बल्कि सदन और राजस्थान की जनता आपसे यह अपेक्षा करती है कि जिस तरह की अमर्यादित टिप्पणी आपने माननीय मंत्री डोटासरा जी के प्रति की है, उसे क्षम्य नहीं कह सकते है। लेकिन सदन गरिमापूर्ण माहौल में चले, इसलिए आपसे अपेक्षा करता हूं कि आपको इस पर खड़े होकर न केवल खेद, बल्कि स्वयं माफी मांगनी चाहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, आपने जो भावना प्रकट की है, मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं। उस माहौल में बहुत आवाज हो रही थी, हमको बहुत ज्यादा सुनाई नहीं दिया कि सच में क्या है। लेकिन जो कुछ भी चर्चा में सुना है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अगर उन्होंने इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया, जो इस सदन की गरिमा को बढ़ाता नहीं, घटाता है, उस शब्द के लिए मैं अपनी तरफ से, पार्टी के एक प्रमुख के नाते मैं इसमें निश्चित रूप से अपने आपको बहुत दुःखी महसूस करता हूं और भविष्य में मैं अपने सब मेम्बरों से भी यह चाहूंगा कि बात को कितनी भी कठोरता से कहें, पर शब्दों का चयन ऐसा हो, जो किसी की भावना को आहत न करे। इतना विश्वास है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आपको खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए। माननीय, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। संसदीय लोकतंत्र में यही खूबसूरती है। इनकी जगह यदि मुझे भी कोई सदस्य यह कहता, आप सभापति की चेयर पर बैठे हुए हैं, आप इस आसन पर बैठे हुए हैं तो आप पूरे सदन को संचालित कर रहे हैं। मुझे स्वयं भी इस बात के लिए खेद प्रकट करना पड़े तो मदन दिलावर जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मदन दिलावर जी के कहे शब्दों के लिए मैं स्वयं भी माफी मांग सकता हूं, लेकिन आपके माफी मांगने से सदन की गरिमा बढ़ेगी, घटेगी नहीं और आपकी स्वयं की गरिमा भी बढ़ेगी। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने जो कुछ भी कहा, मैं स्वयं इनसे सीखता हूं। ये

(श्री सभापति)

अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन हैं, हमारे इतने सीनियर मैंबर हैं। इनके माफी मांगने से पहले आपकी शालीनता इस बात में होती कि जैसे ही नेता, प्रतिपक्ष खड़े हुए, आपको स्वयं खड़े होकर यह कहना चाहिए कि नहीं, नेता, प्रतिपक्ष, आप हमारे गार्जियन हैं, लेकिन मेरे शब्दों के प्रति मैं उत्तरदायी हूं। मैं स्वयं खड़े होकर माफी मांगता हूं। अभी भी आपकी शालीनता इसी में है कि आपको खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। आप यदि यह मानकर चल रहे हैं कि आपके खड़े होकर माफी मांगने से सदन की गरिमा घटेगी या आपकी गरिमा घटेगी, ऐसा नहीं है। न केवल आपकी गरिमा बढ़ेगी, बल्कि आपकी संस्कारगत जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें भी आपकी गरिमा बढ़ेगी। आपको खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए। न केवल मुझसे, न केवल डोटासरा जी से बल्कि पूरे सदन से माफी मांगनी चाहिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): +++

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): आप क्या कह रहे हैं? खेद प्रकट कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैंने कोई शब्द नहीं कहा।

श्री सभापति: प्लीज, आप विराजिए। उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। मैं अपनी व्यवस्था दूंगा। एक मिनट विराजिए। माननीय सदस्य, आपने जो भी शब्द कहे हैं, यह सदन न केवल अपेक्षा करता है, बल्कि निर्देश भी देता है आपको कि अपने कटु शब्दों के प्रति आपको सीधा-सीधा माफी मांगनी चाहिए। जिन किसी व्यक्तियों के नाम लिये हैं, मैंने नाम विलोपित करने के लिए कह दिया। आप स्वयं खड़े होकर इतना कहें कि जो भी शब्द मेरे मुंह से उच्चारित हुए हैं, मैं उनके लिए खेद प्रकट करता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। बस इतना ही कहना है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): +++ ...(व्यवधान) इसलिए...

श्री सभापति: सब विलोपित होंगे। अंकित नहीं होगा। सिर्फ माफी मांगने के शब्द अंकित होंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 000

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री सभापति: इसमें केवल उनके जो माफी मांगने के शब्द हैं, वे ही अंकित होंगे और कुछ अंकित नहीं होगा।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, फिर आपसे कह रहा हूं। अन्यथा मुझे निर्देश देने पड़ेंगे सत्ता पक्ष को कि आपके खिलाफ प्रस्ताव लाए। इसलिए सीधे -सीधे माफी मांगिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यदि मेरे शब्दों से इस सदन को कष्ट हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूं।

श्री सभापति: आप विराजिए। चर्चा समाप्त।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री राजेन्द्र राठौड़।

माननीय राठौड़ साहब, मैं आसन से एक व्यवस्था और दे रहा हूं। चूंकि शब्द जो हैं, वे अंकित नहीं होंगे। यह व्यवस्था तो मैंने आसन से दे दी, लेकिन ये शब्द, चूंकि यूट्यूब चल रहा है, यूट्यूब पर लाइव हो रहे हैं, मैं निर्देश देता हूं कि यूट्यूब से, माननीय मदन दिलावर ने डोटासरा जी के प्रति जो असंसदीय शब्द कहे हैं, अमर्यादित शब्द कहे हैं, उन्हें यूट्यूब से भी हटाया जाए।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

ऊंटों के संरक्षण हेतु ऊंट शालाएं खोले जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं विधान सभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम 131 के अन्तर्गत राज्य पशु ऊंट के संरक्षण और गौशाला की तर्ज पर ऊंट शाला खोले जाने के सम्बन्ध में माननीय पशुपालन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, पशु गणना के अनुसार ऊंटों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष 1992 में 7 लाख 46 हजार, वर्ष 1997 में 6 लाख 69 हजार, वर्ष 2003 में 4 लाख 98 हजार, वर्ष 2007 में 4 लाख 22 हजार, वर्ष 2012 में 3 लाख 26 हजार और वर्ष 2017 में 2 लाख 13 हजार।

प्रदेश में 16 सितम्बर, 2014 को ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया। वर्तमान में पशु गणना 2019 के अनुसार देश के कुल ऊंटों की संख्या का लगभग 84.43 प्रतिशत ऊंट राजस्थान में है। पशु गणना अनुसार गत 30 वर्षों से ऊंटों की संख्या में नियमित तौर पर गिरावट हो रही है। ऊंटों की संख्या में गिरावट का कारण निरंतर यांत्रिक संसाधनों का विकास एवं ग्रामीण स्तर तक उच्च स्तर की परिवहन सुविधा का उपलब्ध होना है।

(श्री लालचन्द कटारिया)

राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 के तहत ऊंट के वध एवं बिना सक्षम अनुमति के राज्य से बाहर ले जाने पर प्रतिबंध है, जिससे ऊंटों की उपयोगिता निरंतर कम हो रही है। प्रदेश में ऊंटों के संरक्षण व ऊंटपालकों को ऊंटों के प्रजनन के लिए प्रोत्साहित करने, टोडियों के पालन पोषण हेतु तथा ऊंट की संख्या में वृद्धि के लिए उष्ट्र विकास योजना 2 अक्टूबर, 2016 में प्रारम्भ की गयी थी। योजनान्तर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से 4 वर्ष की अवधि के लिए वित्त पोषित 3 किश्तों में राशि दस हजार ऊंट के वत्स उत्पादन पर ऊंट पालक को दिये जाने का प्रावधान था। इस योजना में 31 मार्च, 2019 तक उत्पन्न टोडियों का पंजीकरण किया गया। जैसलमेर जिले में ऊंटनी के टोडियों के जन्म पर देय राशि के प्रकरण में पायी गयी अनियमितता के क्रम में की गयी जांच में दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इस योजना को पुन: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में संचालित किये जाने के लिए 3 वर्ष की 23 करोड़ 65 लाख की योजना तैयार कर भारत सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित की गयी है। भारत सरकार से अनुमोदन पश्चात् राशि प्राप्त होते ही राज्य सरकार की समानुपातिक हिस्सा राशि सहित उष्ट्र विकास योजना को संचालित किया जा सकेगा। वर्तमान सरकार के जन-घोषणा पत्र में ऊंटों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु विशेष नीति बनाने का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

ऊंटों की तस्करी रोकने के लिए राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 अन्तर्गत गृह विभाग से कार्यवाही की जाती है। गृह विभाग के स्तर से अब तक जिला श्रीगंगानगर के थाना राजेसर में 14 तथा हनुमानगढ़ के थाना भादरा, पल्लू व गोगामेड़ी में 117 ऊंटों की तस्करी में बरामदगी दर्ज हुई है, जिसमें इन जिलों में 21 व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर कानूनन कार्यवाही की जा रही है। राजस्थान ऊंट अधिनियम, 2015 में आवश्यक संशोधन के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है, जिसकी अनुशंसा अनुरूप अधिनियम में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उरमूल दुग्ध संघ, बीकानेर; दुग्ध संघ, बाड़मेर व उरमूल दुग्ध संघ, जोधपुर आदि के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत ऊंट बहुल क्षेत्र में ऊंटनी के दुग्ध की अल्प मात्रा में उपलब्धता, ऊंटनी के दुग्ध के संकलन हेतु अत्यधिक दूरी से परिवहन लागत का अधिक होने, इस दूध की सेल्फ

(श्री लालचन्द कटारिया)

लाइफ कम होने एवं दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापना हेतु प्रस्तावित विनियोजित की जाने वाली भारी-भरकम राशि के प्रतिफल स्वरूप सम्भावित लाभकारी दुग्ध व्यवसाय के दृष्टिगत राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड से सम्बद्ध जिला दुग्ध संघों से ऊंटनी के दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादन हेतु पृथक से संयंत्र स्थापना संस्था हित में व्यावहारिक व उचित नहीं है। वर्तमान में बीकानेर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का राष्ट्रीय स्तर का अति सुविधा युक्त संस्थान तथा राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर द्वारा अपने पार्लर के माध्यम से ही ऊंटनी के दुग्ध का संकलन कर बिक्री का कार्य किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा कि पूरे देश में रेगिस्तान के जहाज के नाम से प्रसिद्ध ऊंट के संरक्षण के लिए आपने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लिस्टेड किया।

मंत्री महोदय, आपने सही कहा कि लगातार ऊंटों की संख्या में ह्रास होता जा रहा है। वर्ष 2014 से 2019 के बीच में आपके आंकड़ों के अनुसार 34.59 परसेंट ऊंटों की संख्या कम हो गयी। आपने यह भी सही कहा कि देश के अन्दर 84 परसेंट से ज्यादा ऊंट सिर्फ राजस्थान में हैं। मैंने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इसलिए लगाया कि जिस जन-घोषणा पत्र को आपने पहली काबीना की बैठक में सरकारी दस्तावेज का रूप दिया था, उसमें आपने ऊंटों के संरक्षण के लिए नीति बनाने की घोषणा की थी। जब सरकार की अधिकांश, आधे से ज्यादा उम्र बीत गयी तो मैंने सोचा कि मैं इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करूं। यह सही है कि ऊंट को राज्य पशु का दर्जा है। इसके कल्याण के लिए, संरक्षण के लिए 2015 में नियम भी बने, परन्तु आपने उत्तर में एक बात कही कि राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 में सक्षम अनुमति के बिना राज्य से बाहर ऊंट ले जाने पर प्रतिबंध होने के कारण से ऊंटों की संख्या में निरंतर कमी है। यानी अगर यह प्रतिबंध नहीं होता, इनके वध के लिए शायद ऊंटों की संख्या और कम हो जाती। मैं समझता हूं कि यह चिंता का विषय है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आजकल ऊंटों की तस्करी का एक ट्रांजिट रूट बन गया चूरू से हरियाणा, हरियाणा से उत्तर प्रदेश और बांग्लादेश। आपने जो वर्णन किया कि ऊंटों की तस्करी में कुछ कार्यवाही आपने की। आज जब ऊंट की तस्करी पर पुलिस कार्यवाही करती है, ऊंट को जब पकड़ा जाता है, अधिकांश जगह पर पुलिस थाने वाले

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ऊंट को पकड़ते ही नहीं हैं, क्योंकि उसको रखे कौन? चराए कौन? जप्ती उसकी दिखाए तो रख-रखाव कौन करे? मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि 21वीं सदी के अंत में वह समय आ जाएगा जब ऊंट को हम बच्चों को जंतुशाला में, जू में दिखाएंगे।

निश्चित तौर पर जब, आपने कहा कि ऊंटनी का बच्चा पैदा होता है, सरकार की योजना थी दस हजार रुपये तक तीन किश्तों में पैसा देने के लिए। अब आपने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में इसके लिए 23 करोड़ का भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है। मैं समझता हूं कि कृषि विकास योजना के जो टर्म्स एंड रेफरेंस हैं, इसमें भारत सरकार आपको अनुमति देगी नहीं। पहले जो जैसलमेर में हुआ है उसकी जांच करके कार्यवाही कर रहे हैं, ठीक है। परन्तु यह प्रस्ताव, अगर भारत सरकार अनुमति नहीं देगी तो आप कम से कम करें और मूल रूप से मैं कह रहा हूं, आज ऊंट पालक ऊंटों को बेसहारा छोड़ रहा है। आप गोशाला की तर्ज पर जब तक ऊंटशाला नहीं चलाओगे, तब तक काम नहीं चलेगा।

आपने कहा कि बीकानेर के अन्दर आपका पार्लर है राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र। इसके अन्तर्गत ऊंटनी के दूध को विक्रय किया जाता है। मैं समझता हूं कि आपके सामने 2018-19 की बजटीय घोषणा, जिसमें 5 करोड़ की लागत से ऊंटनी के दूध का प्रसंस्करण प्लांट लगाने की थी। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि ऊंटनी के दूध का कितना महत्व है। मैं समझता हूं कि चाहे डायबिटीज हो, हेपेटाइटिस हो, चाहे दूसरे रोग हों, कई तरह के रोग आज ऊंटनी के दूध से सही हो सकते हैं। यह अनुसंधान ने कहा।

गुजरात के अन्दर आपकी 20वीं जनगणना थी, जिसमें हमारे राजस्थान में ऊंटों की संख्या, सभापति महोदय, आप मुलाहिजा फरमाएं, 2007 में 04 लाख 22 हजार ऊंट। 2019 में जो 20वीं गणना हुई, उसमें 02 लाख 13 हजार रह गए। गुजरात के अन्दर सिर्फ 28 हजार ऊंट हैं, ऊंट-ऊंटनियां हैं। ऊंटनी के दूध के लिए वहां एक मिनी प्लांट लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि आपको इसके बारे में सोचना चाहिए।

मैं एक निवेदन करूं कि ऊंट को बीड और चरागाह में प्रतिबंधित कर रखा है। इसके बारे में भी आप विचार करें। ऊंटपालक कहते हैं कि ऊंट को राज्य से बाहर ले जाने की अनुमति हो जाए, ऊंटनी को नहीं हो। इस पर भी आप विचार करें। उष्ट्र प्रजनन प्रोत्साहन योजना को आपने बंद किया है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आप इस पर विचारकरेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपको मालूम है, जो ज़िले हैं, जिसमें आपका जिला जयपुर भी है, बाड़मेर है, हनुमानगढ़ है, झुन्झुनूं, सीकर, टोंक, अलवर, ऊंटों की संख्या में कमी आयी है, 50 परसेंट से ज्यादा संख्या कम हो गयी। इन सारी चीजों को लेकर, आप नीति बनाने की बात कर रहे हो, कैबिनेट सब-कमेटी बनाने की बात कर रहे हो। यह विषय कोई राजनीतिक विषय नहीं है। मैं आपको आरोपित नहीं कर रहा। ऊंटों की संख्या में लगातार ह्रास होता जा रहा है। हम जब सत्ता में थे, तब भी ऊंटों की संख्या में गिरावट आयी। मंत्री महोदय, आप किसान के बेटे हैं। यह रेगिस्तान का जहाज, जू के अन्दर देखने को मिले, इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा नहीं हों।

सभापति महोदय, मैं मेरे गांव जाया करता था। मेरा गांव सड़क से तीन किलोमीटर दूर है। ऊंट या ऊंट गाड़ी पर चढ़कर जाया करते थे। आज ऊंट गाड़ियां नहीं बचीं, न ही ऊंट बचा। ऊंट गाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। ऊंट लुप्त हो रहा है, यह सबसे बड़ी विडम्बना है। इसके बारे में आप कोई कारगर बात कहें। आपने वक्तव्य पढ़ा, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप इसमें केन्द्र सरकार को कहकर, एक योजना जो पहले चल रही थी, ऊंटनी के बच्चे होने पर उसको प्रोत्साहित करने की, वह आपने बंद कर दी। ऊंट के संरक्षण नीति की जो बात कही, आज वह काग़ज़ों में डोल रही है, इस पर आप निश्चित तौर पर विचार करें।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, उप नेता, प्रतिपक्ष ने जो बातें कही हैं, यह बात सही है कि जब से कानून बना है, ऊंटों की संख्या घटी है। यह बात भी सही है कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं हैं, ऊंटपालकों व किसान से जुड़ा मुद्दा है, उसमें सदन के सभी सदस्य सहमत भी हैं।

ऊंटपालकों के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि यहां जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, बहुत सारे माननीय सदस्य इस बात को उठाते आ रहे हैं, जब से सरकार आयी है। अमीन खां जी, सुभाष पूनिया जी, राठौड़ साहब, किसनाराम जी, हमीर सिंह जी ने मेरे से कई बार चर्चा की है।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि एक एनजी.ओ. है, जो लगातार 30 साल से ऊंट संरक्षण का कार्य कर रहा है। इस एन.जी.ओ. के कर्ता-धर्ता हनुमान सिंह जी राठौड़ हैं। यह लोकहित पशुपालक संस्था के नाम से एक संस्था चलाते हैं। एक जर्मन महिला डा. एलस कार्लर भी इसमें 30 साल से जुड़ी हुई है।

(श्री लालचन्द कटारिया)

लगातार संस्थान ऊंटों के संरक्षण के लिए काम कर रहा है। ऊंटनी का दूध, घी, चीज, ऐसे प्रोडक्ट बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये लोग मेरे से भी मिले थे। एक दिन सतीश पूनियां जी भी मिले थे। राजस्थान का पूरा डेलीगेशन आया था, करीब 60-70 लोग थे। हर ज़िले से इकट्ठे करके, बस के थ्रू, जयपुर आकर अलग-अलग जगह मिलने का काम किया, सभी राजनेताओं से। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि 2015 में जो कानून बना, उसमें संशोधन करने की बात है, उसमें संशोधन होने के बाद, जितने प्रकार के व्यवधान पैदा हो रहे हैं, मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले सत्र में, आंशिक रूप से हम उसमें संशोधन लेकर आएंगे।

बार-बार बाहर ले जाना, तीन-चार दिन पहले सीकर में बहुत बड़ी घटना हुई है, जिसमें 16 ऊंट पकड़े गये हैं। तस्करी के रूप में लगातार ये घटनाएं होती जा रही हैं। कानून की अपनी बाध्यता है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले सत्र में, हमने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, हम उसको पेश करेंगे। ऊंट को बचाने का काम सरकार करेगी। लोगों की भावनाएं भी हैं। गांवों में कई लोग मिलते हैं।

यह बात सही है कि आज से पहले, आधुनिक संसाधनों से पहले तो ऊंट ही एकमात्र गांव का मालवाहक था, जिससे लोग आने-जाने का काम करते थे, खेती-बाड़ी का काम करते थे। किसान अपनी खेती, व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए इसका यूज़ करता था। लगातार संख्या घट रही है, न पर्यटन की दृष्टि से बाहर ले जा सकते हैं। आज ट्यूरिज्म का भी अपना रोल है। राठौड़ साहब कह रहे हैं, यह बात सही है, कि यदि हमने इनके संरक्षण की बात नहीं की तो आने वाले समय में यह म्यूजियम में मिलेगा।

इन्होंने एक बात और कही, जो मेरे भी मन में थी, ऊंटशाला। जैसे अपने गोशाला है, आने वाले समय में ऊंटशाला भी हो। मेरे मन में भी यह विचार तो है। भाया साहब यहां बैठे हैं, डेयरी मंत्री है। हम इसका एक माडल, सभी लोगों से मिलकर इसके बारे में चर्चा करेगे, आने वाले समय में इसके बारे में भी सोचा जा सकता है कि राजस्थान का बहुत बड़ा भूभाग है इसमें यदि ऐसा किया जा सकता है, तो निश्चित तौर पर हम इसका प्रयास करेंगे, मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने ऊंटशाला खोलने की बात को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया, मैं आपका अभिनंदन करता हूं।

श्री अमीन खां (शिव): सभापति महोदय।

श्री सभापति: आप विराजिए। मैं बुलाता हूं आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आप स्वयं शेखावाटी से आते हैं। ऊंटों की तस्करी होती है, यह आंकड़ों से सिद्ध हो गया। पुलिस जब ऊंट बरामद करती है, उसके बाद पुलिस थाने में ऊंट की जो हालत बनती है, न उसको चारा, न पानी और ऊंट पूरा चारा खाता है। इसलिए आप विभाग की तरफ से, जो बरामद किये हुए ऊंट हैं, उनके रख-रखाव की एक निश्चित राशि पुलिस को देने की बात करें या कोई निर्देश दें कि पुलिस अपने कौनसे फण्ड में उन जब्त किये गये ऊंटों, क्योंकि सुपुर्दगी पर तो लेकर नहीं जाता। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में एक जगह ऊंट जब्त हुए, उन्हें सुपुर्दगी पर कोई लेने को तैयार नहीं, कौन पानी पिलाए, कौन चारा खिलाए। इसलिए इसका कोई मैकेनिज्म करोगे, तभी होगा।

सभापति महोदय, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ऊंटों की तस्करी हो रही है। पुलिस इसलिए नहीं पकड़ती, क्योंकि वह पहले से ही सोचती है कि इसको पकड़ लिया तो इसका खान-पान कौन करेगा। इसके बारे में भी आप विचार करिए। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय अमीन खां जी।

श्री अमीन खां (शिव): सभापति महोदय, मैं राठौड़ साहब से निवेदन के साथ यह पूछना चाहता हूं कि यह नौबत आयी क्यों और आपने यह कानून बनाया ही क्यों? आप अभी सुझाव दे रहे हो ऊंटों को बाड़े में गोशाला की तरह बंद करो। ऊंट व बकरी एक ऐसा जानवर है, जो भयंकर अकाल में भी मारवाड़ में नहीं मरता बगैर सहायता के। ऊंट केर खाता है, खेजड़ी खाता है, जाल खाता है, घास खाता है और अन्य चारा भी खाता है। ऊंट गरीब इंसानों के रोजगार का जबरदस्त साधन है। आज कानून बनाकर आप पुलिस को, पुलिस का क्या गुनाह है, आपने जेल में ऊंटपालकों को डालने का कानून बना दिया।

मंत्री महोदय, मैंने गत साल भी सवाल किया था। जिन लोगों को जिस चीज की क़दर नहीं है, उनको पूछने की जरूरत नहीं है। ऊंट पालक ही बचा सकता है और उससे इनके रोजगार में भी मदद मिलती है। गांवों में यह एक अच्छा जानवर है। इसको राज्य पशुपालक का दर्जा देने के बाद में यह मुसीबत आयी है, इसकी आप माफी मांग लो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने क्या समझा, मैं ऊंटपालक नहीं हो सकता क्या? मैं गधापालक हो सकता हूं, मैं ऊंटपालक हो सकता हूं। क्या बात करते हैं?

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। (व्यवधान) विराजिये, प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप तो सूअर पालक भी हो सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सूअर पालन आपके लिए छोड़ा है। देखो, कुछ जंतु ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये, आप लोग।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं, सभापति महोदय, कुछ जंतु मुझे पालने हैं, कुछ जंतु संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप भी तो जिम्मेदारी लें पालने के लिये। (व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)**:** सभापति महोदय, कुत्ता पालक के रूप में तो आपकी पहले से ही चर्चा रही है लेकिन आज आपने अपनी नई परिभाषा गधा पालक की दी है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, गधा पालक भी कोई कम मत आंको। गधा पालक कोई कम चीज नहीं है आज के युग में।

ऊंट के बारे में मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के अन्दर कौन-कौन सी नस्ल के ऊंट हैं, कौन-कौन से ऊंट की नस्ल कामयाब है और राजस्थान के लोगों के हित में है। कोई सवारी करने वाला है, कोई वज़न ढोने वाला है तो कोई हल जोतने वाला है। अलग-अलग ...(व्यवधान) रेल चलाने की बात नहीं है। यह बहुत गम्भीर विषय है। राजस्थान की जीविका पूर्व में भेड़, बकरी और ऊंटों पर ही, सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कोई सुझाव हो तो आप दीजिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मैं सुझाव यह दे रहा हूं कि एक तो जो अच्छी नस्ल हैं, उनका संरक्षण करें। ऊंटों की यह जो तस्करी हो रही है, इसको रोकें। सभापति महोदय, प्रश्न तो बहुत हैं।

श्री सभापति: बहुत टाइम पड़ा है, बाद में बताएंगे फिर, विराजिये, विराजिये, आप।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): प्रश्न यह है कि ऊंट जो, सांड जो है एक तो उसका खर्चा बहुत है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, निवेदन है ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): उसके बच्चा पैदा करने में जो खर्चा होता है, वह सरकार वहन करे तो लोग ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। यह कोई आम चर्चा नहीं है। (व्यवधान) विराजिये।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। श्री शान्ती कुमार धारीवाल। (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री शान्ती कुमार धारीवाल, अधिसूचनाएं। (व्यवधान) विराजिये, विराजिये। अंकित नहीं होगा। विराजिये। (व्यवधान) कुछ गम्भीर हो जाइये पहले।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की दस, गृह विभाग की दो और पंचायती राज की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं:

वित्त विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ.2(97)वित्त/कर/2010-41 दिनांक 13.07.2021 जिसके द्वारा विनिर्माण सेक्टर के सूक्ष्म या लघु उद्यमों के पुनरुज्जीवन के प्रयोजन के लिए उनकी स्थावर सम्पत्ति के अंतरण की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गयी है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.2(97)वित्त/कर/2010-42 दिनांक 13.07.2021 जिसके द्वारा विनिर्माण सेक्टर के सूक्ष्म या लघु उद्यमों के पुनरूज्जीवन के प्रयोजन के लिए उनकी स्थावर सम्पत्ति के अंतरण की लिखत पर प्रभार्य पंजीयन शुल्क में छूट प्रदान की गयी है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.2(2)वित्त/कर/2021-43 दिनांक 19.07.2021 जिसके द्वारा सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन स्कीम, 2021 के तहत पात्र अलाभकारी संस्था के पक्ष में निष्पादित स्थावर सम्पत्ति के विक्रय, पट्टा या दान की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गयी है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

4. अधिसूचना संख्या: एफ.2(2)वित्त/कर/2021-44 दिनांक 19.07.2021 जिसके द्वारा सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन स्कीम, 2021 के तहत पात्र अलाभकारी संस्था के पक्ष में निष्पादित स्थावर सम्पत्ति के विक्रय, पट्टा या दान की लिखत पर प्रभार्य पंजीयन शुल्क में छूट प्रदान की गयी है;

5. अधिसूचना संख्या: एफ.12(140)वित्त/कर/2010-पार्ट-45 दिनांक 20.07.2021 जिसके द्वारा मुखबिर एवं सरकारी कार्मिक प्रोत्साहन योजना जारी की गयी है;

6. अधिसूचना संख्या: एफ.12(54)वित्त/कर/2017-46 दिनांक 26.07.2021 जिसके द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर (राजस्थान) (संशोधन) नियम, 2021 विरचित किये गये हैं;

7. अधिसूचना संख्या: एफ.12(105)वित्त/कर/2014-पार्ट-II-47 दिनांक 01.09.2021 जिसके द्वारा आरआईपीएस-2014 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2016-268 दिनांक 30.03.2016 में संशोधन किया गया है;

8. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-48 दिनांक 01.09.2021 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में छठा संशोधन किया गया है;

9. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-49 दिनांक 01.09.2021 जिसके द्वारा फार्म जीएसटीआर-3बी के विलम्ब शुल्क की एमनेस्टी स्कीम की अंतिम तिथि को 31.08.2021 से बढ़ाकर 30.11.2021 किया गया है; एवं

10. अधिसूचना संख्या: एफ.12(1)वित्त/कर/2021-50 दिनांक 01.09.2021 जिसके द्वारा आरजीएसटी अधिनियम की धारा 29(2) के क्लाज (बी) या (सी) के अधीन निरस्त किये गये पंजीयन के निरसन की तिथि को दिनांक 30.09.2021 तक बढ़ाया गया है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

गृह विभाग

1. अधिसूचना संख्या: प.20(2)गृह-9/2012पार्ट2 दिनांक 10.03.2021 जिसके द्वारा 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ 104 जननी एक्सप्रेस बेस एम्बुलेंस एवं 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाओं के समस्त कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से सम्बन्धित समस्त सेवाओं को दिनांक 14.03.2021 से आगामी 06 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: प.20(1)गृह-9/2021 दिनांक 31.05.2021 जिसके द्वारा बाल संरक्षण सेवाओं के समस्त कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से सम्बन्धित समस्त सेवाओं को दिनांक 31.05.2021 से आगामी 06 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना संख्या: एफ.4(2)अमे/रूल्स/लीगल/पी.आर./2020/490 दिनांक 26.04.2021 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित कर राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) नियम, 2021 विरचित किया गया है।

श्री सभापति: श्री हरीश चौधरी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये उल्लेख के अनुसार उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित 10 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

उपनिवेशन विभाग

1. अधिसूचना संख्या: प.3(51)उप/2020 दिनांक 23.02.2021 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के अन्तर्गत राजस्थान शौर्यपदक (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम, 1966 के अधीन आबंटित करने के लिए भूमि आरक्षित की गयी है;

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

2. अधिसूचना संख्या:प.3(8)उप/2018 दिनांक 25.02.2021 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (सशस्त्र बलों एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के विकलांग कर्मियों और सशस्त्र बलों एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के मृतक कर्मियों के आश्रितों को भूमि का आबंटन) नियम, 2021 विरचित किये गये हैं;

3. अधिसूचना संख्या: प.3(16)उप/2020 दिनांक 04.03.2021 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (पोंग बांध के विस्थापितों को इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेश में सरकारी भूमि का आबंटन) नियम, 1972 के अन्तर्गत पोंग बांध के विस्थापितों को भूमि आबंटित करने हेतु आरक्षित की गयी है;

4. अधिसूचना संख्या: प.3(23)उप/2020 दिनांक 22.03.2021 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें 1955 के अन्तर्गत उपनिवेशन क्षेत्र के समस्त श्रेणी के काश्तकारों को कृषि भूमि की आबंटन की 30.06.2021 तक की शेष रही बकाया किश्तें 01.04.2021 से 30.06.2021 की अवधि में एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है;

5. अधिसूचना संख्या: प.3(23)उप/2020 दिनांक 31.03.2021 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें 1955 के अन्तर्गत उपनिवेशन क्षेत्र के समस्त श्रेणी के काश्तकारों को कृषि भूमि की कीमत की शेष रही समस्त बकाया किश्तें 01.04.2021 से 30.06.2021 की अवधि में एकमुश्त जमा कराने पर बकाया रही कीमत पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है;

6. अधिसूचना संख्या: प.3(23)उप/2020 दिनांक 31.03.2021 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 में संशोधन किया गया है;

7. अधिसूचना संख्या: प.3(61)उप/2019 दिनांक 07.04.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.3(61)उप/2019 दिनांक 23.12.2019 में सामान्य पुनरीक्षण हेतु अधिसूचित तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर के इन्दिरा नहर परियोजना क्षेत्र के कतिपय ग्रामों के लिए अतिरिक्त भू-अभिलेख अधिकारी तथा सहायक भू-अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति की गयी है;

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

8. अधिसूचना संख्या: प.04(01)उप/2010 दिनांक 19.08.2021 जिसके द्वारा उपनिवेशन तहसीलों में पदस्थापित नायब तहसीलदारों को 'प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021' की अवधि के दौरान उपनिवेशन तहसीलदार की शक्तियां प्रदान की गयी हैं;

9. अधिसूचना संख्या: प.04(01)उप/2010 दिनांक 19.08.2021 जिसके द्वारा 'प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021' हेतु जिलों में कार्यरत भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा शिविर प्रभारी अधिकारी का कार्य किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है; एवं

10. अधिसूचना संख्या:प.04(01)उप/2010 दिनांक 19.08.2021 जिसके द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग एवं भाखड़ा नहर परियोजना क्षेत्र में उदभूत होने वाले मामलों के सम्बन्ध में कलेक्टर एवं भू-अभिलेख अधिकारी की शक्तियों का उनके निर्धारित कार्य क्षेत्र में प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है।

श्री सभापति: श्री सुखराम विश्नोई।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

1. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-39(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20; एवं

राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

2. राजस्थान राज्य जैव विविधता अधिनियम, 2010 की धारा-21(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20.

श्री सभापति: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। श्री हरीश चौधरी।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

विधेयक पर विचार

राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, सदन के अन्दर राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर चर्चा हो रही है।

मंत्री महोदय, आप मूल रूप से संशोधन लेकर आये हैं 1975 के राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) अधिनियम पर। इस संशोधन के माध्यम से, सभापति महोदय, जो सेक्शन 6(2) था, उसको आप नये सिरे से प्रतिस्थापित करने का काम कर रहे हैं। इस 1975 के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मूल अधिनियम में सेक्शन 6(2) के अन्दर कोई यात्री अगर बिना टिकट यात्रा करता है, या टिकट दिखाने में आनाकानी करता है, या पीछे की तारीख की टिकट पर यात्रा करता है तो आपके जो RSRTS का एक्ट बना हुआ है 1975 का उसके अन्दर, मंत्री महोदय, 250 रुपये जुर्माना या एक महीने की सज़ा का प्रावधान पूर्व में था। इसके अतिरिक्त एडिशनल रूप से चार्ज के रूप में 5 रुपये या एक तरफ का किराया लेने का अतिरिक्त प्रावधान, पहले आपने अतिरिक्त जुर्माना लेने का प्रावधान भी कर रखा था, अब इस 5 रुपये को बढ़ाकर सीधा 2000 रुपये और एक तरफ के किराये का दस गुना, इस तरह का प्रस्ताव आप लेकर आये हैं।

सभापति महोदय, यह जो RSRTS एक्ट, 1975 है, इसके सेक्शन 6 (1)(A) के अन्दर जो बिना टिकट यात्रा करता है, बिना पास यात्रा करता है उसको धारा 4 का अपराध माना है। सेक्शन 6 (1)(B) में जो वर्णित टिकट को दिखाने पर नहीं देता, पास दिखाने पर नहीं देता तो सेक्शन 5 के अन्दर आपने अपराध माना है। इसी तरह सेक्शन 6(1)(C) के अन्दर 1975 के एक्ट में आपके सेक्शन 8 के A, B, C, E, F, G के अन्दर अवैध टिकट से जो यात्रा करता है, उसको आपने अपराध माना है। इन सबको ढाई सौ रुपया या एक माह की सज़ा का प्रावधान और एडिशनल चार्ज के रूप में एक तरफ का भाड़ा या 5 रुपये, जो अधिक हो, उसको वसूलने का पहले का इसमें प्रावधान था। निश्चित तौर पर 45 वर्ष गुजर जाने के बाद आप यह प्रस्ताव लेकर आये हैं।

सभापति महोदय, यह लोकतंत्र की ताकत है। मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, मैं आपको तब से जानता हूं, जब युवा धर्म रक्षा समिति के आप अध्यक्ष हुआ करते थे। इस कानून का जितना उल्लंघन आपने किया और मैं समझता हूं कि आपके पड़ोस में बैठे मेरे मित्र ने किया, मुझे वह मंजर याद आता है कि पूरी की पूरी सी.टी. बस, रोडवेज को, बस को आप एक तरह से उसका अधिग्रहण करके जबरन आप जहां चाहे वहां ले जाते थे। आप अंदाजा लगाओ, मैं यह बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि यह सदन है।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नेतृत्व आपका होता था। नेतृत्व आपका होता था कि नहीं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मेरे बारे में आपसे बेहतर कौन जाने।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): मैंने खुद ने आपको छत पर बैठे हुए देखा है। पूरी बस पर कब्जा करके, हम तो बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, छत पर बैठकर जबरन बसों को ले जाते हुए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आप अंदाजा लगाएं।

श्री सभापति: बात बहुत दूर तक जाएगी, एक-दूसरे का यूं करेंगे तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अगर उस समय यह प्रावधान होता तो कैसा होता। मैं यह इसलिए कह रहा हूं, मंत्री महोदय, मूल रूप से इसमें जो जुर्माना है...(व्यवधान)

श्री सभापति: कहीं, ऐसी व्यवस्था तो नहीं है कि उस वक्त के जो अपराध किये हुए थे, उनकी सज़ा अब भुगतवाओ आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, कैसा बिल लेकर आये हैं, मंत्री महोदय, अपने जवानी और बचपन में किये गये कृत्य को याद करते हुए, मैं समझता हूं, थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना चाहिए था।

जो 6(2) के अन्दर मूल रूप से जुर्माना है, मंत्री महोदय, वह ढाई सौ रुपये है। यह एडिशनल चार्ज का जो प्रस्ताव आप सदन में लेकर आये हैं, वह आप मूल जो ढाई सौ रुपये है, उससे नौ गुना आगे बढ़ाकर आप इसको 2000 कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपने लॉ आफ नैचुरल जस्टिस देखा होगा। लॉ आफ नैचुरल जस्टिस में, सभापति महोदय, साफ लिखा है, मूल सज़ा से अतिरिक्त कोई सज़ा हो तो मूल सज़ा से ज्यादा नहीं हो सकती। यह मैं नहीं कह रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट का एक केस, जो इसके बारे में था, उसे आपको दिखाना चाहता हूं। शहजाद खान, महबूब खान, यह 2012 का केस है। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था कि किसी भी प्रकरण के अन्दर मूल रूप से जो जुर्माना प्रावधित किया गया है, उससे अधिक आप एडिशनल जुर्माना नहीं ले सकते। मूल रूप से, मैं समझता हूं कि न जाने क्यों, जब मेरी निगाह आफिसर्स गैलेरी की तरफ जाती है तो मैं आपको आजकल असहाय महसूस करता हूं। आपको अधिकारियों ने यह बताया नहीं था।

मैं समझता हूं कि इसके बारे में आप याद करें। मंत्री महोदय, मैं आपको एक बात इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली बात को कहकर भूल जाना, यह आपकी पुरानी आदत है। याद करिये आप, जब इस देश के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अन्दर नितिन गडकरीजी परिवहन मंत्री थे, मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के नियमों में जुर्माने को प्रावधानों को एक साथ बढ़ाया गया था। इसके पीछे बात क्या थी? उन्होंने यह कहा था कि पूरे देश में 4 लाख 37 हजार दुर्घटनाएं हर वर्ष होती हैं और राजस्थान के अन्दर भी, 2020 के अन्दर 23,480 सड़क दुर्घटनाएं हुईं। यातायात नियमों का पालन लोग करें, इसलिए उस वक्त जो जुर्माना बढ़ाया गया, इसी तरह का प्रावधान था, जिस तरह आज आप मूल रूप से एडिशनल चार्ज के नाम पर राजस्थान के उन लोगों पर, वे आप जैसे मजबूत नहीं हैं। आप मजबूत नहीं थे। आपकी दबंगई थी, आप प्रभावशील थे, आप किसी भी सिटी बस को किधर मोड़ सकते थे, पर वह गरीब आदमी, माननीय सभापति महोदय, कोरोना की इस वैश्विक महामारी ने जिस प्रकार का पलायन मजदूरों का किया, हमारे सामने वह मंजर दिखा, वह गरीब आदमी अगर बस में बैठता है तो एडिशनल चार्ज के नाम पर दो हजार रुपये का जुर्माना, मैं समझता हूं कि इसके बारे में सोचना चाहिए और फिर मंत्री महोदय, आपने क्या किया?

अब आपने एक पत्र लिखा गडकरीजी को और लिखा कि मोटर व्हीकल एक्ट के अन्दर जो जुर्माने का प्रावधान किया है और आपने उस वक्त, इस बार जो आर्थिक मंदी ... (व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं माफी चाहता हूं, लेकिन वह रूट नम्बर ध्यान होगा आपको, जिसके आप अध्यक्ष थे और जो जज़िया कर आपने लगा रखा था ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप लोग पुराने परिचित हो आपस में रोडवेज के। (व्यवधान)

श्री सभापतिः नेता, प्रतिपक्ष, मुझे तो यूं लग रहा है कि आज शायद आसन की जरूरत नहीं है। इन तीनों को कोई फ्री जगह पर भेज देता हूं। आप विधेयक लेकर आ जाना, हमें तो पास ही करना है। तीनों मिलकर यह विधेयक ले आओ, हमें तो पास करना है तो हम सब तो हां-हां कर देंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, यह कहते हैं कि आदमी के साथ आदमी का इतिहास और विशेष तौर पर, वह कोई चुनाव लड़ता है, कहते हैं कि इसके बारे में, आपके खानदान के बारे कोई नहीं जानता, तो कहते हैं कि एक बार सरपंच का पर्चा भरवा दो, पूरे खानदान का चिट्ठा आ जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): तीनों की बातों पर ही यह पूरा हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं यह समझता हूं कि मेरा जिस प्रकार का निरीहपन का, सीधेपन का और यह इतिहास के पन्नों में है...

मंत्री महोदय, मैं यह कह रहा था कि आपने जो पत्र लिखा गडकरीजी को, आपने उसमें यह लिखा कि आर्थिक मंदी का दौर है, बेरोजगारी का दौर है और दोपहिया वाहन का उपयोग आम आदमी करता है। मैं समझता हूं कि आपने जो बयान दिया, अब आप उसी बयान के आधार पर अगर खड़े रहते, रघुकुल रीति पर, तो आप इतने बड़े जुर्माने का यह प्रावधान करके लेकर नहीं आते।

मैं यह निवेदन करूं, वैसे मैं यह समझता हूं कि आप बयानवीर हैं, वीर हैं, पर वीर के हाथ में तलवार कई बार किस पाले में, कई बार किस पाले में, यह अलग कहानी है। पर आप मुझे यह बताओ कि आज राजस्थान रोडवेज की हालत के बारे में, मैं आपके ही दिये गये प्रश्न के उत्तर को देख रहा था। आपने क्या बात कही थी? यहीं पर आप विराजे हुए थे, खड़े हुए थे। पूर्ववर्ती सरकार ने रिम बेच दी, पूर्ववर्ती सरकार ने रोडवेज में घोटाला कर लिया, पूर्ववर्ती सरकार सिंधी-कैम्प बस स्टेंड को बेचने की योजना कर रही थी। मैं अब आया हूं तो मैं घाटे से इस रोडवेज को उबारूंगा, मैं रोडवेज के अन्दर दो हजार बसों का नया बेड़ा लगाऊंगा। आज आप कह रहे हो कि अगस्त, 2016 से दिसम्बर, 2020 के पांच हजार कर्मचारी, जो रिटायर हो गये, उनके 408 करोड़ रुपये बाकी हैं। मैं यह समझता हूं कि आपने 1964 से जो अस्तित्व में आया है आर.एस.आर.टी.सी., उसको विभाग में बदलने के लिए एक पत्र लिखा। आपके पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हो और फिर आप इस पद पर बैठे रहो, मैं यह समझता हूं कि आपमें वह जोश, जो कभी आपने हमारे से संस्कारों के रूप में लिया था, सत्यनिष्ठा, वह बात कहां चली गयी? सोचो आप।

अब आप उसको विभाग में बदलने की जो बात कह रहे थे, आप यह कह रहे थे कि पिछली सरकार की जिम्मेदारी है, वह घाटे पर लायी। 2018 में 3,580 करोड़ रुपये का घाटा था, आज मंत्री महोदय, 4,890 करोड़ रुपये हो गया और वह 50 इलेक्ट्रिक बसें, उनका क्या हुआ?

आपने यह कहा था कि मैं कहता हूं कि उसकी कहानी आपकी जुबान से सुनाएं तो ठीक होगा। आपने यहां तक कहा था कि केन्द्र का पैसा, अफसर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अड़ंगा लगा रहे हैं। क्या हुआ उन बसों का? पर मैं यह समझता हूं कि निश्चित तौर पर जिस प्रकार के हालात बने हैं और, मंत्री महोदय, अवैध बसों के संचालन के बारे में मैं कोई टीका-टिप्पणी करूं, उससे पहले मैं सिर्फ इतनी ही बात कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि यह जयपुर के अन्दर जे.सी.टी.एस.एल. की बसें चलती हैं। उनका विशेष अधिकारी यह पत्र लिखे, राजस्थान की राजधानी में जहां पर मंत्री महोदय जैसा दबंग मंत्री विराजता हो कि अवैध बसों के संचालन से हमारी बसों को घाटा हो रहा है। यह वह ही है, वीरेन्द्र वर्मा। आपने झंडी दिखाई थी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): मेरे अंडर में नहीं है वह।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैंने दिखाई थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हां, झंडी दिखाई और झंडी दिखाते ही दूसरे दिन थोड़ी देर में ए.सी.बी. ने उसको झंडी दिखा दी। मैं यह समझता हूं कि निश्चित तौर पर इसके बारे में आप सोचें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैंने झंडी दिखाई, वह झंडी ए.सी.बी. ने भी देख ली।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो आप बिल लेकर आये हो, यह साधारण बिल नहीं है। आप इस बिल में बिल के जरिए जर्जर हुई वह राजस्थान की पथ परिवहन निगम, जिसके अन्दर प्रतिदिन 75 लाख रुपये का घाटा है, आप इससे उबर नहीं पा रहे। मंत्री महोदय, आपको सदन में यह घोषणा करनी चाहिए, यह आप कई बार है न, निन्दक नियरे राखिए, कुछ लोगों को पास में रखा करो, ऐसे लोगों को नहीं, जो सुबह कुछ और शाम को कुछ बात करते हैं, इसलिए मैं निवेदन बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं कि आप इस बिल पर पुनर्विचार करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह कह रहा हूं कि यह कोई मजाक करने का रास्ता न निकालें। (व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने दबंगई, दबंग, सब कुछ विशेषण लगा दिये, यह तो ठीक नहीं है, यह रिकार्ड पर जा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं, माननीय सभापति महोदय, मैं और ऐसे। मेरे बारे में, मैं समझता हूं, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे यह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निवेदन है कि यह अवैध संचालन के नाम पर, यह कोड-वर्ड ले-लेकर जिस प्रकार से राजस्थान में यह संचालन हो रहा है, इसको रुकवाओ और आप यह जो बिल लेकर आये हो, इससे अच्छा रहता कि आपने पूर्व में जो घोषणाएं की थीं, रोडवेज को घाटे से उबारने की बात कही थी, कोई पैकेज आप लेकर आते तो अच्छा लगता। मैं इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए प्रस्ताव रखता हूं।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी। आप भी संस्मरण सुनाएंगे या यह बिल है, इस पर कोई बात बोलेंगे?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, हम एक ही यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, मैं थोड़ा-बहुत इन्हीं से सीख रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, मूल रूप से जो बात अभी रखी उप नेता, प्रतिपक्षजी ने कि 1975 के इस अधिनियम में, जो इसमें केवल और केवल एक पैरे का जो अधिनियम लेकर आये हैं, लेकिन यह इतना छोटा विषय नहीं है, क्योंकि इस अधिनियम में यदि हम जाते हैं तो पूरे राजस्थान की वह पांच हजार रोडवेज बसों का, हरे रंग की उन बसों का दृश्य नजर आता है, इसमें राजस्थान के 11 लाख यात्री प्रतिदिन सवारी करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान रोडवेज का यह आधा-अधूरा बिल है। कई बार आपने भी निर्देश दिये हैं और हमने भी सुना है कि जब किसी विभाग के एक्ट में संशोधन करना होता है तो वह एक-एक लाइनों पर एक्ट नहीं लाया जाता है कि कभी जुर्माना बढ़ाने के ले आये तो कभी किराये में राहत देने के लिए ले आये तो कभी किसी चीज पर ले आये। इससे सदन का भी समय बरबाद होता है और जनता की गाढ़ी कमाई खराब होती है।

माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान की रोडवेज को रिफार्म करने की बात इसी सदन में माननीय मंत्रीजी ने आते ही कही थी कि राजस्थान की रोडवेज अब चलेगी और जनता देखेगी कि किस प्रकार से रोडवेज चलाई जाती है। यह इसी सदन के उत्तरों में इन्होंने लगातार कई महीनों तक एक ही जवाब दिया था। आज मैं मंत्रीजी के सामने उसी रोडवेज का दृश्य रख रहा हूं कि आपकी रोडवेज में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर तो आप यह बिल ले आये, पर क्या सरकार इससे अपनी कार्य क्षमता सुधारने, अपनी दक्षता, अपने वर्क कल्चर, अपनी प्रतिबद्धता को लेकर कोई बिल लाती और पूरे राजस्थान

(श्री अशोक लाहोटी)

की रोडवेज को रिफार्म करती, तो इस बिल में जोड़ने की जरूरत थी इन चीजों को।

आज पांच हजार बसों में से एक हजार बसें खटारा पड़ी हैं। अजमेर यार्ड की एक बस पिछले आठ महीनों से एक रास्ते में खड़ी है और 2020 का माडल है। वह तो पुरानी भी नहीं है। उसको उठाकर लाने की भी फुर्सत नहीं मिली। लगभग एक हजार बसें इनकी खटारा पड़ी हैं। उनके बारे में कोई नीति निर्धारण नहीं हो रहा है। राजस्थान में चार हजार बसें चल रही हैं, 11 लाख यात्री प्रतिदिन सफर कर रहे हैं। पांच करोड़ रुपये का राजस्व प्रतिदिन रोडवेज विभाग अर्जित कर रहा है।

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात, जो मैं अब बता रहा हूं, इन सबके बावजूद राजस्थान की तुलना हम पड़ौसी राज्यों से यदि करें तो पड़ौसी राज्य हमारे बगल में यदि गुजरात से तुलना करें तो वहां से हमारा किराया 57 प्रतिशत ज्यादा है। 57 प्रतिशत हमारा किराया ज्यादा है, लेकिन हमारा घाटा 4,900 करोड़ रुपये है। यदि हम हरियाणा की बात करें तो उनकी बसों का संचालन, उनका यात्री भार और उनका राजस्व अर्जन हमारे बराबर है, लेकिन उनका घाटा है, वह सिर्फ 900 करोड़ रुपये ही है। मैं मंत्रीजी से यह कहूंगा कि बेस्ट प्रैक्टिस अडाप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी बताया था कि किस प्रकार से लंदन में जो oyster card चलता है, वह पूरी दुनिया देखती है उसको कि एक ही कार्ड से मेट्रो में भी सवारी होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सवारी होती है और उसी कार्ड से आप कहीं पर भी आ-जा सकते हैं, केवल एक ही कार्ड से। आज इस तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेज यदि हम अडाप्ट नहीं करेंगे, सभापति महोदय, तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, आज दुनिया में नये-नये इनोवेशन हो गये, बेस्ट प्रैक्टिसेज हो गयीं, छह वर्षों से इस विभाग में भर्ती ही नहीं हुई है। आज 5,740 पद रिक्त पड़े हैं। पहला विभाग है, सभापति महोदय, जिसमें यह कहते हुए शर्म आती है कि 2016 के बाद में मृतक कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी गयी। उनके बच्चे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। रोडवेज के मृतक कर्मचारियों की बेटियों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 473 करोड़ रुपये राज्य सरकार के बकाया पड़े हैं। मैं मंत्रीजी से कहूंगा कि हम सारी बातें कर लें, कम से कम उनकी चिंता सबसे पहले करें, जिन्होंने अपनी जिंदगी इस राजस्थान रोडवेज में दे दी। उनके बच्चों की शादी-ब्याह यदि हम नहीं करवा सकते, 473 करोड़ रुपये, जो उनके अधिकार का हम नहीं दे सकते, फिर

(श्री अशोक लाहोटी)

हम किस बात की यहां पर पैनल्टी लगाने का बिल लेकर आ रहे हैं। हमको लगता है कि सदन में मानवीय पक्ष को भी रखने की जिम्मेवारी हमारी होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो आज दुनिया में स्वच्छता के बाद सबसे ज्यादा जो फोकस है, वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर है। यदि कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है तो उस स्टेट की उन्नति भी उसी में है। वहां हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ता है और प्रदूषण नियंत्रण भी है। लेकिन आज हमारी बसों की हालत क्या है? माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक बसें, जिनमें एक करोड़ रुपये की सब्सिडी केन्द्र सरकार दे रही है, स्टेट का तो कोई ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है, फिर भी दो साल से खरीद नहीं हो रही है। खुद मंत्रीजी ने स्टेटमेंट दिया था कि अधिकारी इन बसों में चांदी कूटना चाहते हैं। परिवहन मंत्री बोले कि अफसरों की स्वार्थसिद्धि नहीं हो रही, इसलिए बसें नहीं खरीदी जा रही हैं। यह इतना बड़ा स्टेटमेंट खुद मंत्रीजी का था। मंत्रीजी स्टेटमेंट देवें या अधिकारी देवें, पिस कौन रहा है? राजस्थान की वह सात करोड़ जनता पिस रही है, जो 11 लाख जनता प्रतिदिन इन बसों में घूम रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहूंगा, एक दिन आप ही के नेतृत्व में राजस्थान के हम सारे विधायक एक-एक रूट पर इन बसों में जाकर आएं, 200-300 किलोमीटर की यात्रा करें तो जनता को वास्तव में लगेगा कि जिन बसों के भरोसे हमने जनता को छोड़ रखा है, क्या वे बसें वाकई बैठने लायक हैं, क्या वे बसें सफर करने लायक हैं? क्या हम अपने विधान सभा क्षेत्र से राजस्थान की विधान सभा तक उस बस में बैठकर आ सकते हैं? यदि हम नहीं आ सकते तो हमें अधिकार नहीं है कि राजस्थान की जनता को उन बसों में बैठने के लिए बाध्य करें, जो बस चलती कम है और खड़ी ज्यादा रहती है। उन बसों में बैठने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, मंत्री महोदय।

माननीय सभापति महोदय, आज जे.सी.टी.एस.एल. की बात करने के बिना यह बिल अधूरा हो जाएगा। हम राजधानी में रहते हैं। जे.सी.टी.एस.एल. को मैं प्रस्ताव करूंगा सदन में कि धारीवाल साहब के पास तो बहुत सारे काम हैं, उनके विभाग में बहुत ज्यादा चीजें हैं। मैंने मंत्रीजी से भी निवेदन किया था कि इस जे.सी.टी.एस.एल. को राजस्थान रोडवेज के अन्तर्गत लेना चाहिए, क्योंकि वह पूरा विभाग ही ठेके पर चल रहा है। उसमें केवल दो आर.ए.एस. अधिकारी सरकार ने लगाये हैं। इसके अलावा केवल ठेकाकर्मियों पर चल रहा

(श्री अशोक लाहोटी)

है, जिनकी 500 के लगभग बसें चल रही हैं, जो अब तक 50 करोड़ रुपये घाटे में चल रही हैं, वहां भी दो हजार ठेके के कर्मचारी हैं। उसमें कोई न कोई पालिटिकल अपाइंटमेंट करके उसका चेयरमैन बनायें। वहां उसको राजस्थान रोडवेज के अंडर में लें और सबसे पहले आज मैं इस सदन में एक प्रस्ताव रखता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि, मंत्री महोदय, राजस्थान की राजधानी जयपुर को एक बेस्ट ट्रांसपोर्ट मॉडल देने के लिए सदन में आज आप संकल्प रखें कि जयपुर शहर में प्रदूषण मुक्त करने की जो पूरे विश्व में बात चल रही है, जयपुर में केवल और केवल इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी और मैं यह प्रस्ताव भी दे रहा हूं कि आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होगा। इलेक्ट्रिक बसों में एक करोड़ रुपये केन्द्र सरकार सब्सिडी दे रही है। आपको 75 लाख रुपये एक्स्ट्रा देने हैं। वह आप वी.जी.एफ. में टेंडर करके पी.पी.पी. मॉडल पर टेंडर कर लो, आपको सारी बसें मुफ्त में मिल जाएंगी। इससे राजस्थान की जनता के लिए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन यहां पर शुरू हो जाएगा और जयपुर राजस्थान की राजधानी पहला शहर हो जाएगा, जहां पूरी की पूरी प्रदूषण मुक्त बसें चलेंगी। हम बड़े रूट पर इलेक्ट्रिक बसें चलाएं, मीडियम रूट पर सी.एन.जी. के जो हमारे आटो चल रहे हैं, उनको हम परमिशन दें। उससे छोटे रूट्स पर जो ई-रिक्शा चलते हैं, उनको हम परमिशन दें। 40 हजार ई-रिक्शा का अभी तक लाइसेंस की आड़ में अवैध रूप से संचालन हो रहा है। उनका न कभी रूट बना है, न उनकी गतिविधियां नियंत्रित हो रही हैं इसलिए, माननीय सभापति महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि इस ट्रांसपोर्ट विभाग का आधा-अधूरा जो बिल मंत्रीजी लेकर आये हैं, आज हो क्या रहा है, आपके ट्रांसपोर्ट विभाग की आडिट में यह सवाल उठा है कि राजस्थान के घाटे की चार वजहें बतायी हैं। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहली वजह जो बतायी आडिट रिपोर्ट में, वह बतायी है कि घाटे की सबसे बड़ी वजह अवैध बसों का संचालन है। उससे केवल रोडवेज को ही नुकसान नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है जी.एस.टी. का, क्योंकि उन अवैध बसों में माल की जो ढुलाई की जा रही है, उससे जी.एस.टी. की चोरियां हो रही हैं। राजस्थान में अवैध बसों का एक माफिया डवलप हो गया है। मैं मंत्रीजी से मांग करूंगा कि उस माफिया की जानकारी करके, क्योंकि आप तो इस विभाग को बहुत पहले से जानते हैं कि यह माफिया कौन है, यह गिरोह कौन है? यह आडिट रिपोर्ट में लिखा है कि दो हजार अवैध बसों का संचालन राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान के सिंधी कैम्प बस स्टैंड पर सिंधी कैम्प के बाहर

(श्री अशोक लाहोटी)

बिलकुल उसकी नाक के नीचे खड़े होकर अवैध बसों का संचालन होता है और सिंधी कैम्प के थाने में प्रतिदिन वहां पर पचासों मुकदमे दर्ज होते हैं। कितनी हत्याएं हो गयी हैं, कितने मुकदमे दर्ज हो गये हैं, केवल उस अवैध माफिया और बस संचालन के कारण कितने ही रोड एक्सीडेंट हुए हैं। इसकी जांच करवा लो, यह सारा तथ्य खुलकर पूरा सामने आ जाएगा। यह डिपार्टमेंट एक रात में घाटे से निकलकर मुनाफे में चला जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आरोप लगाता हूं और यह आडिट का पैरा भी है कि आपके हर महीने तीन करोड़ का ब्याज जाता है, 80 करोड़ आप वेतन और पेंशन पर खर्च कर रहे हैं, 46 करोड़ रुपये ब्याज, डीजल, मेंटिनेंस, टायर-ट्यूब और स्पेयर पार्ट्स की खरीद में खर्च हो रहे हैं। उसके बाद भी उस बस में बैठकर कोई सवारी नहीं कर सकता।

माननीय सभापति महोदय, तीसरा मैंने बताया कि 438 करोड़ रुपये आपके बाकी हैं, जिसका ब्याज भी आपको देना पड़ रहा है। 476 करोड़ रुपये पेंशन का आप नहीं दे पा रहे हैं। चौथा बड़ा कारण 15 हजार कर्मचारी, जो आपके यहां हैं, जो पहले 20 हजार थे, अभी 5 हजार पद खाली पड़े हैं, उनमें 2 हजार ऐसे कर्मचारी हैं, जो न बस का संचालन कर पा रहे हैं, और न राजस्थान रोडवेज के लिए फिट हैं। वे काम भी नहीं कर पा रहे हैं। आप जो एमनेस्टी स्कीम लाने वाले थे, यदि वह स्कीम भी इसी बिल के माध्यम से आ जाए तो निश्चित रूप से राजस्थान रोडवेज का घाटा आधे से कम हो जाएगा और आपके 2 हजार लोगों का वेतन बचेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि बार-बार जो मीडिया में आता है, किसी विभाग की चैक-पोस्ट बिकती हो, किसी विभाग का उड़न-दस्ता बिकता हो, किसी विभाग की आर.टी.ओ. की पोस्टिंग, लेन-देन के आधार पर होती हो, यह बात मीडिया में क्यों आती है? इसकी जांच करवाएं, मंत्री महोदय। आखिर क्या कारण है कि राजस्थान रोडवेज देश में सर्वाधिक घाटे में है। दुनिया की कोई ऐसी रोडवेज नहीं है, जिसमें इतना बड़ा यात्री भार हो, इतना राजस्व हो। इतने प्रोफिटेबल रूट्स हमारे पास हैं। नोर्थ इंडिया में कहीं ऐसे इतने बड़े प्रोफिटेबल रूट्स नहीं हैं, जो हमारे पास जयपुर-अहमदाबाद है, जयपुर-भोपाल है, जयपुर-दिल्ली है, जयपुर-आगरा है। गोल्डन ट्राइएंगल से हम कनेक्ट होते हैं। इस तरह के प्रोफिटेबल रूट्स और पर्यटन राजधानी राजस्थान, जिसके लिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा यदि कोई संकट सामने हमको दिख रहा है तो

(श्री अशोक लाहोटी)

स्वच्छता के साथ-साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट आने वाले दिनों में, यह सबसे बड़ा संकट दुनिया का हमारे सामने आ रहा है। बार-बार जब आर.टी.ओ. रजिस्ट्रेशन करता है तो यह कहता है कि पार्किंग की जगह दिखाओ। पार्किंग की फोटो के आधार पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। आज जयपुर शहर में खुद मंत्रीजी के विधान सभा क्षेत्र में आप जाकर देख लो, हमारे यहां आकर देख लो, किसी भी शहर में जाकर देख लो, सबसे ज्यादा पड़ोसियों के झगड़े बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर हैं। घर में किसी के पास गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है और सड़कों पर गाड़िया खड़ी होती हैं। उसको लेकर नित्य-प्रतिदिन झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। यह सब चीजें बिल में नहीं आएंगी तो कब आएंगी? हम आज 45 साल के बाद इस बिल पर जब चर्चा कर रहे हैं तो पूरे डिपार्टमेंट का बिल लाने के बजाय हम कह रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। केवल यात्रियों का हम जुर्माना बढ़ा देंगे, इसलिए अवैध यात्रा संचालन बंद हो जाएगा, तो जिस दिन पोस्टिंग देने में यदि ईमानदारी हो जाएगी, उस दिन अवैध यात्रा बंद हो जाएगी, यह मैं कहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं पुन: आपसे यह निवेदन करूंगा कि न केवल इस बिल में, आप प्रत्येक बिल में यह पाबंद करें कि जिस विभाग का बिल आ रहा है, उस विभाग की सम्पूर्ण योजना के साथ वह बिल आये, ताकि सदन का समय जाया नहीं हो। इस बिल को जनमत जानने के लिए भी भेजा जाए और सम्पूर्ण बिल के साथ राजस्थान विधान सभा में दुबारा आए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बिल पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021 को मंत्री महोदय लाये। अच्छा है, लाये पर इसमें काफी कमियां हैं, काफी दिक्कतें हैं। उनके बारे में मंत्री महोदय का पूरा डिपार्टमेंट भी सोचे, बात करे, चर्चा करे।

(14.00 बजे)

मंत्री महोदय, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुन्धरा जी की सरकार थी, 2018 की बात है, उस समय जब पूरे राजस्थान के कर्मचारियों ने धरना दिया, ज्ञापन दिया उस धरने के अन्दर जब कांग्रेस के अध्यक्ष पायलट साहब थे और मंत्री जी, जो अभी परिवहन मंत्री जी हैं, उस

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

समय जयपुर के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे, उस समय मंत्री जी भी गये, पायलट साहब भी गये और उनके साथ काफी बड़ी-बड़ी बातें हुईं कि आप कर्मचारियों की जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी आप लोगों की मांगें हैं, जब हम लोगों की सरकार बन जाएगी तो आपकी जितनी भी मांगें हैं, आप लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है, रोडवेज को घाटा है, उन सबकी हम पूर्ति करेंगे। उसके बाद मंत्री महोदय मंत्री भी बने, उनके बारे में उनकी सुध नहीं ली, उन कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचा कि उन कर्मचारियों के बीच में बैठकर जो वादा करके आये, उसको कौन पूरा करेगा, कौन कैसे होगा। इस बिल में उस तरह की बातें भी लाते। अगस्त, 2016 से जिन लोगों की पेंशन बाकी है, ग्रेच्युटी बाकी है, जिन लोगों की डैथ हो गयी, जिनकी बच्चे -बच्चियों की शादियां बाकी हैं, उनके लाखों रुपये रोडवेज में उलझे हुए हैं। उन लोगों ने जो वर्षों से काम किया है और उनका रिटायरमेंट भी यहीं से हुआ है, उनका जो पैसा बाकी है, उनका पैसा अपन कैसे देंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी इस बिल में आना चाहिए क्योंकि रोडवेज के पास 80 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है और आज 5 हजार करोड़ के आसपास घाटा है, इसकी कैसे पूर्ति कर सकते हैं क्योंकि सरकार ने यह घोषणा भी की थी कि इस रोडवेज को सरकारी विभाग में परिवर्तित किया जाएगा। इनकी यह घोषणा भी पूरी नहीं हुई, इसके बारे में भी चर्चा करें।

माननीय सभापति महोदय, इस रोडवेज में सुधार करने के लिए और काफी पूर्ति हो सकती है, जैसे स्टाफ की कमी है, जो रोडवेज बसें खटारा टाइप पड़ी हैं, भंगार टाइप पड़ी हैं, उनकी कैसे मरम्मत कराएं, कैसे अच्छी कराएं, उसके बारे में सोचें। जो स्टाफ की कमी है, उसके बारे में नई भर्ती लें। काफी युवा बेरोजगार हैं, उनको भी रोजगार मिल जाएगा। इसके बारे में मंत्री जी भर्ती निकालें, उनकी पूर्ति करें। जो स्टाफ की कमी है, जैसे मैं चित्तौड़गढ़ रोडवेज डिपो की कहूं, 30 ड्राइवर्स 30 कंडक्टर्स की कमी है, वहां छह इंस्पेक्टर्स की जगह एक इंस्पेक्टर काम कर रहा है। इन कर्मचारियों से, एक अकाउंटेंट, चीफ का काम कर सकता है तो फिर मैनेजमेंट कैसे होगा? उसके बारे में मंत्री जी सोचें कि जो अधिकारी जिस लायक है या जिससे सम्बन्धित है, उससे सम्बन्धित काम करे, उसके बारे में सोचें।

माननीय मंत्री महोदय, जो लोक परिवहन सेवा चली है भारतीय

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

जनता पार्टी के कार्यकाल में, वह अच्छी है, पर बिना परमिट की गाड़ी रोडवेज के आगे चलना, पीछे चलना, इसके बारे में भी सोचें, उनका परमिट कैसे बनायें क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मंत्री जी अगर मेरे से अलग से पूछें तो मैं बताऊंगा, चित्तौड़ में ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं रोडवेज के आगे और पीछे बिना परमिट की गाड़ियां चल रही हैं, तो इसको अपन कैसे खतम कर सकते हैं क्योंकि घाटा अपने सामने हो रहा है। लोक परिवहन रोडवेज डिपो के सामने प्राइवेट बसें खड़ी रहती हैं, लोक परिवहन की बसें खड़ी रहती हैं, जबकि नियम है कि दो किलोमीटर के आसपास कोई गाड़ी खड़ी नहीं रह सकती है। उसके बारे में मंत्री महोदय सोचें। सीनियर कर्मचारियों से सीनियरिटी के अनुसार काम करवाएं। माननीय सभापति महोदय, रोडवेज कर्मचारियों की काफी मांगें काफी लम्बे टाइम से हैं, उनके बारे में चर्चा करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को एक बात और कहना चाहता हूं कि जो उड़न दस्ते रोड पर खड़े रहते हैं वे सरकार की वास्तव में पूर्ति के लिए रहते हैं और सरकार की काफी चीजों की पूर्ति भी करते हैं पर मेरी मांग है कि जहां भी उड़न दस्ते हाईवे पर खड़े रहें, उन उड़न दस्तों का एक चिह्नित स्थान होना चाहिए। ये हर जगह पर खड़े रहकर उन बसों की, ट्रकों की जांच करते हैं, जिससे काफी एक्सीडेंट हो जाते हैं। चित्तौड़गढ़ में अभी तीन-चार एक्सीडेंट हुए हैं। पहले एक ट्रक वाले के दो पैर कट गये, अभी एक जीप टकरा गयी। इस प्रकार का हुआ है।

माननीय मंत्री महोदय, मेरी आपसे एक और मांग है कि जो एम.पी. और राजस्थान बार्डर है, उस बार्डर पर एक गाड़ी से दो हजार से पांच हजार रुपये भ्रष्टाचार के रूप में ले रहे हैं, उसके बारे में भी आप सोचें। पहले जैसे गुजरात बार्डर पर छापा पड़ा है, आने वाले दिनों में जैसे राजस्थान-एम.पी. बार्डर पर नया गांव के पास छापा पड़े, उससे पहले आपको देखना चाहिए, सोचना चाहिए। उसके बारे में भी आप चर्चा करें क्योंकि रोडवेज का घाटा अपन देख रहे हैं, अपन जो बिल में संशोधन कर रहे हैं, दो हजार रुपये तक, उसको अपन जो दस गुना बढ़ाकर बात कर रहे हैं, उसके बारे में भी आप सोचें क्योंकि पहले पांच गुना या ढाई सौ रुपये जुर्माना कर रखा था, वह काफी है। आम जनता के लिए दस गुना जुर्माना और दो हजार रुपये बहुत भारी है, इसके बारे में आप सोचें। आर.टी.ओ. के पूरे भ्रष्टाचार के बारे में आप सोचें।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

माननीय मंत्री महोदय, इस बिल को लाने से पहले एक बार आप चर्चा जरूर करें और मेरी मांग है कि इसको आप छह महीने के लिए जनमत जानने के लिए भेजें और जितनी भी रोडवेज की जो कमियां हैं, उनकी पूर्ति अपन कैसे कर सकते हैं, आप उसके बारे में चर्चा करें। रोडवेज की काफी मांगें हैं। रोडवेज कर्मचारी दु:खी हैं। रोडवेज के बारे में मंत्री महोदय काफी अटैच रहे हैं। आप लोगों ने सरकार आने से पहले काफी धरना, ज्ञापन, प्रदर्शन सब-कुछ किये हैं। उनकी मांगों की बात करने के लिए आपने कहा तो मैं मानता हूं कि इसमें आप पूर्ति करने की कोशिश करेंगे और इसी बिल में 2016 से जो इनका पैसा ग्रेच्युटी, पेंशन बाकी है उसकी भी आप पूर्ति कराएं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मंत्री महोदय, जरा अंदाजा करो कि आपके साथ कितने लोग हैं? मैंने आपको कितनी बार समझाया कि अब भी मन बदल लो। देखो आप, पूरा विधायक दल गायब है, पांच और सात आदमी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। मतलब ये कितने गम्भीर हैं। कितने अकेले हो आप, महानुभाव, जरा सोचो।

सभापति महोदय, आप देखिये, ट्रैजरी बैंचेज देखिये आप। (व्यवधान) नहीं, हम बाहर चले जाते हैं। अभी चलो अपन चलते हैं बाहर, अभी कोरम की घंटी बजाओ आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल। श्री बिहारीलाल। (व्यवधान) विराजिए, विराजिए। राजेन्द्र जी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बुलाइये आप, बुलाइये ट्रैजरी बैंचेज के लोगों को। सदन के प्रति गम्भीर नहीं हैं, सभापति महोदय। चीफ व्हिप नहीं हैं, डिप्टी चीफ व्हिप नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, अकेले बैठे हैं। (व्यवधान) ये तो हमारे आदमी हैं पुराने, इसलिए बैठे हैं हम आगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप लोग विराजिए, विराजिए। आप लोग विराजिए। (व्यवधान) विराजिए, विराजिए, विराजिए। (व्यवधान)

यह पुरानी दोस्ती है, आप काहे को बीच में कूद रहे हो? (व्यवधान) विराजिए, विराजिए। आपका सब्जेक्ट ही नहीं है, आप खामख्वाह ही कूद रहे हो। (व्यवधान) कइयों का तो जनम ही नहीं हुआ उस वक्त, जब की ये चर्चा कर रहे हैं। आप लोग खामख्वाह इसमें काहे को कूद रहे हो? कइयों का तो

(श्री सभापति)

जनम ही नहीं हुआ। आप इसमें खामख्वह कूद रहे हो। माननीय राजेन्द्र जी, सदन इस बात से आश्वस्त है कि आपके रहते माननीय मंत्री महोदय को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आपके भरोसे पर छोड़कर गये और आप भरोसे को तोड़ रहे हो, यह आपको शोभा देता है? श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, आपने इस महत्वपूर्ण विषय राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोक कल्याणकारी सरकार, जनता जो सरकार चुनती है और सरकार का काम लोक कल्याण का काम है तथा लोक कल्याण के काम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक महत्वपूर्ण अंग है, सरकार का चेहरा, चाल-चरित्र बताता है। इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो स्थिति है, हमारी जो यह आर.एस.आर.टी.सी. की, रोडवेज की बसों की स्थिति बद से बदतर हो रही है। जो राजस्थान रोडवेज की बस देखने में देश भर के सभी निगमों में सबसे सुन्दर लगती है, उस बस की ऐसी दुर्गति और उस विभाग की दुर्गति, क्या उसकी दुर्गति मात्र इसने जुर्माना करने से पूरी हो जाती है? माननीय मंत्री जी, आप यह जो व्यवस्था लेकर आये हैं, जो संशोधन पिछले 1975 के अधिनियम की धारा 6 में लेकर आये हैं। उससे राजस्थान रोडवेज का घाटा पूरा नहीं होगा। आपके नाम में प्रताप है। हमने 2018 का वह मंजर भी देखा है, आप अपने अध्यक्ष के साथ सिंधी कैम्प पर गये। कर्मचारियों के हितैषी बने। कर्मचारियों के सामने उनकी बात सुनी। वादा करके आये कि आपकी सारी बातों को दुरुस्त करेंगे। यह सरकार तो टायर बेच रही है। यह सरकार रिम बेच रही है। यह सरकार सिंधी कैम्प बेच रही है। सत्ता आपको मिली। आपको यह विभाग भी मिला। आप उन सुधारों को कहां तक लागू कर पाये? राजस्थान रोडवेज की स्थिति कहां सुधार पाये? यह आज सरकार का आधे से ज्यादा समय बीतने के बाद भी उप नेता, राजेन्द्र जी बोले; हमारे साथी बोले, आपको आईना बताया है।

माननीय मंत्री जी, आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अगर राजस्थान रोडवेज की स्थिति सुधारना चाहते हैं तो निगम को राज्य सरकार में मर्ज करते हुए जनता को सुविधाएं दी जाएं। पैसेंजर फाल्ट लागू हो। यह पैसेंजर

(श्री बिहारीलाल)

फाल्ट तभी लागू होगा जब निगम को खतम करना जरूरी है। निगम को राज्य सरकार में मिलाना जरूरी है। आज हमारे उप नेता, प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रताप सिंह जी, आपने खुद ने यह सरकार को लिखा है कि इसको निगम से डिपार्टमेंट बना देना चाहिए। जब आपने सरकार को लिखा है और उसकी भी परिणति नहीं हो रही।

जैसी सदन में अभी ट्रेजरी बैंचेज की स्थिति थी कि प्रताप अकेले हैं। लेकिन प्रताप तो अकेला भी संघर्ष करते हुए इस मातृभूमि के लिए लड़ा है। उस प्रताप को हमने देखा है। उस प्रताप के नाम का कुछ न कुछ अंश आपके नाम में भी है। अगर इसकी सुनवाई नहीं होती है तो उस प्रताप ने भी कठिन परिस्थितियों में अकबर से लोहा लेते हुए चिट्ठी लिखी थी। उस प्रताप ने भी एक चिट्ठी लिखी थी। (व्यवधान) बात सुनिए, उस प्रताप ने भी चिट्ठी लिखी थी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, इसी पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति: काहे को आप इधर-उधर जा रहे हो?

श्री बिहारीलाल (नोखा): इसी बिल के स्कोप में ही बोल रहा हूं। आप 2 मिनट का समय तो दीजिए।

श्री सभापति: मैं बैठा दूंगा।

श्री बिहारीलाल (नोखा): आपके पास विशेषाधिकार है बैठाने का। आपके आदेश से ही खड़ा हुआ हूं माननीय सभापति जी। इसी के संदर्भ में बोल रहा हूं।

श्री सभापति: संरक्षण पूरा है, लेकिन संरक्षण का, हां।

श्री बिहारीलाल (नोखा): मैं किसी के सोये हुए स्वाभिमान को जगाने की बात कर रहा हूं। यह बीकानेर के व्यक्ति का दायित्व बनता है। सभापति जी, यह इतिहास में भी लिखा है। जब प्रताप ने कहा कि 'अरे घास री रोटी ही, नान्हो सो अमरियो चीख पड्यो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो'। वह चिट्ठी जब वहां गयी तो बीकानेर के राजा पृथ्वीराज, पीथल ने दुबारा प्रताप को चिट्ठी लिखी कि 'म्है आज सुणो है चातकड़ो धरती रो पाणी पीवे लो। म्है आज सुणो है नाहरियो श्यालां र साथे सोवे लो। म्है आज सुणो है सूरजडो बादल री

(श्री बिहारीलाल)

ओट्यां ख़ोवे लो'। आज बीकानेर की उसी विरासत से आता हुआ एक विधायक बिहारी विश्नोई इस प्रताप को कहता है कि अगर वहां सुनवाई नहीं हो रही तो दुबारा तलवार उठाओ और संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। अगर इस राजस्थान रोडवेज की स्थिति सुधारनी है तो पूरी ताकत से लगो। यह आपने जो विभाग बनाने की बात कही है, इसको विभाग बनाने तक लड़ो। विभाग बनाकर के छोड़ो। पैसेंजर फाल्ट लागू हो और तभी राजस्थान रोडवेज की स्थिति सुधरेगी।

निगम में 2014 के बाद कर्मचारियों की कभी भर्ती नहीं हुई। कर्मचारियों की स्थिति, पीछे 5 हजार लोग चले गये, सेवानिवृत्त हो गये। उनकी पेंशन के भी टोटे पड़ रहे हैं। उनके परिवारों की स्थिति माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष ने आपको बताई। ऐसी स्थिति में जब हमारा 11 लाख यात्री भार प्रति दिन का है, 5 करोड़ राजस्व प्रति दिन का है, 5 हजार बसों का एक लम्बा-चौड़ा बेड़ा हमारे पास है तो आप इस स्थिति में इस विभाग को ठीक करते हुए अवैध बसों का संचालन, जिससे इस विभाग को बहुत घाटा हो रहा है, उस पर लगाम लगाइए।

राजस्थान रोडवेज हमारी खूबसूरत रोडवेज है। जो अपनी सीटों पर हमारा नाम लिखकर वर्षों से चल रही है। वह विधायक नाम लिखे हुए 2 सीट रिजर्व रखती है अपनी 52 सीटों में से। क्या राजस्थान के विधायक, राजस्थान की विधान सभा का और इस सरकार का दायित्व नहीं बनता कि हमारे मन में भी कहीं राजस्थान रोडवेज के लिए कोई जगह हो। जब वह अपनी सीटों पर हमारे लिए जगह रखती है तो हमारे मन में भी राजस्थान रोडवेज के लिए जगह होनी चाहिए। उसके लिए सम्मान, आदर होना चाहिए। वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। उसको जिंदा रखना है। उसको मजबूत करना है। उसके लिए जितने भी कदम प्रताप जी आपको उठाने पड़े, पूरी ताकत से लड़िए और अवैध बसों के संचालन को बंद करिए।

आपने एक पत्र हम सब विधायकों को लिखा था जनवरी महीने के अंतिम दिनों में कि ग्रामीण रूट की सूचना भेजिए। हमने तुरंत आपको भिजवाई। मेरे नोखा में भी ऐसे 15 रूटों की सूचना हमने भिजवाई। मात्र एक या दो रूट्स अभी तक शुरू हो पाए हैं। जो रोडवेज की बसें इन ग्रामीण रूटों में चलेंगी तो उससे जनता को भी फायदा होगा और रोडवेज का राजस्व भी बढ़ेगा।

(श्री बिहारीलाल)

बीकानेर की एक बहुत बड़ी बात मैं आपको निवेदन करूं कि बीकानेर निगम का जो आगार है, उसका स्वामित्व अभी भी रोडवेज के पास नहीं है। माननीय प्रताप सिंह जी, जो आप पिछली सरकार पर आरोप लगाते थे कि सिंधी कैम्प बेच रहे हैं, धारीवाल जी की नजर पूरे राजस्थान की जमीनों पर है। दिन और रात संशोधन लेकर आ रहे हैं। उसमें भी यू.आई.टी. से कालोनी नहीं कटवा दें, पट्टे बेच नहीं दें, उससे पहले निगम के नाम जमीन को कर लो। यह भी बीकानेर के हित की बात है।

सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि प्रताप जी, आप प्रतापी पुरुष की तरह इस बात के लिए लड़ेंगे और राजस्थान रोडवेज की स्थिति सुधारने का काम करेंगे। निगम को विभाग में बदलने का काम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: आज तो लगता है कि विधेयक पर चर्चा की बजाय केवल प्रताप सिंह जी को उनकी भूली हुई शक्ति याद दिलाने के लिए है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, हम जानते हैं। पुराने रौद्र रूप में आ जाओ आप।

श्री सभापति: उनको हनुमान बल याद दिलाना है कि आप कितने बलशाली हो। आप ऐसा कर दोगे। बल के साथ-साथ इसमें सुधार कैसे हो, वह भी बोल दो। श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, जिस गम्भीर विषय को हमारे माननीय उप नेता ने रखा, बहुत ही गम्भीरता से उसको रखा था लेकिन मुझे लगता है कि वह उधर डाइवर्ट हो गया और मजाक में चला गया। वास्तव में उन्होंने गम्भीर बातें कहीं।

खाचरियावास जी जब मंत्री बने तो हमें बहुत अपेक्षाएं थीं। वास्तव में कह रहा हूं। आज 3 साल होने को आये हैं। रोडवेज का रिजल्ट कुछ भी नहीं है। जीरो है। रोडवेज का घाटा बढ़ गया है। यह ठीक है खाचरियावास जी कि कोरोना की महामारी इस देश में चली लेकिन यह जो आप विधेयक लाये हैं, यह 250 रुपये जुर्माने को 2,000 रुपये करने का विधेयक है। इसके अलावा इस विधेयक में कुछ भी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि गुजरात में रोडवेज चलती है। बस में कंडक्टर एक चक्कर लगाता है जिसको टिकट लेना हो, मैं यहां बैठा हूं, टिकट ले लो। वह कहीं नहीं जाता है। हमारे यहां क्या

(श्री धर्मनारायण जोशी)

स्थिति है? हमारे यहां फ्लाइंग चलती है। फ्लाइंग के लिए मोबाइल है कि फ्लाइंग खेरवाड़ा पहुंच गयी है। फ्लाइंग बीछीवाड़ा पहुंच गयी है। वह आदमी सारे टिकट काट लेता है। उस कर्मचारी को तुरंत आप सस्पेंड कर देते हो। गुजरात में उस सवारी से पैसा लेते हैं। कर्मचारी का कोई दायित्व नहीं है। वह कंडक्टर आकर के कहता है कि जिसके पास टिकट नहीं है, तुरंत टिकट ले लीजिए और वह टिकट ले लेते हैं। इस व्यवस्था को, ऐसे कानून को आप राजस्थान में लाते तो सुविधा हो जाती। वह कर्मचारी उससे बच जाता और आम आदमी प्रशिक्षित होकर के टिकट लेता। आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि उसे आप ठीक करें।

अभी 3 दिन पहले मेरे क्षेत्र में, एक कंडक्टर मित्र, उनकी ड्यूटी थी रोडवेज में, अहमदाबाद से उदयपुर वाया आबू रोड होकर के आ रहे थे। उनको मैंने पूछा कि आप 9 बजे कैसे आये? उन्होंने कहा कि मैं रोज 5 बजे आ जाता हूं। गाड़ी में किट नहीं है। राजस्थान रोडवेज का टायर पंचर हो गया। 4 बजे से मैं आबू रोड पड़ा हुआ था। गुजरात रोडवेज की बस आयी। उस बस में से किट लिया, उनका सामान लिया और टायर खोला और इसलिए मुझे आते-आते 9 बज गये। माननीय मंत्री महोदय, यह व्यवस्था भी आप करवाएं।

आप रोडवेज का बिहार का अनुभव देखिए। बिहार में रोडवेज के कर्मचारियों को जीते जी पेंशन नहीं मिली। आज उनके बच्चों की हालत खराब है। बिहार रोडवेज जो समाप्त हुई, उसका अध्ययन करिए। बिहार रोडवेज जो समाप्त हुई, रोडवेज का कर्मचारी, उसको तनख्वाह नहीं मिली, उसको पेंशन नहीं मिली। अंत में बिहार रोडवेज की बस का कोई टायर खोलकर के ले गया, कोई और कुछ किट खोलकर के ले गया। इससे बिहार की रोडवेज समाप्त हो गयी। यह हमारे सामने है। उसका आप पता करिए, आपको आराम से मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, रोडवेज की जब हड़ताल हुई तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। चुनाव होने वाले थे। माननीय मंत्री महोदय स्वयं रोडवेज डिपो पर गये। सिंधी कैम्प गये। वहां जाकर के कहा कि आप हड़ताल तोड़ दीजिए, हमारी सरकार आते ही जादू का डंडा घुमाएंगे और आपकी सारी मांगें मान लेंगे। उनकी मांगें मान ली? उनकी मांगें कोई सुनने वाला नहीं है। राजस्थान में अवैध बसों का संचालन होता है। राजस्थान में जो एक प्राइवेट बस लगाता है, उसके 6 महीने बाद, 2 साल बाद 5 बसें हो जाती हैं। क्या कारण है कि आज रोडवेज तो घाटे में है और प्राइवेट बसें आज फल-फूल रही

(श्री धर्मनारायण जोशी)

हैं, उनका भी आप ध्यान रखिये। कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते हैं, आप इसका भी परीक्षण करवाइये। एक फ्लाइंग इसके लिए भेजिये कि क्या परमानेंट एक कर्मचारी एक ही ड्यूटी पर चल रहा है। कर्मचारी की ड्यूटी लगाने में भी लेनदेन चलता है, इसकी भी आप मानिटरिंग कीजिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उदयपुर से प्रतापगढ़ रोडवेज की बस जानी थी, वह कानोड़ में जाकर रुक गयी, कानोड़ में जाकर इसलिए रुकी कि रोडवेज वाले ने कहा कि इससे आगे बस नहीं जाएगी, प्राइवेट में बैठ जाइए, सारी सवारियां प्राइवेट में बैठ गयीं। यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। यह समाचारपत्रों में भी आया, सारा आपके नोटिस में भी होगा। उदयपुर से ऐसे अनेक रूटों पर बसें हैं जो आगे जाकर खड़ी हो जाती हैं और प्राइवेट बसों में सवारियां बैठाती हैं। उसका डीजल कहां जाता है पता नहीं, बाकी सवारियों का पता नहीं, प्राइवेट में बैठा देते हैं, आगे की सवारियों का कुछ का टिकट काट देते हैं। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस कानून में आप सांगोपांग, यानी सब प्रकार की, कर्मचारियों के हित की, राजस्थान रोडवेज के हित की, सब बातों को शामिल करते तो निश्चित रूप से हम इस कानून का समर्थन करते।

माननीय सभापति महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको छह महीने के लिए जनमत जानने के लिए भेजिये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी सिर्फ इस बात के लिए संशोधन लेकर आये हैं कि यात्री जो बिना टिकट यात्रा करते हैं, उन पर जुर्माना लगायें और उस जुर्माने के आधार के ऊपर अवैध यात्रियों पर अंकुश लगाने का काम करें। माननीय सभापति महोदय, जहां तक मेरी नोलेज है, जहां तक मेरी जानकारी है, राजस्थान रोडवेज के अन्दर ऐसा कोई यात्री नहीं बैठता है, जिसके मन मस्तिष्क में यह बात हो कि मुझे टिकट लेना ही नहीं है, क्योंकि आज हर आदमी कम से कम इतना तो सक्षम है कि वह राजस्थान रोडवेज में यात्रा कर रहा है तो वह अपनी टिकट जरूर कटाएगा।

माननीय सभापति महोदय, अब आपके कर्मचारियों की योग्यता को आप नजरअंदाज करते हुए और आप यह मानकर चलो कि सारा का सारा दोषारोपण यात्रियों पर ढोलने का काम करें, आप उनको प्रशिक्षण दो कि आप ईमानदारी से टिकट तो काट दो, अगर किसी के आठ रुपये का टिकट है और

(श्री रामलाल शर्मा)

पांच रुपये लेकर जेब में रख लिए और उसको टिकट नहीं दिया तो उस यात्री की क्या गलती है?

माननीय सभापति महोदय, आज मैं जो बोल रहा हूं वह एक विधायक की हैसियत से नहीं बोल रहा हूं। एक पिता का पुत्र होने की हैसियत से बोल रहा हूं। मेरे पिताजी ने दस दिन पहले भी कहा था कि विधान सभा का सत्र आ रहा है, कम से कम, मैं भी रोडवेज से रिटायर हुआ हूं और मेरे साथी कर्मचारियों की भावनाओं को विधान सभा के पटल पर रखने का जरूर काम करना। वे 2008 में सेवानिवृत्त हो गये, उनको तो सेवानिवृत्ति का लाभ मिल गया, लेकिन 2016 के बाद में रोडवेज के किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति का परिलाभ नहीं मिला। आज भी वे इस इंतजार में हैं, पांच-छह साल गुजर जाने के बाद भी कि मेरा तो जीवन कट गया, साठ साल की नौकरी करने के बाद मैं मेरे परिवार को मकान बनाकर दूंगा, सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा और कई कर्मचारी तो ऐसे हैं कि इन पांच-छह साल के दौरान इस दुनिया से भी चले गये। मैं चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि सरकार कम से कम संवेदनशील होकर अपनी संवेदनशीलता का परिचय देकर ऐसे कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए इनके परिलाभ का जो भी भुगतान है वह तत्काल करने का काम करे।

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय बहुत अनुभवी हैं। इनको अनुभव शुरू में राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति कर रहे थे, उसके बाद में टैम्पो यूनियन के अध्यक्ष बने, उसके बाद में टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष बने और अब वर्तमान में राजस्थान के ट्रांसपोर्ट को ये संभालने का काम कर रहे हैं। अब एक पायलट चढ़ गया। इनको तो अनुभव धरातल पर चलने वाले संसाधनों का था, आकाश में उड़ने वाले पायलट को थोड़े था, कुछ समय पहले वे भी क्रैश हो गये। खैर, यह तो इनका राजनीतिक मामला है, मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि राजस्थान की सरकार लोक लुभावनी घोषणाएं करती हैं। घोषणाएं इस बात की करती है कि राजस्थान के अन्दर महिला दिवस होगा तो सारी महिलाओं को फ्री के अन्दर यात्रा कराने का काम हम करेंगे। राजस्थान सरकार यह बताये कि कितनी महिलाओं को आप फ्री में यात्रा करा पाते हैं। आपके पास इतने संसाधन हैं क्या कि राजस्थान की तमाम महिलाओं को आप फ्री में यात्रा करा पाओगे? आपने घोषणा की कि राजस्थान के अन्दर जितने भी युवा एग्जाम देने के

(श्री रामलाल शर्मा)

लिए जायेंगे, वे राजस्थान रोडवेज का फ्री में उपयोग करने का काम करेंगे, नि:शुल्क यात्रा करने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आप मेरे ऊपर यकीन मत करो, राजस्थान के तमाम जिला कलेक्टरों से एक रिपोर्ट मंगवा लो कि आपके पास कितने युवा परीक्षार्थियों के फोन आये, जिनके पास साधन उपलब्ध नहीं हो पाये, रोडवेज के अन्दर यात्रा नहीं कर पाये और रोडवेज की उपलब्धता नहीं होने की वजह से वे परीक्षा देने से भी वंचित रह गये। कृपा करके मेरा इतना निवेदन है कि अगर घर के अन्दर इतने संसाधन नहीं हैं कि जिनका उपयोग हम सबके लिए कर पायें, तो मेरे ख्याल से घोषणा करने की नितांत आवश्यकता भी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, तमाम विधायकों ने एक बात कही है कि राजस्थान रोडवेज को कम से कम आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि घाटा क्यों है, किस वजह से है। ये राजस्थान रोडवेज की सुविधाएं देने के बाद सदन में बड़ी-बड़ी बातें की थी कि हम तमाम ग्राम पंचायतों को जोड़ने का काम करेंगे। हम विधायकों से सुझाव मांग रहे हैं, विधायकों के सुझावों के अन्दर और भी रूट बनते हैं तो उन रूटों पर भी रोडवेज चलाने का काम करेंगे। मेरे ख्याल से रोडवेज के लिए विधायकों के सुझाव आने के उपरांत भी पौने तीन साल बीत जाने के बाद भी एक भी विधायक यह कहने की स्थिति में नहीं है कि मैंने जो सुझाव दिये थे और जिन मार्गों को मैंने मांगा था उनके ऊपर राजस्थान रोडवेज की बस चल रही है। मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ समय व्यतीत करना, यह अगर सरकार की प्राथमिकता में है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। वास्तव में अगर आप राजस्थान की जनता को लाभ देना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आप प्राथमिकता दें, जिनसे जनता को लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर जिस तरीके से सभी माननीय विधायकों ने चिंता इस बात की जाहिर की है कि प्राइवेट बसें जो संचालित होती हैं, वे राजस्थान रोडवेज को काफी घाटा देती हैं। कम से कम इसके ऊपर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है, बहुत से निजी बस संचालक ऐसे भी हैं कि वह अपनी दबंगता के आधार पर, वे परमिट लेने का काम भी नहीं करते और परमिट नहीं लेने के साथ-साथ वे टैक्स चोरी का काम भी करते हैं तो जितने भी, अवैध

(श्री रामलाल शर्मा)

संचालन जितना हो रहा है और आये दिन इन बसों के संचालन के लिए आप एक बार इंस्पैक्टर तय कर दो कि ये निजी बसें चलती हैं, इनकी स्पीड क्या है, बसों से ज्यादातर जो भी दुर्घटनाएं सड़कों पर हो रही हैं, वे निजी बस आपरेटरों के चालकों की लापरवाही की वजह से हो रही हैं। कम से कम इस पर भी आप अंकुश लगाने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जिले के अन्दर भी आसपास के अन्दर घनी आबादी के क्षेत्र हैं, प्राइवेट व्हीकल संचालित हो रहे हैं, उसके अलावा जो रोडवेज की बसें हैं उन बसों के लिए भी एक रूट ऐसा तय हो, जिस पर यात्रियों को सुविधा मिल सके। मैं चाहूंगा कि इस छोटे से संशोधन लाने से बढ़िया होता कि मंत्री महोदय एक समग्र, व्यापक दृष्टिकोण के साथ राजस्थान रोडवेज का एक ऐसा रोडमैप तैयार करते जिससे आने वाले समय में लोगों को सुविधाएं मिल पातीं, तो बेहतर होता।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्रीजी जल्दबाजी न करें। आप राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकले हुए हो। आप ओजस्वी भाषण भी बहुत देते हो, लेकिन भाषणों को सिर्फ शब्दों के माध्यम से बताने के बजाय धरातल पर क्रियान्वित करेंगे तो लोग आपकी बात पर विश्वास करेंगे, नहीं तो आने वाले समय में जनता सिर्फ मौके की तलाश में है, परिणाम आपको देगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बिल को छह महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने काफी बातें बता दीं। राजस्थान रोडवेज, राजस्थान की जनता की लाइफ लाइन कही जा सकती है। लोक हित में आम आदमी को, गरीब आदमी को ट्रांसपोर्टेशन के लिए इससे बढ़िया कोई साधन हो नहीं सकता है, यह हम सब लोग जानते हैं लेकिन आज रोडवेजकर्मी अपने आपको अनाथ महसूस कर रहे हैं, अपने आपको लावारिस महसूस कर रहे हैं और यह पूरा का पूरा विभाग, अभी जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इसके अन्दर ऐसा हो गया कि हमारा क्या होगा?

(श्री अभिनेश महर्षि)

कर्मचारी मन से काम नहीं कर पा रहे हैं, 2016 के बाद जैसा बताया कि उनका क्या होगा? उनको सेवानिवृत्ति के बाद परिलाभ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? उनको पेंशन नहीं मिलेगी। धरना बहुत बड़ा हुआ था, सबने इस बात का जिक्र किया था, लेकिन माननीय परिवहन मंत्रीजी ने वहां जाकर जो बातें कहीं, उनको मूर्त रूप में अमली जामा पहनाने के लिए कुछ भी अब तक नहीं किया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का इनको बहुत बड़ा अनुभव है, लेकिन इसके बावजूद रोडवेज आज घाटे में चल रही है और बहुत बड़े घाटे में चल रही है। प्राइवेट बस आपरेटर कोई भी हो, वह पांच बस लेकर भी अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि मालामाल हो जाता है और रोडवेज में इतना बड़ा बेड़ा होने के बाद भी घाटा है। इसका कारण क्या है?

माननीय सभापति महोदय, अभी आप कह रहे थे कि कुछ सुझाव भी दो। सुझाव के अन्दर जब सैकण्ड ग्रेड का टायर खरीद कर फर्स्ट ग्रेड का बिल बनेगा तो यह रोडवेज तो घाटे में ही जाएगी। प्राइवेट बस आगे खड़ी है, पूरी सवारी उठा लेगी। उसके बाद रोडवेज की बस खाली-खाली पीछे-पीछे जाएगी चाहे उसके अन्दर रोडवेज कर्मचारी का आपस में मेलजोल हो या चाहे वे परमिट जारी करने वाले लोग हैं, एक-एक मिनट का परमिट जारी होता है, एक मिनट पहले, दो मिनट पहले और उसके लिए झगड़े भी होते हैं। हमें इस बात को सोचने की आवश्यकता है। परिवहन मंत्री जी, आप काफी एक्सपीरिएंस्ड आदमी हैं। यह रोडवेज घाटे में क्यों चल रही है? प्राइवेट वाले पांच बसें लेकर भी क्यों लाभ में आ जाते हैं और इन प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स की इतनी दादागीरी को सरकार खतम नहीं कर सकती है? आपने कह दिया, सरकार ने कह दिया, मुख्य मंत्री जी ने भी घोषणा की कि इसे सरकारी डिपार्टमेंट बना देंगे, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? आज तीन वर्ष पूरे होने को आ गये हैं। जो बात कहते हैं, उस पर तो मेरे हिसाब से हमें खरा उतरना चाहिए। 2014 के बाद भर्ती नहीं। सरकार इस बात को स्पष्ट कर दे कि वह राजस्थान रोजवेज को बंद करने वाली है या नहीं। जो सम्पत्तियां राजस्थान रोडवेज के पास हैं, उनके बारे में सरकार क्या निर्णय लेने वाली है? कहीं-कहीं पर हमें सूचना मिलती है कि यह डिपो बेचा जा रहा है। बेचकर यदि डिपार्टमेंट की हालत सुधारनी है तो उस तरह का कोई विधेयक लाएं, लेकिन ये छोटी-छोटी बातें कि पांच रुपये से लेकर इतना बढ़ा दिया जाएगा, उससे काम नहीं चलने वाला है।

(श्री अभिनेश महर्षि)

राजस्थान रोडवेज की यदि दशा सुधारना चाहते हैं तो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स, आपरेटर्स हैं, इनके ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी। वर्कशाप आपके बहुत सारे हैं। एक गाड़ी बाहर जो 10 हजार रुपये में ठीक हो सकती है, उसका बिल आपके यहां पर 80 हजार रुपये आता है। ये हालात हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं तथ्य के साथ बात कर रहा हूं। मेरा निवेदन यही है कि ग्रामीण रूट पर बसें आप शुरू करेंगे, आपकी भावना तो अच्छी है। सब विधायकों से भी मांगा, सबने दे भी दिया, लेकिन क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं सदन में जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। वर्तमान में आपके पास जो सड़कों पर बसें चल रही हैं, उन्हें चलाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।

आप नयी बसों की तो बात ही कहां कर रहे हैं? ऐसे हालात में मैं तो सिर्फ आपको धरने पर कहे हुए बोल याद दिलाना चाहता हूं। यदि आप जो कहकर आये थे, वह सही मायने में लागू कर देंगे तो, प्रताप जी, जितने भी लोगों ने बात कही है, आपके ऊपर जो भरोसा जताया है, सरकार की लोक कल्याणकारी नीति के तहत आपने काम करने की शपथ ली है, तो उसके ऊपर आप चलकर यह बिल जो लेकर आये हैं, तो इस बिल के अन्दर राजस्थान रोडवेज को कैसे घाटे से उबारा जाये, किस तरह से राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी हैं, उन्हें पेंशन मिले, परिलाभ मिलें, उनकी सुख-सुविधाओं के लिए आगे बढ़कर काम करें।

एक सशक्त बिल लाएं, जिससे राजस्थान रोडवेज का घाटा भी पूरा हो सके। लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व होता है कि वह लोगों के लाभ के लिए अपने लाभ को हटाकर काम करे। घाटा हो भले ही, क्योंकि उसके अन्दर आप फ्री में यात्रा करने की सुविधा भी देते हैं, महिलाओं को भी देते हैं, बेरोजगारों को भी देते हैं, लेकिन फिर भी यह सब करने के बावजूद आप प्रोफिट में आ सकते हैं और आप अपने कर्मचारियों का भला भी कर सकते हैं। यही बात कहते हुए, आप जो यह बिल लेकर आये हैं, इस बिल में और बहुत सारी बातों को जोड़कर एक सशक्त बिल लेकर आएं। छह महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करें। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री बाबु लाल।

श्री बाबु लाल (झाडोल): सभापति महोदय जी, राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021 का

(श्री बाबु लाल)

सरकार बिल लेकर आयी है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं, जहां ग्रामीण परिवेश है और वहां गरीब तथा आदिवासी व्यक्ति निवास करते हैं। सभापति महोदय जी, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि अभी हमारे उपनेता और मंत्री जी के बीच में जिस प्रकार का संवाद हो रहा था, अपने प्रभाव का उपयोग करके हम बिना टिकट से यात्रा करें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, वे गरीब भले ही हैं, लेकिन कभी भी बिना टिकट यात्रा करने की मंशा उनकी नहीं होती है। वे चलकर टिकट कटाते हैं। उसके बाद वहां पर जिस प्रकार की खटारा गाड़ियां उस क्षेत्र में चलती हैं, उन गाड़ियों में कौन यात्रा करेगा?

महंगा किराया देकर भी यदि वह सुविधाजनक गाड़ी होगी, समय पर पहुंचाएगी, उस गाड़ी में वह यात्रा करता है। वहां का व्यक्ति टिकट कटाता है। कई बार मैं देखता हूं। आपका कंडक्टर है, गुजरात का उदाहरण दिया, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। कंडक्टर अगर घूमकर टिकट काटता है तो वह काट देता है। अगर कोई व्यक्ति अनजाने में बैठ गया और आपने इसमें जुर्माना कितना तय किया है, 2000 रुपये। उस गांव के आदमी के पास मुश्किल से किराया होता है और आप 2000 का जुर्माना लगाएंगे, वह व्यक्ति अपनी जेब से जुर्माना दे पाएगा? वह नहीं दे पाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह जो आपने जुर्माना तय किया है, इसे कम किया जाए।

उसके बाद में आपने कहा था कि हम ग्रामीण बसों को चालू करेंगे। हम सबको आपने पत्र भी दिया था। आज तक एक भी बस आपने मेरे क्षेत्र में तो चालू नहीं की, अन्य क्षेत्रों में चालू की हों तो पता नहीं। क्या यात्रियों में कमी आ गयी, क्या कोई यात्रा ही नहीं करता? यात्रा करते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। वे जीपों में चढ़कर जाएंगे, प्राइवेट गाड़ियों में जाएंगे, क्योंकि आपकी गाड़ियां ही नहीं हैं। यदि गाड़ियां हैं तो समय पर पहुंचती नहीं हैं। यह जो जुर्माना आपने तय किया है, वह कम किया जाए। पहले था, वह ठीक था। इस प्रकार से आप उस गरीब, आदिवासी व्यक्ति के साथ में अन्याय करेंगे, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो आप संशोधन बिल लाये हैं, इसे छह महीने के लिए जनता के बीच जनमत जानने के लिए परिचालित करेंगे तो ज्यादा बेहतर बिल बनेगा। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद, जय भारत।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर चर्चा हो रही है। यह जो 1975 के राजस्थान अधिनियम संख्या 11 की धारा 6 में संशोधन प्रस्तावित किया है, इस संशोधन को देखकर लगता है कि कभी शायद इस पर गहराई से विचार ही नहीं हुआ कि आखिर बिल में हम संशोधन ले क्या रहे हैं। आपने 250 से 2000 रुपये केवल जनता के भुगतने के लिए प्रस्तावित किया। वास्तव में यदि आपको लाना ही था तो रोडवेज किस प्रकार से चले, किस प्रकार से फायदे में हो, किस प्रकार से भ्रष्टाचार रुके, किस प्रकार से अवैध संचालन समाप्त हो, इस पर कहीं विचार होता, कोई बिन्दु रखे जाते, कोई चर्चा होती।

मैंने आपके दोनों रूप देखे हैं। जब आप पार्टी के नेता थे, तब आप विपक्ष पर या सत्ता पर किस प्रकार से बोलते थे और आज आप किस स्थिति में आ गये हैं? मुझे लगता है कि शायद दो पाटों में आप पिस रहे हैं। पहले एक पाटे में थे, अब दूसरे पाटे में आ गये हैं, इस कारण से आप शायद अपनी क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं कर पा रहे हैं कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। एक ही ओर तय करके जाएं, जैसा कि गडकरी जी ने कहा, हमेशा अपनी विचारधारा पर, अपने ग्रुप पर, अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहें तो शायद यह स्थिति नहीं आये, लेकिन अब यह जो स्थिति आयी है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कम से कम दो बातों की ओर तो देखें कि आखिर जो गरीब कर्मचारी रिटायर हुआ, उसे आप पेंशन न दें, उसे परिलाभ न दें तो वह जाए तो जाए कहां।

इसके कारण आपके विभाग के सारे कर्मचारियों में अनिश्चितता का जो एक भाव पैदा हो गया है, उसके कारण से आपकी रोडवेज, चाहे आप कितने भी नियम बना लें, कभी भी फायदे में नहीं आ सकती। सबसे पहले किसी भी संस्थान का आधार होता है, कर्मचारी। यदि वह मन से काम नहीं करेगा तो आखिर किसके द्वारा आप काम करवाएंगे? आज कर्मचारी का मन टूट चुका है। मेरा आपसे आग्रह है कि किसी भी तरह, जो 2016 के बाद के कर्मचारी हैं, इनके लिए आप पेंशन की व्यवस्था करें। उसके लिए चाहे आपको कोई भी व्यवस्था करनी पड़े। उनके बच्चे जवान हो गये, उनकी शादी की समस्या है। जैसा बाकी वक्ताओं ने कहा, 2-4 परसेंट लोग तो भगवान को प्यारे भी हो गये, आखिर उनका परिवार कैसे पल रहा होगा? जरा आप अपने आपको उस जगह स्थापित करके विचार तो करें, उनके आंसुओं को तो देखें,

(श्री वासुदेव देवनानी)

उनकी पीड़ा को तो समझें। तब आपको ध्यान में आएगा कि आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं।

मेरा सबसे पहले यह आग्रह है कि आप इनकी पेंशन की तत्काल व्यवस्था करें और उसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा बजट नहीं चाहिए। घाटा 5,000 करोड़ का हो रहा है, लेकिन इन्हें देने में पता नहीं आपको शायद कितने करोड़ चाहिए, उतने करोड़ भी यदि आप दे देंगे तो इनकी वाह-वाही लूटेंगे। इनके द्वारा जो मन लगाकर काम होगा, उसके कारण आपके द्वारा दी हुई राशि कई गुना आपके पास आ जाएगी। इस पर आप जरा गहराई से विचार करें।

दूसरा, आपके डिपार्टमेंट की जो मूल बीमारी है, वह है भ्रष्टाचार। नीचे से लेकर ऊपर तक कंडक्टर, ड्राइवर से लेकर ठेठ आर.टी.ओ. तक या शायद उससे भी ऊपर तक जाऊं तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, यह भ्रष्टाचार की जड़ें आपके विभाग में इतनी गहराई तक जा चुकी हैं, जिसके कारण से आज घाटा है। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों सदन में भी चर्चा हुई थी कि ए.सी.बी. ने किस प्रकार से आपके बड़े-बड़े अधिकारियों को ट्रैप किया। उसके बाद से विषय आया-गया हो गया, लेकिन उसको रोकने के लिए कोई कदम उठाये हों, कोई कार्यवाही हुई हो, ऐसा नहीं है। आज जो खुले-आम भ्रष्टाचार करते हैं उसका कारण है कि नियुक्ति, पोस्टिंग, ट्रांसफर में ही उनको लाखों रुपये, करोड़ों रुपये देने पड़ते हैं, और वे करते हैं। जो नीचे का कर्मचारी है, वह टायर में, डीजल में कोई गड़बड़ करता है। उस पर तो ध्यान जाता है कि वह डीजल में गड़बड़ कर रहा है या टायर में एक की जगह दो पंक्चर का बिल ले रहा है या किसी और प्रकार की बात कर रहा है, लेकिन असल में इनके अधिकारी वर्ग में, चाहे वह भरतपुर सम्भाग हो या जयपुर सम्भाग हो, किस प्रकार से अधिकारी रेड हैंडेड पकड़े गये, मैं समझता हूं कि उस पर तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए थी, उसकी आंच शायद ऊपर तक, आप तक भी पहुंची। उस आंच को वहीं समाप्त करें और भ्रष्टाचार को समाप्त करें।

बहुत बड़े गिरोह हैं जो अवैध बस संचालन करते हैं। अजमेर में मैं देखता हूं कि किस प्रकार से रोडवेज बस स्टैंड के बाहर प्राइवेट बसें खड़ी होती हैं। उसके बाद रोडवेज बस अन्दर से निकलेगी, तो चाहे वह पांच मिनट लेट ही निकलेगी, लेकिन पहले सड़क पर खड़ी हुई सारी सवारियां ले जाएगा, उसके बाद वह निकलेगा। यानी कहीं मिलीभगत है या कहीं डर है। रोडवेज की बसें

(श्री वासुदेव देवनानी)

जहां-जहां जाती हैं, उनके आगे-आगे सारी प्राइवेट बसें चलती हैं। आखिर जनसंख्या बढ़ रही है, परिवहन और ट्रांसपोर्ट करने वाले, यात्रा करने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं तो यदि यात्रा करने वाले बढ़ रहे हैं तो फिर घाटे में क्यों? प्राइवेट वाला कम किराये में ज्यादा संख्या में ले जाता है, तो वह तो कम किराये में लाभ में रहता है जबकि आप ज्यादा किराये में भी घाटे में रहते हो, तो इसका पता तो करो कि आखिर यह पैसा कहां जाता है। किराया आपका ज्यादा, आपकी सुविधाएं नहीं हैं और खटारा बसें तो ऐसी हैं, जिनमें हॉर्न के अलावा सब कुछ बजता है। हॉर्न तो नहीं बजता, लेकिन, कांच की और बाकी इतनी आवाज आती है कि व्यक्ति के कान भी खराब हो जाएं, बहरा हो जाए। ऐसी गन्दी बसों में कौन बैठना चाहेगा? उसकी सफाई कैसे हो, उसकी रिपेयर कराकर रखें। आपके वर्कशाप के अधिकारी मेरे पास पिछले दिनों आये और कहा कि वहां इतने खड्डे हैं, आप विधायक कोष से पैसा दे दो तो हमारे खड्डे भरे जाएं, यानी यह स्थिति आ गयी। मैंने कहा कि आपका विभाग क्या कर रहा है, तो कहा कि विभाग हमारी सुनवाई ही नहीं करता। जिस कर्मचारी के मन में यह आ जाए कि विभाग कुछ नहीं करता, तो मैं समझता हूं कि उसके बाद कुछ बचता नहीं है।

आपके स्टाफ की कमी का जैसे बताया कि 2014 के बाद किसी प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं हुई। आप कम से कम पोस्टें तो भरो। कितना घाटा है, थोड़ा-सा और घाटा हो, पर लाभ में लाने के लिए आपको यह सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आप कर नहीं रहे हैं तो जनता पर तो दोहरी मार हो रही है। जनता एक तरफ किराया ज्यादा दे, दूसरी तरफ मजबूरन प्राइवेट में बैठे और फिर सड़क दुर्घटनाओं में घायल हो जाए। यानी इस प्रकार की बात करना, मैं समझता हूं कि आर्थिक मन्दी के इस दौर में जब कोरोना की बीमारी चली है, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है तो केवल इन गरीब लोगों पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाना, मैं समझता हूं कि किसी भी तरह न्यायसंगत नहीं है। मुझे लगता है कि यह तो एक तरह से अक्ल का दिवालियापन है कि हम इन गरीब लोगों का दो-दो हजार रुपये का इस प्रकार से फाइन करके आखिर हम जनता को संदेश क्या देना चाह रहे हैं? आप लगाओ कि जो बिना टिकट यात्रा करे, पर बिना टिकट यात्रा वह कर रहा है तो वह किसके कहने से कर रहा है? ड्राइवर-कंडक्टर के कहने से कर रहा है, उसकी शह पर कर रहा है। उसकी शह को रोकने की तो व्यवस्था है नहीं और जो उस रोडवेज में बैठ रहा है उसके ऊपर कर रहे हैं। जैसा अभी बाबु लाल जी और बाकी लोगों ने

(श्री वासुदेव देवनानी)

कहा कि आम व्यक्ति बिना टिकट के यात्रा नहीं करता, वह किसी न किसी की शह पर करता है कि तुझे मैं बिठा लूंगा, जो अधिकारी देखेंगे वह कर लूंगा, यानी उसकी शह पर वह बिना टिकट के यात्रा करता है। आप जरा उनकी नकेल कसो, आप जरा अपनी व्यवस्थाएं सुधारो, अपने नियम सुधारो, अपना वातावरण ठीक करो, कर्मचारी पूरे करो, भ्रष्टाचार को रोको तो मुझे लगता है कि शायद ये चीजें इम्प्रूव हो सकती हैं। नहीं तो यह ऐसे ही चलेगा। आपको भी 35 महीने तो हो गये और शायद कुछ महीनों में आप भी चले जाओगे। हालांकि आपके सिर पर तलवार लटकी हुई है। हमें लगता है कि आप बने रहें, लेकिन इस प्रकार की स्थिति न रहे। यह जो इस प्रकार की स्थिति चल रही है, यह घोटालों की सरकार है। किसी तरह आपके यहां इस तरह के घोटाले बन्द हों। आज मैं कह सकता हूं कि सारे विभागों में यदि अधिक से अधिक घोटाले हैं तो वे रोडवेज के अन्दर हैं। उन घोटालों को आप रोकिये, तब जाकर ठीक होगा।

आप बड़ी-बड़ी घोषणाएं तो करते हैं, पर उन घोषणाओं की जरा क्रियान्विति तो करो। विधान सभा में खड़े होकर आप पिछली सरकार पर आरोप लगाकर प्रश्न के उत्तर देने में बच सकते हो, पर वास्तविकता से आंखें नहीं मूंदी जा सकतीं। वास्तविकताएं कुछ और हैं और उन वास्तविकताओं पर ध्यान करोगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रतिदिन जो लाखों का घाटा है, वह कम होगा। चलो, हमारे समय कुछ कमियां होंगी, लेकिन तीन साल से तो आप हो। आप उसमें कितना इम्प्रूव कर पाये कि घाटा घटा या बढ़ा, इसी से आपका मूल्यांकन हो जाएगा। आपके घाटा बढ़ क्यों रहा है? यह तो बताओ। आपने कहा कि बसें भी नई लाएंगे, पर मुझे नई बसें कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। अजमेर जिले में मुझे दिखाई देती है कि किस प्रकार की बसें हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि रिफार्म की बातें जो कुछ भी आपने कहीं, वे सारी थोथी साबित हुई हैं। लाखों यात्री आज परेशान हैं। इसलिए इस प्रकार का अधिनियम में संशोधन लाकर आप हमारा भी समय खराब कर रहे हैं और जनता का भी खराब कर रहे हैं। इसका मिस-यूज होगा। दो हजार किसी की जेब में नहीं होंगे कि दो हजार निकालकर वह सज़ा दे देगा। उसके बजाय तो वह कंडक्टर को कुछ रुपये ज्यादा देकर अपनी जान बचाएगा, यानी इससे तो भ्रष्टाचार को कई गुना बढ़ाया जा सकेगा। इसलिए इस प्रकार का आप मत लायें। मेरा आपसे आग्रह है कि इस बिल को आप पारित कराने के बजाय, इसको छह महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित कर दें, ताकि आप सोच समझकर बिल ला सकें और इसमें सारी चीजे लाई जा सकें। रोडवेज

(श्री वासुदेव देवनानी)

को कैसे सही करें, इसके सुझाव दे रहे हैं। आपके पक्ष के लोग भी देंगे तो उन सारे सुझावों को समाहित करके एक कन्क्रीट, काम्प्रीहेंसिव यदि आप बिल लाएंगे तो निश्चित रूप से रोडवेज और राजस्थान का भला होगा। जनता का भी भला होगा, सरकार भी ठीक ढंग से चलेगी और यह जो आपके विभाग का भ्रष्टाचार है, उस पर अंकुश लग सकेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाश चन्द्र मीणा (अनुपस्थित)। श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021 को लाने की जरूरत थी या नहीं थी, यह तो सरकार जाने, लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक छोटा-सा संशोधन लाया गया है। बहुत संशोधनों की जरूरत थी, जिनको एक साथ लाया जा सकता था। लगातार रोडवेज घाटे में जा रही है, आखिर में घाटा कहां हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके कारणों पर सरकार क्यों नहीं जा रही है। सबसे बड़ा घाटा यदि कहीं होता है तो वह वर्कशॉप में होता है। वर्कशाप में नई की नई बसों के पार्ट्स निकालकर बेच दिये जाते हैं, पुरानी बसों के पार्ट्स डाल दिये जाते हैं। इस प्रकार का गोरखधंधा लगातार रोडवेज में चल रहा है, लेकिन इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है क्योंकि इससे अधिकारियों को भी मोटी रकम मिलती है और रोडवेज के मुखियाओं को भी इससे मोटी रकम मिलती होगी। इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं समझता हूं कि यदि इसकी जांच हो जाए और पूरी तरह से इस पर नियंत्रण हो जाए तो रोडवेज का घाटा बहुत कम हो सकता है या घाटा समाप्त हो सकता है, लेकिन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं है।

रोडवेज के घाटे का कारण इनका प्रबन्धन है। कौनसे कंडक्टर को कौनसे रूट पर जाना है, उसका सुविधा शुल्क क्या होगा, उसका वह सुविधा शुल्क तय है। वह सुविधा शुल्क देने के बाद ही उसकी ड्यूटी लगती है। विन्डो पर किसको बिठाया जाएगा, इसकी भी बोली लगती होगी। कौनसी फ्लाइंग किधर जाएगी, उसकी भी बोली लगती है। यानी बोलियां लगा-लगाकर जिस रोडवेज को चूस लेते हैं तो उस रोडवेज में बचेगा क्या? वह खोल ही खोल बचा है, अन्दर का सारा ज्यूस अधिकारी और वहां बैठे लोगों ने चूस लिया है।

माननीय सभापति महोदय, अब लोक पथ परिवहन निगम का तो आपने सुना ही होगा, मैंने भी सुना है, एक नम्बर की 10-10 गाड़ियां चल रही हैं। क्या हो गया अधिकारियों को? क्या हो गया रोडवेज संभालने वालों को?

(श्री मदन दिलावर)

क्यों ध्यान नहीं देते हैं? मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मिलीभगत है और सरकार में बैठकर भी रोडवेज को लूटने का जो षड्यंत्र चल रहा है, यह ठीक नहीं है। यह रोडवेज मेरी या आपकी नहीं है। यह रोडवेज राजस्थान की जनता की है। उसकी खरी कमाई का पैसा उसमें लगता है, पसीने की कमाई होती है, वहां से पैसा आता है लेकिन, हमको क्या लगता है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते है और जब हम विरोध में होते हैं तो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं।

मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अभी प्राइवेट बसें बंद थीं, खड़ी बसों से भी टैक्स वसूल किया गया। क्या भाई, आपका रोड खराब किया क्या उन्होंने? वे तो चली ही नहीं। कौन टैक्स, उनसे क्यों ले रहे हो? लेकिन नहीं, उनको भी जान-बूझकर तंग किया गया और उनसे पैसा वसूला गया। होना यह चाहिए था कि कोरोना काल में जो बसें नहीं चली हैं, उनका टैक्स समाप्त करना चाहिए।

स्वच्छता की बात मुख्य मंत्री भी करते हैं तो प्रधान मंत्री जी भी करते हैं लेकिन, राजस्थान की रोडवेज की बस में बैठकर देखिए, कितनी गंदगी होती है, वहां न कोई सफाई करने वाला है, न झाड़ू निकालने वाला है। चार-चार, पांच-पांच दिन तक सफाई नहीं होती है, गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। जबकि नियम यह है कि गाड़ी स्टार्ट होने से पूर्व उसकी सफाई भी होगी। मैकेनिक उसको पूरा चैक भी करेगा ताकि वह बस रास्ते में जाकर खड़ी नहीं हो जाए, लेकिन मैं देखता हूं कि कई बसें रास्ते में जाकर खड़ी हो जाती हैं। उसका दोषी कौन है? जब मैकेनिक ने उसको ओके कर दिया तो बस खड़ी कैसे हो गयी? लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

आप जाकर के देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि इनका डिपो होता है, जहां यात्री बैठते हैं, वहां पर आप देखिए, शौचालय कितने गंदे हैं, आस-पास कितनी गंदगी है, गंदगी के ढेर हैं, लेकिन कभी सरकार के नुमाइंदों को रोडवेज डिपो परिसर में जाने का समय मिलता है क्या? नहीं मिलता है, क्योंकि वे रोडवेज की बसों में यात्रा नहीं करते, इनको देखना भी नहीं है। राजस्थान के यात्रियों का ध्यान इनको रखना भी नहीं है।

श्री सभापति: कृपया शांत रहें। बोलने दें उन्हें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इनमें से कई लोग तो रात में पैसा गिनने में ही अपना टाइम व्यस्त रखते हैं। दिनभर में कितनी कमाई होगी, उसकी चिंता करते हैं। इसलिए मैं निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि इस

(श्री मदन दिलावर)

भ्रष्टाचार को कम किया जाए। यह हमारे हाथ में है। सरकार चाहे तो कम कर सकती है। अधिकारियों पर अंकुश लगाकर के कम कर सकती है, लेकिन हम अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगाते हैं। अब हम कहां जा रहे हैं, उस गरीब के ऊपर, उससे 10 गुना जुर्माना वसूल कर लो। आपने पैसे लेकर कंडक्टर लगाया है। उसमें कितना हिस्सा किस मंत्री का होता है, किस अधिकारी का होता है, यह देखना पड़ेगा न, लेकिन उसको पैसे लेकर लगाया जा रहा है। पोस्टिंग भी पैसे लेकर दी जा रही है तो जो भ्रष्टाचार का खेल, जो चारों तरफ से चलेगा, उसकी मार झेलने के लिए किसको देख रहे हो? वह असहाय आपका उपभोक्ता है, जो आपका यात्री है, जिसके पास कोई दूसरा साधन नहीं है। उसका जाना मजबूरी है, उसको लूटने का यत्न कर रहे हैं। होना यह चाहिए था कि यात्री पर भी जुर्माना होता, लेकिन कंडक्टर और उसके डिपो मैनेजर पर भी जुर्माना होता। जितना आप यात्री पर जुर्माना कर रहे हो, उससे दस गुना कंडक्टर पर होना चाहिए था और बीस गुना डिपो मैनेजर पर होना चाहिए था।

(14.54 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

यदि यह हो जाएगा तो मेरी गारंटी है कि रोडवेज फायदे में आ जाएगी। पर ऐसा नहीं करेंगे और इसलिए नहीं करेंगे कि इनको मंथली आना बंद हो जाएगा।

मैं एक अधिकारी से बात कर रहा था तो वे मुझे बता रहे थे, माननीय सभापति महोदय, वे यह कह रहे थे, हम बोरे-बोरे भर-भरकर के नोट रखकर आते हैं, तब जाकर के इन पदों पर रहते हैं। यदि हम पैसा नहीं देंगे तो इन पदों पर नहीं रह सकते। इसलिए माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की गरीब जनता की सोचिए, उस यात्री की सोचें, जिसके पास कोई साधन नहीं है, आवागमन के लिए मजबूर है, उसको कहीं न कहीं जाना पड़ता है। उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसको लूटने का यत्न कर रहे हो, यह ठीक नहीं है।

इस राजस्थान रोडवेज को सुधारने के लिए मेरा एक सुझाव है। सबसे पहले तो लोक पथ परिवहन की जो बसें चल रही हैं, एक गाड़ी के एक ही नम्बर हो, न कि दस-दस गाड़ियां एक नम्बर पर चल रही हैं। उन पर जब कार्यवाही होती है तो मुख्यालय से फोन जाते हैं कि हमारे मिलने वालों की है, यह हमारे रिश्तेदार की है, इसका तो पैसा आ गया है। इस प्रकार की जो चर्चाएं होंगी तो किस प्रकार से रोडवेज सुधरेगी? इसलिए, संशोधन लाने का जो

(श्री मदन दिलावर)

नाटक है न, बंद करिए। ईमानदारी से एक साथ सारे संशोधन ले आइए और उसके ऊपर अधिकारी-कर्मचारियों पर भी अंकुश रखिए। उन पर भी जुर्माना लगाइए। मेरी गांरटी है कि एक साल के अन्दर रोडवेज फायदे में आ जाएगी। इतना मेरा निवेदन है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको 6 माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: माननीय श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को इस सदन में इंगित करना चाहूंगा कि 1925 को विजयादशमी के दिन हिन्दुस्तान में एक साधारण से व्यक्ति ने एक संगठन को प्रारम्भ किया और संगठन को प्रारम्भ करने में मात्र 25 व्यक्ति थे। जब यह संगठन प्रारम्भ हुआ, उस दिन और उस संगठन की नींव डाली गयी, उस अवसर पर कोई लम्बे-चौड़े भाषण नहीं थे, न उस संगठन के आशय के बारे में बड़े-बड़े समाचार पत्रों में कोई प्रकाशन हुआ, न कोई अंतिम कार्ययोजना थी, न कोई लिखित संविधान था क्योंकि जिस संगठन की स्थापना, जिस उद्देश्य के साथ में हुई थी, वहां उनकी सैद्धान्तिक बातों और कागजी कार्यवाही की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने में अधिक विश्वास के कारण हुआ था और जिस संगठन की स्थापना हुई उस संगठन का नाम है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आज मैं इसलिए यह बात कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, कि 2018 के विधान सभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं ने, मित्रों ने लम्बे-चौड़े भाषण दिये थे। उसमें राजस्थान रोडवेज को भी घाटे से उबारने के लिए और यह आरोप लगाया गया था कि बीजेपी की जो सरकार थी, वह ऐसे काम कर रही है कि रोडवेज को बेच देगी, उसकी सम्पत्ति को बेच देगी। मैं कहना चाहूंगा कि यह आरोप-प्रत्यारोप लगाना तो बेहद आसान है, लेकिन उस पर काम कर अपने किये हुए वादों को पूरा करना बहुत मुश्किल काम होता है।

मैं कहना चाहूंगा कि बहुत आसान है औरों पर लगाना तोहमत, खुद के ऐबों को सरेआम बताकर देखो, जो गंदे हैं बहुत, पाक और साफ बने फिरते हैं, कोई तो हो जो इनको आईना लाकर दिखाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, कि यह जो विधेयक आप लेकर आये हैं, मूल

(श्री अविनाश)

अधिनियम 1975 के अधिनियम की संख्या 11 की धारा (6) में आपने संशोधन किया और मात्र संशोधन किया कि पहले इस अधिनियम में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री का भाड़ा या 5 रुपये की पैनल्टी, दोनों में से जो भी अधिक होगा, वसूल होगा। आपने इस अधिनियम की धारा 2(1) में संशोधन करके यह किया है कि वर्तमान की धारा में जो यात्रा करने वाला यात्री है, बिना टिकट के अगर पकड़ा जाता है तो उसको यात्री भाड़े का 10 गुना या 2 हजार रुपये की राशि उससे वसूल की जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान लोक परिवहन सेवाएं, राजस्थान रोडवेज की बसें जन-हितार्थ के लिए चलाई जाती हैं। जिस आम जनता के पास में स्वयं का साधन नहीं होता है और हिन्दुस्तान की व इस प्रदेश की अधिकांश जनता जो गांवों में निवास करती है, जिनके पास में स्वयं का साधन

(15.00 बजे)

नहीं होता है, राजस्थान रोडवेज की बसों में परिवहन करने की उनकी मजबूरी होती है। आज अगर इस प्रकार का पैनल्टी का अधिनियम आप लोग लेकर आये हैं तो निश्चित रूप से यह प्रदेश की जनता के साथ में कुठाराघात होगा। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि यात्रियों पर पैनल्टी लगाने की बजाय अगर आप लोग, जो रोडवेज के कंडक्टर होते हैं, जो परिचालक होते हैं उनके ऊपर इस प्रकार का कोई कानून लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से रोडवेज का जो घाटा है वह कम होगा, और मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि आपने कुछ दिनों पहले, जैसे अभी सब ने बताया था कि आपने भी हमसे कुछ प्रस्ताव मांगे थे कि जो ग्रामीण परिवहन बस सेवा, जो भारतीय जनता पार्टी के समय में चल रही थी और आपके आने के बाद में बंद हो गई, उसको पुनः चालू करने के लिए आपने हमसे प्रस्ताव मांगे थे। हमने आपको प्रस्ताव दिये। मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में भी जहां अधिकांश लोग गांव में निवास करते हैं, वहां पहले जो रूट चलता था, चाहे वह पाली से पाटवा होकर जोधपुर का हो, चाहे ब्यावर से लेकर बर-गिरी-बावरा का हो, चाहे जैतारण से मेड़ता का हो या जैतारण से बिरोल-निम्बोल-बोरूंदा होते हुए गोटन तक का बड़ा रूट हो, ये सारी रोडवेज बसें बंद कर दी गयीं। हुआ क्या? मान्यवर, मैंने अधिकारियों से पूछा कि आपने ये रोडवेज बसें किसलिए बंद कीं? उन्होंने हमें यह कहा कि राजस्व पूरा प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हमें इनको बंद करना पड़ा। मैंने उनको सुझाव दिया। मैंने कहा कि आप रोडवेज बसों को पुनः चालू करें, इनका

(श्री अविनाश)

जो पहले का रूट था उसके हिसाब से ही चालू करें और कम से कम हमें बताएं। मैं और इस गांव की जनता, 7 दिन का अवसर हमें दें, हम उस रोडवेज के अन्दर जाएंगे। सुबह से लेकर शाम तक उसके अप एंड डाउन का जो नंबर होगा, उसमें हम लोग रहेंगे। मैं ईमानदारी से कहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि उस बस में एक सीट भी खाली नहीं होती थी। ओवरलोड सवारी भरकर जाती थी, लेकिन जो कंडक्टर होते थे, राजस्थान सरकार की रोडवेज का मिनिमम 35% के करीब जो टिकटों का देने का जो प्रावधान बना हुआ है, इतने ही टिकट वे देते थे और बाकी वहां यात्रियों का जो पैसा था, वह उनकी जेब में चला जाता था। बिना टिकट के यात्रा करवाते थे। जब 7 दिन बाद में रिपोर्ट होती थी, 10-15 दिन बाद में जब रिपोर्ट मिलती तो उस समय रेवेन्यू कम करने का बहाना बनाकर उन रोडवेज बसों को बंद कर दिया गया। मैंने कहा कि आप हमें बताइए हम सुपरविजन करेंगे और सौ परसेंट मैं गारंटी देता हूं कि यह रोडवेज घाटे में नहीं चलती है, प्लस में चलेगी, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के कारण, प्राइवेट बस एसोसिएशन की मिलीभगत के कारण यह रोडवेज की बसें बंद कर दी गयीं। मैं चाहता हूं कि जो प्राइवेट बस एसोसिएशन के लोग हैं, अभी बहुत सारे सदस्यों ने कहा कि ये रोडवेज बसों के आगे-आगे चलते हैं। यह बिलकुल ठीक बात है। जब रोडवेज की बस किसी रूट पर चलती है तो उसका एक निश्चित समय होता है। उससे 15 मिनट पहले प्राइवेट बस उसके आगे चलती है सारी सवारियों को ले जाती है। जैतारण से जोधपुर का किराया अगर 100 रुपये है तो वह 70 रुपये में एक पैसेंजर को बैठाकर ले जाती है। गांव का गरीब व्यक्ति 100 रुपये के चक्कर में 70 रुपये उसको देकर उसमें बैठ जाता है और रोडवेज बसें पीछे-पीछे खाली चलती हैं। इस प्रकार के सुझाव पर अमल करने की जरूरत है।

बसों में महिला सुरक्षा को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। संभव हो तो सी.सी.टी.वी. कैमरे की व्यवस्था की जाए, ताकि उस बस का संचालन किस प्रकार से हो रहा है उसके टिकटों का वितरण किस प्रकार से हो, यह भी रोडवेज को आगे बढ़ाने के लिए होगा।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय, मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र में जो बड़े-बड़े कस्बे हैं। पूरे विधान सभा क्षेत्र के सबसे बड़े कस्बे नीमाज, जैतारण, सेंदड़ा, इनमें आपके आगार ने, आपके द्वारा आदेश दिया गया कि जितनी भी रोडवेज की बसें हैं गांव, कस्बे, शहर के बीच में से निकलेंगी, लेकिन आपके आदेश को भी नहीं मानते हुए आज भी बाईपास पर

(श्री अविनाश)

2 किलोमीटर पहले यह कहकर उतार दिया जाता है कि गाड़ी शहर के अन्दर नहीं जाएगी। वहां बड़े बुजुर्ग, महिलाएं ये सारे 2 किलोमीटर पैदल चलते हैं। जब अकेला व्यक्ति चलता है तो उससे अपराध बढ़ने की संभावना भी बढ़ती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो आप संशोधन लेकर आये हैं, माननीय मंत्री महोदय, इसको 6 महीने के लिए जनता को जानने के लिए परिचालित करें, ताकि हमारे इस प्रदेश की जो गांव की जनता है, इसको समझे और यह जो 2000 रुपये का आप ने पैनल्टी लगाने का प्रावधान किया है, इसको भी कम करें। यह पैनल्टी उन कंडक्टरों के ऊपर लगाएं, ताकि इससे भ्रष्टाचार को खतम होने में सहायता मिलेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): धन्यवाद, सभापति महोदय। आज सदन जब राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहा है तो उसमें मुझे आपने अवसर दिया, समय दिया, उसके लिए आपका आभारी हूं। मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि मैं उन एम.एल.एज. में से हूं, जिन्होंने रोडवेज में सबसे ज्यादा यात्रा की है। एम.एल.ए. बनने से पहले भी और बाद भी मेरी आधी जिंदगी रोडवेज की बसों में कटी। सारी रात बस में यात्रा करना, दिन भर काम करना, फिर रात में बस में यात्रा करना, ऐसा बहुत किया है। मैंने बहुत लम्बे समय तक किया है। जब मैं बस में बैठा होता हूं तो ड्राइवर, कंडक्टर और उन लोगों से मैं, जहां भी अवसर मिलता है, चर्चा भी करता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि क्या हो रहा है। इसलिए उस अनुभव के आधार पर मैं यह कहता हूं कि यदि आज का यह बिल लाने का उद्देश्य यह है कि रोडवेज को घाटे से उबारा जाए, रोडवेज की इनकम में बढ़ोतरी की जाए तो इससे यह कुछ नहीं होने वाला है। राजस्थानी में एक कहावत है कि हाथी निकल रहे हैं और पूनी पर रोक लगा रहे हैं। पूनी यानी कपास का जो टुकड़ा होता है, गांधी जी के हाथ में जो है, जिससे तार निकलता है। पूनी पर रोक लगा रहे हो और हाथी निकल रहे हैं तो कैसे आप यह करोगे? यह पूनी के बराबर है रूई की पूनी के बराबर, हाथी तो वैसे ही निकल रहे हैं। बिना टिकट यात्रा कौन करता है? बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री, सभापति महोदय, दो तरह के होते हैं। एक तो मेरे जैसे गरीब आदमी होते हैं, जिसने कंडक्टर को पैसा दे दिया, लेकिन उससे टिकट वापस मांगने की हिम्मत नहीं होती है। मांग ले और कंडक्टर कह दे कि ठीक है, तेरे

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

को क्या करना है, बैठ जा, तो बेचारा बैठ जाता है। एक कैटेगरी तो वह है। दूसरी कैटेगरी वह है, जिसके बारे में अभी इस पर चर्चा के समय ही चर्चा हो गयी कि जो टिकट नहीं खरीदना अपनी शान समझते हैं और कंडक्टर की हिम्मत नहीं कि उनसे मांग ले। मांग ले तो दोबारा उसी रूट पर कल भी आना है। ये दो तरह के आदमी होते हैं। यह भी यदि दूसरी कैटेगरी वाले दबंग टाइप के यात्रियों पर लागू होता, तब तक तो ठीक है, पर मेरा दावा है कि यह पैनल्टी भी उन पर नहीं लगनी है। पैनल्टी उन्हीं पर लगनी है ज्यादातर, जिनको कंडक्टर की दबंगई से टिकट नहीं मिला। पैसे उससे ले लिये गये तो उसके पैसे भी गये और पैनल्टी अलग लगेगी। मेरे वहां जालौर गुजरात से नजदीक पड़ता है तो वहां गुजरात से बहुत बसें आती हैं। गुजरात की बस में जब कोई यात्री चढ़ता है तो चढ़ते ही दरवाजे पर कंडक्टर खड़ा रहता है, कहता है कि टिकट लेकर अन्दर जाओ। वहां भी राजस्थान रोडवेज की आदत के हिसाब से कई लोग कहते हैं कि, साहब, 100 रुपये का टिकट है, तो कंडक्टर साहब, 80 रुपये ले लो, चल जाएगा। गुजरात का कंडक्टर कहता है कि 1 रुपया भी कम नहीं चलेगा, टिकट तुझे लेना ही लेना है, टिकट मैं दूंगा ही दूंगा। गुजरात रोडवेज के 99% कंडक्टर यह व्यवहार करते हैं। हमारी तरफ क्या है। हमारी तरफ यदि कोई 110 रुपये का टिकट है और मेरी जेब में 100 रुपये हैं और मैंने 100 रुपये दिये तो कंडक्टर साहब ही कह देंगे कि ठीक है, ठीक है, रहने दे, चलेगा। 10 रुपये बचे यात्री के, कंडक्टर को 100 रुपये मिल गये और रोडवेज को 110 रुपये का चूना लग गया। यह सीन है। मैंने देखे हैं, आज भी हैं ऐसे सीन तो उन पर भी हम, उस कल्चर को हम चेंज कर सकते हैं क्या? जो गुजरात रोडवेज में अपना कल्चर बना रखा है, अपने स्टाफ का जो स्वभाव बना रखा है, वह स्वभाव, वह कल्चर हम अपने स्टाफ में डवलप कर सकते हैं क्या? एक तो यह करने की जरूरत है।

दूसरा, जो रोडवेज को सबसे बड़ा घाटा हो रहा है, कंडक्टर की हिम्मत नहीं है बदमाशी करने की। कंडक्टर तभी बदमाशी करता है, कंडक्टर भी दो तरह के होते हैं। एक गरीब होते हैं, जो एकाध टिकट गलती से रह गया तो मारे जाते हैं, सस्पेंड होते हैं। दूसरे दबंग टाइप के होते हैं, पूरी की पूरी बस खाली, पूरी की पूरी बस, मैंने देखी है पूरी की पूरी बस बिना टिकट के जा रही है। उसको कोई चेक करने वाला नहीं होता है। जो चेक करने वाले होते हैं वे पहले से मिले हुए होते हैं। किस रूट पर कौन कंडक्टर जाएगा, उसमें भी बिल्कुल पक्का है। कई कंडक्टर नौकरी के पहले दिन से लेकर रिटायरमेंट तक

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

एक ही रूट पर चले, नहीं छुड़वा पाए उनसे वह रूट, क्योंकि जो भी अधिकारी आता था, उनकी मुट्ठी में होता था। वे पैसा देते हैं या दबंगई से, जैसे भी है और फिर वह कंडक्टर जैसे चलता है, वैसे ही चलता है। कोई अधिकारी उसको रोक नहीं सकता है। ये सीन भी मैंने देखे हैं। मेरी आंखों से देखे, इसलिए उसको भी रोकने की जरूरत है। अफसरों की शह के बिना कंडक्टर भी बदमाशी नहीं कर सकता। अफसरों की शह भी नहीं, हिस्सेदारी के बिना कोई कंडक्टर बदमाशी नहीं कर सकता। यदि ईमानदारी से तय कर लें कि नहीं करने देना है, तो नहीं हो सकता। इसको भी आपको सुधारने की जरूरत है।

मैं कई बार इस सदन में कह चुका हूं कि राजस्थान रोडवेज का अस्तित्व में रहना राजस्थान की जनता के लिए बहुत आवश्यक है। यदि रोडवेज नहीं होगी या नहीं होती तो प्राइवेट बस वाले हमारी क्या हालत करते? यात्रियों के साथ जो बदतमीजी वे करते हैं, यात्रियों के साथ जो मिसबिहेव वे करते हैं और जो कुछ भी उनका व्यवहार होता है, वह भी अपने आप में बहुत खतरनाक स्थिति में होता यदि रोडवेज का विकल्प हमारे पास नहीं होता। लेकिन रोडवेज जिस दिशा में चल पड़ी, जब ये प्राइवेट बसें बिलकुल नहीं चलती थीं तो रोडवेज के स्टाफ की दादागीरी भी अपनी जगह थी। यहां नहीं रुकेगी, यहां से नहीं बैठ सकते, यहां नहीं उतर सकते, वह सारा चलता था। उसके कारण भी यात्री परेशान थे। इसलिए मेरा सुझाव है और मेरी मान्यता है कि राजस्थान को यदि अच्छी ट्रांसपोर्ट सुविधा देनी है तो इन दोनों का पैरेलल चलना जरूरी है। प्राइवेट बस के माध्यम से रोडवेज पर अंकुश लगाया जाए और रोडवेज के माध्यम से प्राइवेट बसों को काबू में रखा जाए, उनको अनुशासन सिखाया जाए। यह दोनों पैरेलल सिस्टम बनाने चाहिये। हम नहीं बना पा रहे हैं। हम भी नहीं बना पाये, आप भी नहीं बना पाये। जो भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आता है, पहला स्टेटमेंट होता है कि प्राइवेट बसों पर अंकुश लगाया जाता है। एक हफ्ते बाद भूल जाते हैं और उस एक हफ्ते में क्या-क्या होता है, कहने की जरूरत नहीं। यह होता है, यह हो रहा है। मंत्री महोदय, यदि इन दोनों को करना ही चाहते हैं तो इन दोनों का सिस्टम बनाइए। पूरा रूट शिड्यूल आप तय कीजिए। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तय करे 7 बजे रोडवेज की बस जायेगी, 7.30 बजे प्राइवेट जायेगी, 8 बजे रोडवेज जायेगी, 8.30 बजे प्राइवेट जायेगी। यह शिड्यूल आप तय कीजिए और फिर उस शिड्यूल का

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

पालन करवाइए। जब 7 बजे रोडवेज की बस जानी है, वह अगर टाइम पर नहीं निकलेगी, 7.05 भी हो गये तो 7.30 बजे जो प्राइवेट वाला है, वह कहेगा कि नहीं, अब आप नहीं चल सकते। यह अंकुश लग गया। 7.30 बजे जो प्राइवेट बस जानी है, वह 5 मिनट भी देर से चल गयी तो 8 बजे रोडवेज वाला उसके सामने खड़ा हो जायेगा, अब आप नहीं जा सकते। यह एक दूसरे पर चैक-बैलेंस हो गया। इसी तरीके से किराये के मामले में भी कीजिए। रोडवेज का किराया आप अपने ढंग से तय करते हैं। रोडवेज 100 रुपये ले रही है, प्राइवेट वाला 70 में ले जा रहा है, रोडवेज घाटे में जायेगी ही जायेगी। जब 10-15 मिनट पहले 70 रुपये वाली बस जा रही है तो मैं 100 वाली में क्यों बैठूंगा, इसलिए रोडवेज का प्राइवेट के बराबर किराया कीजिए। प्राइवेट का किराया भी आप तय कीजिए, रोडवेज का किराया भी आप तय कीजिए, दोनों का बराबर रखिए। आपका अपना सिस्टम है, इतना भारी सफेद हाथी हमने पाल रखा है तो 70 रुपये में जो घाटा हो रहा है, उस घाटे की पूर्ति सरकार करे। सरकार अपने खजाने से पूरी करे। प्राइवेट के कम्पीटिशन में बसों की क्वालिटी के आधार पर, स्टाफ के व्यवहार के आधार पर और किराये की राशि के आधार पर उनके बराबरी में रोडवेज खड़ी रहे। उसके कारण जो घाटा हो रहा है, उसकी भरपाई सरकार करे। जनकल्याण वाली सरकार है, हम यहां कमाने के लिए नहीं आये हैं। रोडवेज कमाने के लिए नहीं बनाई गयी, सेवा देने के लिए बनाई है। इस जन कल्याणकारी भावना को ध्यान में रखते हुए रोडवेज के घाटे की भरपाई सरकार करे और इतनी भरपाई करे कि प्राइवेट बसों के कम्पीटिशन में रोडवेज खड़ी रह सके। हम वह नहीं कर पा रहे हैं। घाटा बचाने के लिए हम रोडवेज का किराया बढ़ाते हैं। वह किराया बढ़ते ही घाटा भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें यात्री बैठने बंद हो जाते हैं, यात्री भार कम हो जाता है। इसको भी देखने की जरूरत है। सरकार से उम्मीद करना कि वह भरपाई करेगी, मैंने तो कुछ ज्यादा उम्मीद कर ली। हालत यह है कि जिनको आपने फ्री यात्रा के लिए अनुमति दे दी, रक्षा बंधन के दिन कोई भी महिला यात्रा करेगी तो टिकट नहीं लगेगा। टिकट नहीं लगेगा, मतलब उस टिकट का पैसा रोडवेज को सरकार देगी। नहीं मिलता, सालों तक नहीं मिलता। आपने दिव्यांगों को छूट दे रखी है। वह पैसा मिलना चाहिये, वह नहीं मिलता। एम.एल.ए., एम.पी. सफर करता है, एक मात्र वह पैसा रोडवेज को टाइम पर

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

पहुंचता है, क्योंकि वह विधान सभा दे रही है पर जो सरकार से मिलना है, खिलाड़ियों को आपने छूट दे रखी है, वरिष्ठ नागरिकों को छूट दे रखी है, महिलाओं को 30 परसेंट छूट दे रखी है, वह 30 प्रतिशत राशि सरकार के खजाने से आनी चाहिये, सालों तक नहीं आती है। रोडवेज उबरेगी कैसे, रोडवेज को तनख्वाह मिलेगी कैसे, रिटायर्ड लोगों को पेंशन मिलेगी कहां से? सरकार अपना दायित्व निभाने में विफल रह रही है, इसलिए भी रोडवेज का घाटा बढ़ रहा है और इसलिए, मंत्री महोदय, इस छोटे से बिल को तो आप वापस लीजिए और रोडवेज को घाटे से उबारने का एक अच्छा-सा मास्टर प्लान बनाकर, सब पक्षों से पूरा विचार विमर्श करके, रोडवेज के क्लीनर से लेकर चेयरमैन तक सबकी राय लेकर और जनता की भी राय लेकर अच्छा-सा बिल लाइए तो यह रोडवेज सर्वाइव कर पायेगी। मैं फिर कह रहा हूं रोडवेज का जिंदा रहना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। जनता के हित के लिए रोडवेज और प्राइवेट को पैरेलल कंट्रोल में रखकर चलाइए। प्राइवेट वाले निरंकुश नहीं चलें, यह भी बहुत जरूरी है। यह सब करने के लिए आप अच्छा नया बिल लायेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इस बिल से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री सभापति: माननीय श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021, मंत्री जी जो यह संशोधन लेकर आये हैं, इस संशोधन से रोडवेज का घाटा पूरा होने वाला नहीं है। अगर रोडवेज का घाटा पूरा करना है तो सर्वप्रथम जो यह अवैध बसों का संचालन हो रहा है, यह मैं 1990 से सुनते आ रहा हूं, हमारे राज में भी सुना, इनके राज में भी सुना, पर इन पर अंकुश क्यों नहीं लग पाता, इसका कारण क्या है? सभापति महोदय, कारण सीधा-सीधा यह है कि यह जो बड़े-बड़े बसों के मालिक हैं, इनके सम्पर्क अधिकारियों से भी हैं, सरकार से भी हैं, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। यह पूर्ण सत्य बात है। इसमें मिलावट वाली कोई बात नहीं है। सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ता सही कह रहे थे। वह बात मैं दोहराऊंगा नहीं। जैसे गंगानगर से रोडवेज की एक बस 7.30 बजे चलती है, उसका किराया है 750 रुपये और प्राइवेट का 550 रुपये, 9.30 बजे चलती है और उसके बराबर ही पहुंचती है। उसमे जो सुविधा है रोडवेज में बैठने से तो सुबह हड्डी-पसलियां भी डाक्टर को दिखानी पड़ती हैं

(श्री रामप्रताप कासनियां)

और प्राइवेट बस की जो सुविधा है, उसके बनिस्बत रोडवेज की सुविधा नहीं मिलती। इस कारण से लोग प्राइवेट बसों में सफर करने का काम करते हैं। सभापति महोदय, यह संशोधन क्या सोचकर मंत्री जी लाये हैं? मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सत्ता में आते ही घोषणा की थी कि रोडवेज को घाटे से उबारेंगे। मैंने सोचा यह भैरोंसिंह जी के वंशज हैं, मुंह से जो कहेंगे वह करके दिखायेंगे। मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आपकी रगों में अगर उनका खून है तो इस रोडवेज को घाटे से उबारने का काम करें। सभापति महोदय, कंडक्टरों की बात आयी, बिना टिकट के यात्रा करवाते हैं। यह जो 2000 रुपये पैनल्टी लगेगी, इस देश में, इतनी बेईमानी हो गयी, जिसकी कोई सीमा नहीं है। यात्री भी कम नहीं हैं, 100 की यात्रा कोई 50 में कराये तो वह बिलकुल करने के लिए तैयार हैं, पर जब चैकिंग होगी तो टिकट उसके पास नहीं होगी, कंडक्टर यह नहीं कहेगा कि मैंने इससे पैसे ले लिए। हकीकत में पैसे यात्रा करने वाले व्यक्ति से वसूल कर लिए जाते हैं। घाटे के अनेक कारण हैं। यह रोडवेज तो सरकारी बस है और आज तक सरकार ने यह प्रयास नहीं किया कि रोडवेज के कंडक्टर और ड्राइवर, जो रोडवेज को फायदे में लायेंगे उनको यह इनाम दिया जायेगा, कभी भी कोई प्रोत्साहन राशि के बारे में मैंने तो सुना नहीं, छोटे-मोटे रूप में कोई कर दिया हो तो मुझे पता नहीं।

एक तरफ आप इस तरह के बिल ला रहे हैं। 5 किलोमीटर की परिधि में कोई बस अड्डा नहीं होगा। सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि 5 किलोमीटर पर अड्डा नहीं होगा तो अगले बस अड्डे का किराया लेंगे और उतारेंगे कहां? कई बार तो आगे जाकर उतारते हैं।

मंत्री महोदय, अगर आपको संशोधन लाना है तो जनता को राहत देने वाली बात करें। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने स्वयं रोड पर देखा है कि आर.टी.ओ., पता नहीं, कितने-कितने तरह की फ्लाइंग्स हैं और प्राइवेट बंदे लगाकर अवैध वसूली करने का काम करते हैं। यह मैंने मेरी आंखों से देखा है। कोई यह समझे कि सरकार से चोरी छिपी हुई है, ऐसा नहीं है। सभापति महोदय, एक कहावत है - 'मण सोना मासा कुमत बराबर है' यानी मासा कुमत, मण सोने से भी शक्तिशाली है। अगर मिलती हो तो मासा कुमत लेनी चाहिए। यह कहावत है। कुमत में इतनी बड़ी शक्ति है। फिर भी आप चोरी नहीं रोक सकते हैं। यह महज चर्चा ही चर्चा बनकर गयी। मैं 1990 से सुनता आ रहा हूं। मुझे देकर देखो, नहीं रुके तो। एक घंटे के लिए देकर देखो, पता

(श्री रामप्रताप कासनियां)

लगे। प्राइवेट वाले चोरी करते हैं। चोरी जबरदस्ती थोड़े ही करते हैं। हजारों बसें पोलोविक्ट्री के पास या सिंधी कैम्प से चलती हैं। ये बसें रोकने का काम आप क्यों नहीं करते हैं? अगर आप में हिम्मत है, दम है तो दिखाएं। पूर्ववर्ती सरकार ने यह किया, वह कह देंगे, दूसरे कह देंगे, इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। कुछ करके दिखाएं, फिर पता लगे कि वाकई में इस मंत्री ने यह काम करके दिखाया है। मंत्री भी क्या करे, पावर केंद्रीकृत है। सबसे बड़ी बीमारियां ये भी हैं। यह पावर केंद्रीकृत करने की प्रथा जब से आयी है, तब से मंत्री तो सब पंगु हैं। यह कहने में भी कोई संकोच नहीं है। (व्यवधान) मैंने पहले ही क्या कहा था? सुना था क्या? 1990 से लेकर आज तक चाहे सरकार किसी की रही है, मैं यह सुनते आया हूं, मैंने ऐसा बोला था न। बोलते सब हैं, तीर कोई नहीं मारता है। तीर मारकर दिखाएं, तब मानेंगे। राजस्थान के अवाम को सस्ती यात्रा मिले, यह व्यवस्था करो। प्राइवेट बसों को आप एक बार बंद करके ही देखो, लोग अपने आप रोडवेज में चढ़ेंगे। रोडवेज का समय 7 बजे, वह पौने 7 बजे चला जाएगा। ये रूट कौन देता है? विभाग ही तो देता है, सरकार ही तो देती है। चोरी करने का काम तो आप स्वयं पैदा करते हैं और बहाना कंडक्टर एवं ड्राइवर का बना देते हैं। स्पेयर पार्ट के अन्दर दुनिया भर की लूट होती है, मरम्मत के अन्दर दुनिया भर की लूट होती है। सभापति महोदय, बाड़ खेत को खाने लगे तो वह खेत नहीं पनपेगा। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको संशोधन भी लाना है और कोई बिल लाना है तो इस तरह का लायें कि रोडवेज फायदे में आये और राजस्थान के अवाम को सस्ती यात्रा मिले, इस तरह का प्रबंध करके दिखाएं, यह सरकार का दायित्व है। मंत्री महोदय, आप तो गायब ही हो गये। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी रगों में भैरूं बाबा का खून है आप कुछ करके दिखाएं, अन्यथा आपका मंत्री रहना ही व्यर्थ है। जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय श्री अमृतलाल मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): सभापति महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर चर्चा चल रही है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मंत्री जी को इस हैसियत से रोडवेज मिनिस्ट्री दी थी, क्योंकि उनको काफी अनुभव है। हम भी जानते हैं। बसें चलायीं, तांगे यूनियन के अध्यक्ष रहे, टैम्पो के रहे। राजस्थान के विभिन्न साधनों के अध्यक्ष रहे, इस आधार पर सोचा कि इनको मंत्री बनाने के बाद शायद, राजस्थान की रोडवेज को जिसे लाइफलाइन कहा जाता है,

(श्री अमृतलाल मीणा)

उसका कुछ सुधार होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी को मंत्री पद दिया गया। हमें उम्मीद भी है, सारा सदन भी जानता है कि ये कुछ कर सकते हैं। इनमें शक्ति है, इनमें करने की इच्छा है, लेकिन जो दो-चार व्यक्ति हैं, सबसे पहले जो डिपो का आगार प्रबंधक है, पता नहीं राजस्थान में कितने डिपो हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्ट वही है। वह सारे प्राइवेट वालों से मिला हुआ है। सारी अर्द्धसरकारी प्राइवेट बसें हैं उनसे मिला हुआ है।

दूसरा, आर.टी.ओ. है। इनके जितने भी आर.टी.ओ. हैं, हम देखते हैं, कहीं विधायक की गाड़ी निकल रही है, मंत्री जी की गाड़ी निकल रही है या सांसद की गाड़ी निकल रही है, उनको जरा भी परवाह नहीं है। आप अगर प्रयोग करना चाहें तो एक बार उतरकर देखना, कैसे आर.टी.ओ. के कर्मचारी भागते हैं, वहां से सीट छोड़कर। वह एक कोने में बैठा रहता है, डंडे बजाने वाला अलग है। इसकी वजह से भी नुकसान हो रहा है।

तीसरा, कंडक्टर है। कंडक्टर लूटमारी करता है। सबसे ज्यादा आफिस में बदमाशी, विंडो पर बदमाशी। सदन में ये भी बताएं कि हममें से कितने माननीय सदस्यों की प्राइवेट बसें चल रही हैं। अगर यह खुलासा भी हो जाता है तो सबसे बड़ी बात होगी। ईमानदारी की बात है। इनको सौगंध खिलायी जानी चाहिए कि हममें से कितनों की गाड़िया हैं? माननीय धारीवाल साहब की गाड़ियां हैं या माननीय कल्ला साहब की हैं या रोडवेज मिनिस्टर साहब की हैं। कहीं न कहीं खुलासा हो। राजस्थान में जिस क्षेत्र में रोडवेज बस जाती है, उसकी बहुत बड़ी इज्जत है। हमारे एरिया में यदि किसी ग्रामीण क्षेत्र में अगर रोडवेज बस जाएगी तो पूरी सरकार की वाहवाही होगी। बस की बहुत बड़ी मान्यता है। मंत्री जी, आपसे मेरा निवेदन है कि 2016 से जो रिटायर हुए हैं, उनको पी.एफ., पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है, इसके बारे में आपको सोचना होगा।

रोडवेज की गाड़ियों की कमी ...(व्यवधान) टायर तो मिलते हैं। आपस में चेंज कर देते हैं। आप भी देख रहे हो, कोई पुरानी गाड़ी बता दो, नया चेंज कर दो। आपने भी कई बार यह चेंज करने की कोशिश की है।

मेरा यह निवेदन है कि रोडवेज का विभाग अपने आप में अनाथ महसूस कर रहा है, उसको सही लाइन पर लायें, सरकार के हाथों में लायें और घाटे को उबारें। 2014 के बाद भर्ती नहीं हुई है, इसलिए भर्ती करें। ग्रामीण क्षेत्रों में बसें चलाने का काम करें। हमने सुना है कि 100 वोल्वो बसें लाये हैं।

(श्री अमृतलाल मीणा)

माननीय मंत्री जी ने हमसे अलग-अलग रूटों के प्रस्ताव मांगे थे। पता नहीं, किस दबाव में आने की वजह से वे बसें खरीद नहीं पा रहे हैं या चला नहीं पा रहे हैं। मंत्री जी, आप धैर्य बनाये रखें। धैर्य बनाकर गाड़ी खरीदें और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बसें चलाएं व प्राइवेट वालों का सामना करें। आप शाम को देखिए, हम स्वयं बस स्टैंड पर जाते हैं तो हम खुद सरकारी बस में नहीं बैठ पा रहे हैं। आमने-सामने इतनी गाड़ियां प्राइवेट वाले लगा रहे हैं। आपके पास अपार सम्पत्ति है। 80 हजार करोड़ से ज्यादा की तो आपके पास सम्पत्तियां हैं पूरे राज्य में। सरकार के पास है, डिपार्टमेंट के पास है। इनको 5 हजार करोड़ उन सरकारी कर्मचारियों को देना है, कर देना चाहिए। एक बार बांहें खोलकर के बिलकुल, सोचकर उनकी जो बात है, (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उसका फैसला करवाकर जो 2016 से बिलकुल पैसों की ताक रहे हैं, मोहताज हो रहे हैं। हमें कह रहे हैं, विधायकों को कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं। उसका समाधान कीजिए। यही कहना है। धन्यवाद, जय हिन्द, जय राजस्थान।

श्री सभापति: माननीय श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (बिना टिकट यात्रा-निवारण) एक्ट, 1975 में जो अमेंडमेंट का प्रस्ताव है, वह अविवेकपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण है। पैनल्टी का उद्देश्य कार्य करने की प्रवृत्ति को रोकना है। पैनल्टी कभी भी रेवेन्यू का माध्यम नहीं हो सकती है। एक्ट की धारा 6 उप धारा 2 में जो अमेंडमेंट है, जिसके अकार्डिंग पैनल्टी जो है, वह आइदर आपको ten times of the cost of the ticket pay करनी है या फिर 2 हजार रुपये करनी है।

मैं आपके माध्यम से कुछ प्रश्न रखना चाहूंगी। पहला, कि यह अमेंडमेंट लाने से पहले कुछ बैकग्राउण्ड चैक हुआ था? क्या यह पता किया गया था कि पिछले वर्षों में कितनी पैनल्टी कलेक्ट हुई है? या फिर 250 रुपये की जो पैनल्टी थी, कितने लोगों को पकड़ा गया है, वह पैनल्टी देते हुए और कितने लोगों ने एक्चुअली में उतने रुपये पे किये हैं? तीन साल में जो रेवेन्यू लोस हुआ है, कितने लोग बिना टिकट के ट्रेवल किये हैं और उस रेवेन्यू लोस को कवर करने के लिए क्या यह पैनल्टी जारी कर रहे हैं? सब लोगों ने पूरी बातें की हैं तो मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूंगी कि जो रोडवेज है, उसको हम रेलवे से कम्पेयर नहीं कर सकते हैं। रेलवे में बिना टिकट के हम प्लेटफार्म में भी एन्टर नहीं कर सकते हैं लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

रोडवेज की जो बसे हैं, वह कितनी ऐसी जगहों पर रुकती हैं, जहां पर पहले से टिकट नहीं खरीद सकते, क्योंकि टिकट विंडो तक नहीं होते। उस केस में कंडक्टर ही टिकट देता है। यह कैसे हम बता सकेंगे कि कंडक्टर ने टिकट पैनल्टी के रूप में काटा है या एक्चुअल में वह उसी जगह से चढ़ा है? इन सब बातों को ध्यान में रखा जाए।

एक बात मैं यह भी पूछना चाहूंगी कि इस पैनल्टी के जरिये क्या हम करप्शन को और बढ़ावा नहीं दे रहे, क्योंकि कोई भी इंसान 2 हजार रुपये देने से अच्छा कंडक्टर को कुछ रुपये दे देगा। कोरोना काल में जिस वजह से लोगों को आलरेडी इतनी परेशानियां हो रही हैं, उसमें रोडवेज को चाहिए कि वह अपनी सर्विसेज बढ़ाए। मैं अगर मेरे क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर मातृकुंडिया एक धाम है, जहां पर बहुत लोग अस्थि विसर्जन के लिए जाते हैं। वहां तक भी रोडवेज की बस अभी तक नहीं पहुंच पाई है और बहुत सारी बसेज बंद हैं। राजसमन्द-रेलमगरा बैल्ट में ये डिपो जो हैं, वे बंद के बराबर ही रहते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि बसेज सर्विसेज बढ़ाएं। हमारे क्षेत्र में भी बसेज की थोड़ी-सी आवक बढ़ाएं। जो मैनेजमेंट फैलियर है, जो कंडक्टर की ड्यूटी है, जो जाब है टिकट काटना, उस मैनेजमेंट फैलियर को लोगों के ऊपर पैनल्टी के रूप में न लेकर आएं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मैं इस अविवेकपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण संशोधन को वापस लेने की मांग करती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री हमीर सिंह भायल।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021, मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय भी विराज रहे हैं, वास्तव में रोडवेज और सरकारी जितनी भी गाड़ियां हैं, जितना टिकट में लोस नहीं होता...। इससे ज्यादा जो प्राइवेट बस कोई चलाता है तो दस से पन्द्रह साल तक उसकी बस सर्विस देती है और चलती है। चाहे प्राइवेट मेरे पास में गाड़ी है, स्कार्पिओ है या कोई और हैं, वह भी दो-ढ़ाई लाख किलोमीटर तक चलती है। प्राइवेट बसें भी चलती हैं। सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है रोडवेज में और सरकारी जितनी भी गाड़ियां हैं, वे एक या दो साल में कंडम हो जाती हैं। उनके टायर से लगाकर, इंजन भी, प्राइवेट बस अगर दो लाख

(श्री हमीर सिंह भायल)

किलोमीटर चल सकती है तो ये रोडवेज 50 हजार किलोमीटर या 40 हजार किलोमीटर चलने के बाद में कन्डम हो जाती है, इसका क्या कारण है? यह एक लीकेज इतना बड़ा है, इसको ध्यान में रखकर, रिपेयरिंग से लगाकर रख-रखाव तथा इस सिस्टम को ठीक किया जाए।

आप देखेंगे कि कोई सरकारी आफिस में भी गाड़ी है, आपके पास में गाड़ी है, दस साल चलेगी और कोई प्राइवेट आफिस में भी गाड़ी है, चाहे छोटी गाड़ी, सरकारी जो गाड़ी है, वह गाड़ी एक-दो साल में कन्डम होकर खड़ी हो जाएगी। जितने भी रोडवेज के डिपो थे, उनकी सारी, जितनी भी राजस्थान रोडवेज हैं, उनकी हालत यह हो गयी है, इस वजह से न तो समय पर चल पा रही है, न हम चला पा रहे हैं। इस सिस्टम को हम ठीक कैसे करें? अभी माननीय सदस्य रामप्रताप जी जो फरमा रहे थे कि चाहे सरकार यह है, चाहे वह हो, इस सिस्टम को डवलप करने के लिए पैनल्टी जो 250 से लगाकर दो हजार का बिल लाये हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सिस्टम को हम ठीक कैसे कर सकते हैं कि प्राइवेट व्यक्ति के पास बस दस साल चल सकती है तो रोडवेज की बस दो साल में ही कन्डम होकर क्यों बैठती है?

इसके अलावा प्राइवेट बसें हैं, इतनी चल रही हैं जगह-जगह, जैसे जोधपुर से संचालन होने वाली पूना से लगाकर, चैन्नई से लगाकर, बोम्बे-अहमदाबाद-बड़ौदा, सब जगह ये प्राइवेट बसें चलती हैं। हमारी रोडवेज नहीं चल पा रही है। पहले सब जगह रोडवेज की बुकिंग होती थी। हर स्टेट में टिकट लेकर पैसेंजर बैठता था तो करीब-करीब राजस्थान में सारी बुकिंगें भी बढ़ीं। जयपुर, जोधपुर के अलावा सब जगह ही बंद हो गयीं। नई बसें और फैलाने की आवश्यकता है। मैं, निवेदन करूंगा मंत्री जी को, आज भी निवेदन किया है, बाड़मेर से डायरेक्ट जो जयपुर बस आ रही थी, वह भी कई दिनों से, कई महीनों से बंद हो गयी है। हमारे सिवाना के अन्दर, जहां जालौर डिपो से चलती है, जोधपुर के लिए समदड़ी होकर एक भी बस नहीं है। इसलिए प्राइवेट बसों का उपयोग लोग करेंगे। अब किराया डिफरेंस, मतलब कि जहां 100 रुपये और 70 रुपये का डिफरेंस होगा तो पैसेंजर भी उसमें बैठेगा। एक तो आपस में प्राइवेट बसों का व रोडवेज बसों का किराया एक तरह का हो और समय, रोडवेज का 7 बजे टाइम है, कई माननीय सदस्य इस पर बोल चुके हैं कि वह पौने सात बजे ही प्राइवेट बस निकल जाती है। इसके बाद में ऐसा नहीं होगा।

(श्री हमीर सिंह भायल)

रख-रखाव के मामले की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है कि रोडवेज और सरकारी जितनी भी गाड़ियां हैं, वह इतनी जल्दी कन्डम क्यों हो जाती हैं? इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। यह जो बिल लाए हैं, 250 से दो हजार का जुर्माना किया है, इसके लिए 6 माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय श्री ज्ञानचंद पारख (अनुपस्थित)। माननीय श्री छगनसिंह जी।

श्री छगनसिंह (आहोर): सभापति महोदय, मुझे राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। करीब 20 माननीय सदस्यों ने इस बिना टिकट यात्रा निवारण संशोधन पर चर्चा की। उन्होंने पीड़ा भी बताई कि जो संशोधन विधेयक लाये हैं, इसमें जो टिकट पर दो हजार का जुर्माना किया है, मुझे इस दो हजार जुर्माने से कोई एतराज नहीं है। अच्छी बात है। आजकल यात्री सब अवेयर हैं। यात्री टिकट लेकर चलते हैं लेकिन जब मैंने मेरे क्षेत्र में चर्चा की कि ये 2 हजार रुपये जुर्माना बढ़ा रहे हैं तो इससे क्या नुकसान होगा? तो उन्होंने कहा कि हमारे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहां बसें चलती नहीं हैं तो नुकसान क्या होगा, बस में बैठना ही नहीं है। बस होगी तो बैठेंगे, तब जुर्माना होगा। वैसे सभी यात्री टिकट लेकर ही बैठते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप जो जुर्माना बढ़ा रहे हैं, उसी तर्ज पर बसें भी बढ़ाएं। बस बढ़ेंगी तो घाटे में जरूर सुधार होगा। जिस प्रकार से सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि प्राइवेट व रोडवेज़ की बसों के किराये में डेढ़ गुना का फर्क रहता है। रोडवेज़ की बसों में बैठना दुर्लभ हो जाता है। मैं देखता रहता हूं कि बसें चलती हैं किराये का एवरेज निकालते हैं तो यह कहते हैं कि नहीं, उसमें आधे घंटे बाद चले जाएंगे, उसमें 800 रुपये ही किराया है, इसमें 1,000 रुपये किराया है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि अपने को घाटा निकालना है, रोडवेज़ बसों को फ़ायदे में लाना है, तो पहले बराबर किराया होना चाहिए।

रोडवेज़ बस स्टाप की स्थिति है, जैसे पूर्व में रेलवे स्टेशन की खराब स्थिति हुआ करती थी, आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत, आज पूरे भारत में रेलवे स्टेशन देखते हैं तो हमें वहां जाकर अच्छा अनुभव होता है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जितने रोडवेज बस स्टैण्ड बने हुए हैं, उन पर

(श्री छगनसिंह)

सफाई, स्वच्छता का पूरा ध्यान दें। अगर वह बस स्टाप स्वच्छ होगा तो यात्री बस में यात्रा करने का ज्यादा प्रयास करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, हम हमेशा देखते रहते हैं कि बस सर्विसिंग का जो टाइम होता है, उसके अनुसार टाइम पर सर्विस नहीं होती। कभी-कभी हम देखते हैं कि बसें बीच राह में खड़ी मिलती हैं। सड़कों पर खड़ी रहती हैं। यात्रियों को डर रहता है कि बस जगह पर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। बसों की माली स्थिति है, उनका सुधार करना जरूरी है।

आप बिना टिकट वालों के लिए विधेयक लाये हैं। उसी तर्ज पर जो टिकट से यात्रा करते हैं, उनको भी साल भर में कोई पारितोषिक देते कि साल भर में सबसे ज्यादा रोडवेज बस में जो यात्रा करते हैं, वे अगर साल में इतने किलोमीटर यात्रा करेंगे रोडवेज बसों में, तो उन्हें इनाम दिया जाएगा, आपको ऐसा भी एक विधेयक लाना चाहिए। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप यूनियनों के नेता हुआ करते थे, तब आपने जो चर्चा की थी वह नियम आप जरूर...

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अभी भी हूं।

श्री छगनसिंह (आहोर): आज हो, लेकिन काम नहीं हो रहा। आप प्राइवेट बसों तक ही रहे, रोडवेज पर काम नहीं हो रहा है। बसें शुरू करें। जो लम्बी रूट की बसें हैं, हमारे क्षेत्र की मैं बात करूं, तो जालौर, सिरोही, पाली, वहां बहुत से प्रवासी हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में अगर अन्तरराज्यीय बसें शुरू करेंगे तो हमें वहां फायदा होगा। गुजरात और महाराष्ट्र में कम से कम 20-25 लाख लोग जाते रहते हैं। वहां पर 25 लाख लोग रहते हैं। उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए और बसों की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से हम बड़े से बड़े घाटे से निकल पाएंगे।

मैं कर्मचारियों के लिए भी बात करना चाहूंगा। कर्मचारियों के लिए दुर्घटना में 1987 में 50 हजार का बीमा था। उसको बढ़ाकर अगर 5 लाख या 10 लाख करते तो उसमें भी इस संशोधन का कोई न कोई उपयोग होता। बिना टिकट वालों के लिए आप विधेयक लाये हैं, सदन का समय खराब किया है, सभी माननीय सदस्यों का भी समय खराब किया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो संशोधन लाना था, वह सही तरीके से लाकर, इस सदन में रखते तो अच्छा होता। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को 6 महीने के जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: माननीय श्री जोराराम कुमावत।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) 1975 में जो नियम बना था, उसमें एकल यात्री भाड़े पर जुर्माना 5 रुपये था। अभी वर्तमान में सरकार जो संशोधन विधेयक लेकर आयी है, उसमें धारा 2, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिक प्रभार की रकम, उस उप-धारा में निर्दिष्ट एकल यात्री भाड़े के दस गुना के बराबर या दो हजार रुपये, जो भी कम होगी, जुर्माना वसूला जाएगा।

सभापति महोदय जी, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस में बिना टिकट यात्रा करने पर यात्रियों पर जुर्माना राशि 5 रुपये से सीधा 2 हजार तय की है, जो न्यायसंगत नहीं है। राजस्थान रोडवेज की बसों में ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोग यात्रा करते हैं, कमजोर वर्ग के लोग यात्रा करते हैं, कम आय वर्ग के लोग यात्रा करते हैं। उनके पास कोई प्राइवेट साधन भी नहीं होते, इसलिए वह राजस्थान रोडवेज की बसों में यात्रा करना पसंद करते हैं। एक साथ इतनी बड़ी राशि जुर्माने के रूप में लगाना, यह आम आदमी के साथ कुठाराघात है, अन्याय है।

सभापति महोदय जी, रिश्वत लेने वाला व रिश्वत देने वाला, दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर के दोषी हैं। बस में बिना टिकट यात्रा करने वाला यात्री और यात्रा कराने वाला कंडक्टर भी, दोनों बराबर के दोषी होते हैं। बिना टिकट बस में पाये जाने पर बस कंडक्टर पर भी जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए। यदि सरकार इस बिल में संशोधन करके कंडक्टर पर भी जुर्माने का प्रावधान लाती, तो यह विधेयक जनता के लिए फायदेमंद होता और बिना टिकट यात्रा पर भी अंकुश लगता।

राजस्थान में अवैध बसों का संचालन हर रूट पर है। प्राइवेट बसें सरकारी बसों के आगे-आगे चलती हैं। सरकारी व प्राइवेट बसों का एक ही रूट होता है, तो सरकारी बसों के आगे प्राइवेट बसें चलती हैं और सारी सवारियां प्राइवेट बसों में बैठती हैं, रोडवेज़ की बसें पीछे-पीछे खाली चलती हैं। रोडवेज़ की बसों में सवारियां मिलती ही नहीं हैं, जिससे रोडवेज़ की आय प्रभावित होती है। सरकारी बसों में डीजल जलता है, ड्राइवर व कंडक्टर की तनख्वाह भी लगती है, लेकिन बसें हमेशा खाली जाती हैं। सरकार को इन बसों की रेवेन्यू बढ़ाने की जरूरत है, विशेष रूप से प्लान बनाने की आवश्यकता है। अवैध बसों

(श्री जोराराम कुमावत)

का संचालन बंद करने की भी आवश्यकता है। यदि अवैध बसों का संचालन बंद नहीं होगा तो सरकार की बसों में रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा और जो घाटा चल रहा है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे।

सभापति महोदय जी, बजट घोषणा में सरकार ने घोषणा की थी कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बस सेवा चालू करेंगे। मैंने अभी मेरे विधान सभा क्षेत्र में 10 रूट बनाकर दिये, लेकिन अभी तक कोई ग्रामीण बस सेवा चालू नहीं हुई है।

सभापति महोदय जी, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि पहले सुमेरपुर क्षेत्र से जवाई बांध से जालौर तक 30-35 बसें चलती थीं। करीब-करीब वे सारी बसें बंद हो गयी हैं। अभी केवल 4-5 बसें ही चलती हैं। पहले सुमेरपुर से उदयपुर के लिए बसें चलती थीं। सुमेरपुर से चित्तौड़ के लिए भी बसें चलती थीं, लेकिन उसमें से भी कई बसें बंद हो गयी हैं। सुमेरपुर एक सेन्टर है, बहुत बड़ी मण्डी है। वहां से उदयपुर, चित्तौड़ के लिए व गुजरात के शहरों के लिए भी बसों की आवश्यकता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बसें चालू करेंगे तो सरकार को निश्चित रूप से फायदा होगा।

राजस्थान रोडवेज़ घाटे में चल रही है। इस घाटे को पूरा करने हेतु सभी विधायकों के अच्छे सुझाव आये। इस घाटे को कैसे पूरा किया जाए, हमें यह प्रयास करने की आवश्यकता है। इस बिल को मैं जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिए प्रस्तावित करता हूं। विधायकों के साथ जनता के सुझाव लेकर, जनता से अच्छे से अच्छे सुझाव आएं, वे इस बिल में शामिल करें। फिर इस बिल को सदन में पेश करें, तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा और राजस्थान रोडवेज़ की जो बसें घाटे में चल रही हैं, घाटा पूरा करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय राजस्थान।

श्री सभापति: माननीय श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान रोडवेज़ परिवार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि कोरोना का कठिन समय, जब हज़ारों लोगों को प्रदेश से होकर पैदल अपने गंतव्य तक जाना पड़ा, उस वक्त राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने तय किया कि अगर एक भी नागरिक पैदल चलते हुए दिखा या

(श्री संयम लोढ़ा)

पैदल चलते हुए गया, तो जिस एरिया से वह नागरिक पैदल निकलेगा वहां के एस.डी.एम. के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बाकायदा जिला कलेक्टर और सम्बन्धित एस.डी.ओ. की ड्यूटी लगाई कि जो प्रवासी पैदल चलकर गुजरात सीमा से आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों की सीमा से आ रहे हैं, सम्बन्धित जिले के रोडवेज की बसें वहां पर लगाई जाएंगी और बसें दूसरे जिले के बार्डर तक उनको छोड़ेंगी। वहां से आगे वापस बसें उनको लेकर जाएंगी। इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, अनेक दूसरे राज्यों के प्रवासी यहां पर थे, उन सबको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बसें यूपी. तक लगाई गयीं, मध्य प्रदेश तक लगाई गयीं, छत्तीसगढ़ तक लगाई गयीं, बिहार तक लगाई गयीं। राजस्थान रोडवेज ने उस कठिन समय में उन प्रवासियों की सेवा में जो योगदान किया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का, रोडवेज परिवार का और हमारे परिवहन मंत्री का बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनको बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल को लेकर मैं बहुत चकित हूं। एक पैनल्टी का पैसा बढ़ाने के लिए राजस्थान के सर्वोच्च सदन का समय लिया गया। आगे भी इस तरह की गतिविधि के लिए लिया जाता रहेगा, ऐसा इससे प्रकट होता है। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि आप एक बार में ही राजस्थान की विधान सभा से अधिकृत हो जाएं। इस तरह के तमाम छोटे निर्णयों के लिए हम राजस्थान रोडवेज के बोर्ड को अथोराइज करते हैं, जिससे बार-बार इस तरह के कोई छोटे निर्णय करने हों तो उसमें, इस सर्वोच्च सदन में राजस्थान रोडवेज को नहीं आना पड़ेगा।

अब यह पैसा, पैनल्टी बढ़ाने का निर्णय भी इनको क्यों लेना पड़ा, उसका भी कोई ठोस कारण नहीं दिखता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि जबसे प्रताप सिंहजी ने परिवहन महकमा सम्भाला और यह रोडवेज सम्भाला, इनके वाहनों के जो निरीक्षण होते हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई, लेकिन बिना टिकट यात्रा और अनियमितता के मामले कम हुए। इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, जो यात्रियों की संख्या है, बिना टिकट पकड़े गये, उसमें भी कमी आयी। किराये का जो आपने बिना टिकट यात्रियों से पैसा वसूल किया, उसमें भी कमी आयी। अधिभार के रूप में जो आपने पैसा वसूल किया, उसमें भी कमी आयी। वसूल की गयी कुल राशि में भी कमी आयी। फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि आपको यह निर्णय

(श्री संयम लोढ़ा)

करना पड़ा कि हम 2,000 रुपये करेंगे या इतने गुना पैनल्टी करेंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान का एक ख्यात नाम है। आप रोडवेज की बस के आगे इनका फोटो ही चिपका देते कि प्रताप सिंह खाचरियावास का फोटो लगा हुआ है, यात्री समझ जाता कि यह प्रताप सिंह खाचरियावास की बस है, इसमें बिना टिकट कैसे बैठें। मैं समझता हूं कि इसमें पूरे सदन की एक राय होगी, तो रोडवेज को यह इतना प्रपंच करने की जरूरत कहां थी। आप तो खाली बस के बाहर फोटो चिपका देते। (व्यवधान) इतना ही काफी होता।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं यह निवेदन करूंगा कि बहुत अच्छा होता कि रोडवेज प्रबंधन इस सदन के समय का उपयोग इस बात के लिए करता कि राजस्थान की रोडवेज जन अपेक्षाओं, जन आकांक्षाओं की पूर्ति की दिशा में आगे कैसे बढ़े। जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर कैसे करें, इन सब में इस सदन को चर्चा में शरीक करता। आपके पास करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है, अरबों रुपये की सम्पत्ति है। वह रोडवेज के मुलाजिम, जिन्होंने आपकी खिदमत की, इस प्रदेश के लोगों की खिदमत की, आज रिटायर होने के बाद उनके बच्चों की क्या परिस्थितियां हो रही हैं, उनके परिवार की क्या परिस्थितियां हो रही हैं? उनको शादियों के अन्दर क्या कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। अगर मानवीय संवेदना आपके अन्दर है और आप लोक कल्याणकारी शासन दे रहे हैं, अरबों रुपये की जमीन रोडवेज के पास पड़ी है, एक टुकड़ा बेचकर उन गरीबों का तो कुछ ख्याल करो।

हम ही लोग थे, जब बी.जे.पी. की सरकार थी, उनके साथ आंदोलन में कंधे से कंधा मिला करके खड़े थे। हम ही लोगों ने कहा था कि राज बदलो तुम, हम तुम्हारे साथ न्याय करेंगे, करवाएंगे। सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं और मंत्रीजी को भी कहना चाहता हूं कि आप मजदूर नेता रहे हैं, कमजोर तबके के लोगों के नेता रहे हो, उनकी आवाज रहे हो। आपको आगे बढ़ करके अपने विभाग में, इस कम्पनी में, इस कारपोरेशन में निर्णय करवाना चाहिए। वे सैकड़ों लोग जो दु:ख झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, उनको दु:ख और कष्ट से मुक्त करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि रोडवेज की क्या हालत हो रही है। रोडवेज के मार्ग, कितने रूट्स इनके पास हैं, उसकी संख्या में लगातार कमी आयी है, लगातार गिरावट की तरफ है। जो

(श्री संयम लोढ़ा)

2011 के अन्दर 2672 रूट इनके पास थे, माननीय सभापति महोदय, वह घट कर 1,982 रह गये हैं। यह 2019-20 का जो इन्होंने वार्षिक प्रतिवेदन जारी किया है, वह ये आंकड़े प्रदर्शित कर रहा है।

माननीय सभापति महोदय, रोडवेज 6,066 लाख किलोमीटर 2011 में चलती थी, आज घट करके कितने पर आ गयी है 5,219 लाख किलोमीटर। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, जो निगम के वाहनों की संख्या खुद की है, जो 2017 में 4,528 थी, वह घटकर 3,751 रह गयी है। निजी वाहनों की संख्या जरूर बढ़ रही है, लेकिन रोडवेज के अपने वाहनों की संख्या लगातार घटी है। इनका लोस लगातार बढ़ रहा है। इनका जो डीजल औसत है, वह लगातार घट रहा है। इनकी जो व्हीकल्स की प्रोडक्टिविटी है, जो 405 किलोमीटर प्रतिदिन थी, वह घट करके 389 पर आ गयी है।

माननीय सभापति महोदय, इनके बेड़े की जो यूटिलिटी थी, एक जमाने के अन्दर जो राष्ट्रीय औसत था, उससे भी बेहतर राजस्थान था। आज वह घट कर 74 पर आ गयी है, बहुत पीछे की तरफ और बल्कि लेटेस्ट आंकड़े मंत्रीजी बताएंगे तो वे तो मेरे ख्याल से 69 परसेंट पर ही आ गये। इसी तरीके से, माननीय सभापति महोदय, प्रति किलोमीटर इनका खर्चा, जो पहले 2,356 पैसे कभी हुआ करता था, वह आज बढ़ करके 4,246 पैसे हो गया। कर्मचारियों की संख्या 2011 में 21,053 थी, 2013 में 21,384 थी, वह घट कर 14,000 पर आ गयी है। इसी तरीके से प्रति एम्प्लाई, प्रति व्हीकल कर्मचारी अनुपात जो किसी जमाने में 4.64 था, माननीय सभापति महोदय, वह घट कर 2.99 रह गया। इसी तरीके से इनके दैनिक परिचक्र, जो डैली के इनके रूट होते हैं, जो किसी जमाने में 11,268 थे, वे घट कर 9,500 पर आ गये। इसी तरीके से यात्रियों की संख्या, जो 10 लाख के आसपास थी, वह घट कर साढ़े 8 लाख के आसपास आ गयी है। ये सारे मेरे दिये हुए आंकड़े नहीं हैं सभापति महोदय। ये रोडवेज ने खुद जारी किये हैं तो चहुं ओर चारों दिशाओं में हर दृष्टि से ये उतार पर हैं। ऐसे वक्त में राजस्थान के बहुत योग्य मंत्री बैठे हुए हैं। कैबिनट के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। सबसे खास, नगरीय विकास के अन्दर जो सुधार के प्रणेता हैं शान्ती धारीवाल साहब, यहां बैठे हुए हैं, जिन्होंने राजस्थान के अन्दर नगरीय विकास का कायाकल्प किया, तो उन सबका मार्गदर्शन ले करके मैं चाहूंगा कि इस रोडवेज पर भी थोड़ी कृपा करें और रोडवेज में भी कोई सुधार कार्यक्रम लेकर आएं, जिससे यह

(श्री संयम लोढ़ा)

रोडवेज, आज क्या परिस्थिति बनी हुई है, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको विनती करूंगा।

मेरे सिरोही में, जैसा अभी एक सदस्य ने भी कहा कि सिरोही से सूरत बस चलती थी। पूरी तरह से फुल ट्रैफिक, अब बस कन्डम हो गयी, तो बस कन्डम ही हो गयी। बदले में कोई बस नहीं दी, तो वह बंद हो गयी तो जब आपके प्रोफिट के रूट्स हैं, साधन नहीं दे पाने के कारण उनको आप चला नहीं पा रहे हो, सिरोही डिपो के बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि 2018 में सिरोही डिपो 22,900 किलोमीटर गाड़ी चलाता था, वह 2019 में 21,700 किलोमीटर हुई और इस समय घटकर 19,200 किलोमीटर हो गयी।

माननीय सभापति महोदय, इस तरीके से रोडवेज को जन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतारा जा सकता है। हमें, माननीय मंत्रीजी को यह तय करना पड़ेगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रोडवेज की हिस्सेदारी कैसे बढ़े। यह सब लोग चाहते हैं। अभी कोरोना के टाइम आपने देखा कि रोडवेज की बसें नहीं थीं तो क्या हालात हो गये? एक जगह से दूसरी जगह पर किसी आदमी को जाना था तो उसको कितना पैसा चुकाना पड़ा? कई गुना पैसा चुकाना पड़ा तो यह रोडवेज लोगों की मदद का एक माध्यम है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में इसका शेयर बढ़ना चाहिए और दूसरा रोडवेज को सिस्टम बनाना चाहिए।

(16.00 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

आप बसें किराये पर लेते हो। पूरे राजस्थान का सेंट्रलाइज्ड निर्णय आपने कई बार किया। जिन डिपो को जरूरत नहीं थी, वहां के लिए बसें आपने किराये पर ले लीं, तो वे बसें खड़ी रहीं। उससे लोस जनरेट हुआ, तो एक सिस्टम बीच का रोडवेज के अन्दर आपको डवलप करना चाहिए। जिन लोगों से आप एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट में शर्तों की पालना हो रही है या नहीं हो रही है, उस संविदा कांट्रेक्ट की पालना हो रही है या नहीं हो रही है, इसको रोडवेज के अन्दर कोई देखने वाला नहीं है और रोडवेज को चूना लगता रहता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि प्रोडक्टिविटी लाने पर ध्यान दें और रोडवेज की, मंत्रीजी, हिस्ट्री उठाकर देख लेना, जब एक जन-प्रतिनिधि रोडवेज का चेयरमैन था, ज्वाला प्रसाद शर्मा, हमारे वरिष्ठ नेता लोग शायद जानते होंगे, वे राजस्थान रोडवेज

(श्री संयम लोढ़ा)

के नोमिनेटेड चेयरमैन थे और उस वक्त रोडवेज प्रोफिट में था। आप खाली यह मत समझिये कि जन-प्रतिनिधि कोई किसी जगह पर बैठेगा तो वह उस संस्था का कायाकल्प नहीं कर सकता। उसके पास सब तरह के सोर्स होते हैं। वह साधारण से साधारण व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए यह जो रोडवेज के अन्दर लालफ़ीताशाही का जंगल राज चल रहा है और यह चूं-चूं करके रोडवेज को खोखला कर रहा है, इस पर एक नई सोच लेकर आओ।

धारीवाल साहब राजस्थान आवासन मंडल के चेयरमैन बने हैं। इसी तरीके से रोडवेज के अन्दर भी जन प्रतिनिधि को चेयरमैन होना चाहिए, जिससे रोडवेज का भी कायाकल्प हो सके और लोगों की सेवाओं का यह एक माध्यम बन सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, आपने राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, रोडवेज को घाटे से उबारने के उद्देश्य से शायद यह बिल लाया गया है और इस बिल में सबने यह राय करके, शायद रोडवेज विभाग ने जो रोडवेज के अधिकारियों ने, सबने यह तय किया कि यात्री शायद टिकट नहीं लेते और उन पर दो हजार की पैनल्टी लगाओ, कोई बिना टिकट यात्रा करे तो इससे हमारी रोडवेज उबर जाएगी। मैं हैरान हूं इस बात से कि इतनी बुरी हालत रोडवेज की है और रोडवेज अपनी हालत सुधारने के लिए यह बिल लेकर आयी है। बिल में क्या लेकर आयी है कि बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं, उन पर हम दो हजार रुपये जर्माना लगा देंगे तो शायद हमारी यह रोडवेज उबर जाएगी।

यह चीज इस बात को दर्शाती है कि रोडवेज को ये लोग बंद करना चाहते हैं, ये चलाना नहीं चाहते हैं, इनकी इच्छा शक्ति बिलकुल खतम हो चुकी है। आप तय मानिये कि सब लोग चिंता कर रहे हैं, पर वास्तव में यह राजस्थान की जनता के लिए चिंता का विषय है। गरीब आदमी इन रोडवेज की बसों में सफर करता है। उस गरीब आदमी को इस बात की चिंता खाई जा रही है। उसको यह लग रहा है कि यह रोडवेज बंद होने के कगार पर है और यह जो ऐसी हरकत हो रही है और ऐसे इस तरह के एक्ट हो रहे हैं, इससे यह लग रहा है कि विभाग द्वारा सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, केवल अधिकारी

(श्री बलजीत यादव)

लोग खाना-पूर्ति करना चाहते हैं कि मंत्रीजी ने यह कहा होगा कि रोडवेज को घाटे से उबारना है, इसकी स्थिति सुधारनी है। मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा होगा कि इसकी स्थिति सुधारनी है तो उन्होंने सुधारने के लिए यह चीज बता दी कि साहब, यह कर लो, सुधर जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक सिम्पल-सी बात कहना चाहता हूं कि प्राइवेट बस मालिक रोडवेज से कम किराया यात्री से लेता है और बचत करके अपना पूरा परिवार चलाता है और रोडवेज उससे ज्यादा किराया लेकर पांच हजार करोड़ रुपये के घाटे में चल रही है। चलो, घाटा भी चल रहा है तो हम यह देखते हैं कि पीछे की छोड़कर आगे इसको कैसे ठीक किया जाए? आपके पास अरबों रुपये की सम्पत्ति है। मेरे से पहले भी कई माननीय सदस्यों ने बताया। आप ब्याज दे रहे हैं, आप उस पांच हजार करोड़ को, वह सम्पत्ति बेचकर भी चुकाकर और नए सिरे से नई शुरूआत करते कि हम रोडवेज की वास्तव में दशा को सुधारेंगे। आप लोग वास्तव में अगर इच्छा शक्ति रखते कि रोडवेज की दशा सुधारनी है तो आप इस बात का प्रयास करते कि जो लोग आनेस्ट हैं, जो कंडक्टर आनेस्ट हैं, आप मीटिंग लेकर यह तय कर देते कि जो प्रोफिट लेकर आएगा, अच्छा कंडक्टर होगा, हम उसको केवल दिखावे के लिए पारितोषिक नहीं देंगे, उसको अच्छे से हम पुरस्कृत करेंगे। जिस रूट पर वह जाना चाहेगा, उस रूट पर उसको च्वाइस पर पोस्टिंग दी जाएगी और जो कंडक्टर चोरी करता है, आप उसको पकड़कर, जैसे बिजली विभाग के लोग किसान की वी.सी.आर. काटने जाते हैं और एक दिन किसी ने अगर बिल नहीं भरा और उसके डाइरेक्ट मिल गयी चलती हुई तो, माननीय सभापति महोदय, जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, वह उस दिन की चोरी पकड़कर पूरे साल की पैनल्टी लगाकर उसको दे आते हैं कि पूरे साल आप चोरी कर रहे थे, चाहे वह एक ही दिन कर रहा हो, लेकिन पूरे साल की पैनल्टी लगती है तो आपके रोडवेज में भी अगर आपने कंडक्टर को पकड़ा कि आज यह इतनी सवारियां बिना टिकट चला रहा है तो उससे भी पूरे साल का वसूलते आप। अपने आप उसकी अक्ल ठिकाने आ जाती और जो ईमानदार है, उसको पुरस्कृत करते। कहीं भी कोई भी अगर डिपार्टमेंट डूबता है, कोई भी व्यवस्था खतम होती है तो वह मिस-मैनेजमेंट के कारण से खतम होती है। मैनेजमेंट ठीक होता तो जब प्राइवेट लोग अगर प्रोफिट कमा सकते हैं तो रोडवेज क्यों नहीं कमा सकती? आप अच्छे से अच्छा रूट जो होता है, जो

(श्री बलजीत यादव)

फायदे वाला, वह रूट रोडवेज खुद लेती है और बाकी के रूट प्राइवेट लोग, जो बस वाले होते हैं उनको दिये जाते हैं।

बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इन प्राइवेट बसों को बंद कर दो। बंद कर दोगे तो हाहाकार मच जाएगा। यह कोई सोल्यूशन नहीं है कि प्राइवेट बसों को बंद कर दो, तो हो जाएगा। एक दिन मिनी बस की हड़ताल होती है तो जयपुर में त्राहिमाम-त्राहिमाम मच जाता है और रोडवेज पर इतना लोड बढ़ जाता है कि वह वहीं पर खड़ी हो जाती है। इसलिए बंद करने की और कोई नेगेटिव सोचने की बात नहीं हो। पोजिटिव सोच रखने की बात है। अगर इच्छा शक्ति होगी तो रोडवेज उबर जाएगी। ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक महीने के अन्दर रोडवेज की दशा सुधारी जा सकती है, अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो। लेकिन एक ट्रेंड चल गया है, देश में चल गया है, प्रदेश में ही नहीं, सरकारी कोई भी सम्पत्ति हो, कुछ भी हो, उसको बेचो और पिंड छुड़ाओ। मलाई-मलाई की जो चीज है, डिपार्टमेंट है, वह तो सरकार रखे और जिसमें कुछ एफर्ट्स करना पड़े, जिसमें कुछ मेहनत करनी पड़े, उसको छोड़ दो, उसको बेच दो। इसलिए अगर राजस्थान में रोडवेज अगर बंद होती है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी सरकार, कोई भी सरकार चाहे, उसको बंद करे और अगर इसका भट्टा गोल करेगी तो उसको बद्दुआ लगेगी इस राजस्थान की गरीब जनता की। इसलिए रोडवेज, जनता की सेवा के लिए है। वह प्रोफिट के लिए नहीं है। वह वेलफेयर के लिए चल रही है। वेलफेयर के लिए चल ही है तो सरकार दूसरी चीजों पर इतना बजट लुटाती है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): पहली बात तो रोडवेज के पास सम्पत्तियां हैं, वे बेच सकती है। जरूरत ही नहीं है सरकार की। फिर भी अगर है तो सरकार उसकी मदद कर दे पांच हजार करोड़ रुपये की और सरकार यह कहे कि नई बसें खरीदकर लाओ। जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, तनख्वाह नहीं मिल रही है रोडवेज के कर्मचारियों को, सरकार चुकाये उनका। ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रोपर्टी डीलर की तरह से ठग भी जाए कि नहीं देंगे, बिगाड़ लें हमारा क्या बिगाड़ेगा? कहां जाएगा आदमी? सरकार तो भगवान की तरह होती है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सरकार अगर उसको नहीं देगी तो क्या वह लड़ सकता है सरकार से, नहीं लड़ सकता। धरना-प्रदर्शन करता है। कर रहे हैं न किसान, कर रहे हैं। क्या हो गया उनको? कौन सुन रहा है उनकी? अहंकार में राज आ जाता है तो चुनाव के बाद ही अहंकार उतरता है। इसलिए सरकार उन कर्मचारियों को, जो भटक रहे हैं, उनकी सैलेरी सरकार को देनी चाहिए। किसी के जेब का पैसा नहीं है। हम सब लोग, सरकार ट्रस्टी है, कोई ऐसा तो नहीं कि सरकार अपनी जेब का पैसा दे रही है। वह उसी जनता का पैसा है और उसको लौटाना है। सबसे अच्छा होता कि आज बिल में लेकर आते कि यह-यह इतना पैसा हम पर कर्मचारियों का है, यह हम इतने दिन में चुका देंगे। हम पर यह इतना घाटा है, इस घाटे को भर देंगे। यह फलां चीज है, इससे चुका देंगे। इतनी हम नई रोडवेज बसें लाएंगे और हमारी रोडवेज की दशा को हम सुधारेंगे। जो खटारा-अटाला बसें पड़ी हैं, माननीय सभापति महोदय, छोटी-सी बात कहना चाहता हूं कि गांव में भी किसी व्यक्ति को देख लो, अगर किसी व्यक्ति ने कर्जा ज्यादा ले लिया और वह थोड़े दिन चलता रहा तो उसका कर्जा डबल हो जाता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। एक बिल और बाकी है अभी।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): इसलिए यह सरकार अगर उस पांच हजार करोड़ के कर्जे को तुरंत नहीं चुकाएगी तो ब्याज लगता रहेगा, रोडवेज डूबती रहेगी। मैं आशा रखता हूं कि इसमें सरकार गम्भीरता से विचार करेगी और रोडवेज की दशा को सुधारेगी। माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिए। श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021, मंत्री महोदय, जालंधर से झुंझुनूं होते हुए जयपुर रोडवेज चल रही थी, जो बहुत जोरदार कामयाब थी। उसमें तो इस बिल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह बस बंद कर दी। आप बिल ले आये, लेकिन एक बात का तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो नई रोडवेज लगायी हैं। पांच की मांग थी। पांच रोडवेज बसें और लगायें।

मैं तो सुझाव के साथ, मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लूंगा। मेरे सुझाव ये है कि पूरे के पूरे हिन्दुस्तान में और दुनिया में जो ग्लोबल

(श्री बलवान पूनियां)

शेयर, एक आंख से देखा जा सकता है, सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाओ आप। इसके साथ ही आप मंत्रालय में बैठकर टाइम देओ। दूसरा, संयम जी ने जो बात उठायी कि लोकतांत्रिक देश है और इसका संचालन लोकतंत्र में जीते हुए जन-प्रतिनिधियों को करने का हक है, इसलिए रोडवेज का चेयरमैन जन-प्रतिनिधि हो। नम्बर तीन बात, जिन कर्मचारियों की पेंशन नहीं दी जा रही, जो उनके परिलाभ नहीं दिये जा रहे, फौरन रोडवेज उनका भुगतान करे। नम्बर चार बात, 2013-14 के बाद आपने नई भर्ती नहीं की, आप नई भर्ती कीजिए, और जहां भी लोक परिवहन सेवा, आपकी रोडवेज के आगे चल रही है, उसको हटाते हुए नई रोडवेज़ बसें जारी करो। यह सही बात है, सदन में सारे साथियों की एक राय आयी कि प्राइवेट बस वाला एक बस चलाकर अपना जीवन-यापन कर सकता है और, मंत्रीजी, आपसे जानने के लिए और आपसे परिचय करवाने के लिए बहुत लोग आते हैं कि मुझे एक बस का लाइसेंस दिलवा दो मैं मेरी रोजी-रोटी कमा लूंगा। इसलिए रोडवेज को फायदे में लाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। मैं समझता हूं कि बहुत ईमानदारी के साथ आप इन सुझावों पर विचार करेंगे और मेरे भादरा विधान सभा क्षेत्र में आप रोडवेज का नया डिपो बनाएंगे, जिससे सिरसा होते हुए, जालंधर, चंडीगढ़ तक बस घुमाकर लाएंगे और दूसरी जगह इंदौर तक की बसें, चाहे आप बसें वहां से चलाना, सूरत तक की बसें चलाना, वहां सारे नौजवान रोजगार के लिए जाते हैं। सपरिवार आपकी रोडवेज में यात्राएं करेंगे, ये मेरे सुझाव थे। इन सुझावों पर आप विचार करेंगे।

दूसरा, यह जो बार-बार सदन में राजेन्द्र जी साहब ने भी कहा और सबने कहा कि आप नौजवान रहे हैं और विद्यार्थियों की राजनीति की है। इस विधेयक से छात्र प्रभावित नहीं हों, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि हम लोग छात्रों की राजनीति से आये हैं। कभी-कभार अगर कोई लड़का बिना टिकट के पकड़ा भी जाए तो उसके लिए तो आप क्लाज ही डाल दें कि उसको तो सहानुभूतिपूर्वक माफ किया जाएगा। आगे से यह कहकर कि बेटा पास ले लेना, यह कहकर छोड़ दिया जाएगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान रोडवेज बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े। आप चिह्नित करके सारे जो रूट फायदे के थे, जो संयम जी ने और कई साथियों ने भी गिनाये हैं, उन रूटों पर वापस जोरदार रोडवेज बसों का संचालन करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह (अनुपस्थित)। श्री सतीश पूनियां (अनुपस्थित)। श्रीमती संतोष।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना राशि दस गुना के बराबर या दो हजार रुपये का जुर्माना नियमों में करने जा रहे हैं, लेकिन बस कंडक्टर, जो बिना टिकट काटे ही यात्री को चढ़ाते हैं और राज्य के राजकोष को हानि पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए? केवल यात्रियों पर जुर्माना लगाने से राजस्व में बढ़ोतरी नहीं होगी। माननीय सभापति महोदय, बिना पास के भी स्टाफ के नाम पर जो यात्री यात्रा करते हैं, उनको कैसे रोका जाए, इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

आज राजस्थान रोडवेज में स्टाफ की कमी से रोडवेज बसें पूरी नहीं चल पाती हैं। मेरे क्षेत्र की मैं बात करूं तो अनूपगढ़ आगार में वर्तमान में 15 चालक और 36 परिचालकों की कमी है। नई भर्ती निकालकर खाली पद भरे जाएं, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और बसों का संचालन भी सही हो पाएगा। राजस्थान की जनता को सुविधा देने के लिए राजस्थान रोडवेज बसों व प्राइवेट बसों का शिड्यूल तय करने की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अवैध बसों का संचालन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कारण रोडवेज बसों को घाटा हो रहा है। अवैध बसों के संचालन पर अंकुश लगाने की ओर भी इस सरकार द्वारा कठोर कदम उठाये जाने चाहिए। राजस्थान रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों के सितम्बर, 2016 से सभी परिलाभ बकाया चल रहे हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों को उनकी पेंशन भी समय पर नहीं मिल रही है, जिस कारण उनके परिवारों की स्थिति भी खराब हैं। कर्मचारी अपना काम सही से करें, इसके लिए समय पर कर्मचारियों को उनका वेतन मिले, रिटायर्ड कर्मचारियों को उनकी पेंशन मिले, ताकि रोडवेज के प्रति लोगों में विश्वास बढ़े।

माननीय सभापति महोदय, रोडवेज बसों में स्वच्छता की ओर भी ध्यान दें। रोडवेज बसों का रख-रखाव सही हो। कई बसें तो बिलकुल ही टूटी-फूटी और खटारा हो चुकी हैं। यात्रियों को सुविधा होगी, तभी वे रोडवेज बसों में यात्रा करेंगे और सरकार को राजस्व मिलेगा।

प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी राजस्थान रोडवेज की बसों का

(श्रीमती संतोष)

संचालन नहीं हो रहा है। मेरे क्षेत्र में उप तहसील 2 KLD 365, जो जिला मुख्यालय से लगभग 215 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां रोडवेज बस की सुविधा आज भी नहीं दी जा रही है। प्राइवेट बसों में यात्री आवागमन करते हैं तो रोडवेज बसों को राजस्व कैसे प्राप्त होगा?

माननीय सभापति महोदय, बिना परमिट के चल रही बसों पर भी अंकुश लगना चाहिए। एक ओर राजस्थान रोडवेज की लोक सेवा परिवहन बसें बहुत तेज गति से चलती हैं, इससे ड्राइवरों की लापरवाही के कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं। इसके लिए कठोर नियम बनाकर पाबंदी लगायी जाये, क्योंकि यह आपस में कम्पीटिशन के कारण तेज गति से चलाते हैं। सरकार इस ओर भी ध्यान दे।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में रोडवेज बसों को घाटे से उबारने के लिए सरकार को रोडवेज बसों के मैनेजमेंट में सुधार करना होगा। खाली जुर्माना लगाने से कुछ नहीं होगा। इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजा जाए।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021, आपसे, सदन से, सभी विद्वान साथियों से और मंत्रीजी से मैं समझना चाहता हूं कि इस बिल की, ऐसी क्या संशोधन की आवश्यकता पड़ गयी, ऐसा कौनसा पहाड़ गिर रहा था कि इसके बिना आपका काम नहीं चल रहा था, जिसके कारण से आज सदन का सारा दिन लगा दिया। लोग हम पर हंसेंगे। आपको शब्द बुरा लग रहा होगा, पर बहुत विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि यह क्या चीज थी, जिसके कारण से आपको एकदम से लाना आवश्यक हो गया। इसके बिना आपका काम बंद हो गया था और मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं कि यह आप दो में 1975 के राजस्थान अधिनियम संख्या-11 की धारा (6) का संशोधन ला रहे हो। राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) अधिनियम, 1975-11 की धारा (6) के विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्थापित कर रहे हैं। आप कर रहे हैं कि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिक प्रभार की रकम उस उप-धारा के निर्दिष्ट एकल यात्री भाड़े के दस गुना बराबर या दो हजार रुपये, जो भी कम होगा। मतलब अगर मान लो यह जुर्माना हम बढ़ा रहे हैं, अधिभार जो बढ़ा रहे हैं,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अगर यह अधिभार मान लो अपन नहीं बढ़ाते और जो पुराना लगा हुआ है आपका, पहले का है, उप-धारा में अधिभार की रकम, उस उप-धारा के निर्दिष्ट साधारण सकल यात्री भाड़े का या पांच रुपया, जो भी अधिक हो। पहले तो मंत्रीजी, यही बता देना कि यह जो आपका सैक्शन था पहले वाला, इसके तहत अब तक आपने साल में कितना पैसा कमाया है या आपको कितना पैसा इससे आया और अब इसको दस गुना करने से आपको कितनी आमदनी होगी? अगर दो हजार रुपये लगायेंगे तो रोडवेज में कितना इजाफा हो जाएगा, जब आप जवाब दें तो कम से कम यह जरूर बताने की कोशिश करें, ताकि राजस्थान की जनता को समझा सकें कि वास्तव में हम राजस्थान की रोडवेज को उबारने के लिए दिन भर का उपयोग करके राजस्थान की रोडवेज की दशा को सुधार लेंगे, इसकी गारंटी बन गयी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप वास्तव में किस लिए लाये हैं।

धारा (6) की उप-धारा (1) में पहले से ही प्रावधान है। यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति बिना टिकट अथवा पास के यात्रा करता है या निगम को धोखा देने के आशय से पूर्व में उपयोग किये गये किसी पास का उपयोग करने का प्रयास करता है तो उसको कारावास अवधि एक मास तक हो सकती है अथवा जुर्माना जो 200 रुपये तक का हो सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह तो दंड पहले से ही है जिसमें आपने कोई परिवर्तन नहीं किया। यह जो सेक्शन आपका पहले से ही था, आपने इस सेक्शन के तहत, जब से यह बनाया, 1975 से लेकर अब तक आप इतना बता दो कि आपको इस धारा का उपयोग करने का मौका वर्ष में कितनी बार मिला और प्रतिवर्ष आपको इसके तहत कितना पैसा मिला और यह जो सेक्शन 2 में आप परिवर्तन कर रहे हो, इसके परिवर्तन करने से पहले क्या मिलता था, अब क्या मिलता है? बिना बात के, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जब आपके पास पहले से ही अधिकार मौजूद है, उन अधिकारों का आपने उपयोग नहीं किया, आपके डिपार्टमेंट में उपयोग नहीं किया और जबरदस्ती इस एक छोटी-सी धारा को लगाकर राजस्थान की जनता का इतना समय बर्बाद करने का काम जो आज इस सदन में हुआ है, मेरे हिसाब से, मैंने भी इतने साल देखा, पर इस प्रकार का एक यह संशोधन शायद मैंने पहली बार देखा है। इस एक शब्द के संशोधन के लिए आपका और मेरा सबका दिन भर का समय और एक्सरसाइज।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अच्छा होता, रोडवेज की समस्या है, रोडवेज तकलीफ में है, रोडवेज में सुधार की आवश्यकता है, रोडवेज जनता के लिए आवश्यक है। आज भी मैं आपको कह रहा हूं कि गांव का आदमी किसी दूसरी बस को पसंद नहीं करता है। आज भी रोडवेज की बस को पसंद करता है। वह हमसे बार-बार मांग करता है कि हमारे गांव में भी रोडवेज बस आये। इसका मतलब रोडवेज से जनता संतुष्ट है, इस कारण से मांग करती है। गांव का आदमी इस कारण से मांग करता है। उसमें तो आप सुधार करने के बारे में कुछ नहीं, और केवल इसमें।

अब यह जो धारा (6) है इसकी धारा (3) भी पहले से ही है। इसमें भी पहले प्रावधान है। यह प्रावधान है कि जो भी यात्रा, उप-धारा (1), उप-धारा (1) ऊपर मैंने आपको बताया, जिसमें आपको जेल भेजने का अधिकार है और जिसमें आपको 200 रुपये जुर्माना करने का अधिकार है। दूसरा आप जोड़ रहे हो, जो नया पहले था उसके तीसरे में है, निगम द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में ऐसी राशि को वसूल करने हेतु कार्यवाही करेगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट तक को अधिकार दे रखा है। अब आपके पास जो अधिकार हैं, उनका तो आप उपयोग करो नहीं, आपका डिपार्टमेंट उसको देखे नहीं और जबरदस्ती एक नया फूंदा लगाकर के आप सारे राजस्थान की जनता को, जैसे कोई चोर तो केवल यह जो गरीब यात्रा करता है न, यही तो एक मात्र चोर दिखाई देता है, जिसको आपने कस करके दुनिया में ढोल पीटने का प्रयास किया कि हम इससे दो हजार वसूल कर देंगे और हमारी सारी कंगाली दूर हो जाएगी। यह क्या तरीका है? यह आपका डिपार्टमेंट जनता को क्या संदेश देना चाहता है?

मैं सोचता हूं कि इस सदन को भी, इसको, मैं माननीय अध्यक्ष जी को भी निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को लाने के पीछे इस डिपार्टमेंट की मंशा क्या है, किस कारण से इस मंशा को इन्होंने आगे बढ़ाया? क्यों इस सारे सदन को इस तरह से इस छोटे से प्रस्ताव से, अच्छा होता कि आप इसमें टोटल जो जो चेंजेज करना चाहते हैं, जिसके कारण से रोडवेज की कंडीशन सुधर सके, रोडवेज मुनाफे में आ सके, उसके लिए कुछ प्रयत्न करते तो समझ में आ सकता था। इस प्रकार का प्रस्ताव है।

आपको धारा 11 में भी, अपराधों में संज्ञेय, यह भी काग्निजेबल है। आफेंस भी ऐसा सामान्य आफेंस नहीं है। सब-कुछ आपके पास उपलब्ध होते हुए भी आप इसको लाकर के क्या कहना चाहते हो, मेरे को यह समझ में नहीं आता। देखना तो यह था कि हमारी रोडवेज निरन्तर नीचे क्यों जा रही है?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किसी समय रोडवेज के बारे में मेरे हिसाब से, मैं 1977 से एम.एल.ए. बना हूं और मैं सोचता हूं कि मेरे उदयपुर से आने के लिए ट्रेन से भी ज्यादा अगर मेरे लिए कोई सुविधाजनक थी तो मेरी बस थी। चाहे वह बांसवाड़ा से एम.एल.ए. चलता था, चाहे डूंगरपुर से एम.एल.ए. चलता था, हम सब लोग रोडवेज की बस में ही आकर के विधान सभा में उपस्थित होते थे। आज की स्थिति उससे बिल्कुल विपरीत हो गयी।

2012-13 में आपका रोडवेज का घाटा था 1,650 करोड़ रुपये, अब 2016-17 में यह बढ़कर हो गया 3,717 करोड़ रुपये और अभी 2020-21 में यह घाटा बढ़कर के हो गया 4,200 करोड़ रुपये। आपकी हर साल की जो इन्कम है, वह लगभग 1,630 करोड़ रुपये की है और जो आपका खर्चा है वह 2,300 करोड़ का है। लगभग 700 करोड़ रुपये आपका आय में और खर्चे में अन्तर है। मैं सोचता हूं कि यह जो 900 करोड़ रुपये का आपका जो वजन बढ़ा है, इस बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। सरकार राजस्थान रोडवेज को केवल और केवल 45 करोड़ रुपया देती है। शायद हिन्दुस्तान में और कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जो अपने रोडवेज को स्ट्रेंथन करने के लिए केवल 45 करोड़ रुपये देती है। कहीं 600 करोड़ रुपये देती है, कहीं 900 करोड़ रुपये देती है, कहीं 800 करोड़ सब्सिडाइज करती है, ताकि गरीब आदमी इस रोडवेज में बैठकर अपनी यात्रा को सुगमता से कर सके, इसके लिए करता है। हमने वह तो नहीं किया और हम दूसरे रास्ते जा रहे हैं।

यह जो गुजरात में रोडवेज है, उस गुजरात की रोडवेज का जो किराया है, वह राजस्थान के किराये से 57 प्रतिशत कम है। उसके बाद भी राजस्थान के सामने गुजरात की रोडवेज नफे-नुकसान में नहीं है, बराबर की स्थिति में है। 57 परसेंट किराया कम होने के बाद भी। उसके दो कारण हैं, एक तो सरकार उनको सालाना 600 करोड़ रुपये सहायता के रूप में अपनी तरफ से देती है। उसके कारण से भरपाई हो जाती है और उसके कारण से, रोडवेज के कारण से उस सारे स्टेट की जनता को एक प्रकार से अच्छी प्रकार से सुविधा है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि हरियाणा रोडवेज भी इसी प्रकार से है। हरियाणा रोडवेज भी घाटे में है, लेकिन सरकार उसको सपोर्ट करती है। उसके कारण से उसका घाटा निकल जाता है। हमारे यहां सरकार नहीं देती है। अभी आपने एक आदेश तो जारी कर दिया कि जितने भी बच्चों की रीट की परीक्षा होगी, वे सारे के सारे फ्री में जाएंगे। कहां से जाएगा, है आपके पास बस? वहां

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बस स्टैंड पर आपस में गुत्थमगुत्था हो रहा है। आपका डिपो इन्चार्ज परेशान है कि मैं इस सवारी को बैठाऊं किसमें, मेरे पास साधन उपलब्ध नहीं है। आपने आदेश तो निकाल दिया कि फ्री में, भाई, आदेश निकाला तो व्यवस्था भी तो करोगे तो ठीक है, नहीं तो लॉ एंड आर्डर और बिगड़ेगा। मैं सोचता हूं कि इस प्रकार से केवल जनता को यह दिखाने के लिए कि हमने आपको फ्री पास दिया। दिया क्या, बस ही नहीं मिलेगी तो फ्री पास क्या मिलेगा, कोई मतलब नहीं है।

घाटे की बड़ी वजह जो आप और मैं महसूस करते हैं, हम में से कौन आदमी है, ईमानदारी से जो अपनी आंख से देखता है कि आपका घाटे का सबसे बड़ा कारण प्राइवेट बसों का इल्लीगल चलना। वह भी चले तो चले दूसरी जगह। जहां भी आपके रोडवेज के डिपो हैं, उसके बाहर जो गाड़ियों की भरमार लगी रहती है कि अगर आप शाम को निकलना चाहो तो स्कूटर से नहीं निकल सकते, इतनी गाड़ियां लगी रहती हैं। मेरे उदयपुर के उदियापोल पर हमने स्ट्रिक्टली इतना तो किया कि यहां दस बजे पहले कोई गाड़ी नहीं आयेगी, लेकिन यहां तो यह भी नहीं है। उसके कारण से रोडवेज लुटा जा रहा है। अब यह किसके ध्यान में नहीं है? या तो इसका धंधा करने वालों को ध्यान में नहीं है या सच्चाई को क्यों नहीं समझते हो? इतना तो आपका अधिकार है कि कम से कम आपका जो डिपो है, जहां से आपकी बसें चलती हैं, वहां ये प्राइवेट बसें खड़ी नहीं रहें। इसमें आपको कौनसा कानून का कठोर कदम लेना पड़ता है? केवल और केवल पुलिस को पाबंद करना पड़ता है कि यहां यह नहीं खड़ी रहेगी या 2 किलोमीटर दूर खड़ी रहेगी, या आप इनका भी डिपो दे दो, ताकि वह अपने डिपो से चलें। हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन वे सारी की सारी रोडवेज बस स्टैंड के सामने से ही चलें, पोलोविक्ट्री से ही चलें, यह क्या जरूरी है? इतना-सा सिस्टम को हम नहीं सुधार सकते हैं और हम बातें बहुत ऊंची-ऊंची करते हैं। आप नारायण सिंह सर्किल पर चले जाओ, आपकी कितने बसें हैं? इस जयपुर ही जयपुर में 600 प्राइवेट बसें चलती हैं, डेली 600 और वह सारी प्राइवेट बसें सवारियां हमारी ले जाती हैं। मैं सोचता हूं इस सिस्टम को सुधारना नहीं चाहते हैं। कारण क्या है, सारी मिलीभगत है। इन सब प्राइवेट बसों को कमाने के लिए छूट देकर कुछ लोग अपनी जेब भरने का धंधा जो वर्षों से कर रहे हैं, उसके कारण से दु:खी होगा तो राजस्थान का वह गरीब आदमी होगा जो रोडवेज से अपनी यात्रा करके अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है। इसका कारण यह है कि रोडवेज का ड्राइवर होशियार ड्राइवर है। प्राइवेट में बैठा हुआ ड्राइवर 3 दिन चला हुआ, चौथे दिन फिर बैठा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दिया, जाकर कहीं भड़केगा तो उसको सुरक्षा नहीं है। यहां कम से कम उसको यह लगता है कि मैं सुरक्षित हूं, मेरी सेफ्टी है। कम से कम उस बस में भी सेफ्टी है। इसके कारण से लोग पसंद करते हैं।

हम सिस्टम को सुधारना नहीं चाहेंगे। हम केवल इधर-उधर की बातें करके, मैं सोचता हूं, अभी सारे लोगों ने मांग की है, आखिर में उनका क्या दोष है, जिन्होंने आपके यहां इतने सालों नौकरी की है? क्या वह पेंशन के योग्य नहीं थे? पेंशन के योग्य हैं लेकिन उसके बाद भी 2016 से लेकर आज तक कितनी बार आपके दरवाजे पर आकर के, खट-खट करके, आखिर वह सरकार से लड़ने की और पुलिस से लड़ने की ताकत तो नहीं रखते हैं। लेकिन अपने बच्चों को पालने का मन तो उनका भी होगा न। अगर कोई आपका ही भाई इसी प्रकार से नौकरी करता हो, उसकी यही दशा हो, वह आपका छोटा भाई आपके घर आए और आपसे कहे तो आपको पीड़ा, दर्द होता है न। मैं सोचता हूं कि ऐसी क्या समस्या सरकार के सामने है? 5 हजार करोड़ रुपया इतना अधिक है क्या कि वे भूखे मर जाएं, आत्महत्या करने की स्थिति में आ जाएं। उसका बच्चा नहीं पढ़ सके। उसका इलाज नहीं हो सके। वह एक सामान्य नागरिक का जीवन नहीं जी सके। नारकीय जीवन जीने के लिए तैयार है तो मैं सोचता हूं कि आपको उन्हें नहीं भर्ती करना तो उसको देखें। आप लोग इसकी व्यवस्था नहीं करोगे।

आपके पास कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं? मेरे हिसाब से 14 से लेकर 15 हजार कर्मचारी हैं। 14 से 15 हजार कर्मचारी हैं। उनमें से आज भी मैं कह रहा हूं कि 2 हजार लोग ऐसे हैं जो न कभी गाड़ी पर चढ़े हैं, न कभी गाड़ी पर चढ़ने के योग्य हैं लेकिन फिर भी तनख्वाह ले रहे हैं। इसमें उनको कोई विशेष पैकेज देकर के घर रवाना करो। जिसके कारण से आपका वज़न भी कम हो और वे भी अपने जीवन में किसी तरह से ठीक तरह से देखें। मैं सोचता हूं कि इसके बारे में आप जरूर ध्यान देने की बात करें।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि रोडवेज को इस घाटे से उबारने में कोई समस्या नहीं है। अगर हमारा मन हो तो हम इस घाटे से उबार सकते थे। कुछ तो सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा। बिना सरकार के सपोर्ट के नहीं चलता। आंध्र प्रदेश में और हरियाणा में भी घाटा है लेकिन वहां इस रोडवेज को उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ जोड़ दिया। अब हमारे ये 2 डिपार्टमेंट अलग-अलग हैं। मैं सोचता हूं कि अगर हमारी हालत खराब है तो हम ट्रांसपोर्ट

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

डिपार्टमेंट के साथ इसको जोड़कर करें। जिससे कम से कम, जो इल्लीगल व्हीकल चल रहे हैं, इल्लीगल परमिट जो मिल रहे हैं, जो सिस्टम को सुधारने का काम हम दोनों मिलकर के कर सकते हैं, वह काम तो किया जा सकता है। उसमें कौनसा जोर आ रहा है लेकिन उसके बारे में हम विचार नहीं कर रहे। मैं सोचता हूं कि इस तरीके से आपको काम लेना चाहिए।

रोडवेज के पास आज की तारीख में मेरे हिसाब से कितने ही हजार करोड़ की सम्पत्ति है। आप बेचो मत, कोई बात नहीं। लेकिन जहां-जहां कामर्शियल यूज हो सकता है, आप उसके कामर्शियल यूज के लिए उनको देकर के, पैसे कमाकर के रोडवेज का घाटा कम कर सकते हो। उस समय आपको रोडवेज के लिए प्राइम लोकेशन दी गयी थी। जो अच्छे से अच्छा स्थान हो सकता था, वह राजस्थान रोडवेज के डिपो के रूप में अलग-अलग जगह पर दिया है। आप उसका उपयोग करिये।

माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये प्रति टिकट के ऊपर 2 रुपया इंश्योरेंस लेते हैं, 2 रुपये। कब से ही ले रहे हैं, 2 रुपया प्रति टिकट, यात्रा का जो भी टिकट कटायेगा, उससे 2 रुपया कट रहा है लेकिन कोई इंश्योरेंस स्कीम नहीं है। जब कभी रोडवेज से एक्सीडेंट होकर के कोई मर जाता है तो मुकदमे लड़ते-लड़ते पागल हो जाता है। उसके बाद भी आप समझौता करके 50-60 हजार रुपया देकर के उसको निपटा देते हो जबकि दूसरा, आपकी और मेरी गाड़ी से भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी डैथ हो जाती है तो भी 5 लाख, 10 लाख रुपया मिलता है। न तो आप उसकी सेफ्टी कर पा रहे हो और दूसरा यह है कि रोडवेज की बसों का भी कोई इंश्योरेंस नहीं है। आप 2 रुपया ले रहे हो प्रति टिकट लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को एक फूटी कौड़ी नहीं दे रहे हो। उसके बाद आप भगवान भरोसे गाड़ी चला रहे हो। यह क्या तरीका है? जिस यात्री से आपने 2 रुपया इंश्योरेंस का लिया है तो कम से कम उसके खाते में इंश्योरेंस तो कराओ, जिससे कहीं न कहीं तो उस आदमी को मदद हो सके।

मैं सोचता हूं कि एक ही काम इसमें आसानी से हो सकता है। इसको कभी भी मुनाफे का सौदा मानना वाजिब नहीं होगा। हम वैलफेयर स्टेट हैं। हमारी जनता को सुविधा के लिए, जब हम इतने खर्चे दूसरे करते हैं सरकार के खाते में, तो क्या इस राजस्थान के उस गरीब आदमी को यात्रा करने के लिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं सोचता हूं कि इस भ्रष्टाचार की भट्टी में जलकर यह खाक हो गया। इसको तो कोई रोकने का प्रयास नहीं करेगा। इसमें सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं करेगा। यह जो आपने बड़े-बड़े दिग्गज बैठा रखे हैं, कोई किधर पकड़ा जा रहा है, कोई किधर पकड़ा जा रहा है। नाटक देख-देख करके शर्म आती है कि हम जन-प्रतिनिधि हैं और ये सारे के सारे लुटेरे खोखला कर रहे हैं। बदनामी किसके जिम्मे है? हम जन प्रतिनिधियों के जिम्मे है। माल लूटकर के कोई ले जा रहा है। लोगों की बुराई हम सुनें, लोगों की नाराजगी हम सुनें। मैं सोचता हूं कि इसके बारे में बहुत कठोरता से विचार करना चाहिए।

सरकार में बैठकर के, मंत्री महोदय, मुख्य मंत्री से कहिए कि इस रोडवेज को चलाने के लिए 500-700 करोड़ रुपया सालाना हमें बजट में प्रावधान करके, इसको जिंदा रखना है। जिंदा ही नहीं रखना है, इसको आगे बढ़ाना है, ताकि गांव का आदमी सुरक्षित यात्रा कर सके। हमारा और आपका यह उद्देश्य है। जब हम इतने स्कूल खोलने के लिए, इतने हास्पिटल खोलने के लिए पैसा दे सकते हैं तो उस गरीब को यात्रा के लिए क्या हम मदद नहीं कर सकते। इतने कंगालपति हो गये क्या? मैं सोचता हूं कि हमारा सोच बदलना होगा।

मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इस अमेंडमेंट को लाने का कोई औचित्य नहीं है। कोई औचित्य प्रमाणित नहीं कर सकता है। मंत्री महोदय, मैं चाहता हूं कि जो पहले प्रोविजन था, उसमें आपने कहां-कहां पालन किया? कितनों से 200 रुपया वसूल किया? एक महीने की सज़ा किस-किस को दी? जो कानून आपके पास था, उस कानून की पालना नहीं और दो में संशोधन लाकर आज आपने सारे समय को जिस प्रकार से किया, मैं इसलिए कहता हूं कि इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर लाना है तो इस पूरी रोडवेज को ठीक करने के लिए, जो भी जिस तरह से भी आपको लेकर के आना है, वह लेकर के आइए। मैं इसलिए चाहता हूं कि जनमत जानने के लिए इसको दिया जाए।

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यहां लिखा हुआ है सामने, सभा में या तो प्रवेश नहीं किया जाए, यदि प्रवेश किया जाए तो वहां स्पष्ट और सच बात कही जाए, क्योंकि वहां न

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

बोलने से या गलत बोलने से, दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी बन जाता है। वह ऊपर वाला देख रहा है।

मुझे दु:ख है कि सदन के इतने सीनियर सदस्य ने यह कहा कि पूरा दिन खराब हो गया। आज मुझे यह बता दो, एक बहुत छोटा-सा एक्ट आया, कुछ सदस्यों ने तो कमाल ही कर दिया, बिना पढ़े, बिना सोचे, बात रोडवेज पर हो रही है, कहां की कहां बात लेकर के गये। सदन का समय बर्बाद कौन कर रहा है? विपक्ष के साथी, आदरणीय कटारिया साहब, राठौड़ साहब, 10 लोग बोल लेते। डिस्कस क्या हो रहा था, बोल क्या रहे हैं। ढाई बरस पहले आप सत्ता में थे। आपको किसने मना किया था?

आज भी गहलोत सरकार की नीति और नीयत पर यदि कोई शक करता है तो वह पाप करता है। वह पाप इन्होंने आज कर दिया। इससे बड़ा पाप नहीं कर सकते। 1975 के बाद पहली बार, एक सरकार का मुखिया, यह कारपोरेशन है, मेरे से ज्यादा इंटेलीजेंट हैं। इस कारपोरेशन में, बीच में बोलना जरूरी है? बाद में बोल लेना आप। भैरोंसिंह जी का नाम लेते हो दस बार। माना भी करो उनको कभी-कभी। मैं एक के भी बीच में नहीं बोला। भैरोंसिंह जी का नाम ही नाम लेते हो तो सीखते भी थोड़ा-बहुत उनसे। सीखा कुछ नहीं। भैरोंसिंह जी दूसरे का सम्मान करते थे। चाहे उनके और मेरे कुछ भी रहे हों रिश्ते, बाप-बेटे के, लेकिन आप लोग तो खूब साथ-साथ रहे हो, आप तो सीखते।

मैं लगातार चुप इसलिए रहा, एक-एक आदमी का आज भाषण निकाला जाए, मैं जुबान देता हूं कि मैं इस्तीफा देकर चला जाऊंगा, क्या-क्या शब्द काम में नहीं लिये। यह जानते हुए काम में लिए कि हम +++ बोल रहे हैं। यह सदन, क्या +++ का मंदिर है क्या यह? यह सच का मंदिर है। ये भी जानते हैं इस बात को कि इन्होंने क्या-क्या +++ बोला। रिकार्ड तोड़ दिये +++ बोलने के।

श्री सभापति: असत्य।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): असत्य। मैं माफी चाहता हूं। सभापति महोदय, असत्य जो इन्होंने बोला है। सभापति जी ने बता दिया, मान लिया।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, इनकी भाषा से आप संतुष्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): असत्य बोल दिया न मैंने।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): यह टोन ठीक नहीं है।

श्री सभापति: डायरेक्शन हैं ...(व्यवधान) विराजिए आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): यह मंत्री का जवाब देने का टोन ठीक नहीं है।

श्री सभापति: कोई भी शब्द असंसदीय है, विलोपित होने का, मैंने स्टैंडिंग आर्डर आपको दे रखे हैं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति जी, मुझे आप यह बताइए, आदरणीय गर्ग साहब खड़े हुए, बोले, मंत्री जी की टोन ठीक नहीं है। इनकी टोन ठीक थी? क्या बात? आप सुन लेते न सारे लोग तो आपको खुद को लगता कि टोन किसकी ठीक है। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): यहां घबराते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास से इतना डर लगता है, बाहर भी और अन्दर भी।

श्री सभापति: कृपया शांत रहें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): बीच-बीच में बोलना चालू कर दिया। सुनो तो सही ...(व्यवधान) यह लो, सुनने की हिम्मत नहीं है। सुनने की ताकत रखो न।

श्री सभापति: कृपया शांत रहें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): यह क्या +++...(व्यवधान) +++ डर क्यों रहे हो तो? सुनो तो सही। सुनने की ताकत तो रखो ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): +++...(व्यवधान) क्या बात करते हो ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): यह सीनियरिटी नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या है यह इनका, यह कोई जवाब है? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सीनियर लोगों को यह शोभा नहीं देता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): यह बोला न, अच्छा नहीं लगता ...(व्यवधान) पूरा राजस्थान आपको देख रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ये क्या बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? सुनो न ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। आप विराजिए।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सुनने की ताकत होनी चाहिए। (व्यवधान) सुनने की हिम्मत ही नहीं है।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): क्या बोल दिया ऐसा? सही बोला है बिलकुल। बिलकुल सही बोला है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): जो लिखा हुआ है उसके विपरीत बोला है आपने। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): जो वह लिखा हुआ है, उसके विपरीत बोले हैं आप। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या बोले हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): जोर से बोलकर के किसको कह ...(व्यवधान) जोर से बोलने की ताकत है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान) किसी का भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री सभापति: नेता, प्रतिपक्ष ...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): 000

श्री सभापति: प्लीज, आप सभी विराजिये। (व्यवधान) प्लीज सहयोग कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय, विराजिये। (व्यवधान) प्लीज एक मिनट विराजिये।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। विराजिये। विराजिये।

करीब चार घण्टे इस विधेयक पर चर्चा हुई है। जहां तक मेरा अपना मानना है, मैं भी एक जन-प्रतिनिधि हूं। कोई आदमी इस बात से विमत नहीं रखता कि हमारा जो यात्री है उसकी सुखद यात्रा हो, रोडवेज की स्थिति सुधरे, यह हम सभी जानते हैं। मेरा आपसे पुन: विनम्र निवेदन है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, ...(व्यवधान) मैं आ रहा हूं आपकी बात पर। आप कृपया शांत रहें। हमको इस सदन की गरिमा बनाये रखनी है। जिन महापुरुषों का आप नाम ले रहे हैं, शायद ही कभी उन्होंने, मैं भी इस सदन में रहा हूं, राजेन्द्रजी राठौड़ साहब भी रहे हैं, कटारिया साहब भी रहे हैं, कभी भी इस तरह से यदि छोटी-मोटी बात हुई तो इस प्रकार की उत्तेजना पैदा नहीं हुई है। मैं पुन आप सभी से विनम्र आग्रह करता हूं और अपेक्षा भी रखता हूं कि अब सदन गरिमापूर्ण ढंग से चले और माननीय मंत्री महोदय, जो भी बात इन्होंने कही है और उन्होंने कही है, उस पर दुबारा चर्चा नहीं हो। आप जो भी अपनी उपलब्धियां हैं, उनके बारे में और रोडवेज कैसे अच्छे तरीके से चले, कृपया आप उस पर अपना वक्तव्य देंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारी चर्चा सार सहित होगी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने और मंत्री महोदय का जवाब होने तक बढ़ाया जाए?

श्री सभापति: क्या सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने और मंत्री महोदय का जवाब होने तक बढ़ाया जाता है।

विधेयक पर विचार

राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आप मुझे यह बताइये कि आप यहां पर बहुत देर से बैठे हैं, जब ये सब बोल रहे थे तो मैं एक शब्द नहीं बोला। आप मुझे यह बता दें, इनको कौनसी मेरी बात से तकलीफ हो गयी? मैंने कहा कि ये पढ़कर बोलना चाहिए, कितना अच्छा लिखा हुआ है। इसमें नाराज होने की क्या बात है, क्या कह दिया मैंने ऐसा? इन्होंने तो मुझे टार्गेट कर-करके बोला है और असत्य बोला है, फिर भी मैं नहीं बोला। अब मेरी बारी आयी है तो इसमें घबराने की क्या बात है? सच सुनना चाहिए। विपक्ष ने बोल लिया। इन्होंने यह कहा कि पूरा दिन खराब कर दिया। किसने कहा था? दस लोग बोल लेते, पांच बोल लेते, दो बोल लेते। सब बोले, खूब खुलकर बोले हैं, पूरी भड़ास मिटा ली। किसने मना किया था आपको? इतनी जबर्दस्त उत्तेजना में सब खड़े हो गये, जैसे इनकी उत्तेजना से डरकर मैं घबरा ही जाऊंगा और बैठ ही जाऊंगा। ऐसा क्या है? कौन डर रहा है? इनको अपनी बात कहने का हक है सदन में और मुझे मेरी बात कहने का हक है। मैं मेरी बात पूरी कर रहा हूं। फिर इतना बोले ही क्यों, जब मंत्री को सुनना ही नहीं है तो? कह देते हम तो खुद बोलेंगे, मंत्री नहीं बोलेगा, यह विपक्ष तय कर दे, सदन में तय हो जाये कि हम मंत्रियों का जवाब नहीं सुन सकते।

माननीय सभापति महोदय, एक छोटा-सा एक्ट, राजस्थान की गहलोत सरकार लेकर आयी, एक लाइन का। इसमें सख्त सज़ा का प्रावधान है। यदि कोई कंडक्टर गलती करे, कोई ड्राइवर गलती करे, अधिकारी गलती करे, सज़ा का प्रावधान है। बहुत पुराना, चालीस साल पहले यह था, जो किराया है वह था पांच रुपये था। बहुत कम था। बस की बस फ्री चल रही थी, बिना टिकट के। भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, लेकिन बिना टिकट यात्रा करने की परमिशन हमारे विपक्ष के साथी देना चाहते हैं। क्यों भाई? जब कंडक्टर पर कार्यवाही हो रही है, बिना टिकट कोई यात्रा करेगा, उसके ऊपर

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

जुर्माना तय होगा तो भ्रष्टाचार रुकेगा और भ्रष्टाचार रोकना कांग्रेस की गहलोत सरकार की प्राथमिकता है। उस पर हम काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार रोकने के लिए यदि काम कर रहे हैं तो इनको मदद करनी चाहिए। अब इन्होंने आज सारे आरोप लगा दिये। इनके लोगों को यह पता नहीं है, कि रोडवेज डिपार्टमेंट अलग है, परिवहन विभाग अलग है और सारे लोग कह रहे हैं। बार-बार हर सदस्य कह रहा है, कंडक्टर पर कार्यवाही क्यों नहीं होती है, आप पढ़कर तो आते, कंडक्टर पर कार्यवाही का प्रावधान है, ड्राइवर पर कार्यवाही का प्रावधान है, अधिकारी पर कार्यवाही का प्रावधान है। अब आपने सुझाव दिये। यह कह दिया कि हमें यह-यह करना चाहिए। राजस्थान रोडवेज को पिछली सरकार बंद करने की तैयारी कर चुकी थी। पूरी बंद करने की तैयारी थी, राजस्थान रोडवेज बंद होने के कगार पर थी, लोक परिवहन सेवा आपने शुरू की। राजस्थान में जब हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद आते ही ये आरोप लगा दिये कि मंत्रीजी के पास परमिट लेने के लिए जाते हैं। परमिट ही बंद हो गये, बीजेपी की सरकार जाने के बाद, लोक परिवहन सेवा चालू ही नहीं करते हम। एक लोक परिवहन सेवा को परमिट नहीं दिया। मंत्रीजी के पास जाते हैं। कौन आ गया? आते ही रोक लगा दी। यह परमिट का धंधा हमने नहीं किया, आपके ही टाइम पर चलता था। आपके ही टाइम पर जो चलता था वह बंद कर दिया कांग्रेस की सरकार ने आते ही। अब कई लोगों को नाराजगी हो रही है कि मैं इस तरह से बोल रहा हूं। मैंने यहां कैसे सहन किया अपने आप को, यह सोचो आप, अंदाज लगाओ आप। चार घंटे तक, आज मैंने संकल्प लिया था कि किसी के बीच में नहीं बोलूंगा, सब के सब खड़े हो गये। मुझे वह दिन भी याद है, अख़बार में खबर छपी थी, मैं सदन में नहीं था, मैं सही कह रहा हूं आपको, अख़बार में छपी वह बात।

माननीय सभापति महोदय, बीच में बता रहा हूं, थोड़ा इससे अलग हटकर, एक फ्री दवा योजना थी गहलोत सरकार के समय पर, गहलोत साहब लेकर आये शुरू में, बाद में वह सरकार बदल गयी। अख़बार में खबर आयी, मेरे पास कटिंग पड़ी है, काटकर रखी है, संभाल कर। वह खबर आयी अख़बार में, नई सरकार आ गयी बी.जे.पी. की, राठौड़ साहब स्वास्थ्य मंत्री बन गये, अख़बार में खबर आयी कि ऊंट के इंजेक्शन आदमियों को लगा दिये। वह प्रोब्लम इसलिए आयी, अख़बार में खबर छपी तो मैंने पता किया कि ऊंट के इंजेक्शन कैसे लग गये? वह हमारी सरकार की फ्री दवा योजना थी, हमारी सरकार चली गयी, बाद में इन्होंने कहा कि जल्दबाजी में गलती हो गयी।

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

माननीय सभापति महोदय, रोडवेज को चलाने की जिम्मेदारी दी, तब ही पहली बार, आजादी के बाद, यह सरकार आयी, जिसने लगभग 900 बसें एक साथ स्लॉट में खरीदीं, एक स्लॉट में, आते ही नई 900 बसें खरीदीं। 900 बसें आज तक, आजादी के बाद, रोडवेज जब से स्थापना हुई, तब से आज तक नहीं खरीदी गयीं। मन में इच्छा थी, तभी तो बसें खरीदीं। आज भी नई 500 बसें खरीदने की तैयारी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रोडवेज घाटे में है। खुद आदरणीय कटारिया साहब बोले, इसमें कोई दो राय नहीं, वैलफेयर स्टेट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस चाहे घाटे में चले, चलानी पड़ती है। वैलफेयर स्टेट है, वैलफेयर स्टेट में घाटा होता है। घाटे को रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए कहीं न कहीं हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मन में भावना थी, इच्छा थी कि कारपोरेशन में, ये भी जानते हैं, सरकार में रहे हैं, कारपोरेशन साइनिंग अथोरिटी मंत्री नहीं है। यह विभाग नहीं है, यह कारपोरेशन है, जहां एम.डी., सी.एम.डी. बैठकर काम करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, ठीक कहा माननीय सदस्य संयम लोढ़ाजी ने, शायद कोई जन प्रतिनिधि होंगे, उस समय बिलकुल फायदे में आयी होगी। वे चेयरमैन रहे होंगे, लेकिन आज सरकार की जिम्मेदारी है कि यदि किसी कारपोरेशन में किसी एक्ट में सुधार करने से करप्शन रुकता है तो वह करप्शन रोकना हमारी जिम्मेदारी है। करप्शन रोकने के लिए वे सब कदम हम उठाएंगे जो हमें उठाने चाहिए। इसीलिए तो आज यह एक्ट आया है। विपक्ष को तो कुछ न कुछ करना है, कमी निकालनी है। वह ठीक उसी तरह से हो रहा है, 14 हजार करोड़ के कर्ज माफ हो गये, तो कह दिया कि बड़े वालों के हुए। जो हुए, उनका तो धन्यवाद दो। वे किसान तो, मैं खुद बूंदी गया, कोटा गया, मैंने खुद ने वहां पर प्रमाण पत्र बांटे, लोगों की आंखों में चमक थी कि जिसका दो लाख का ढ़ाई लाख रुपये का कर्जा था, वह माफ हुआ। वह तो उसी में धन्यवाद दे रहा था कि मजा आ गया, 14 हजार करोड़ रुपये के कर्जे माफ किये। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, ये यह तय नहीं करेंगे, ये सब इधर-उधर से बोल रहे थे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। ये क्या है कि एक्चुअली में इनके साथ दिक्कत एक है कि ये सुनना नहीं चाहते हैं। अभी यहां पर खड़े-खड़े बोल रहे थे कि राजस्थान रोडवेज का किराया ज्यादा है। हमने एक रुपया भी नहीं बढ़ाया राजस्थान रोडवेज में, सरकार में आने के बाद लेकिन कमाल हो गया,

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

रिकार्ड तोड़ दिये। आज राजस्थान रोडवेज की आंखों में आंसू हैं, राजस्थान की रोडवेज में बैठने वाली मां, बहन, बेटी, हर बच्चे की आंख में आंसू हैं। सीट पर बैठकर एक ही चर्चा करते हैं, अच्छे दिन आ जाएंगे, पन्द्रह लाख मिल जाएंगे, डीजल-पेट्रोल सस्ता हो जाएगा और गैस सिलैण्डर 400 रुपये में मिल जाएगा। क्या बात है। आज हालात कितने खराब हैं। रोडवेज से इतनी नफरत है। रोडवेज में बैठकर आदमी सवाल कर रहा है, ''कांई करै बापड़ा रोडवेज आळा, डीजल महंगो हो ग्यो, हालत खराब है, पेट्रोल महंगो हो ग्यो, बी के मांयने मोटरसाइकिल से जा कोनी सकैं।'' धन्यवाद दें, जिस आदमी ने एस.एम.एस. में...(व्यवधान) सिन्धी कैम्प पर भी बोलूंगा, चिंता मत करो, एक ही कोनी छोड़ूं बात बाकी। जितने सवाल पूछे हैं, सबका जवाब दूंगा। सभापति जी, जो सवाल पूछे हैं, सबका जवाब दूंगा। सब याद हैं मुझे।

आप मुझे यह बता दें, राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत, सबसे बड़ी बात, पिछली बार बजट भाषण में यहां पर घोषणा की, यदि नयी भर्ती होगी, कोई भी नौजवान निकलेगा, पेट्रोल डलाने के लिए केन्द्र सरकार ने ताला लगा दिया, पेट्रोल डलवा नहीं सकता, मोटरसाइकिलें बिक गयीं तो एग्जाम देने जाएगा तो उसे हम रोडवेज में फ्री में भेजेंगे। बहुत बड़ा फैसला हुआ। सभापति जी, रोडवेज में फ्री में जाने का फैसला इन्होंने नहीं किया, हमने किया। सोच है।

जब कोरोना संकट था, पूरे देश का मजदूर पैदल चल रहा था, हालात खराब थे, लोग ए.सी. कमरों में बैठे हुए थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, कोई सम्भालने वाला नहीं था। तब हमने कहा था, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कहा था। पूरे देश के विपक्ष ने कहा था कि यह मजदूर पैदल चल रहा है, इसकी व्यवस्था कर दो, ट्रेन चला दो लेकिन जब मजदूर राजस्थान की सीमा में आया तो राजस्थान की सरकार ने, मुख्य मंत्री ने रोडवेज को सड़कों पर निकाल दिया। एक-एक मजदूर को राजस्थान पार कराकर ले गये। और तो और एक-एक एम.एल.ए., एस.डी.एम. के आफिस खुले थे। एस.डी.एम. के आफिस खुले, वहां पर चप्पलें रखवायीं, जूते रखवाये। ये सब लोग वहां खड़े थे। रोडवेज की बस तैयार थी। इनको, सबको आदेश था। इनमें से कई एम.एल.ए. निकलकर आये। उस वक्त चप्पल पहनाकर यहां से विदा किया। यूपी तक, एमपी तक लेकर गये। क्या किया इन्होंने? यहां से बसें भेज दीं तो क्या किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, राजस्थान की बस नहीं घुसने दी यू.पी.

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

में। क्या हुआ, गुनाह कर दिया भाई साहब? आप तो सीनियर हैं, धारीवाल साहब। आप लोग सीनियर हैं। ये सारे, रघु जी, राठौड़ साहब पुराने खिलाड़ी हैं। इन्होंने साथ में राजनीति की है। एक भी आदमी बता दे।

सभापति जी, बसें खड़ी रहीं तीन दिन तक, तीन दिन तक। सुभाष जी गर्ग साहब, आप उस वक्त वहां थे, जब मैं आया। ये वहां खड़े रहे चार दिन तक और ये खाट पर बैठे थे, मैंने कहा, ''कांई हुयो?'' लोग खड़े हैं, अन्दर नहीं घुसने देंगे। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने यह कहा, मेरे सामने रात को ढाई बजे फोन कर रहे, सरकार से बात कर रहे कि ये बसें जाएंगी और छोड़कर वापस आ जाएंगी। यही तो कहा, अच्छे काम के लिए पॉजीटिव थिंकिंग। अच्छा काम तो उस दिन फेल हो गया था, जिस दिन इन्होंने गवर्नर साहब से वर्चुअल कान्फ्रेंस करके कहा कि राजस्थान को 200 मीट्रिक टन आक्सीजन कम मिल रही है, गवर्नर साहब, ज्यादा दिलाएं। इनके कहने के बाद भी केन्द्र ने आक्सीजन पूरी नहीं दी। तीन-तीन मंत्री वहां धक्के खाते रहे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति जी, किस पर जवाब दिला रहे हैं आप? यह किस पर जवाब हो रहा है? यह रोडवेज पर जवाब हो रहा है? (व्यवधान)

श्री सभापति: एक बिल और पड़ा हुआ है। बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह सब सुनने के लिए थोड़े ही बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप खुद क्या बोले हैं?

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): तीन-तीन मंत्री वहां पर गये और तीनों ने तीन दिन तक...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। एक मिनट विराजिए। मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): इन्होंने भी बीच-बीच में कई बातें बोली हैं। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। सहयोग करें। प्लीज सहयोग करें। एक बिल और बाकी पड़ा है। माननीय सदस्य, प्लीज विराजिए। सहयोग करें। एक बिल अभी और बाकी पड़ा हुआ है। मंत्री महोदय अपनी बात रख लें और एक बिल अभी और आ जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय अपनी बात रखें, हमें कोई ऐतराज नहीं है। जो विषय है, उस पर बोलें। अगर ये सारे हिन्दुस्तान पर बोलना चाहते हैं तो क्या यह इस परव्यू में आता है, आप ही निर्णय कर लें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप भी तो बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमने एक शब्द भी बिल के अलावा नहीं बोला है। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें।

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): राजस्थान इनका चाल, चरित्र और चेहरा देख रहा है। ये सच सुन नहीं सकते। सच को बर्दाश्त कर नहीं सकते। ये विपक्ष की भूमिका निभाने में फेल हो गये। (व्यवधान) इसलिए आज न तो किसी चर्चा में भाग लेना चाहते हैं और न सच को स्वीकार करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं बात कर रहा हूं, एक मिनट आप विराजें। प्लीज सहयोग करें। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): यह भा.ज.पा. का असली चेहरा पूरा राजस्थान देख रहा है। पूरा राजस्थान अच्छी तरह से जानता है। भारतीय जनता पार्टी सच स्वीकार नहीं कर सकती। (व्यवधान)

श्री सभापति: एक बिल अभी और बाकी पड़ा हुआ है। कृपया विराजिए प्लीज। प्लीज सहयोग करें। माननीय सदस्य, नेता प्रतिपक्ष, चलिए विराजिए आप। मुझे आसन से व्यवस्था तो देने दीजिए। विराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जो सवाल हमने खड़े किये, उनका जवाब दिलाएं। (व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): दूसरा राजपूत नेता राजस्थान में कैसे आगे बढ़ जाए, यह आपको सहन नहीं होता है। आप न तो पार्टी में बढ़ने देते हैं और न इधर वालों को बढ़ने देते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या हमने एक शब्द इस बिल के अलावा बोला है? एक शब्द भी इसके अलावा बोला क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट। आप सब अपने आसन पर विराजें। मुझे आसन से व्यवस्था तो देने दीजिए आप। विराजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आप विराजिए।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

नेता प्रतिपक्ष, आसन को व्यवस्था देने दीजिए। आप विराजिए। आप मुझे व्यवस्था देने दीजिए। (व्यवधान) सदन पन्द्रह मिनट के लिए स्थगित किया जाता है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16:59 बजे 17.14 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(17.14 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: आप आसन पर विराजें। प्लीज, आप आसन पर विराजें। (व्यवधान) आप आसन पर विराजें। आप आसन पर विराजें। माननीय मंत्री महोदय, अपनी बात रखें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति महोदय, पूरा राजस्थान जानता है कि विपक्ष की भूमिका निभाने में भारतीय जनता पार्टी फेल हो गयी। अभी-अभी जिला परिषद् और पंचायतों के चुनाव में जनता ने इनका सूपड़ा साफ कर दिया। अब इनके पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। एम.एल.एज. की हालत यह है और इनका यह असली चरित्र और चेहरा राजस्थान देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब हो-हो करने के लिए जानी जाएगी। चार घंटे तक मैंने इनको सुना, इनको सहन किया और ये लोग चार घंटे लगातार झूठ बोलते रहे। जो लोग बीच में खड़े हुए हैं इन्होंने राजस्थान की जनता का समर्थन खो दिया है। इनके पास न कोई मुद्दा है, न अपने किये हुए काम हैं। पूरा राजस्थान जानता है कि आक्सीजन की कमी से जो मौत हुई, उसके लिए यह विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, राजस्थान का मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जब हाथ जोड़कर भीख मांग रहा था, केन्द्र सरकार से कह रहा था कि हमें आक्सीजन दो, तो इनके 25 एम.पी. फेल हो गये, आक्सीजन दिलवा नहीं पाये और ये सच स्वीकार नहीं कर सकते। डीजल, पैट्रोल और गैस सिलेण्डर की रेट ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। दुनिया जानती है कि डीजल, पैट्रोल और गैस सिलेण्डर की महंगाई से पूरा देश परेशान है। इनकी हर योजना फेल हो गयी।

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

इनके नेता का चेहरा फेल हो रहा है। यह सब जानते हैं कि 15 लाख और अच्छे दिन का वादा फेल हो गया। हमारी सरकार ने 64 परसेंट वादे पूरे करने का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया और वे काम करके दिखाये। यह भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, जो हो-हो करने के लिए जाने जाएंगे। इन्होंने राजस्थान को कुछ नहीं दिया। केन्द्र सरकार ने राजस्थान को कुछ नहीं दिया और आज यह साबित हो गया कि प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ सबसे पहले राजेन्द्र राठौड़ निकलकर आया है। राजेन्द्र राठौड़ के क्षेत्र में जाकर मैं राजेन्द्र राठौड़ से बात करूंगा और ध्यान रखूंगा, क्योंकि राजेन्द्र राठौड़ ने आज साबित कर दिया कि उनका असली चेहरा, असली भाषा और असली चरित्र क्या है। सभापति जी, ये राजस्थान की जनता का अपमान कर रहे हैं, राजस्थान की विधान सभा का अपमान कर रहे हैं। राजस्थान की विधान सभा में विपक्ष में इनको इसलिए नहीं बिठाया कि ये हो-हो करते रहें। विपक्ष में बिठाया था जनता के मुद्दे उठाने के लिए और आज यह सारा विपक्ष फेल हो गया। विपक्ष को चार घंटे तक मैंने सुना है और ये चार मिनट में डर गये, इसलिए ये बीच में आये हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021 को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास।

विधेयक का पारण

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित किया गया।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री महेश जोशी।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 25)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 15 सितम्बर, 2021 को मध्यान्ह पश्चात् 3:00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने अपने चौबीसवें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि दिनांक 17 एवं 18 सितम्बर, 2021 को सदन में अग्रेतर लिए जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

(डॉ. महेश जोशी)

शुक्रवार, दिनांक 17 सितम्बर, 2021	1. अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) वर्ष 2021-22 पर मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण, 2. राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2021, 3. रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 एवं 4. एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2021 -पर विचार एवं पारण।
शनिवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2021	1. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021, 2. दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021, 3. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020 एवं 4. राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2021 - पर विचार एवं पारण

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

श्री संदीप।

सूचना

भिवाड़ी में लगातार हो रही गोलीबारी की घटनाएं

श्री संदीप कुमार (तिजारा): पाइन्ट आफ इंफोर्मेशन। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र में उत्पन्न विशेष स्थिति की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। अभी परसों के दिन हमारे भिवाड़ी में हरीश बेकरी पर तीस राउण्ड फायर हुए हैं। इससे पहले भी लगातार व्यापारियों पर हमले और फायरिंग की घटनाएं हुई हैं। इस वर्ष में लगातार पांचवीं घटना फायरिंग की है, जिसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश की गैंग शामिल है। उसमें पिछले दिनों कुछ लोग पकड़े गये हैं। नीमराणा में भी लगातार व्यापारियों को धमकियां दी जा रही हैं। इससे पहले भिवाड़ी में हमारे मुन्ना कबाड़ी के गोदाम पर, हरीश बेकरी पर और जोधपुर मिष्ठान भण्डार पर हुआ। आज भी हमारे बहरोड़, नीमराणा में घटना हुई है। उससे पहले भी हुई है। लगातार हरियाणा, उत्तर प्रदेश की गैंग वहां पर सक्रिय हो रही है, तो इस पर कार्यवाही की जाए। विपक्ष के नेताओं से भी मेरा निवेदन है कि जो संरक्षण वहां पर उन सरकारों के द्वारा दिया जा रहा है, वह संरक्षण नहीं देकर उस गैंग पर लगाम कसी जाए, ताकि राजस्थान सुरक्षित रह सके। राजस्थान के लोगों में जो भय का वातावरण बना है। लगातार वसूली और दहशतगर्दी का जो माहौल बना है, उस पर कंट्रोल हो सके।

श्री सभापति: विराजिए। श्री शान्ती कुमार धारीवाल। प्लीज शांत रहें।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: मैं सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि जो विधेयक है, विधेयक की विषय वस्तु के इतर कोई भी नहीं बोलेंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी ताकि समय पर यह बिल पास किया जा सके और सब पूरी तरह से कन्फाइन करें कि जिस विषय पर आज का विधेयक है उसकी विषय वस्तु पर बोलें। श्री राजेन्द्र राठौड़।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, आज जो कुछ सदन में हुआ और जिस तरह का आचरण प्रतिपक्ष का रहा, आपने व्यवस्था दी है, लेकिन उससे पहले हम यह व्यवस्था चाहते हैं कि प्रतिपक्ष यदि मंत्री की बात नहीं सुनेगा तो हम भी प्रतिपक्ष को बोलने का मौका नहीं देंगे, नहीं बोलने देंगे।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): बिलकुल सही है, नहीं बोलने देंगे।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): नहीं बोलने देंगे प्रतिपक्ष को, नहीं सुनेंगे प्रतिपक्ष को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यही कराओ। यही देखना था? ये दिन देखने थे? मत बोलने दो।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। आक्या जी, आपको आगे आने के लिए नहीं कहा है, विराजिए आप, वहीं विराजिए। निर्देश नहीं हुआ है अभी आपको। विराजिए, विराजिए। आसन बार-बार आपसे, सुबह से ही यह अपेक्षा कर रहा है, या तो आज आप सब लोगों के खान-पान में कोई ऐसी बात रही है कि आपकी उत्तेजना किसी तरह से समाप्त ही नहीं हो रही है। देखने में ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि कोई खाने-पीने की समस्या आपको हो। फिर यह अकारण जो उत्तेजना है, तो या तो एक बार अपन, ये उत्तेजना जोर से जो है इसको समाप्त करें। अकारण बार-बार उत्तेजना स्थापित करना, मैं समझता, न तो कोई अपने लिए, और सबसे पीड़ादायक बात जो है, सदन के इस सारे माहौल को यू-ट्यूब पर लोग लाइव देख रहे हैं, तो हमसे यह अपेक्षा तो करते ही होंगे कि 200 चुनिन्दा लोग हैं, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, तो मैं दोनों पक्षों से यह अपेक्षा करता हूं कि विषय वस्तु पर कन्फाइन करेंगे और रिप्लाई भी विषय-वस्तु पर ही कन्फाइन होगा, यह भी मैं अपनी और से निवेदन करना चाहूंगा। प्लीज, राजेन्द्र राठौड़।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): सभापति जी, पहले ये बताएं कि इन्होंने हमारे मंत्री को क्यों नहीं सुना, पहले यह बताइये।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

श्री सभापति: किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज सहयोग करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

श्री सभापति: बात समाप्त हो गयी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

श्री सभापति: वह बिल पास हो गया, उस पर चर्चा नहीं कर सकते।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

श्री सभापति: एक मिनट विराजिए। आसन पैरों पर। इतनी गरिमा तो रखिए आप। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए आप।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): मेरी गलती क्या थी? आखिर इनको किस बात का दर्द हुआ, मेरी कौनसी बात का दर्द हुआ, ये बता दें।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। प्लीज-प्लीज, सहयोग करें। गलती शायद इस आसन की है कि आप सबको झेल रहा है सुबह से। मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया? बार-बार 'प्लीज' भी बोल रहा हूं, विनम्रता से बोल रहा हूं, सारी बातें समझा रहा हूं, बीच-बीच में अपनी उम्र के हिसाब से आप लोगों को छोटी-मोटी बात भी अपनी ओर से कह रहा हूं। कोई पाइन्ट आफ इंफोर्मेशन नहीं होगा। कोई बात नहीं होगी। मैं स्पष्ट निर्देश देता हूं और अपेक्षा करता हूं। यदि आप लोग नहीं सुनना चाहेंगे और ये भी नहीं सुनना चाहेंगे तो मुझे डायरेक्ट मंत्री महोदय को निवेदन करना पड़ेगा कि आप सीधा इसका बिल

(श्री सभापति)

पास कराएं। नहीं-नहीं, इस बार आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं, प्लीज, विराजिए। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं अभी आपको।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुका हूं। वर-वधू बाहर बैठे हुए हैं विवाह के लिए और ये..(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज-प्लीज, मंत्री महोदय, विराजिए। आसन दोनों पक्षों से विनती करना चाहता है कि जो विषय समाप्त हो गया, आप दोनों यदि इसी बात से खुश होना चाहते हैं तो आसन इस बात के लिए खेद व्यक्त करता है। जो कुछ भी हुआ, उसके लिए तो आसन खेद व्यक्त करता है। कृपया शांतिपूर्ण आसन को चलने दें। मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज, हाउस आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17:29 बजे 17.59 बजे के लिए स्थगित हुई)

(17.59 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

विधेयक पर चर्चा उसकी परिधि तक सीमित हो

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज अन्तरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। दिन में हमने आज आपका ध्यान आकर्षित किया था। आज लोक सभा के हमारे अध्यक्ष ओम बिरला जी ने अलग-अलग प्रान्तों के अध्यक्षों से इसमें चर्चा की। मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सब जो इस सदन के सदस्य हैं, वे उन परम्पराओं का ध्यान रखें, जिन परम्पराओं के लिए आज हम सब अन्तरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मना रहे हैं। कोई भी सदन नियम और कानून से

(18.00 बजे)

चलता है। नियम और कानून की पालना करने की जिम्मेदारी हम माननीय सदस्यों की है। सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए हैं, मंत्रीगण हैं, उनकी अलग भूमिका है। जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनकी अलग भूमिका है। चाहे पक्ष में हों, चाहे विपक्ष में हों, सबकी जिममेदारी है कि विधान सभा के जो नियम बने हुए हैं उनका हम पालन करें। मुझे खेद है। अपने चैम्बर में बैठकर मैं आज दिन भर चर्चा सुन रहा था। बिल कैसे पास करते हैं, बिल में कैसे डिबेट होती है, बिल

(श्री अध्यक्ष)

में कैसे जवाब देना है, ये सब इसमें वैल डिफाइन है। जिस ढंग से हम बिल की चर्चा कर रहे हैं, वह बिल की चर्चा नियम और कानून के अनुसार ठीक नहीं थी। बिल में साफ लिखा हुआ है कि बिल जिस परपज के लिए है, उस परपज के सम्बन्ध में ही चर्चा होनी चाहिये, लेकिन हमने डिबेट ऐसी लम्बी कर दी, जैसे हम डिमांड पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो भी बिल आये उस बिल के सम्बन्ध में आप चर्चा करें। जनरल डिबेट में डिबेट अलग है, पर आज चर्चा ऐसे हो गयी, जैसे हम मांग में डिमांड कर रहे हैं तो फिर विधान सभा में यह क्यों ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, क्यों स्थगन प्रस्ताव, क्यों तारांकित प्रश्न, क्यों अतारांकित प्रश्न? क्यों बिल? क्यों फाइनेंशल बिल? क्यों यह सब व्यवस्था कर रखी है? इसलिए मुझे खेद है। मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि दुबारा इन सब चीजों को पढ़ें। जो भी माननीय सदस्य बिल के सम्बन्ध में विचार व्यक्त करें, वे बिल के स्कोप के सम्बन्ध में ही रखें। बिल के स्कोप के इतर जाने के बाद उसको रोकने की चेयर की unpleasant ड्यूटी है। अभी तक हमने रोका नहीं है, लेकिन अनफोर्चुनेटली हमें रोकना पड़ेगा। यदि हम सदन में गरिमापूर्ण डिबेट करना चाहते हैं तो नियमों का पालन करना पड़ेगा और नियमों के पालन में यह है कि अध्यक्ष यदि चेयर पर बैठे हुए हैं, उनको यह अधिकार है कि जब भी आउट आफ स्कोप डिबेट होती है तो उसको रेगुलेट करने के लिए उसको रोकें। आज जिस तरह की यह चर्चा की है, वह बिल पर आदर्श डिस्कशन नहीं था। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में हम इस बिल की चर्चा के सम्बन्ध में उस तरह से चर्चा करेंगे। जो कुछ भी हुआ, मैं समझता हूं कि उसको भूल जाना चाहिये और यह रिपीट नहीं हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जिससे हम कह सकें कि राजस्थान विधान सभा वह विधान सभा है जो गौरवशाली परम्पराओं का निर्वहन करती है। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि अन्यथा न लें। सीनियर सदस्य भी हैं, नये सदस्य भी हैं, लेकिन हमारे नियम और कानून का पालन किया जाये।

एक बिल अपना पास हो गया है। मैं उन चीजों पर डिबेट में नहीं जाना चाहता, पर मैं आशा करूंगा कि भविष्य में जब भी हम बिल पर डिबेट करें, उस डिबेट का जो स्कोप है, उससे इतर नहीं बोलें। आपको कोई जरूरी है, जो उसके रेलेवेंट पार्ट से ही सम्बन्ध है, पर आज जैसा कटारिया साहब ने सुबह मेरा भी ध्यान आकर्षित करा है कि एक बिल था, जिस बिल में था कि

(श्री अध्यक्ष)

5 रुपये से 25 रुपये करना, इतना ही स्कोप था। उस बिल पर हमने डिस्कस कर दिया, जैसे राजस्थान रोडवेज पर चर्चा कर रहे हैं। वह चर्चा का स्कोप नहीं था। चर्चा का स्कोप लिमिटेड था कि यह बढ़ाया है, बढ़ाना जरूरी है या नहीं जरूरी है, जो एक लिमिटेड स्कोप था और उसके रेफरेंस में आप छोटी-मोटी बात कह सकते हैं, लेकिन हमने मेजर थर्स्ट दे दिया, जैसे हमें पूरे रोडवेज की कार्य प्रणाली को बदलना है, करना है, यह करना है। मैं समझता हूं कि यह उसका अध्याय नहीं था। इसलिए भविष्य में अपेक्षा करूंगा, हमारे सीनियर सदस्य भी बैठे हुए हैं, 7-7 बार, 8-8 बार के सदस्य हैं, बिल कैसे पास होता है, मुझे रिमाइंड करना पड़ता है, यह खेदपूर्ण काम है। मैं आशा करता हूं कि अब जो बिल आपके सामने इंट्रोड्यूस किया है, माननीय धारीवाल साहब ने मैरिज बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया है, माननीय सदस्य को काल कर लिया है, राजेन्द्र राठौड़ जी पहले स्पीकर हैं। वहां से मैं अपेक्षा करूंगा कि अन्तरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर विधान सभा के नियम और कानून के अनुसार बिल का जो स्कोप है, उस बिल के स्कोप में ही बोलकर इस डिबेट को आगे बढ़ाएं। यह आप सबसे अपेक्षा है। मैं आशा करता हूं कि आप हमारी भावना को समझेंगे और आप सब साथी, जो कुछ हुआ, उसको भूलेंगे और अच्छी संसदीय परम्परा बनाने के लिए आप सदन में चेयर की मदद करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी भावना को समझेंगे और इसी भावना के साथ हम डिबेट बढ़ाते हैं। मैं राजेन्द्र राठौड़ जी से निवेदन करूंगा कि अपनी बात कहें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर बोलने वाले ज्यादा हैं तो टाइम लिमिट का ध्यान रखें, मैक्सिमम 5 मिनट में बोलेंगे तो सबको मौका मिल जाएगा और जैसा आप करना चाहें कि पार्टी में पहले कोई ज्यादा बोलना चाहे तो फिर पीछे वाले रेगुलेट कर लें, जिससे अपन ठीक ढंग से कर सकें।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिलकुल नहीं, I am extremely sorry. I will not allow it. I will not allow it.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: I am on leg. I will not allow it. I will not allow it. नहीं, रिकार्ड नहीं होगा। मैं हाउस को एडजोर्न कर दूंगा, हाउस को एडजोर्न कर दूंगा। (व्यवधान) I am sorry, please. आप बैठें। मैं आपको कह रहा हूं, बैठें आप। बैठो आप। प्लीज बैठें, आप नीचे बैठें, माननीय सदस्य, नीचे बैठें। माननीय मंत्री जी, नीचे बैठें, प्लीज, बैठें आप। I am Chair. अब आप नियम पालन कर रहे हैं? मैं चेयर पर हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

श्री अध्यक्ष: I am on leg. आप सीनियर मेम्बर हैं। मैं चला जाऊं यहां से? आप क्या परम्परा डालना चाहते हैं? I am on leg. मैं बैठ गया क्या? Don't impose yourself. I am extremely sorry. मैं बैठा भी नहीं हूं और मुझे इम्पोज कर रहे हैं। मैं बैठ गया क्या? आप तो सीनियर मेम्बर हैं, कब बोलना है, यह परम्परा आप निर्वहन करेंगे? मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। मुझे क्षमा करें इस बात के लिए, unpleasant काम मुझे करना पड़ेगा I will not allow it. I will not reopen this topic. I said it very categorically that debate will start with Rajendra Rathore. राजेन्द्र राठौड़।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, I will not allow it. बिलकुल अलाउ नहीं, बिलकुल अलाउ नहीं, रिकार्ड नहीं होगा। रिकार्ड नहीं होगा। बिलकुल रिकार्ड नहीं होगा। माननीय संसदीय मंत्री जी, संसदीय मंत्री जी, I will not allow it, please. I will not allow it.

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, सदन मैं चला रहा हूं, आप नहीं चला रहे हैं। मंत्री जी, सदन मैं चला रहा हूं, I will not allow it.

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: No. I will not allow it. I say, I will not allow it. रिकार्ड नहीं होगा, don't put me in an embarrassing position. I am extremely sorry. मुझे अध्यक्ष नहीं रहना, हटा दीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं यहां अध्यक्ष के रूप में बैठा हूं तो मैं मेरे कर्तव्य का पालन करूंगा, नहीं तो हटा दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है मुझे। आपको पूरा अधिकार है। But, I will not allow it. अध्यक्ष को embarrass करने की कोशिश को मैं अलाउ नहीं करूंगा। सदन की गरिमा बनाये रखने की जिम्मेदारी मेरी है,

(श्री अध्यक्ष)

आपकी सबकी है। मैं यह बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। मुझे क्षमा करें। मुझे हटाने का आपका पूरा अधिकार है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है और आप कहो तो अभी चला जाऊंगा मैं, but I will not tolerate it. Be a President, be a Minister, I will not allow it. आप सदन की परम्परा क्या बनाना चाहते हैं? मैं कंडक्ट करूं या मैं चला जाऊं? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं चलाऊं या चला जाऊं? मैं हाउस चलाऊंगा तो नियमों से चलाऊंगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप विराजें, साहब विराजें। आपका आदेश सर माथे है, लेकिन सवाल यह है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: लेकिन बिलकुल नहीं, लेकिन बिलकुल नहीं, I will not allow it. माननीय मंत्री जी, मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा, मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान) आप मुझे बाहर फिकवा दीजिए ...(व्यवधान) मैं अलाउ नहीं करूंगा, मैं खड़ा हूं। I am on Chair. I am on leg. आप बैठकर खड़े हो सकते थे। आप खड़े हैं तो खड़े ही रहेंगे, यह परम्परा ठीक नहीं है। मैं खड़ा हूं, तब भी आप खड़े हो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपकी ही बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको धन्यवाद देता हूं, माननीय मंत्री जी, आप बैठे-बैठे बोलेंगे तो मैं चला जाऊंगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): साहब, मैं ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.07 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्न व उत्तर

कुपोषण निवारण हेतु छोटे अनाज को पोषाहार में सम्मिलित करने की योजना

455. श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (बागीदौरा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुपोषण निवारण हेतु पौष्टिक छोटे अनाज को पोषाहार में कब-कब सम्मिलित किया गया है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार की छोटे अनाज को पोषाहार में सम्मिलित करने की योजना है? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश में कुपोषण निवारण हेतु पौष्टिक छोटे अनाज को पोषाहार में कभी सम्मिलित नहीं किया गया है।

(2) वर्तमान में छोटे अनाज से निर्मित पूरक आहार उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

कोटा के नवीन चिकित्सालय के कार्मिकों द्वारा किये गये गबन की जांच

465. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नवीन चिकित्सालय, कोटा में पदस्थापित कार्मिकों द्वारा पे-मैनेजर के पासवर्ड चोरी कर कई महीनों तक तय वेतन से अधिक वेतन प्राप्त कर गबन करते हुए राजकोष को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है? यदि हां तो किस-किस कार्मिक के द्वारा कितने महीनों तक, कितनी राशि का गबन किया गया है? विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्मिकों द्वारा राजकोष में किये गये गबन के सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर कमेटी गठित की गयी है? यदि हां, तो कमेटी द्वारा क्या रिपोर्ट दी गयी? विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में चिकित्सा प्रशासन द्वारा गबन का मुकदमा दर्ज नहीं कराकर जांच कमेटी के आधार पर कार्मिकों को अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ सेवाएं, जयपुर के लिए कार्य मुक्त किया गया था? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त दोषी कार्मिकों को चिकित्सा निदेशालय, जयपुर द्वारा जांच किये बिना ही पदस्थापन कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा के नवीन चिकित्सालय में पदस्थापित एक कार्मिक परवेज अहमद नर्स श्रेणी द्वितीय के द्वारा पे-मैनेजर डाटा में परिवर्तन कर मार्च, 2019 से अगस्त, 2020 तक अधिक वेतन प्राप्त कर गबन किया गया। कार्मिक द्वारा रुपये 5,13,195/- (पांच लाख तेरह हजार एक सौ पिचानवे रुपये) का गबन किया गया है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। कार्मिक द्वारा किये गये गबन के सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की रिपोर्ट परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

(3) मेडिकल कालेज, कोटा के स्तर पर गठित जांच समिति द्वारा दिनांक 06.10.2020 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में कार्मिक परवेज़ अहमद, नर्स ग्रेड 2 को रुपये 5,13,195/- रु. का अधिक भुगतान होना पाया गया। कार्मिक द्वारा दिनांक 09.10.2020 को अधिक भुगतान की राशि को जमा करा दिया गया। कार्मिक के प्रथमदृष्टया दोषी पाये जाने पर प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कालेज, कोटा द्वारा दिनांक 16.10.2020 को उसके पैतृक विभाग, निदेशालय (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (राज.), जयपुर के लिए कार्य मुक्त कर दिया गया। निदेशालय (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (राज.), जयपुर द्वारा दिनांक 11.02.2021 को निलम्बित किया गया। अधीक्षक, नवीन चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा द्वारा दिनांक 11.02.2021 को कार्मिक के विरुद्ध पुलिस थाना महावीर नगर, कोटा में FIR दर्ज कराई गयी।

(4) कार्मिक द्वारा दिनांक 19.10.2020 को निदेशालय (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (राज.) जयपुर में जोइन किया गया। कार्मिक का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2020 द्वारा ESI कोटा में पदस्थापन किया गया। दिनांक 11.02.2021 को कार्मिक को निलम्बित किया गया। कार्मिक को दिनांक 23.04.2021 को राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम (सी.सी.ए.) नियम, 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत चार्जशीट दी गयी है।

(विवरण व रिपोर्ट पुस्तकालय में रखे गये।)

करौली में किसानों को ऋण वितरण

466. श्री लाखन सिंह (करौली): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार की राष्ट्रीय बैंकों के ऋणधारी किसानों का कर्ज सहकारी बैंकों की तर्ज पर माफ करने की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या? सरकार कब तक किसानों के कर्ज माफ करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बैंक में डिफाल्टर घोषित किसान, जिनका सरकार ने ऋण माफ किया है, उन किसानों को पुन: ऋण देने की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार ने जिला करौली में जनवरी, 2019 से अब तक किसानों

(श्री लाखन सिंह)

को कितना-कितना अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण वितरित किया है? ग्राम पंचायतवार राशि का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार ने सहकारी बैंकों की तर्ज पर अपने आदेश दिनांक 19.12.2018 द्वारा राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के दिनांक 30.11.2018 को एन.पी.ए. घोषित कृषकों के अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने का निर्णय लिया (परिशिष्ट-1), जिसकी क्रियान्विति प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। समस्त डिफाल्टर किसानों को ऋण दिया जा रहा है।

(3) करौली जिले में सवाई माधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक., लि. सवाई माधोपुर द्वारा जनवरी, 2019 से दिनांक 05.03.2021 तक अल्पकालीन ऋण वितरण अन्तर्गत राशि रुपये 261.87 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है। ग्राम पंचायतवार राशि का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-'2' पर उपलब्ध है।

सहकारी भूमि विकास बैंक, हिण्डौन द्वारा करौली जिले में जनवरी, 2019 से दिनांक 28.02.2021 तक ग्राम पंचायतवार वितरित राशि का विवरण निम्नांकित हैः

क्र.सं.	**ऋण का प्रकार**	**ग्राम पंचायत**	**जनवरी, 2019 से दिनांक 28.02.2021 तक वितरित राशि (राशि लाखों में)**	
			संख्या	**राशि**
1.	अल्पकालीन	-	-	-
2.	मध्यकालीन/ दीर्घकालीन	खेड़ा,जमालपुर (तहसील हिण्डौन)	1	6.00
		जहांनगर, मौरडा (तह. टोडाभीम)	4	12.00
		कैमरी (तह. नादौती)	1	4.50
		सायपुर (तह. करौली)	3	1.50
		कुल ऋण वितरण	**09**	**24.00**

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

लोक परिवहन बस सेवा से प्राप्त आय

467. श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जनवरी, 2017 से जनवरी, 2021 तक लोक परिवहन बस सेवा से सरकार को कितना लाभ या हानि हुई?

(2) श्रीगंगानगर से संगरिया सड़क मार्ग पर कितने निजी बस आपरेटर्स ने परमिट लिये हुए हैं व उक्त परमिटधारी बसों की फिटनेस की कितनी बार जांच हुई व कितनी बार बसों को अनफिट पाये जाने या आवेरलोडिंग पाये जाने पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 2017 से जनवरी, 2021 तक लोक परिवहन बस सेवा से सरकार को कुल 144.86 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ है।

(2) श्री गंगानगर से संगरिया सड़क मार्ग पर 21 निजी बस आपरेटर्स ने परमिट लिये हुए हैं। इन परमिटधारी बसों की फिटनेस की जांच एवं अनफिट पाये जाने या ओवरलोडिंग पाये जाने पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-'1' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्रीपुरा (उनियारा) में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय का निर्माण

468. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि माडा योजना में सन् 2012-13 में विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में उनियारा तहसील के श्रीपुरा ग्राम में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय निर्माण की स्वीकृति जारी होने के बाद भी इसका निर्माण नहीं किया गया? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त आवासीय विद्यालय का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2012-13 में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा टोंक जिले में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय निर्माण श्रीपुरा, तहसील उनियारा की स्वीकृति दिनांक 16-01-2013 द्वारा जारी की गयी थी। (परिशिष्ट-अ)

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा टोंक जिले में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय निर्माण श्रीपुरा, तहसील उनियारा की स्वीकृति दिनांक 13-01-2015 द्वारा निरस्त कर इसके स्थान पर उदयपुर जिले में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, गोगुन्दा स्वीकृत किया गया। (परिशिष्ट-ब)

(3) उक्त स्थान पर एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ई.एम.आर.एस. की नवीन गाइडलाइन के तहत नहीं आने के कारण भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। (परिशिष्ट-स)

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

खेल कोटे से खिलाड़ियों की भर्ती

469. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा खेल कोटे से दो प्रतिशत सरकारी भर्तियों में आरक्षण किया गया है? यदि हां, तो इसके लिए क्या योग्यता रखी गयी है? अब तक किस-किस विभाग में कितने खिलाड़ियों को उक्त योजना का लाभ मिला है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.09.1997, 15.03.2013 एवं 21.11.2019 द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का दो प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने हेतु विविध सेवा नियमों में प्रावधान किया गया है, जिनकी प्रतियां परिशिष्ट “क”, “ख” एवं “ग” पर संलग्न हैं।

प्रश्न के शेष आंशिक बिन्दु "अब तक किस-किस विभाग में कितने खिलाड़ियों को इस योजना का लाभ मिला" की सूचना विभाग स्तर पर इतने कम समय में तैयार किया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि उक्त नियम वर्ष 1997 से प्रभावी है एवं वर्ष 1997 से 2021 तक कई विभागों में 2 प्रतिशत

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

खेल कोटे के अन्तर्गत खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान की गयी है, जिसकी सूचना समस्त विभागों/विभागाध्यक्षों से ली जानी होगी, जिसमें काफी समय लगने की सम्भावना है एवं सूचना काफी विस्तृत भी है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कोरोना महामारी के दौरान बंद कंपनियों को पुन: चालू करने की योजना

478. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान कम्पनियां व उद्योग बंद हुए हैं? यदि हां, तो जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बंद हुई कम्पनियों व उद्योगों को पुन: स्थापित करने की योजना बनाई गयी है? यदि हां, तो क्या?

(3) क्या कम्पनी व उद्योग धंधे बंद होने से श्रमिकों, मजदूरों का रोजगार बंद हो गया है? यदि हां, तो बेरोजगार हुए श्रमिकों, मजदूरों के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर से प्राप्त सूचना अनुसार प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान कारखाना अधिनियम 1948 के अर्न्तगत पंजीकृत 47 कारखानें बंद हुए हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) कोरोना महामारी के उपरान्त उद्योगों के सहायतार्थ एवं अर्थव्यवस्था को पुन: पटरी पर लाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा एक टास्क फोर्स/सर्वाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था जिसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों/औद्योगिक संगठनों से प्राप्त सुझावों/सिफारिशों पर विचार-विमर्श उपरान्त क्रियान्वित किये जाने वाले अधिकांश सुझावों/ सिफारिशों के क्रम में अपेक्षित आदेश समय-समय पर जारी किये गये थे।

(3) कम्पनी व उद्योग धंधे बंद होने से बेरोजगार हुए श्रमिकों, मजदूरों आदि के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभाग द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी।)

अजमेर में मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन

479. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना कब लागू की गयी? उक्त योजना में अब तक कितने युवाओं को रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत अजमेर जिले में कितने युवाओं के आवेदन प्राप्त हुए तथा उनमें से कितनों को कितनी राशि के ऋण उपलब्ध कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(3) सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 व 2020-21 में उक्त योजना के लिए कितना बजट आबंटित किया गया व उसमें से कितना व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं । प्रदेश में उद्योग विभाग की ओर से मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना लागू नहीं की गयी।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) उपरोक्तानुसार।

किशनपोल में सी.एच.सी. व पी.एच.सी. में रिक्त पद

480. श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में कितनी सी.एच.सी. व पीएचसी हैं? उक्त में विभिन्न संवर्गों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र किशनपोल (जयपुर) में शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, 7 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जिनमें विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

मनोहर थाना के चिकित्सा केन्द्रों में रिक्त पदों पर भर्ती

481. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में कितने उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नर्स, चिकित्सकों के पद रिक्त हैं? स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में संचालित चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है तथा नर्सिंग (नर्स) के रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(2) जी हां। विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को पी.जी. पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासम्भव शीघ्र लगाने के प्रयास किये जाएंगे। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से भरने के प्रयास किये जाएंगे।

विभाग में नर्स श्रेणी द्वितीय एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदों पर दिनांक 28.04.2020 को क्रमश: 6,704 एवं 4,770 पदों पर नियुक्ति दी गयी है, जिनमें विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में नर्स श्रेणी द्वितीय के 11 एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 16 पदों पर नियुक्ति दी गयी है। शेष पदों को आगामी भर्ती में प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जाएंगे।

नर्स श्रेणी प्रथम पदोन्नति वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर रिक्त पदों को भरे जाने के प्रयास किये जाएंगे।

(विवरण व सूचना पुस्तकालय में रखे गये।)

नोखा में 108 नवीन एम्बुलेंस का संचालन

482. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नोखा में वर्तमान में कुल कितनी 108 एम्बुलेंस कहां-कहां पर कब से संचालित की जा रही हैं? पंजीयन तिथि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री बिहारीलाल)

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में 108 नवीन एम्बुलेंस प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नोखा में वर्तमान में आबंटित तीन 108 एम्बुलेंस में से दो 108 एम्बुलेंस संचालित हैं तथा एक 108 एम्बुलेंस एक्सीडेन्ट होने के कारण आफरोड है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

वाहन रजि. नं.	**बेस लोकेशन**	**पंजीयन वर्ष**	**वाहन की स्थिति**
आर.जे.14 पी.बी. 5125	सी.एच.सी., नोखा	2011	आनरोड
आर.जे.14 पी.सी. 0376	सी.एच.सी., जसरासर	2014	आनरोड
आर.जे.14 पी.सी. 8328	सी.एच.सी., पांचू	2011	आफरोड (एक्सीडेन्ट)

(2) विधान सभा क्षेत्र नोखा में वर्तमान में नवीन एम्बुलेंस 108 उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विधान सभा क्षेत्र नोखा में संचालित उक्त एम्बुलेंस के द्वारा ही अपनी लोकेशन के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्र को कवर करते हुए आमजन को निर्बाध आपातकालीन सेवाएं दी जा रही हैं।

वर्ष 2013 की नर्सिंग भर्ती में कटौती किये हुए पदों का पुन: सृजन

483. श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार नर्सिंग भर्ती, 2013 में कटौती किये गये 4,514 पदों को पुन: सृजित करके उक्त विज्ञप्ति पद 15,773 पदों को पूर्ण किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों में ऋणी किसानों की बीमा राशि

484. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के सहकारी बैंकों द्वारा वर्ष 2020-21 में कर्ज लेने वाले किसानों से, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (पी.ए.आई.एस.) और सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना (एस.जे.एस.बी.आई.) की प्रीमियम राशि की कटौती फसली श्रण राशि से की गयी थी? यदि हां, तो प्रदेश में कितने किसानों से कुल कितनी राशि की कटौती की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों को किसानों से उक्त बीमा प्रीमियम की प्राप्त राशि सम्बन्धित बीमा कम्पनी को जमा नहीं कराई गयी? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार दायित्व निर्धारण कर दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(3) क्या यह भी सही है कि बीमा प्रीमियम राशि जमा नहीं होने के कारण प्रदेश के किसानों को दुर्घटना या सामान्य मृत्यु बीमा राशि से वंचित रहना पड़ा? यदि हां, तो कितने किसानों को? जिलेवार संख्यात्मक सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में वर्ष 2020-21 में राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत 21 लाख 62 हजार 758 किसानों से राशि रुपये 87 करोड़ 16 लाख 95 हजार एवं सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत 23 लाख 47 हजार 859 किसानों से राशि रुपये 108 करोड़ 39 लाख 20 हजार प्रीमियम राशि सम्बन्धित किसान के ऋण खाते को डेबिट कर प्राप्त की गयी है।

(2) जी नहीं। केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों से प्राप्त उक्त बीमा प्रीमियम की समस्त राशि सम्बन्धित बीमा कम्पनी को जमा करायी गयी है।

(3) जी नहीं। किसान से प्राप्त बीमा प्रीमियम राशि जमा नहीं होने के कारण प्रदेश के किसानों को दुर्घटना या सामान्य मृत्यु बीमा राशि से वंचित नहीं रहना पड़ा।

किसानों का वाणिज्यिक बैंकों का ऋण माफ करने की योजना

485. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जन घोषणा पत्र में 10 दिन में किसानों का कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो दिसम्बर, 2018 तक किसानों पर कुल कितना कृषि ऋण था व कितना कृषि ऋण माफ किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वाणिज्यिक बैंकों, अधिसूचित बैंकों आदि के ऋणों किसानों का कृषि ऋण माफ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 30.11.2018 के बकाया राशि की स्थिति के आधार पर राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 19.12.2018 के जरिये ऋण माफी के निर्णय के क्रम में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 07.02.2019 से राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 जारी की गयी।

राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों के स्तर पर दिनांक 31.12.2018 की स्थितिनुसार राशि रुपए 9,389.80 करोड़ का अल्पकालीन ऋण एवं राशि रुपये 1,134.22 करोड़ का मध्यकालीन/दीर्घकालीन ऋण कुल राशि रुपये 10,524.02 करोड़ बकाया था।

राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना अन्तर्गत दिनांक 21.06.2021 की स्थिति अनुसार राज्य की केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा राशि रुपये 7,839.74 करोड़ का ऋण माफ किया गया।

दिसम्बर, 2018 तक राज्य के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के किसानों पर 1,28,904.11 लाख रु. का कृषि ऋण था व राशि रु. 323.71 करोड का ऋण माफ किया गया।

(2) जी हां। सरकार द्वारा वाणिज्यिक बैंकों, अनुसूचित बैंकों आदि के ऋणी किसानों का कृषि ऋण माफ करने के लिए आदेश दिनांक 19.12.2018 (प्रति संलग्न) पारित किया गया है। अब तक सहकारी बैंकों के कृषकों को ऋण माफी का लाभ दिया जा चुका है। शेष के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी।)

अजमेर के मुख्य केन्द्रीय बस स्टैण्ड पर स्टाफ का पदस्थापन

486. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि अजमेर के मुख्य केन्द्रीय बस स्टैण्ड पर स्टाफ की कमी के कारण विंडो बंद रहती है? यदि हां, तो क्या सरकार यात्रियों की सुविधा हेतु पर्याप्त स्टाफ पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

मुख्य केन्द्रीय बस स्टैण्ड, अजमेर पर 19 बुकिंग विण्डो स्थापित हैं। स्टाफ की कमी के कारण 10 बुकिंग विण्डो बन्द हैं।

उक्त बन्द बुकिंग विण्डो से संचालित वाहनों को अन्य बुकिंग विण्डो से ही बुक करवाया जा कर यात्रियों को सुविधा प्रदान की जा रही है।

अजमेर के मुख्य केन्द्रीय बस स्टैण्ड की स्टाफ पोजीशन का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

निगम में सभी संवर्ग के कार्मिकों की कमी होने के कारण केन्द्रीय बस स्टैण्ड, अजमेर पर वर्तमान में पदस्थापित स्टाफ के अतिरिक्त अन्य स्टाफ का पदस्थापन करने का विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

मावली में रोडवेज व निजी बस स्टैण्ड का निर्माण

487. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा क्षेत्र मावली में रोडवेज व निजी बस स्टैण्ड का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र मावली की नगरपालिका फतेहनगर सनवाड़ में स्थित बस स्टैण्ड नगरपालिका द्वारा बनाया हुआ है तथा नगरपालिका का है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण फिलहाल मावली में बस स्टैण्ड बनाने का निगम का कोई विचार नहीं है।

सूरतगढ़ में ग्रामीण बस सेवा का संचालन

488. श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में ग्रामीण बस सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य सरकार की बजट घोषणा, 2021-22 में ग्रामीण परिवहन सेवा संचालन हेतु निम्न घोषणा की गयी है:-

"हमने वर्ष 2012-13 में ग्रामीण बस सेवा प्रारम्भ की थी, जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। इस सेवा की लोकप्रियता, आम जनता को मिलने वाली सुविधा को देखते हुए मैं नये वाहनों के साथ ग्रामीण बस सेवा पुन: प्रारम्भ करने की घोषणा करता हूं। इसके अन्तर्गत सेवा से वंचित रही लगभग 6 हजार ग्राम पंचायतों को आवश्यकतानुसार परिवहन सेवा से जोड़ा जाएगा।"

जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कोटा की ग्राम पंचायतों में परिवहन सुविधा

489. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला कोटा की कुल कितनी ग्राम पंचायतें परिवहन सुविधाओं से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में सरकार द्वारा किन-किन मार्गों पर रोडवेज की बसों का संचालन किन कारणों से बन्द कर दिया गया?

(3) क्या सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नई बस सेवा प्रारम्भ करने हेतु रोडवेज की नई बसें सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले की कुल 22 ग्राम पंचायतें परिवहन सेवा से वंचित हैं। विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) विगत 3 वर्षों में जिन मार्गों पर निगम द्वारा बसों का संचालन

(परिवहन मंत्री)

बन्द किया गया है, उनका मार्गवार मय कारण सहित विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। निगम के सीमित संसाधनों के कारण प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नई बस सेवा प्रारम्भ करने हेतु रोडवेज की नई बसें शामिल करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021-22 में ग्रामीण परिवहन सेवा संचालन हेतु निम्न घोषणा की गयी है :-

"हमने वर्ष 2012-13 में ग्रामीण बस सेवा प्रारम्भ की थी, जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। इस सेवा की लोकप्रियता, आम जनता को मिलने वाली सुविधा को देखते हुए मैं नये वाहनों के साथ ग्रामीण बस सेवा पुन: प्रारम्भ करने की घोषणा करता हूं। इसके अन्तर्गत सेवा से वंचित रही लगभग 6 हजार ग्राम पंचायतों को आवश्यकतानुसार परिवहन सेवा से जोड़ा जाएगा।"

जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

शाहपुरा (भीलवाड़ा) में संचालित मदरसे

490. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा में कुल कितने मदरसे सरकारी व निजी स्तर पर संचालित हैं व कितने मदरसे पंजीकृत एवं अपंजीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मदरसों में कुल कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं? क्या सरकार द्वारा मदरसों को अनुदान दिया जा रहा है? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में दी गई अनुदान राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त मदरसों में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कर्मचारी नियुक्त हैं? यदि हां, तो कितने-कितने कर्मचारी कहां-कहां पर नियुक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा बनेड़ा में राजस्थान मदरसा बोर्ड से

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

कुल 8 मदरसे पंजीकृत हैं। निजी स्तर पर संचालित/अपंजीकृत मदरसों का रिकार्ड राजस्थान मदरसा बोर्ड में संधारित नहीं किया जाता है। पंजीकृत मदरसों का विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) मदरसों में अध्ययनरत छात्रा-छात्राओं की सूचना परिशिष्ट '2' पर संलग्न है। जी हां। राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा मदरसों को दिये गये अनुदान राशि का विवरण परिशिष्ट '3' पर संलग्न है।

(3) जी हां। मदरसों में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों का विवरण परिशिष्ट '4' पर संलग्न है।

(विवरण, सूचना व सूची पुस्तकालय में रखे गये।)

सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का निराकरण

491. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत एक वर्ष में सम्पर्क पोर्टल पर कितनी-कितनी शिकायतें किस-किस विभाग में दर्ज हुईं? कितनी शिकायतों का समय पर निस्तारण हुआ? कितनी शिकायतों का निस्तारण शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में विगत एक वर्ष में किस-किस विभाग में कितनी-कितनी शिकायतें दर्ज हुईं? कितनी का निस्तारण समय पर हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में पिछले एक वर्ष में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का विभागवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। उक्त अवधि में कुल 10,12,886 शिकायतों का निस्तारण समय सीमा में किया गया है एवं 6,055 शिकायतें निस्तारण से शेष थीं।

(2) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में पिछले एक वर्ष में दिनांक 01 अप्रेल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर 6,632 परिवाद दर्ज हुए। कुल दर्ज शिकायतों का विभागवार विवरण "परिशिष्ट 'ब' पर

(जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री)

संलग्न है। उक्त अवधि में कुल 6,566 शिकायतों का निस्तारण समय सीमा में किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

जहाजपुर में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना

492. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) समेकित बाल एवं महिला विकास हेतु कौन-कौनसी योजना संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत पांच वर्षों में किस-किस योजना हेतु कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी, कितनी व्यय हुई व कितने लक्ष्य की प्राप्ति हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में मानदण्डों में शिथिलता प्रदान कर मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) समेकित बाल विकास विभाग में संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विगत पांच वर्षों में योजनावार स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। प्रधानमंत्री मातृ वन्दन योजना के अन्तर्गत योजना प्रारम्भ से अब तक दिये गये लक्ष्य एवं प्राप्ति का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार की अनुमति नहीं है। भारत सरकार स्तर से नवीन आंगनबाड़ी खोलने की स्वीकृति प्रदान किये जाने पर नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

रेवदर के टाडा-माडा से वंचित गांव व ढाणियां

493. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जगसी राम)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर के ऐसे बहुत से गांव, ढाणी हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति बहुल आबादी होने के उपरान्त भी टाडा-माडा योजना से वंचित हैं? यदि हां, तो क्यों? पंचायत समिति आबूरोड एवं पंचायत समिति रेवदर के ऐसे गांवों ढाणियों की अनुसूचित जनजाति की आबादी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अनुसूचित जनजाति बहुल के उक्त गांव्ढाणियों को टाडा-माडा योजना से जोड़कर अनुसूचित जनजाति वर्ग के समग्र विकास का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर के ऐसे बहुत से गांव, ढाणियां हैं, जिनमें अनुसूचित जनजाति बहुल आबादी होने के बावजूद भी अनुसूचित क्षेत्र व गैर अनुसूचित क्षेत्र से वंचित रखा हुआ है। विधान सभा क्षेत्र रेवदर की पंचायत समिति आबूरोड के 55 गांव अनुसूचित क्षेत्र अन्तर्गत सम्मिलित किये जाकर विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित किये जा रहे हैं (परिशिष्ट-अ) तथा विधान सभा क्षेत्र रेवदर की पंचायत समिति रेवदर का बारीखेड़ा गांव माडा क्षेत्र तथा शेष गांवों को बिखरी क्षेत्र अन्तर्गत सम्मिलित किया जाकर विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। विधान सभा क्षेत्र रेवदर की पंचायत समिति आबूरोड एवं पंचायत समिति रेवदर की अनुसूचित जनजाति आबादी की वर्ष 2011 की जनगणनानुसार गांवों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) अनुसूचित जनजाति बहुल के उक्त गांव-ढाणियों में पंचायत समिति आबूरोड को अनुसूचित क्षेत्र अन्तर्गत संचालित योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है तथा पंचायत समिति रेवदर के जनजाति बहुल को विभाग द्वारा संचालित माडा/बिखरी क्षेत्र अन्तर्गत संचालित योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। विभाग द्वारा जनजातियों के उत्थान हेतु संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये।)

अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के ऐतिहासिक क्षेत्रों का विकास

494. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री सतीश पूनियां)

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के ऐतिहासिक कला एवं संस्कृति से जुड़े प्रमुख स्थलमानगढ़ धाम, बांसवाड़ा; बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर; गौतमेश्वर, प्रतापगढ़ तथा घोटिया, आम्बा जिला बांसवाड़ा क्षेत्र में सरकार द्वारा जनवरी, 2019 से अब तक कितनी राशि आबंटित की जाकर कौन-कौन से विकास कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आदिवासियों के कला, संस्कृति, इतिहास एवं साहित्य को बचाने के लिए कोई योजना, नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनवरी, 2019 से अब तक जनजाति महत्व के ऐतिहासिक, कला एवं धार्मिक स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु रु. 426.70 लाख की स्वीकृतियां जारी की गयी हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	जिला	स्थान एवं कार्य	स्वीकृत राशि लाख में	वि.वि
1	डूंगरपुर	बेणेश्वर धाम	84.65	निविदा प्रक्रियाधीन
2	बांसवाड़ा	समाईमाता	49.03	कार्य प्रगति पर
3	बांसवाड़ा	मानगढ़ धाम	261.08	कार्य पूर्ण
4	बांसवाड़ा	घोटिया आम्बा	47.52	कार्य पूर्ण
5	राजसमन्द	राणा पूंजा स्मारक स्थल, मचीन्द	146.50	स्वीकृति जारी

उक्त के अतिरिक्त लीलूड़ी बड़ली में शहीद स्मारक हेतु राशि रु. 2.00 करोड़ की बजट घोषणा के क्रम में डिजाइन तैयार करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(2) आदिवासियों के कला, संस्कृति, इतिहास एवं साहित्य को बचाने के लिए राज्य सरकार सतत रूप से प्रयत्नशील है तथा धनराशि की उपलब्धता के हिसाब से कार्य स्वीकृत कर रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

उदयपुर ग्रामीण के ग्राम पारा खेत में खेल स्टेडियम का निर्माण

495. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायत मठून व ग्राम पंचायत कलडवास के ग्राम पारा खेत में खेल स्टेडियम बनाने हेतु बजट आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। बजट उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर स्टेडियम निर्माण का विचार किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत स्तर पर चरणबद्ध रूप से खेल मैदान विकसित करने के लिए समन्वित स्टेडियम विकास कार्यक्रम-2015 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचलित At Least One Outdoor Game का मैदान बनाये जाने का प्रावधान है, जिसे स्थानीय स्तर पर मनरेगा योजना के तहत जिला परिषद् के माध्यम से बनाया जा सकता है।

खेलों को बढ़ावा देने हेतु संचालित योजनाएं

496. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में भी खेलों के विकास के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने हेतु सभी जिला मुख्यालय केन्द्रों द्वारा निम्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं:-

· समस्त जिला मुख्यालयों में जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्रों पर जिले के प्रचलित खेलों में प्रशिक्षक पदस्थापित कर नियमित प्रशिक्षण, खेल उपकरण, खेल मैदान आदि की सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है।

· ग्रीष्मकालीन अवकाश में अग्रिम खिलाड़ियों के लिए 21 दिवसीय

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

आवासीय प्रशिक्षण शिविर तथा नये खिलाड़ियों के लिए प्रत्येक जिले में प्रतिभा खोज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है।

- खिलाड़ियों को जिला/राज्य संघों के मार्फत पंजीकृत खेल संघों में विभिन्न आयु वर्गों की प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर 600/- रु. प्रतिदिन तथा राष्ट्रीय स्तर पर 1000/- रु. प्रतिदिन अनुशांषिक एवं दैनिक भत्ता प्रदान किया जाता है।
- राज्य में वर्तमान में 17 खेल अकादमियां खोली गयी हैं, जिनमें खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण, खेल उपकरण, आवास, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा एवं यात्रा आदि की सुविधा नि:शुल्क प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त बजट घोषणा 2021-22 की घोषणा अनुसार जैसलमेर एवं डूंगरपुर में खेल अकादमी जयपुर एवं जोधपुर में आवासीय खोला जाना प्रस्तावित है, जिसकी प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।
- राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पूर्व चयनित राज्य के खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शिविर उच्च स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा लगाया जाता है।
- राज्य/राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नियमानुसार अनुदान नियम-2016 के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- राज्य में समस्त जिलों के अन्दर खेलों के विकास के लिए खेल सुविधा में आधारभूत संरचना तैयार की जा रही है ताकि खिलाडियों को खेलने के लिए मैदान की सुविधा प्राप्त हो सके।
- अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन हेतु महाराणा प्रताप एवं गुरू वशिष्ठ पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं जिनमें इनामी राशि एक-एक लाख रु. दी जाती है।
- राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नियुक्ति में 2 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है।
- राजस्थान सरकार द्वारा पदक विजेता खिलाड़ियों को बिना पारी नियुक्ति नियम, 2017 संशोधन नियम, 2020 के तहत सरकारी नियुक्तियां प्रदान की जा रही हैं।

(2) जी हां। समन्वित स्टेडियम (खेल आधारभूत संरचनाएं) विकास

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)
कार्यक्रम, 2015 के अन्तर्गत उप खण्ड/तहसील स्तर पर स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य करवाये जाने का प्रावधान है।

बजट उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर स्टेडियम निर्माण का विचार किया जाता है।

वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 61 के अनुसार मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लाक में खेल स्टेडियमों के विकास कार्य करवाये जाने हेतु विधायक सांसद निधि/जन प्रतिनिधि/जन सहयोग सी.एस.आर. से प्राप्त राशि के बराबर राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित किया गया है।

नागौर मुख्यालय पर यूथ होस्टल की स्थापना

497. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला मुख्यालय पर यूथ होस्टल खोलने के क्या मापदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नागौर जिला मुख्यालय पर यूथ होस्टल खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला कलेक्टर द्वारा भूमि आबंटन करने के पश्चात् प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये जाते हैं। उनके द्वारा ही यूथ होस्टल निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। यूथ होस्टल खोलने के मापदण्ड परिशिष्ट 'क' पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की जन घोषणा संख्या 19.9, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर यूथ होस्टल का निर्माण किया जाना है।

यूथ होस्टल, नागौर के निर्माण के सम्बन्ध में भूमि चिन्हित कर जिला खेल अधिकारी खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, नागौर के पत्र क्रमांक 3194, दिनांक 18.03.2020 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव मूल ही प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने हेतु भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय को दिनांक 27.07.2020 को भिजवा दिये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

डेगाना में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता

498. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में शिक्षित बेरोजगारों की कुल संख्या कितनी है? उप खण्डवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में शिक्षित बेरोजगारों को प्रतिमाह 3,500/- बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो दिसम्बर, 2020 तक डेगाना विधान सभा क्षेत्र में कितने शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के शेष शिक्षित बेरोजगारों को भी बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला रोजगार कार्यालय, नागौर में विभागीय पोर्टल पर विभिन्न शैक्षणिक योग्यताधारी 30 जून, 2021 तक कुल 67,999 आशार्थी पंजीकृत हैं। उप खण्डवार संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

उप खण्ड	**पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार**
लाडनूं	5,365
डीडवाना	11,701
जायल	6,073
नागौर	8,113
खींवसर	2,232
मेड़ता	9,016
डेगाना	6,778
मकराना	5,302
परबतसर	4,391
नावां	9,028
योग	**67,999**

(2) जी हां। राज्य सरकार ने जनघोषणा पत्र के बिन्दु संख्या 10.1 के द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग को 3,500/- रुपये प्रतिमाह तक

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की घोषणा की थी, जिसकी अनुपालना में दिनांक 01 फरवरी, 2019 से राज्य में मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना का संचालन किया गया। दिसम्बर, 2020 तक डेगाना विधान सभा क्षेत्र में 1,554 शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। आशार्थियों की सूची परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। सरकार उक्त क्षेत्र के शेष शिक्षित एवं योजनान्तर्गत पात्र बेरोजगारों को भी बेरोजगारी भत्ता दिये जाने हेतु एक वर्ष में अधिकतम लाभार्थियों की सीमा 1 लाख 60 हजार (बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार 2 लाख प्रस्तावित) को घ्यान में रखते हुए वेरिफाई किये जा चुके आवेदनों में से स्वीकृत किया जा रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी।)

बाड़मेर मुख्यालय पर श्रम विभाग के कार्यालय की स्थापना

499. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिला मुख्यालय पर श्रम विभाग का कार्यालय नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि श्रम विभाग ने उक्त जिला मुख्यालय पर स्थायी कार्यालय खोलने के संबंध में प्रक्रिया शुरू की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार श्रमिकों के हित में उक्त जिला मुख्यालय पर श्रम कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह सही है कि श्रम कार्यालय, बालोतरा में होने से मजदूरों को 150 किमी. से 200 किमी. तक बालोतरा जाना पड़ता है, जिससे मजदूरों के हितों के साथ कुठाराघात होता है? क्या सरकार उक्त कार्यालय को पृथक से बाड़मेर जिला मुख्यालय पर खोलने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर मुख्यालय पर श्रम विभाग का कार्यालय नहीं है।

(2) जी हां। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर श्रम कार्यालय खोला जाना प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। बाड़मेर जिले में जिला मुख्यालय पर श्रम कार्यालय खोला जाना प्रक्रियाधीन है।

(राज्य मंत्री, श्रम)

(4) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों का आवेदन, पंजीयन व योजनाओं की स्वीकृति तथा विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीयन आदि का कार्य अनिवार्य रूप से ऑनलाइन किया जा चुका है। वर्तमान में श्रमिकों की सुविधा हेतु समस्याओं के निराकरण के लिए श्रम निरीक्षकों को सप्ताह में 2 कार्य दिवस (मंगलवार व बुधवार) कैम्प लगाने हेतु आदेशित किया गया है।

नागौर में श्रमिक कार्डों के लम्बित आवेदनों का निस्तारण

500. श्री रूपा राम (मकराना): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में कितने श्रमिक कार्ड बने हुए हैं? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में दिनांक 01/01/2019 से 31/07/2021 तक श्रमिक कार्ड बनाने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? उक्त में से कितने श्रमिक कार्ड बन गये व कितने बनने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त लम्बित आवेदनों का निस्तारण कब तक कर दिया जाएगा? निस्तारण नहीं किये जाने के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में कुल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या तथा पंजीयनों की विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) नागौर जिले में दिनांक 01.01.2019 से 31.07.2021 तक पंजीयन हेतु प्राप्त, स्वीकृत एवं लम्बित आवेदनों का विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

(3) आवेदनों का नियमित रूप से निस्तारण किया जा रहा है। लम्बित आवेदनों को यथाशीघ्र निस्तारित कर दिया जाएगा। मुख्यत: आवेदन लम्बित रहने के निम्न कारण हैं:-

-निर्माण श्रमिकों द्वारा अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत करना।

-अस्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करना।

-वांछित दस्तावेजों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं करना।

-उपयुक्त समय में हिताधिकारी द्वारा आक्षेपपूर्ति नहीं करना।

(राज्य मंत्री, श्रम)

-बार-बार निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता से प्रभावित क्षेत्रों में पंजीयन कार्य स्थगित होना।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

संस्कृत शिक्षा में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती

501. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापकों के कितने पदों पर अंतिम बार भर्ती निकाली गयी थी? यदि हां, तो भर्ती विज्ञप्ति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भर्ती में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या-क्या शैक्षणिक अहर्ताएं निर्धारित की गयीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त भर्ती में पदों के अनुसार मेरिट कटआफ कितनी रही? वर्गानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) संस्कृत शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 1,894 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापक लेवल प्रथम के 1,829 पदों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति दिनांक 28.08.2017 एवं अध्यापक लेवल द्वितीय के 571 पदों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति दिनांक 05.02.2018 व संशोधित दिनांक 06.02.2018 द्वारा निकाली गयी। भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति का विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

(3) अध्यापक लेवल प्रथम एवं अध्यापक लेवल द्वितीय की भर्ती में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक अहर्ताओं का विवरण परिशिष्ट '3' पर संलग्न है।

(4) उक्त भर्ती में पदों के वर्गानुसार मेरिट कटआफ का विवरण परिशिष्ट '4' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

परिशिष्ट

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं, जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, राजसमन्द एवं चन्देरिया द्वारा मानदण्डों की अवहेलना से प्रदूषित पर्यावरण

हिन्दुस्तान जिंक लि. दरीबा जिला राजसमन्द एवं चन्देरिया, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा निर्धारित मानदण्डों की अवेहलना किये जाने से जन जीवन पर विपरीत प्रभाव हो रहा है। उक्त दोनों प्लांट आबादी क्षेत्र के नजदीक स्थापित किये गये हैं, जिसके कारण क्षेत्र का भूजल, मृदा, पर्यावरण दूषित हो रहा है। पर्यावरण विभाग को कई बार शिकायत करने पर भी सुध नहीं ली जा रही है। इस इण्डस्ट्री द्वारा आसपास के सैकड़ों बीघा सरकारी बिलानाम व चरागाह जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। जमीन का भूमि रूपान्तरण भी नहीं किया गया है। पंचायतों की जमीन पर पौधे लगाने के नाम पर अतिक्रमण किया हुआ है। प्लांटों के आसपास की एससी/एसटी की जमीनों को खरीदकर प्लांट का वेस्ट डालने के लिए टेलिंग डैम बनाया गया है।

दोनों प्लांटों में सेफ्टी नियमों के उल्लंघन के कारण कई लोगों की दुर्घटना से मौतें हुई हैं। मरने वाले मजदूरों के परिवारों को सरकार द्वारा मुआवजा भी समय पर नहीं मिलता है।

अतः तथ्यों की जांच करवाकर प्लांटों को तय मानदण्डों के अनुरूप चलाने के लिए पाबन्द किया जाये।

दीप्ति किरण माहेश्वरी
(राजसमन्द)

बाड़मेर के राजस्व गांवों में घर-घर नल कनेक्शन योजना के कार्य में शिथिलता

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अत्यन्त ही जनहित के मुद्दे पर आकृष्ट करना चाहूंगा कि प्रदेश के साथ-साथ बाड़मेर जिले में भी पेयजल की समस्या का समाधान बड़ा मुद्दा है। इसके समाधान के लिए सरकार ने घर-घर नल कनेक्शन जैसी महत्वपूर्ण योजना प्रारम्भ की है।

महोदय, बाड़मेर जिला सुदूर रेगिस्तानी जिला है, जहां वर्षों से पेयजल बहुत बड़ी समस्या है। इसके समाधान के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले कार्यकाल के दौरान मोहनगढ़-बाड़मेर लिफ्ट कैनाल पेयजल परियोजना

स्वीकृत कर इसके समाधान हेतु प्रभावी उपाय उठाये थे। अब घर-घर नल कनेक्शन योजना से क्षेत्र में ढाणी में बैठा आम आदमी भी पेयजल उपलब्ध होने की आशा रख रहा है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में भी राजस्व गांववार घर-घर नल कनेक्शन योजनाओं की स्वीकृति हुई है, लेकिन यह कार्य जिस गति से होना चाहिये उस गति से नहीं हो रहा है, जिससे इस कार्य को समय सीमा पर पूरा नहीं किया जा सकेगा। एक-दो जगह को छोड़कर अभी तक टेण्डर भी जारी नहीं हुए हैं। कहीं टेण्डर हो गये हैं तो कार्य शुरू नहीं हुआ है।

अतः आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि यह बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको गंभीरता से लेते हुए घरघर नल कनेक्शन के कार्य में तेजी लाकर उक्त कार्य को शीघ्र शुरू करवाएं, ताकि आम आदमी को इसका फायदा मिल सके।

सादर

मेवाराम जैन

(बाड़मेर)

देताणी मॉडल स्कूल (गडरारोड) व बाड़मेर के अन्य पिछड़े क्षेत्रों में अध्यापकों की नियुक्ति व छात्रावासों का संचालन

बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के ब्लाक शिव, गडरारोड, रामसर, चौहटन में जिले में सबसे नीचे के स्तर पर हैं क्योंकि यहां पर अध्यापकों की हमेशा कमी रही है। उदाहरण के तौर पर गडरारोड ब्लाक में देताणी मॉडल स्कूल जैसी संस्था में भी 28 पद स्वीकृत है। उनमें से 15 खाली हैं। देताणी मॉडल स्कूल में आसपास के तीन ब्लाकों के बच्चे अध्ययन हेतु आते हैं। मसलन गडरारोड, रामसर, चौहटन क्षेत्र की 95 प्रतिशत आबादी में एस.सी., एसटी एवं अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछडा वर्ग के लोग हैं। अक्सर विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों के पद खाली रहते हैं। महत्वपूर्ण विषयों, जैसे अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, विज्ञान आदि के पद रिक्त होने से मजबूरीवश अभिभावक एवं छात्र टी.सी. लेकर चले जाते हैं।

अतः मैं इस सदन के मार्फत राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसशिक्षा के क्षेत्र में अति पिछड़े इन सीमावर्ती क्षेत्रों में गरीबों एवं देश की आजादी के बाद मूलभूत सुविधाओं से वंचितरहे क्षेत्र के सभी प्रकार के विद्यालयों में सभी श्रेणी के अध्यापकों के पद भरे जाएं। देताणी मॉडल

स्कूल में छात्रावास संचालित किया जावे तथा बालिकाओं के स्वीकृत छात्रावास को शीघ्र चालू किया जावे, ताकि यहां के बच्चों को फायदा मिल सके।

अमीन खान

(शिव)

हनुमानगढ़ एवं गंगानगर में परमल धान की सरकारी खरीद हेतु केन्द्र सरकार से अनुशंसा

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि प्रदेश के हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिले में लगभग 42,000 हैक्टेयर क्षेत्रफल में धान की खेती होती है। इसमें 50 प्रतिशत क्षेत्रफल में परमल धान की बुवाई से कुल 17.85 लाख क्विंटल धान का उत्पादन होता है। परमल धान को सरकारी मूल्य पर खरीदने का प्रावधान है। यदि राज्य सरकार अपनी अनुशंसा कर दे तो केन्द्र सरकार धान की खरीद कर सकती है। अनुशंसा नहीं करने की स्थिति में किसानों के धान की सरकारी खरीद नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से किसानों को मजबूर होकर बाजार में रुपये 1,600 प्रति निवेदन की दर से धान बेचना पड़ता है जबकि परमल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपये 1,888/- प्रतिः क्विंटल निर्धारित है। इस प्रकार किसानों को रुपये 288/- प्रति क्विंटल का आर्थिक नुकसान हो रहा है।

इसी प्रकार धान की पराली को जलाने से रोकने हेतु एन.जी.टी. के निर्देशों की पालना में जुताई दवारा जमीन में मिलाना एकमात्र उपाय है, जिसके लिये आधुनिक कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है, जिसके एक किसान को औसतन 12 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इन कृषि यंत्रों पर भारत सरकार की विशेष स्कीम के अन्तर्गत पड़ोसी राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, यू.पी. एवं दिल्ली के किसानों को 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को इस स्कीम में शामिल कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रदेश के किसानों के हित में परमल धान की सरकारी खरीद के लिए केन्द्र सरकार को अपनी अनुशंसा करने के साथ-साथ पराली नष्ट करने के लिए काम में आने वाले यंत्रों पर अनुदान दिलाये जाने हेतु भारत सरकार की विशेष स्कीम में जोड़ने की कार्यवाही अतिशीघ्र कराकर प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करें।

सादर।

गुरदीप सिंह

(संगरिया)

सादुलशहर की ग्राम पंचायतों में कृषि भूमि पर बसी अवैध कालोनियों पर कार्यवाही

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जो गंगानगर के चारों तरफ है, जिसमें पिछले एक वर्ष से विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के ग्राम पंचायत-कालियां, ग्राम पंचायत-खाटलबाना, ग्राम पंचायत-साहूवाला व 6ए ग्राम पंचायत में कृषि भूमि पर अवैध कालोनियों का निर्माण किया जा रहा है। इससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है तथा गांव के आधारभूत ढांचे को भी खतम किया जा रहा है। भू-माफियाओं द्वारा बिना तथ्यों के 90बी की आड़ में अवैध तरीके से भूमि का रूपान्तरण करवा कर कृषि भूमि पर कालोनियां बसाई जा रही हैं। इन कॉलोनियों में किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। बिजली, पानी, सड़क व गंदे पानी की निकासी हेतु किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं दी जा रही है। गरीब लोगों को गुमराह करके कृषि भूमि पर अवैध पट्टे काटे जा रहे हैं।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि इन कालोनियों की तुरन्त जांच करवाई जाये एवं तुरन्त रूप से अवैध बसावट को रोका जाये। साथ ही दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाये व गंगानगर के आगामी मास्टर प्लान की समीक्षा की भी आवश्यकता है। इसमें भी भू-माफियों द्वारा भारी फेरबदल करने की तैयारी की जा रही है।

जगदीश चन्द्र

(सादुलशहर)

डूंगरपुर में बिलानाम भूमि पर काबिज आदिवासियों को भूमि आबंटन

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि डूंगरपुर जिले में 75% जनसंख्या में जनजाति, आदिवासी लोग रहते हैं। डूंगरपुर नगर परिषद् के पेरीफेरी क्षेत्र में नगर परिषद् की स्थापना से पूर्व कई वर्षों से लोग बिलानाम भूमि पर काबिज होकर जनजाति लोगों द्वारा कृषि व अन्य कार्य किया जा रहा है। नगर परिषद् एवं प्रशासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न नियमों/आदेशों का उल्लंघन करते हुए नगर परिषद् के पेरीफेरी में बिलानाम भूमि पर काबिज आदिवासी व्यक्तियों के हितों एवं अधिकारों को दरकिनार करते हुए विकास के नाम पर उक्त बिलानाम भूमि से

जबरदस्ती जनजाति के लोगों को हटाकर बिलानाम भूमि नगर परिषद, डूंगरपुर को हस्तान्तरित की जा रही है। पूर्व में भी ऐसी कई भूमि आदिवासी लोगों को आबंटन के बजाय नगर परिषद्, डूंगरपुर को हस्तान्तरण की गयी है। ऐसे प्रकरणों को तुरन्त जांच करवाकर अवैधानिक रूप से नगर परिषद, डूंगरपुर को आबंटित की गयी भूमि के आबंटन को निरस्त करते हुए कई वर्षों से काबिज आदिवासियों को उक्त भूमि का आबंटन किया जाये एवं अनुसूचित क्षेत्र में नगर परिषद् के पेरीफेरी क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा आदिवासी जनजाति लोगों द्वारा बिलानाम भूमि पर कृषि एवं आवास लगभग 70-75 वर्षों से काबिज होने के उपरान्त भी विभिन्न आदेशों को दरकिनार करते हुए प्रशासन द्वारा डूंगरपुर के आदेश क्रमांक- सम/2016-16/6116-22, दिनांक 21/12/2016 से मौज बिलड़ी ग्राम पंचायत में अवैधानिक तरीके से बिलानाम भूमि नगर परिषद, डूंगरपूर को आबंटित की गई है। उक्त आबंटन की जांच करवाकर निरस्त किया जावे एवं उक्त भूमि को कई वर्षों से काबिज जनजाति के लोगों को नियमानुसार आबंटित किया जायें। इसी प्रकार कायार्लय उप खण्ड अधिकारी डूंगरपुर के आदेश क्रमांक राजस्व/2012/3490-3496, दिनांक 02/11/2012 एवं जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक राजस्व/2012/2733-35, दिनांक 11/02/2012 एवं राजस्व/भू.अ.वि./प्रा. स्टे / 2016-17/2020-24, दिनांक 21/04/2016 आदि द्वारा नगर परिषद् को बिलानाम भूमि आवंटित की गयी है, उसकी भी जांच करवाकर नियमानुसार आबंटन को निरस्त करते हुए वर्षों से काबिज लोगों को नियमानुसार आबंटित किया जावे।

अतः आपसे पुनः निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर से विशेष कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत बिलड़ी, गोकुलपुरा, भाटपुर, सुरपुर, सुन्दरपुर, बोरी, मान्डवा खापरड़ा पंचायतों को भी लिया जावे।

गणेश घोघरा

(डूंगरपुर)

खानपुर में अतिवृष्टि से व्यापारियों एवं किसानों को हुए नुकसान का विशेष पैकेज बनाकर मुआवजा

खानपुर विधान सभा क्षेत्र में 5 एवं 6 जुलाई को लगातार बारिश होने की वजह से खानपुर, बकानी व असनावर क्षेत्र में बाढ़ के हालात बने। विशेष रूप से खानपुर व आस-पास के अनेक गांवों में मकानों, दुकानों में पानी घुस जाने की वजह से व्यापारियों, किसानों का माल खराब हो चुका है व कच्चे

मकान गिर गये एवं सम्पूर्ण क्षेत्र में किसानों की खड़ी फसलें अतिवृष्टि की वजह से बर्बाद हो चुकी हैं।

अतः जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सरकार से निवेदन है कि तुरन्त गिरदावरी कर किसानों को उचित मुआवजा/बीमा कम्पनियों से बीमा क्लेम की राशि दिलवाये जाने की कृपा करें। साथ ही सरकार से मेरा आग्रह है कि व्यापारियों एवं किसानों के हुए नुकसान का विशेष पैकेज बनाकर भुगतान किया जावे।

साथ ही भविष्य में बाढ़ के हालात नहीं बनें, इसके लिए नदियों में होने वाले अतिक्रमण व बारां झालावाड़ मेगा हाईवे बनने से पानी की निकासी नहीं होने की वजह से आवश्यकता के अनुरूप ओवर पुलियाओं का निर्माण किया जावे।

सादर।

नरेन्द्र नागर

(खानपुर)

डग में बारिश में हुए नुकसान व बिजलीके तार टूटने से मृत व्यक्तियों को मुआवजा

विधान सभा क्षेत्र डग में लगातार बारिश होने की वजह से सोयाबीन, उड़द एवं मूंग आदि की फसलों को अतिवृष्टि के कारण काफी नुकसान हुआ है व पीलिया मोचक रोग लगने से फसल को फलाव नहीं हुआ है तथा फसल पूर्णतया नष्ट हो गयी है। इसकी गिरदावरी करवाकर व बीमा कम्पनी द्वारा सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा व बीमा कंपनी द्वारा बीमा दिलवाया जावे। विगत वर्ष 2020-21 में अल्प बारिश के कारण मेरा संपूर्ण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सूखाग्रस्त था, मगर पटवारियों की हड़ताल की वजह से गिरदावरी नहीं हो पाई, जिससे रबी 2020-21 का किसानों को मुआवजा व बीमा क्लेम राशि नहीं मिली और न ही सूखे की वजह से व नुकसान का किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला। खरीफ 2020-21 में हुई फसल खराबा का अभी तक कई किसानों को मुआवजा नहीं मिला है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र डग में जून, 2021 से अभी तक बिजली के तार टूटने से पांच व्यक्तियों की मौत हो गयी है तथा कई जगह तार ढीले पड़े हैं व पोल टेढ़े-मेढ़े हो रहे हैं। अभी तक बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं गया। जिन व्यक्तियों की मौत हो गयी, उनको तुरन्त मुआवजा दिलवाया जावे व दोषी कर्मचारी/अधिकारी के खिलाफ उचित कार्यवाही करवाई जावे, ताकि भविष्य में ऐसी घटना घटित नहीं हो।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों को हुए नुकसान का तुरन्त मुआवजा/बीमा क्लेम दिलवाये जाने की कृपा करें।

सादर।

कालूराम

(डग)

प्रशासनिक व अधीनस्थ सेवाओं में आरक्षित वर्ग की रिक्तियों का युक्तियुक्त निर्धारण

विधान सभा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत वर्तमान में लोकहित के निम्न ज्वलंत विषय को सदन में विचार किये जाने हेतु पेश कर रहा हूं।

राज्य सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिये क्रमश: 16 व 12 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के साथ ही कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक 28 सितम्बर, 1993 के द्वारा सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 20 नवम्बर, 1997 के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.के. सब्बरवाल व पंजाब राज्य तथा अन्य के मामले में पारित निर्णय में आरक्षित श्रेणी के लिए सेवा वर्ग में आरक्षित श्रेणी के लिए सीटों के निर्धारण का प्रावधान किया गया है। इस हेतु 100 बिंदुओं के रोस्टर प्रणाली के स्थान पर संवर्ग में कुल पदों की संख्या के अनुसार रोस्टर पंजिका संधारित करने एवं तद्नुसार ही भावी रिक्तियों के निर्धारण करने के निर्देश जारी किये गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा व अन्य राज्य एवं अधीनस्थ सेवा की 70 रिक्तियों में से अनुसूचित जाति के केवल 6 पद ही आरक्षित किये गये हैं। कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान लोक सेवा की आयोग को प्रेषित की गई रिक्तियों की समेकित सूचना में राजस्थान पुलिस सेवा के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शून्य पद एवं राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा को 70 रिक्तियों में से अनुसूचित जाति के केवल 6 पद ही आरक्षित करना ओ.बी.सी. व अनुसूचित जाति वर्ग के युवा बेरोजगारों के हितों पर न केवल कुठाराघात है, बल्कि आरक्षण के प्रचलित नियमों की खुली अवहेलना है। इससे इन वर्गों के युवा बेरोजगारों में भारी रोष व्याप्त हो रहा है। अत इस विषय पर सदन में विचार किया जाए तथा तुरंत आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु सरकार को निर्देशित किया जाए।

जोगेश्वर गर्ग

(जालौर)

संविदाकर्मियों का नियमितीकरण तथा पंचायती राज व कृषि अभियन्ताओं की निष्पक्ष पदोन्नति

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत मैं सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान के सभी सरकारी विभागों में करीब डेढ़ लाख संविदाकर्मी आज भी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार के संकल्प व चुनावी घोषणा व वादों में संविदाकर्मियों को नियमित/समायोजित करने की घोषणा आज तक ज्यों की त्यों अवस्था में है। संविदाकर्मियों में पंचायत सहायक, विद्यार्थी मित्र, मदरसा टीचर, पैराटीचर्स, शिक्षा कर्मी, कम्प्यूटर आपरेटर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं एन.एन.एम. नियमित/समायोजित होने की बाट देख रहे हैं।

आज के इस युग में संविदाकर्मियों को मिलने वाले अल्प वेतन से वे अपने परिवार का भरण-पोषण तथा अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए असमर्थ हैं। राजस्थान में कार्यरत संविदाकर्मियों को मिलने वाले अल्प वेतन से इनके बच्चे तथा सम्पूर्ण परिवार कुपोषण के शिकार हो रहे हैं।

राज्य सरकार के प्रत्येक वर्ष में रिक्त पदों के अनुसार अधिकारियों/ कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए डी.पी.सी प्रावधान किया जावे। पंचायती राज विभाग में अभियन्ताओं की इसी वर्ष की डी.पी.सी. जो हो चुकी है, का आदेश जारी करावें। पंचायती राज अभियन्ताओं तथा कृषि अभियंताओं के प्रमोशन के प्रावधान को समान कर दोनों वर्गों में नियुक्ति एवं नियमितीकरण तथा प्रमोशन में अपनाये गये पक्षपात पूर्ण रवैये को दूर करावें।

मेरा इस सदन के माध्यम से आपसे निवेदन है कि उक्त कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराने की कृपा करें।

सादर।

अमृत लाल मीणा

(सलूम्बर)

जहाजपुर पंचायत समिति में अधिकारियों द्वारा पद का दुरुपयोग व वित्तीय अनियमितताओं की जांच व कार्रवाई

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत लेख है कि जहाजपुर पं.स. के अन्तर्गत पदस्थापित सहायक अभियंता एवं अतिरिक्त चार्ज विकास अधिकारी पं.स. जहाजपुर द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए वित्तीय अनियमितताएं की जा रही हैं। पूर्व में भी पं.स. शाहपुरा में

भी पदस्थापन के दौरान अनियमितताओं के चलते इन्हें पत्र क्रमांक जिपभी/स्था/जांच/2019/4326, दिनांक 18.08.2021 के द्वारा सी.सी.ए. 16 के तहत एवं पत्र क्रमाक/पर्यवेक्षण/शिकायत/जहा. 702/2020-21/10554 दिनांक 26.08.2021 के तहत नोटिस भी प्रदान किया गया है।

तदोपरांत भी उक्त अधिकारी के द्वारा अतिरिक्त चार्ज विकास अधिकारी कोटड़ी में पदस्थापन कालखण्ड के दौरान वर्ष 2020 में पं.स. कोटड़ी की निजी आय से लगभग 2 करोड़ रुपये बिना सक्षम स्वीकृति के 3-4 ग्राम पंचायतों को बिना नोर्म्स के आबंटन कर दिये गये थे, जिनका अनुमोदन साधारण सभा पं.सं. कोटड़ी तथा स्थापना समिति से प्राप्त नहीं किया गया था1 साथ ही पं.स. जहाजपुर एंव कोटड़ी के अन्तर्गत विकास कार्यों क्रमशः विधायक कोष सांसद कोष इत्यादि में अवरोध अनवरत उत्पन्न किया जा रहा है। पंचायतों के अन्तर्गत दुर्भावनावश सचिवों के स्थानान्तरण कर पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं को अमली जामा पहनाये जाने में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है।

इसके अतिक्ति पंचायत समिति जहाजपुर में स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत DRG सदस्यों को 350 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करना होता है, जबकि मिलीभगत के चलते बिलों में 800 रुपये के हिसाब से भुगतान उठाया जाकर बिल भुगतान किये जा रहे हैं।

इसी प्रकार श्री संजय कुमार मोदी सहा. अभियंता नरेगा एवं अतिरिक्त चार्ज विकास अधिकारी पं.स. जहाजपुर द्वारा खुली निविदा सूचना 2021-22-22/03 क्रमांक 03 दिनांक 04.06.2021 से जारी की गयी थी। निर्धारित तिथि को निविदा प्राप्त कर कार्यालय पं.स. जहाजपुर में क्रमांक 410 दिनांक 16.06.2021 को निरस्त कर दी गयी, जबकि निविदादाताओं द्वारा कापी डाल दी गयी थी।

पं. स. जहाजपुर में 2 सहायक अभियंताओं के पदस्थापित होने के उपरांत भी श्री मोदी द्वारा सम्पूर्ण पं.स. का तकनीकी, निर्माण सम्बन्धी कार्य व नरेगा सम्बन्धी कार्य स्वयं के द्वारा ही किया जा रहा है तथा उक्त सहायक अभियंता से विगत 01 वर्ष से कोई राजकार्य का संपादन नहीं कराते हुए वेतन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा कराया जा रहा है।

अत: मेरा विनम्र आग्रह है कि जनहित में उक्त अधिकारी के द्वारा पं.स. जहाजपुर एवं कोटड़ी में पदस्थापन काल के दौरान किये गये कार्यों/ निर्णयों की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से कराते हुए दोषी पाये जाने पर कठोर कार्यवाही अमल में लाने का श्रम करावें।

गोपीचन्द मीणा

(जहाजपुर)

मंत्रालयिक कर्मचारियों, पटवारियों एवं पुलिस कांस्टेबलों की ग्रेड-पे में वृद्धि

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295, विशेष उल्लेख के तहत सदन का ध्यान आकर्षित कर ये निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य आधार के रूप में कार्य करने वाले कनिष्ठ सहायकों को अल्प वेतन ग्रेड-पे 2400 पर कार्य करना पड़ रहा है। मंत्रालयिक कर्मचारी पिछले काफी समय से इस ग्रेड-पे को बढ़ाकर 3600 करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही पटवारी, जो सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र व कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं, एक पटवारी को दो से तीन सर्किल का अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है, जबकि इनका ग्रेड-पे 2400 काफी कम है। साथ ही पुलिस कान्स्टेबल 24 घन्टे पूरी ड्यूटी करते हैं। पुलिस कान्स्टेबलों ने कोरोना की विपरीत परिस्थिति में, लॉकडाउन के समय में जो सराहनीय कार्य किया है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है।

बढ़ती मंहगाई के इस दौर में ग्रेड-पे 2400 में अपने परिवार का पालन पोषण करना इन कर्मचारियों के लिए सम्भव नहीं है। प्रदेश के लगभग सभी विधायकों ने माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र भेजकर एल.डी.सी. पटवारी और पुलिस कान्स्टेबल की ग्रेड-पे बढ़ाने का अनुरोध किया है।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि प्रदेश के एल.डी.सी. पटवारी और पुलिस कांस्टेबल की उक्त मांग को अतिशीघ्र पूरा कर ग्रेड-पे को 2400 से बढ़ाकर 3,600 किया जावे।

पानाचन्द मेघवाल

(बारां-अटरू)

हिंगी (सांगोद) के राजकीय आवासीय विद्यालय का सुरक्षित स्थान पर नवनिर्माण

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि दिनांक 6-7 अगस्त 2021 को उजाड़ नदी में बाढ़ आने के कारण ग्राम हिंगी में बना डा. भीमराव अम्बेडकर राजकीय आवासीय विद्यालय का पूरा परिसर जल मग्न हो गया था। परिसर में चार फीट से लेकर दस फीट तक पानी भर गया था। यह आवासीय विद्यालय परिसर उजाड़ नदी के डूब क्षेत्र में बना हुआ है। पहले भी दो बार उजाड़ नदी में बाढ़ आने पर भारी नुकसान हो चुका है। दिनांक 6-7

अगस्त, 2021 को बाढ़ के कारण बालिका छात्रावास में समस्त राशन सामग्री, टी.वी., फ्रिज, पलंग, बिस्तर व अन्य सामान खराब हो गये और भविष्य में भी जानमाल का खतरा सम्भव है।

कोरोना के कारण 400 बालिकाओं के आवास वाला यह आवासीय विद्यालय खाली था व एक भी छात्रा विद्यालय में नहीं थीं। इस कारण दुर्घटना नहीं हुई। छात्रावास में बालिकाएं निवास कर रही होतीं तो गम्भीर दुर्घटना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। आवासीय परिसर में फंसे 30 व्यक्तियों अध्यापक व उनके परिवार वालों को दिनांक 07.08.2021 को NDRF के सुरक्षा अधिकारियों द्वारा निकाला गया था।

हिंगी आवासीय छात्रावास बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील स्थान व डूब क्षेत्र में बना है। आवश्यकता है कि इस छात्रावास को बंद कर सुरक्षित स्थान पर नवीन आवासीय छात्रावास बनाया जावे।

भरत सिंह कुन्दनपुर

(सांगोद)

अजमेर शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत

अजमेर क्षेत्र की सड़कें सरकार की अनदेखी के चलते दुर्दशा का शिकार हो रही हैं, जिससे क्षेत्र की जनता को भारी परेशानी हो रही है। किसी भी दिशा से प्रवेश करने पर अजमेर शहर स्मार्ट सिटी कम गांव या छोटा कस्बा ज्यादा लगता है। शहर में प्रवेश करते ही सड़कों पर बने बड़े-बड़े गड्ढों से सामना होता है। अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए केन्द्र सरकार प्रयासरत है, लेकिन वहाँ से आ रहे करोड़ों रुपये किधर जा रहे हैं, यह निश्चित ही विचारणीय एवं अपने आप में बड़ा प्रश्न है। यह कितना हास्यास्पद है कि जिस शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, उसकी सड़कों की हालत किसी गांव या छोटे कस्बे से भी बदतर है।

सड़कों की मरम्मत और पेचवर्क के लिए प्रशासन को मिले लाखों रुपये बरसाती पानी के साथ ही बह गए हैं। पिछले दिनों आई बरसात में सभी सड़कों पर हुए पेचवर्क पूरी तरह धुल गये हैं। उन सभी सड़कों पर फिर से गहरे गड्ढे बन गये हैं। श्रीनगर रोड, ब्यावर रोड, नसीराबाद रोड, जयपुर रोड, पुष्कर रोड से शहर में प्रवेश करते ही सड़कों पर गहरे और बड़े-बड़े गड्ढे नजर आते हैं। टूटी-फूटी सड़कों पर दुपहिया वाहन तो क्या, चौपहिया वाहनों में सफर करना भी मुश्किल हो गया है।

मुख्य सड़कों के अलावा स्टेशन रोड, मार्टिंडल ब्रिज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय कालेज चौराहा, गुलाबबाड़ी, आगरा गेट, सोनीजी की नसियां, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अग्रसेन चौराहा, सावित्री कालेज मार्ग व चौराहा, शास्त्री नगर, लोहागल रोड, वैशाली नगर माकड़वाली रोड, पंचशील, कोटड़ा, प्रगति नगर, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, रामनगर, बी.के. कौल नगर, ऋषि उद्यान फॉयसागर रोड आदि क्षेत्रों में भी सड़कों की हालत बहुत खस्ता है। इन दिनों बरसात का दौर चल रहा है, इसलिए पानी भरा होने के कारण गहरे गड्ढे दिखाई नहीं देते है, जिससे रोजाना अनेकों राहगीर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। पैदल चलने वाले लोग भी गड्ढों में गिरकर घायल और चोटिल हो रहे हैं।

स्टेशन रोड, पृथ्वीराज मार्ग और कचहरी रोड पर एलिवेटेड रोड का काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। इन मार्गों पर जिन जगहों पिलर खड़े करने के लिए सड़क खोदी गई थी, उन जगहों पर ढंग से मरम्मत नहीं कराई गयी है, जिससे इन मार्गों पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गयी है। मार्टिंडल ब्रिज, आगरा गेट और राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुराने भवन से लेकर पूरे मार्ग पर दिन भर वाहनों की रेलमपेल मची रहती है। अन्य वैकल्पिक मार्ग इतने सकरे हैं कि जिससे दुपहिया वाहन भी आसानी से आ-जा नहीं सकते।

अतः मेरा आग्रह है कि सरकार अजमेर शहर की सड़कों की दुर्दशा सुधारने हेतु तत्काल आवश्यक बजट का आबंटन कर, सम्बन्धित विभाग को शीघ्र सड़क निर्माण एवं मरम्मत/पेचवर्क हेतु पाबन्द करे।

वासुदेव देवनानी

(अजमेर उत्तर)

जायल में नष्ट फसल का मुआवजा व राज्य सरकार द्वारा अकाल राहत राशि का आबंटन

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि नागौर जिले की जायल विधान सभा क्षेत्र में इस वर्ष मूंग व बाजरे की फसल की बुआई की गयी थी, लेकिन समय पर वर्षा नहीं होने के कारण अधिकांश फसल जल कर नष्ट हो गयी है, जिसके कारण किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। किसानों ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रिलायंस कम्पनी से 2-3 हैक्टेयर का फसल बीमा भी करवाया था तथा फसल खराब होने पर फसल बीमा कम्पनी को भी शिकायतें दर्ज करवाई हैं, लेकिन आज दिन तक फसल बीमा कम्पनी

का कोई भी व्यक्ति फसल खराब होने पर मौका स्थिति देखने नहीं आया है। इस वर्ष समय पर वर्षा नहीं होने के कारण जायल ब्लाक में फसल बुआई पर किसानों को हजारों रुपये का खर्चा हुआ है। फसल खराब हो जाने के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि बीमा कम्पनी से फसल बीमा क्लेम दिलवाने का कष्ट करावें, ताकि किसान अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को अकाल राहत हेतु मुआवजा राशि आबंटित कर राहत प्रदान करवाने की कृपा करावें।

मंजु देवी

(जायल)

फलौदी में जनता जल योजना के बंद पड़े नलकूपों का संचालन

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत लेख है कि जनता जल योजना के तहत चल रहे नलकूप मेरे विधान सभा क्षेत्र फलौदी में जल संकट का पर्याय बन गये हैं। महोदय, जनता जल योजना के नलकूप का रख-रखाव, पम्प चालकों का मानदेय एवं विद्युत खर्च पूर्ण रूप से पंचायतों के ऊपर डाल दिया गया है। पंचायतों के पास इतना कोष नहीं होने के कारण ये इन्हें चालू रखने में अपने आपको अक्षम पा रही हैं। साथ ही पंचायतें अन्य विकास कार्य भी नहीं करा पा रही हैं।

जोधपुर जिले को ही ले लें तो जिले में लगभग 400 नलकूप खराब होने के कारण बंद हो गये हैं। जिनमें 60 नलकूप तो मेरे विधान सभा क्षेत्र फलौदी में ही हैं। फलौदी में अनावृष्टि य अकाल के कारण जल संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसी स्थिति में कम से कम इन नलकूपों को मरम्मत कर पुनः चालू कराने का कार्य सरकार अपने ऊपर लेकर क्षेत्र में अकाल की स्थिति में जल संकट से मुक्ति दिलावें। इस सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्य सरकार द्वारा आज तक एक भी जे.जे.वाई. नलकूप ठीक नहीं करवाया गया है। अतः नीति में बदलाव कर बन्द पड़े जे.जे.वाई. नलकूपों की मरम्मत करवाने का जिम्मा सरकार अपने ऊपर लेकर पुनः चालू करवाये ताकि क्षेत्र की जनता को जल संकट से मुक्ति मिल सके।

पब्बाराम

(फलौदी)

हरी बांध (घाटोल) की कैनाल की मरम्मत व घाटोल में माइनिंग प्लाट आबंटन से समस्या

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि घाटोल विधान सभा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु हरी बांध की कैनाल की मरम्मत नहीं होने से पानी लीकेज होने से किसानों के खेत बिगड़ने से परेशान हैं। माही बांध उदयपुर सम्भाग का सबसे बड़ा बांध है। पानी भराव की क्षमता 281 मीटर है। आर.एम.सी. एवं एम.एम.सी. कैनाल निकाली गयी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आर.एम.सी. कैनाल से छोटी माइनर निकाली है। उसको मरम्मत हेतु बजट का प्रावधान क्यों नहीं किया गया?

पिछले सप्ताह श्रीमान राजेन्द्र जी यादव प्रभारी मंत्री का आगमन हुआ और इनके समक्ष घाटोल में अभाव अभियोजन (समस्या) सुनने के दौरान जनता ने नहर मरम्मत की मांग रखी। कहा, आपके विधायक से सवाल करें, क्या प्रसार करने आये, विधायक विधान सभा में नहीं बोलते हैं। घाटोल विधान सभा क्षेत्र में केला, मेलम, दाता, बोड़ी के किसान परेशान है। सरकार द्वारा माइनिंग हेतु प्लाट आबंटन करने से 300 से ज्यादा किसानों के बेघर होने की आशंका है। पशु, पक्षी, पेड़ एवं पौधे तथा माही बांध के पानी पर वातावरण गंदा होगा तथा जनहानि होगी।

हरेन्द्र निमामा

(घाटोल)